पंचम माला, खंड 40, अंक 54 शुक्रवार, 10 मई, 1974/20 वैशाख, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XL, No. 54 Friday, May 10, 1974/Vaisakha 20, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 40 में अंक 51 से 54 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 51 to 54]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये भाषणों आ द का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contair Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 54—शुक्रवार, 10 मई, 1974/20 वैशाख 1896 (शक)

No. 54—*Friday, May* 10, 1974/*Vaisakha* 20, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1016	औद्योगिक आयात के लिए विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for Industrial Imports. .	1–3
1017	मेंढ़क की टांगों का निर्यात करने वाली फर्मों को अस्वीकृति-भुगतान (रिजेक्शन कवर्ज)	Firms given Rejection Covers for Export of Frog Legs .	3–5
1018	हथकरघा की वस्तुओं पर लागे प्रतिबन्धों में ढील	Waiving Restrictions on Hand-loom goods . . .	5–6
1019	महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम का पूंजी निवेश	Investment of L.I.C. Funds in Backward Areas of Maharashtra. . . .	6–8
1020	उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to U.P. .	8–9
1022	होटल उद्योग के विकास में होटल विकास ऋण निधि योजना की सफलता	Success of Hotel Development Loan Fund Scheme in Developing Hotel Industry .	10–13
1023	माइका इंडस्ट्रीज-एसोसियेशन, बिहार द्वारा ज्ञापन पेश किया जाना	Submission of Memorandum by Mica Industries Association Bihar . . .	13–14
1024	बम्बई पत्तन पर चिथड़ों की विशेष जांच	Special Probe of rags consignment at Bombay Port .	15–16

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1021	भारतीय चाय व्यापार निगम को विपनन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था (मेजर फोर्स) के रूप में सक्रिय बनाना	Activating Tea Trading Corporation as a Major Force in Marketing . . .	16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—20 LSS(ND)/ 4

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1025	पश्चिमी बंगाल के हथकरघा उद्योग में सूत की भारी कमी	Acute Yearn shortage in Handloom Industry of West Bengal	17
1026	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य अधिकारियों की शिफारिशें	Recommendations of Chief Executives of Public Sector Undertakings to Improve Performance of Public Sector Undertakings . . .	17
1027	कपड़ा निर्यातकों को नकद सहायता बन्द करना	Discontinuance of Cash Aid to Texile Exporters . .	17–18
1028	पुरातत्व और पर्यटन-महत्व के स्मारकों के सुधार के लिए धनराशि	Funds for Improvement of Monuments of Archaeological and Tourist Interest . .	18
1029	गन्धक की सप्लाई के लिए ईरान के साथ करार	Agreement with Iran for Supply of Sulphur	18
1030	मैसर्स प्योर ड्रिंक्स द्वारा निर्यात को 'कन्सट्रेट्स' के आयात के साथ जोड़ा जाना	Linking Export with Import of Concentrates by Messrs. Pure Drinks	19
1031	बिहार से आमों का निर्यात	Export of Mangoes from Bihar	19
1032	तंजानिया के साथ व्यापार	Trade with Tanzania	19
1033	वर्ष 1973-74 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात बिलट का आयात	Import of Steel Billets by MMTC during 1973-74 . .	20
1034	कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Banning Exports of certain Items.	20
1035	"जहाजों पर अरब सागर में पोत-विहार की व्यवस्था" (आफरिंग अरेबियन सीक्रूज़ेस आन बोर्ड) करके पर्यटन आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Tourism by offering "Arabian Sea Cruises on Board". .	20–21
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
9828	कपड़ा उद्योग की क्षमता वहीं पर रोकने का योजना आयोग का निर्णय	Planning Commission decision to freeze the capacity of Textile Industry . .	21
9829	आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertaking in Andhra Pradesh . . .	21

अता० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9830	सूती धागे के मूल्य में भारी वृद्धि	Sharp increase in Price of Cotton Yarn.	21–22
9831	राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम कर रहे हरिजन	Harijans working in Nationalised Banks	22
9832	सूती धागे के निर्यात में कमी	Decrease in export of Cotton yarn	22
9833	मध्य प्रदेश में बैंकिंग की धीमी प्रगति	Slow progress of banking in Madhya Pradesh	23
9834	मध्य प्रदेश से कोसा कपड़े का निर्यात	Export of Kosa cloth from Madhya Pradesh	23
9835	बीड़ियों का निर्यात	Export of Bidis	23
9836	भारतीय व्यापार दलों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया तथा आस्ट्रेलिया का दौरा	Visit by Trade Teams to S.E. Asia and Australia	24
9837	भारत और मारिशस के बीच व्यापार का विस्तार	Expansion of trade between India and Mauritius	24
9838	अमरिका से आयात	Imports from U.S.A.	24
9839	नारियल जटा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Coir Export Trade	25
9840	भारत द्वारा चीजों का आयात	Import of goods by India	25–26
9841	खनिज लोहे का निर्यात	Export of Iron Ore	26
9842	विस्फोटक पदार्थों का निर्यात	Export of Explosives	26
9843	फ्रांस से औद्योगिक विकास के लिए ऋण	Loan from France for Industrial Development	26
9844	पंजाब में बरामद काला धन	Black Money Unearthed in Punjab	27
9845	रुस को किया गया निर्यात	Exports to U.S.S.R.	27
9846	केन्द्र द्वारा लागू किए गए वित्तीय अनुशासन की उपेक्षा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय	Measures resorted to by State Governments to Circumvents Financial Discipline Imposed by Centre –	27–28
9847	नाइलोन के कतैयों द्वारा क्रिंपिंग मशीनों का लगाया जाना	Installation of Crimping Machines by Nylon Spinners	28

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9848	पाकिस्तान में सेवा निवृत्त हुए व्यक्तियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Persons Retired in Pakistan . . .	29
9849	कपड़ा वितरण और मूल्य निर्धारण की नई नीति	New Textile Distribution and Pricing Policy . . .	29
9850	केन्द्रीय मंत्रियों के दौरों पर व्यय	Expenditure on Tours of Central Ministers . . .	29–30
9851	अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वी०आई० पी०) द्वारा विदेशों से आग्नेयास्त्र का आयात	Import of Fire Arms by V.I.P. from Foreign Countries .	30
9852	अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच प्रक्रिया	Procedure for Checking International Passengers .	30
9853	रक्षा लेखा नियंत्रक पटना, के कार्यालय में 'वेटकैन्टीन' और मनोरंजन क्लब चलाने की प्रक्रिया	Procedure for Running of Wet Canteen and Recreation Club in the Office of C.D.A. Patna	31
9854	तम्बाकू निर्यात कर्त्ताओं को कठिनाइयां	Difficulties faced by Tobacco Exporters	31–32
9855	भेड़-बकरी की चर्बी का उत्पादन और आयात	Manufacture and Import of mutton tallow . .	32–33
9856	त्रिपुरा राज्य में बागनों का बन्द होना	Closure of Plantations in Tripura State . . .	33
9857	बिडला उद्योगों द्वारा करों की अदायगी न करना	Non-payment of Taxes by Birla Cancerns . . .	33–34
9858	जे०सी०टी० मिल्स, फगवाड़ा द्वारा माल की चोरी छिपे बिक्री	Underhand sale of goods by J.T.C. Mills Phagwara.	34–35
9859	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वित्तीय नियंत्रण	Financial control in Public Sector Undertakings . .	36–37
9860	मैसर्स जे० पी० बिल्डर्स, मद्रास	M/s. J.P. Builders, Madras .	37
9861	आयात निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक एर्नाकुलम के कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार	Misbehaviour of the officials of the Office of Dy. Chief Controller of Imports/ Exports Ernakulam . . .	37
9862	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रेल भाड़े की पुनः जांच का अनुरोध	West Bengal Government request for re-examining of Railway freight. . .	37–38

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9863	सरकारी उपक्रमों के लिए सतर्कता आयोग	Vigilance Commission for Public Sector Undertakings .	38
9864	सरकारी उपक्रम सेवा आयोग	Public Sector Service Commission . . .	38–39
9865	बिहार में कोयले और कृषि पर आधारित उद्योगों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता	Financial assistance by I.D.B.I. for coalbased industries and Agro-industries in Bihar .	39
9866	सूती कपड़ा उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि	Rise in production cost of Cotton Textile Industry. . .	39–40
9867	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी कार्यवाही समिति	Action Committee on Public sector Undertakings .	40
9868	रेयन और सिन्थेटिक वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Rayon and Synthetic Textiles . .	40–41
9869	कपड़ा मिलों को कच्चे माल की अनुपलब्धता	Non-availability of Raw material to Textile Mills . .	41
9870	कालीन बनाने के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Manufacture of Carpets . . .	42
9871	धागा निर्यात की वर्तमान नीति पर पुनर्विचार	Reconsideration for Existing Yarn Export Policy .	42
9872	आसाम राज्य में चाय बागानों का बन्द होना	Closure of Tea Piantations in Assam State . . .	42
9873	रुमानिया को लोह अयस्क के निर्यात मूल्य में वृद्धि की मांग	Price increase on Export of Iron Ore to Rumania .	43
9874	खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में विवाद	Differences between MMTC and NMDC over Iron Ore Prices	43
9875	व्यक्तिगत आय और व्यय पर उच्चतम सीमा	Ceiling on Individual Income and Expenditure . . .	43
9876	इलायची के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति	Realisation of Foreign Exchange from Export of Cardamom	44
9877	सामान्य बीमा निगम द्वारा कुछ फर्मों को 'रिजेक्शन कवरिंग' के लिए मना करना	Rejuction covering of certain Firms refused by General Insurance Corporation . .	44

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9878	तस्करी रोकने के उपाय	Steps to check Smuggling .	44-45
9879	बंगला देश के साथ हमारे व्यापार पर पुंजी लगाने की एजेंसिया	Financing agencies for our trade with Bangladesh . .	45-46
9880	पांचवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Maharashtra during Fifth Plan	46
9881	सांस्कृतिक पर्यटन के विकास के लिए कार्यवाही	Steps for development of Cultural Tourism . . .	47
9882	मध्य पूर्व तथा लैटिन अमरीकी देशों को निर्यात	Exports to Middle East and Latin American Countries .	47
9883	विदेशी पर्यटकों के कथित परेशान किये जाने को रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to check alleged harassment of Foreign Tourists .	47-48
9884	दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के प्रस्ताव के बारे में वित्त मंत्रालय का निर्णय	Decision of Ministry of Finance regarding proposal of revision of pay scales of Employees of Dandakarnaya Project .	48
9885	निर्यात कार्यों में लगी विदेशी कम्पनियों में भारतीय योगदान	Indian participation in Foreign Companies engaged in Export	48
9886	विदेशी-विनियोग में कमी	Fall in Foreign Investment	49
9887	मुद्रा के चलन में वृद्धि	Increase in money circulation .	49-50
9888	सरकारी व्यय में मितव्ययता	Economy in Government Expenditure . . .	50-52
9889	बर्मा से वसूल की जाने वाली धनराशि	Amount recoverable from Burma	52
9890	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पर वित्त तथा वाणिज्य मंत्रालयों के बीच मतभेद	Differences between Finance and Commerce Ministries over Foreign Exchange Regulations Act. . . .	52-53
9891	राज्यों को सहायता देने के लिए फार्मुला	Formula for giving aid to States	53
9892	राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बेंक आफ इण्डिया द्वारा वर्ष 1973 के दौरान कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में ऋण और अग्रिम राशियों के रूप में पुंजी निवेश	Investment by way of loans and Advances by Nationalised Banks and S.B.I. in Agriculture and Industry during 1973 .	53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9893	विमान-चालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	Training programme for Pilots	53–54
9894	नैशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा बाहर भेजी गयी लाभ की राशि	Profit repatriated by National and Grindlays Banks . .	54–55
9895	रिजर्व बैंक पटना में ग्रेड IV कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Grade IV employees in Reserve Bank, Patna	55
9896	पटना जिले में राष्ट्रीयकृत बैंक	Nationalised Banks in District of Patna . . .	55
9897	पटना में राष्ट्रीय कृत बैंकों के भवन	Buldings of Nationalsied Banks in Patna . . .	56
9898	108 वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबन्धों में ढ़ील देना	Relaxing of Export Curbs on 108 Items . . .	56
9899	भारतीय रिजर्व बैंक में खाता खोलने लिए ईरान को अनुमति	Persmission to Iran to open Account with Reserve Bank of India . . .	56
9900	इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग की स्थापना करने के लिए 'साल्ट लैक' क्षेत्र में औद्योगिक बस्ती	Industrial Estate in Salt Lake area to Establish electronic Industry . . .	56–57
9901	इण्डियन एयर लाइन्स में विमान चालकों की नियुक्ति	Appointment of Pilots in Indian Airlines . . .	57
9902	डाकखाने के बचत खातों में जमा धनराशि और उक्त बचत खातों से हरियाना सरकार द्वारा निकाली गयी धनराशि	Deposits and withdrawals by Haryana Government from Postal Savings . . .	58–59
9903	अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का संशोधन	Amendment of Essential Commodities Act. . . .	59
9904	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विमान परिचारिकाओं की संख्या	Number of Air Hostesses belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. . .	59
9905	विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों पर व्यय	Expenditure on Exhibition Organised in Foreign Countries	59–60
9906	तमिलनाडु के 'पलानी' नगर का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Palani, Tamil Nadu	60

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9907	राज्य व्यापार निगम की लन्दन तथा पैरिस स्थित शाखाओं में हुए व्यापारिक सौदे	Business deals of Branches of STC at London and Paris .	61
9908	मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों द्वारा ज्ञापन दिया जाना	Submission of Memorandum by President of Recognised Stock Exchanges . . .	61
9909	स्वर्ण नियंत्रण नीति में परिवर्तन	Modification of Gold Control Policy	61
9910	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिल्ली में उद्योगों को दिये गये ऋण	Loan given by Nationalised Banks to industries in Delhi .	61–62
9911	लौह अयस्क तथा इस्पात के मूल्यों को सम्बन्ध करना	Linking of Iron Ore and Steel Prices	62
9912	निकोबार को निर्बाध पत्तन बनाना	Making of Nicobar as Free Port	62–63
9913	'रिसैटिलमेंट प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत इण्डियन एयर लाइन्स की परिवहन सेवा	Transport Service of Indian Airlines under 'Resettlement Project . .	63
9914	बैंक आफ बुंधेल खंड की शाखा के कर्मचारियों को पेंशन देना	Payment of Pension to Employees of Rewa Branch of Bank of Bhagal Khand .	63
9915	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अगली किश्त	Further instalment of D.A. Central Government Employees .	64
9916	गुजरात सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि	Increase of D.A. to Gujarat Govt. Employees .	64–65
9917	उत्तरी भारत की चाय के लिए मांग	Demand for North Indian Tea	65
9918	यूनियन बैंक आफ इण्डिया की अलीगढ़ शाखा के कैशियर की मुअत्तिली	Suspension of Cashier of Aligarh Branch of Union Bank of India	65
9919	उत्तर प्रदेश में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा आरम्भ की गई परियोजनायें	Projects undertaken by I.T. D.C. in U.P. . .	65–66
9920	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण की मंजूरी	Sanction of Loan by Nationalised Banks to Hilly District of U. P.	66

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9921	उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting of Public Sector Industries in Uttar Pradesh . .	67
9922	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता के भुगतान के लिए कसौटी	Criteria for Payment of D.A., H.R.A. and C.C.A. o Employees of R.B.I., Nationalised Banks and L.I.C. . .	67–68
9923	स्टर्लिंग बैलैंस गारन्टी में संशोधन	Modification in Sterling Balance Guarantee	68
9924	जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन द्वारा किया गया कारोबार	Business procured by L.I C. Delhi Division . . .	68–70
9925	सूती कपड़े के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Cotton Cloth	70
9926	एक उच्चस्तरिय दल का दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा सुदूर-पूर्व देशों का दौरा	Visit by a High Level Team to S. East Asia and Far Eastern Countries . . .	70
9927	नौवहन भाड़ा दरों की वृद्धि का खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा पर प्रभाव	Effect of Increase in Shipping Freight rates on Foreign Exchange Earnings of M M.T. C.	71
9928	नेपाल में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Ventures in Nepal .	71–72
9929	इण्डियन एयर लाइंस के दुर्घटना ग्रस्त हुए विमान	Aircraft of Indian Airlines Involved in Accidents .	72
9930	विदेश गये शिष्टमंडल	Delegations gone abroad	72
9931	सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात की क्षति	Set back in Export of Readymade Garments . . .	72–73
9932	पांचवीं योजना में निर्यात लक्ष्य में वृद्धि	Upward Revision of Export Target in Fifth Plan .	73
9933	दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर तक की विमान सेवा	Air Service from Delhi to Jaipur, Bikaner, jodhpur and Udaipur	73–74
9934	राजस्थान को तकुओं का नियतन	Allotment of Spindles to Rajasthan	74

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9935	राजस्थान में विभिन्न काउन्ट वाले धागों की कुल मांग	Total demand of Rajasthan for differens Counts of Yarn .	74–76
9936	वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये आवधिक ऋणों की किस्तें और ब्याज की वापस अदायगी न किये जाने के मामलों में वृद्धि	Rise in Defaults in Repayment of Instalments and Interests toward Term Land given by Financial Institutions . .	77
9937	एशियायी विकास बैंक	Asian Development Bank .	77
9938	कपड़े की निर्यात नीति में संशोधन	Revision in Textile Policy of Exports . . .	78
9939	राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई धनराशि और उनके द्वारा ऋण के रूप में दिये धन के तुलनात्मक आंकड़े	Comparative amount of deposits and credit advanced by Nationalised Banks . . .	78
9940	आल इण्डिया वीवर्स फैडरेशन द्वारा ज्ञापन	Memorandum by All India Weaver Federation . .	79
9941	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए और अधिक धनराशि का आवंटन	Allotment of more funds for Marine Products Export Development Authority . .	79–80
9942	भारतीय लौह-अयस्क का निर्यात मूल्य	Export Price of Indian Iron Ore	80
9943	निर्धारित निर्यात लक्ष्य से अधिक मात्रा में निर्यात होने वाली गैर परम्परागत वस्तुयें	Non-traditional items registering an increase in Export Target	80
9944	वर्ष 1973 के दौरान नष्ट किये गये फटेपुराने नोटों का मूल्य	Value of soiled currency notes destroyed during 1973 . .	81
9945	नियंत्रित कपड़े के वितरण को निजी व्यापारियों को सौंपना	Handing over of Public distribution of controlled Cloth to Private Traders . . .	82
9946	श्रीलंका में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Taking over of Indian Banks in Sri Lanka .	82
9947	छटनी मुआवजे पर आय कर से छूट	Exemption of retrenchment compensation from Income-Tax.	83
9948	निःशुल्क हवाई यात्रा के लिये जारी पास	Passes issued for Free Air Travel	83

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9949	कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र का बन्द किया जाना	Closure of Kandla Free Trade Zone	83–84
9950	केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन योजना	Family Pension Scheme for retired Central Government Employees	84
9951	जापान से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from Japan	84–85
9952	'सफरी पार्कों' के लिये योजना	Plan for 'Safari Parks'	85
9953	सरकारी एजेंसियों के माध्यम से औषधियों का आयात	Cancalisation of Drug Imports	85
9954	पर्यटकों की रुचि वाले स्थानों पर खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम के लिये केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा किये जाने वाला प्रबन्ध	Arrangements made by Central Tourism Development to check food adultration at places of tourist interest .	85–86
9955	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि पर से नियंत्रण हटाया जाना	Defreezing of deposits of scheduled commercial banks .	86
9956	राज्य सरकारों द्वारा विद्यमान इंधन के विक्रय कर में कमी करना	Reduction in Sales Tax on aviation Fuel by State Governments	86
9957	रसायनों लोहे तथा इस्पात के उत्पादों के आयात पर सीमा-शुल्क में रियायत	Concessions in customs duty on import of chemicals, iron and steel products . .	87
9958	विक्रय कर की समान दरें	Uniform Sales Tax rates .	87
9959	विदेशी पर्यटकों के प्रवेश सम्बन्ध नियमों को उदार बनाना	Liberalisation of Rules governing the entry of Foreign Tourists	88
9960	एयर इण्डिया की अलाभकारी उड़ानें	Un-economical flights of Air India	88
9961	लता मंगेशकर को भेंट की गई स्वर्ण डिस्क को भारत लाने की अनुमति न दिया जाना	Refusal of permission to Lata Mangeshkar for bringing presented Gold disc to India	88–89
9962.	बहुमूल्य पत्थर आदि के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign exchange earned by export of precious stones .	89
9963	जवाहरात आदि बनाने के लिये कच्चे माल का आयात	Import of raw material for Jewellery Manufacture . .	89

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9964	मीना कारीकी चीजें, आभूषण तथा वस्त्रों के विदेशों को निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign exchange earnings by export of Enamelled ornaments and Garments abroad . .	89–90
9965	रेयन फिलामेंट यार्न के वितरण के संबंध में कतइयों तथा बुनकरों के बीच नया समझौता	New agreement between spinners and weavers regarding distribution of rayon Filament Yarn	90
9966	सड़क पर्यटन के संवर्धन के लिये शिबिर स्थलों का विकास	Development of camping sites to promote road tourism .	90–91
9967	विमान सेवाओं को नया रूप देने के लिये संगठन बनाना	Formation of organisation for revamping air services . .	91
9968	आस्ट्रिया के साथ आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग	Economic and technical cooperation with Austria . .	92
9969	इण्डियन इयर लाइन्स में फालतू कर्मचारी	Surplus staff in Indian Airlines	92
9970	पर्यटकों के भारत आने और उनके यहां से बाहर जाने पर इंधन संकट का प्रभाव	Impact of fuel crisis on flow of tourist traffic to and from India	92–93
9971	कलकत्ता और बंगलौर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा	Inconvenience to passengers who travel between Calcutta and Bangalore . . .	93
9972	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हथकरघा और विद्युत चालित करघा क्षेत्र को दिये गये ऋण की मात्रा	Quantum of loans advanced by nationalised banks to handloom and powerloom sector .	93–94
9973	लुम्बिनी को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिये भारत का योगदान	India's contribution in the development of Lumbini as a historic spot . . .	94
9974	हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और उना जिलों के लिये पृथक आय कर कार्यालय	Separate Income Tax Office for Hamirpur and Una Districts of Himachal Pradesh .	94
9975	भारत और आस्ट्रिया के बीच विमानयात्री सेवाएं और परिवहन सेवाएं	Passenger and Freighter air service between India and Austria	95
9976	हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास	Development of tourism in Himachal Pradesh . .	95

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9977	राज्यवार धार्मिक स्थानों पर दी जाने वाली पर्यटन सुविधायें	Tourist facilities provided at religious places state-wise	95–97
9978	तेल के आयात के खर्च को वहन करने के लिए विदेशी मुद्रा जुटाना	Foreign Exchange for Meeting of Oil Bill	97–98
9979	मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं का कार्यकरण	Functioning of branches of S.B.I. in rural areas in Madhya Pradesh	98
9980	मध्य प्रदेश में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का चोर बाजारी करने वालों तथा जमाखारों द्वारा दुरुपयोग	Misuse of loans advanced by banks to black marketers and hoarders in Madhya Pradesh	98
9981	इंदौर में पकड़ा गया तस्करी का माल	Seizure of smuggled goods in Indore	98–99
9982	विदेश भेजे गये प्रतिनिधिमंडलों पर हुआ व्यय	Expenditure on delegations sent abroad	99
9983	कपड़े का नियंत्रण समाप्त करना	De-controlling of cloth	100
9984	भारत रुस व्यापार	Indo-Soviet Trade	100
9985	शत्रु सम्पत्तियों संबंधी कार्य करने वाले अभिरक्षक का कलकत्ता स्थित कार्यालय	Office of the custodian at Calcutta dealing with enemy properties	100–101
9986	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के बकाया दावे	Outstanding claims of refugees from the former East Pakistan	101
9987	भारत बंगला देश व्यापार सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाना	Canalisation of Indo-Bangladesh trades through State Organisation	101
9988	बंगलादेश को निर्यात	Exports to Bangladesh	102
9989	कम्पनियों द्वारा विदेशी ब्रांड के नामों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध	Ban on use of Foreign Brand Names by Companies	102
9990	पूर्वी भारत में कच्चे पटसन के उत्पादकों को समर्थन मूल्य	Support Price to Growers of Raw Jute in Eastern India	102–103
9991	एकीकृत वस्त्र नीति	Integrated Textile policy	103

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9992	कतइयों और बुनकरों के बीच सैवैच्छिक मूल्य समझौता	Voluntary Price Agreement between Spinners and Weavers	104
9993	कुटीर उद्योग उत्पादित वी-बैल्ट पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on V-Belt produced in Cottage Industry . .	104–105
9994	वस्तुओं की चोरबाजारी रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check Blackmarketing of Commodities . . .	105
9995	बड़े नगरों में वस्तुओं की चोर-बाजारी और जमा-खोरी	Black Marketing and Hoarding of Commodities in Big Cities	105–106
9996	विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank	106
9997	गुड़गांव में भूमिधारियों द्वारा आय-कर अपवंचन	Evasion of Income-tax by Land Lords in Gurgaon . .	106
9998	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने में प्राप्त सफलता	Success achieved in linking places by Air during Fourth Plan	107
9999	चमड़े से बने सामान का निर्यात	Export of Leather Goods	107
10000	मानव निर्मित कपड़ें के लिए एक विकास निगम की स्थापना	Formation of Development Council for Man-made Textiles	107
10001	चाय उद्योग को उत्पादन शुल्क में राहत	Relief to Tea Industry in Excise Duty . . .	108
10002	विदेश यात्रा कर का लौटाया जाना	Refund of Foreign Travel Tax	108
10003	जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन में व्ययगत पालिसियों को पुनः चालू करन के लिय मियमों को उदार बनाना	Liberalisation of Rules for revival of lapsed Policies in Delhi Division of L.I.C. .	108–110
10004	भारत बंगलादेश व्यापार में कठिनाइयां	Difficulties in Indo-Bangladesh Trade . . .	110
10005	विमानों के आयात के लिये बिहार सरकार को दिया गया आयात लाइसेंस	Import Licences granted to Government of Bihar for Import of Aircraft .	110
10006	"स्वायका तेल मिल" के विरूद्ध मामला	Case against "Swaika Oil Mills"	110–111

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10007	सीमाशुल्क गृह, कोचीन में भर्तियां	Recruitments in Custom House, Cochin	111-112
10008	बैंक उद्योग द्वारा पांचवी योजना के दौरान 47,000 व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना	Plan to Provide employment to 47,000 persons by banking industry during Fifth Plan	112
10009	राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्स रायेक्स इण्डिया लिमिटेड के लिये आयात की गई साइजिंग मशीनों का बिना बिके पड़ा रहना	Sizing machines imported by S.T.C. for M/s. Rayex India Limited Lying unsold	113
10010	केमानगन्डी (कर्नाटक) में पर्यटक गृह की स्थापना के लिये स्वीकृत राशि	Amount sanctioned for construction of Tourist House at Kemmangandi (Karnatak)	113
10011	माल के यातायात के बारे में एयर इंडिया की नीति	Policy of AIR India regarding Cargo Traffic	113-114
10012	मुद्रा का परिचलन	Circulation of Money	114
10013	इण्डियन एयरलाइन्स के हड़ताल से पहले और बाद की विमान सेवाएं और इस काम पर लगे विमान चालक	Flights operated and Pilots engaged before and after the strike in Indian Airlines	114-115
10014	राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट	Overdrafts by States	115-117
10015	जीवन बीमा निगम के एजेंटों को दिए गए कमीशन पर आय कर की वसूली	Recovery of Income tax from Commission paid to L.I.C. agents	117
10016	जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन के शाखा-कार्यालयों का कार्यक्रम	Functioning of branch office of L.I.C. Delhi Division	117-119
10017	केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा बम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के निवास स्थानों पर छापा मारा जाना	Raids by C.B.I. on residence of R.B.I. Official in Bombay	119
10018	राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियक्तियां	Appointments in Nationalised Banks	119
10019	आयात लाइसेंसों को जारी करने के कार्य को प्राथमिकता देना	Priority for issue of Import Licences	119

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10020	मफतलाल ग्रुप की ओर करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes against Mafat Lal Group . . .	120
10021	विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा मैसर्ज मफतलाल ग्रुप को दिये गये ऋण	Loans sanctioned to M/s Mafat Lal Group by different Governmental Agencies . .	120
10022	मैसर्स मफतलाल द्वारा जाली मोहरें लगाकर विदेशी वस्तुएं वेचा जाना	Sale of Foreign Goods on fictitious stamping by M/s. Mafat Lal Group	120
10023	वाणिज्य भवन के लिए ऋण देने के बारे में जीवन बीमा निगम का विश्व व्यापार केन्द्र, बम्बई के साथ बातचीत	Negotiation of L.I.C. with World Trade Centre, Bombay *Re*: grant of loan for Commerce Building . . .	121
10024	डमडम हवाई अड्डे पर निर्मित हगरों का उपयोग करने के लिए कार्यवाही	Steps to utilise Hangers constructed at Dum Dum Airport	121–122
10025	कश्मीर की हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाना	Boosting Export of Kashmir Handicrafts . .	122
10026	मफतलाल ग्रुप द्वारा कपड़े का उत्पादन	Production of Cloth by Mafatlal Group . . .	123
10027	राज्य व्यापार निगम की ओर से सुपारी का आयात	Import of Betal-nuts on behalf of S.T.C.	123
	"आर्गेनाइजर" नई दिल्ली के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against the 'Organiser', New Delhi .	123–124
	आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re*:-Question of Privilege against All India Radio . .	124
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	124–130
	पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप संबंधी समितियों की कार्यवाही के सारांश	Synopsis of Proceedings of Committees on Draft Fifth Five Year Plan	131
	योजना समितियों की सामान्य समीक्षा	General Review of Plan Committees	131
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha .	131–132
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति कार्यवाही सारांश	Committee on Private Members' Bills and Resolutions— Minutes .	132

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
कुछ विशेष सिफारिशों के संबंध में सरकार के अन्तिम उत्तर दिखाने वाला विवरण	Statement showing final replies of Government in respect of certain recommendations .	133
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	Committee on Sub-ordinate Legislation—	
12 वां प्रतिवेदन	Twelfth Report . .	133
भारतीय तल निगम के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Indian Oil Corporation—	
श्री देव कान्त बरुआ	Shri D. K. Borooah	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपूर के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Indian Institute of Technology, Kharagpur—	133–136
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	136–139
पश्चिम बंगाल में नमक संकट के कथित समाचार के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Reported Salt crisis in West Bengal—	
श्री एम० बी० राना	Shri M. B. Rana . .	139–140
मंत्रियों की सुरक्षा पर किये गये व्यय के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2862 के उत्तर में शुद्धि—	Correction of answer to U.S.Q. No. 2862 re: expenditure incurred on security of Ministers	140–141
सदस्य की गिरफ्तारी (श्री रामावतार शास्त्री)	Arrest of Member (*Shri Ramavatar Shastri*) . . .	142
राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक—	National Library Bill—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee. . .	142
सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक— पुरः स्थापित	Customs Tariff Bill—*Introduced* .	142
विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
नलहटी पुलिस स्टेशन में श्री गदाधर साहा को निरुद्ध करना	Detention of Shri Gadadhar Saha in Nalhati Police Station . . .	143–145
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under rule 377	145–151
कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक—	Coal Mines (Conservation and Development) Bill— . .	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री दामोदर पांडेय	Shri Damodar Pandey. .	151–152

2–20 L. S. S. (N.D.)/74

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	152
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi .	152
श्री केशव देव मालवीय	Shri K. D. Malaviya .	153
खण्ड 2 से 4	Clauses 2 to 4	. 153–158
अनुपूरक अनुदानों की मांग, पांडेचरी, 1973-74 के बारे में	*Re*: Supplementary Demands for Grants, Pondicherry 1973-74—	. 158–159
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—.	
41 वां प्रतिवेदन	Forty-first Report .	159
मूल्यों और कृषि उत्पादन संबंधी नीति के बारे में संकल्प— अस्वीकृत—	Resolution *re.* Policy in respect of Prices and Agricultural Production—*Negatived*—	
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	160
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mahapatra	. 160–161
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	161
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	. 161–162
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	162
श्री दरबार सिंह	Shri Darbara Singh	. 162–163
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan .	. 163–164
श्री डी० पी० धर	Shri D. P. Dhar	. 165–167
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	. 167–169
लोक सभा के लिये नये चुनाव कराने के बारे में संकल्प	Resolution on Fresh Elections to Lok Sabha	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	170

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 10 मई, 1974/20 वैशाख, 1896 (शक)

Friday, May 10, 1974/Vaisakha 20, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक आयात के लिये विश्व बेंक से ऋण

*1016. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :**
श्री सी० क० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने औद्योगिक आयात ऋण के लिए विश्व बैंक से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) के माध्यम से हाल ही में भारत को 15 करोड़ डालर का कोई ऋग औद्योगिक आयात के लिये दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) कुछ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के औद्योगिक एककों की कच्चे माल तथा अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये औद्योगिक आयात ऋण के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ बातचीत पूरी हो गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के निदेशक बोर्ड की स्वीकृति मिल जान पर कम से कम 1,500 लाख डालर (112.50 करोड़ रुपये) का ऋण, बैंक के चालू वित्तीय वर्ष में मिल सकेगा।

(घ) इस ऋण पर एक प्रतिशत का तीन-चौथाई सेवा प्रभार देना होगा और यह ऋण 50 वर्षों में वापस लौटाया जा सकेगा। इस अवधि में दस वर्ष की छूट की अवधि शामिल है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या विश्व बैंक द्वारा की गई कुछ सिफारिशों की जांच करने के लिए भारत सहायता संघ के 13 दाता राष्ट्रों के कार्यकारी दलों की बैठक जून के मध्य में पैरिस में होने वाली है और यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं, क्या हमसे विचार-विमर्श किया गया था अथवा क्या ये सिफारिशें हमारे साथ विचार-विमर्श करके तैयार की गई थी और क्या उनमें भावी औद्योगिक आयात ऋण का कोई उल्लेख है अथवा इस बारे में सिफारिश की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं ये दोनों चीजें बिलकुल भिन्न हैं। भारत सहायता संघ में जो विचार-विमर्श होते हैं, वह एक अलग बात है और औद्योगिक आयात ऋण जो विश्व बैंक द्वारा दिया जाता हैं, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के अन्तर्गत आता है ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या 1,500 लाख डालर (112.50 करोड़ रुपए) का यह ऋण केवल अस्थायी ऋण है अथवा उसका सम्बन्ध पंच वर्षीय योजना से भी है ? पंच वर्षीय योजना के लिए हमने कुल कितनी राशि का अनुमान लगाया है, अथवा प्रस्ताव रखा है या उम्मीद की है और प्रथम वर्ष के लिए कितनी राशि की व्यवस्था है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो ऋण हमें दिया गया है उसे 50 वर्षों में वापस लौटाया जायेगा और इस अवधि में दस वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। स्वाभाविक तौर पर हम इसका उपयोग अपनी योजना की आवश्यकताओं के अनसार करेंगे। वह दूसरी बात है। जहां तक विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था आदि का सम्बन्ध है। वे हमें इस प्रकार ऋण देते हैं। जैसे पहला ऋण, दूसरा ऋण, तीसरा ऋण और आदि-आदि ..... अब तक उन्होंने आठ ऋण दिये हैं। यह ऋण यदि हमें मिल जाए तो वह नवा होगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विश्व बैंक ने औद्योगिक कच्चे माल के आयात के लिए हमें 1,500 डालर का ऋण देना मंजूर कर लिया है, क्या इस ऋण में ब्याज दर के अलावा जिसका कि आपन उत्तर में उल्लेख किया है ऐसा कोई अनुबन्ध है कि हमें उसके उपयोग करने पर औद्योगिक कच्चे माल का निर्यात किसी खास देश को करना पड़ेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसी कोई शर्त नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon.minister has just now staied that so far they have given eight credits and this should be the ninth credit if we get it. I want to know the total amount of credit as also the total interest which we would be required to pay during this period of 50 years.

May I also know whether the credit which we are taking for the purposes of importing raw materials would be utilised in backward areas ?

Shri Yeshwant Rao Chavan : It all depends upon the total amount and the perio of repayment. As regards total amount of interest to be paid, we can work out the same as the rate of interest is given.

As regards utilisation of this loan credit, we have to make use of that industry-wise and for inaustrial purposes which may cover backward areas also.

श्री राम सहाय पांडे : विश्व बैंक द्वारा दो किस्म के ऋण दिये जाते हैं। कुछ ऋण शर्त-युक्त होत हैं और कुछ ऋणों पर शर्त लगा दी जाती है। अगर सशर्त ऋण है तो उसे केवल एक विशेष परियोजना पर ही खर्च करना होता है और व्याज विदेशी मुद्रा में देना पड़ता है। हमने ऐसे सशर्त ऋण कितने लिये हैं जिनका उपयोग नहीं किया गया हैं और जिनका ब्याज हम विदेशी मुद्रा में दे रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है जिसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

मेंढक की टांगों का निर्यात करने वाली फर्मों को अस्वीकृति-भुगतान (रिजेक्शन कवं)

***1017. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन फर्मों के क्या नाम हैं जिन्हें साधारन विमा निगम ने अमरीका को मेंढक की टांगों का निर्यात करने के हेतु कुछ अस्वीकृति भुगतान (रिजेक्शन कवं) की व्यवस्था की है, और अस्वीकृति भुगतान के रूप में कितनी राशि स्वीकार की गई और अस्वीकृति के कारण उन फर्मों को कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

क्रम सं० निर्यातकों के नाम, जिन्हें माल रद्द होने की जोखिम क प्रति विमा सुवीधा दी गयी	माल रद्द होने की जोखिम के प्रति प्रति बीमा सुरक्षा की रकम (लाख रुपयों में)	अब तक माल रद किये जाने के बारे में प्राप्त सूचित किये गये दावों की रकम (लाख रुपयों में)
1. रैली	261	139
2. इण्डियन टौबैको . .	150	85
3. रौनक इन्टरनेशनल . . .	80	3
4. ब्रिटानिया	4	1
5. न्यू इण्डिया फिशरीज .	3	–
कुल .	498	228

अब तक माल रद्द होने से सम्बन्धित जिन दावों की सूचना मिली है, उनका सम्बन्ध 2 करोड़ 74 लाख रुपये के माल के उन जत्थों से है जिनकी अब तक अमरीका के खाद्य और औषध प्रशासन द्वारा जांच की गयी है । माल के जिन जत्थों की जांच होना अभी बाकी है उनका मूल्य 224 लाख रुपये है ।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : मैं जानना चाहता हूं कि यह अस्वीकृति-भुगतान कब किया गया था और क्या यह सच है कि यह भुगतान तब किया गया था जब अच्छी तरह यह मालूम हो गया था कि उसे अमरीका में अस्वीकृत किया जायेगा और क्या यह भी सच नहीं है कि जहाज में माल भेजे जाने से पूर्व ही अमरीका ने उसे अस्वीकृत कर दिया था ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं कह सकती हूं कि अस्वीकृति भुगतान 1973 के अन्तिम चरण और 1974 के शुरू में कर दिया गया था, प्रश्न के तीसरे भाग के बारे में यह कहा जा सकता है कि इससे पूर्व पहले कभी कोई अस्वीकृति नहीं हुई है। प्रश्न का दूसरा भाग मैं समझ नहीं पाई हूं जिसे माननीय सदस्य फिर से पूछें।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या यह सच है कि कुछ अन्य भारतीय कम्पनियों ने अस्वीकृति-भुगतान के लिए अनुरोध किया था लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया? मैं ऐसी कम्पनियों के नाम जानना चाहता हूं जिनके अनुरोध नामंजूर किये जा चुके हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : किसी भी भारतीय कम्पनी ने ऐसा अनुरोध नहीं किया था, अतः नामजूर करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री वयालार रवि : विवरण से पता लगेगा कि रैली, इण्डियन टोबैको और ब्रिटानिया विदेशी कम्पनियां हैं जिन्हें 1 करोड़ 48 लाख रुपए का अस्वीकृति भुगतान किया गया था। मूल प्रश्न यह है कि भारतीय कम्पनियों का एक बाजार है जहां उन्होंने दावे पेश किये थे। अभी मंत्री महोदया ने कहा था कि इन कम्पनियों ने अस्वीकृति-भुगतान के लिए अनुरोध नहीं किया था इसलिए प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

वाणिज्य मंत्रालय ने उत्तर दिया था कि गत वर्ष 1973 में परिष्करण के सम्बन्ध में अमरीकी कम्पनी के बारे में एक प्रश्न था, उन्होंने हमारे मेंढकों की टांगों को अस्वीकृत करना शुरू कर दिया जिस कारण 274 लाख रुपए मूल्य के निर्यात की दुबारा जांच की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं क्या एक जत्था दूसरे देश को भेजा गया था और यदि हां, तो उन्हें इसे क्यों परिष्कृत करने दिया गया यद्यपि उन्होंने अस्वीकृति भुगतान नामंजूर कर दिया था।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : वर्ष 1974 से पूर्व-1973 में बहुत से जत्थे आने शुरू हो गये थे। उनमें से जैसा भी माननीय सदस्य ने बताया, केवल 274 लाख रुपए मूल्य के जत्थों की जांच की गई थी, उनकी अभी जांच की जानी है। मैं इस बात को फिर से दुहराना चाहूंगी कि अन्य किसी भी कम्पनी ने अस्वीकृति-भुगतान के लिए अनुरोध नहीं किया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विवरण से मालूम होता है कि बेचे गये कुल माल में से लगभग 228 लाख रुपए का माल रद्द किया गया है, यदि उसमें से 60% दावे मंजूर किए जाते हैं, तो यह रकम इस देश से बाहर विदेशी फर्मों को जायेगी। मैं जान सकता हूं कि क्या इसका परिष्करण करना केवल अमरीका के खाद्य और औषध प्रशासन पर ही निर्भर है? जहां तक दावों का सम्बन्ध है, क्या यह मालूम करने का सरकार को भी कोई अधिकार प्राप्त है कि वे वास्तविक दावे हैं अथवा नहीं क्योंकि परिष्करण में भारी रकम इस देश से बाहर जा रही है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस 498 लाख की रकम में से, जिसकी मैंने उल्लेख किया है 274 लाख रुपए मूल्य के जत्थों की जांच की गई है; उस 498 रुपए की कुल रकम में से 274 लाख रुपए मूल्य के दावे रद्द किये गये हैं। वर्ष 1966 से लेकर अब तक, अमरीकी कम्पनी द्वारा ही नमूने की जांच की गई और सम्पूर्ण परीष्करण भी उसी के द्वारा किया जाता रहा है। नमूने का उनका तरीका बदला गया है; किन्तु उन्होंने भारत सरकार की इसमें कोई राय या मशवरा नहीं लिया और इसे अपने आप ही किया। उसके बाद, हमने कुछ कार्यवाही की और इसे अमरीका के खाद्य और औषध प्रशासन के प्रतिनिधि पर नहीं छोड़ा है। वास्तव में, विचार-विमर्श के बाद ऐसी धारणा बनी कि समूची चीज़ का पुनर्परिष्करण किया जाए। यह पुनर्परिष्करण

अमरीका में सुरु किया गया है। स्वाभाविकतौर पर, वे इस परिष्करण से सन्तुष्ट हैं, और अब स्वतः उतना माल रद्द नहीं होगा, इसक अलावा, इस बात को देखने क लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारो भज गये कि नमूना परिष्करण ठोक है अथवा नहीं। साथ ही साथ, एसा समझा गया है कि इसकी जांच करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने भो कल अपना एक वरिष्ठ अधिकारो वहां भेजा है। सबसे बड़ो बात यह है कि अस्वोकृति भुगतान की समूचो प्रणाली तुरन्त बन्द कर दी गई है। निर्यात अब भी चल रहा है।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, झिंगी (श्रिम्प) के निर्यात और उसके परिष्करण, जो अमरीकी बाजार में किया जाता है, के बारे में एक प्रश्न इसी सभा में किया गया था; ऐसा आरोप है कि वे भारतीय व्यापार के प्रति प्रतिकारात्मक कार्यवाही कर रहे हैं और उससे वे हमारे वाणिज्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, हम विदेशी मुद्रा की भारी रकम गवा रहे हैं। जब वे ऐसे उपाय कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार इस समुचे कार्य की जांच करेगी इसके पीछे क्या कारण है और क्या वे इसके लिए एक जांच समिति बिठायेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग से सहमत हूं कि इसके पीछे एक गिरोह 1 काम कर रहा है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम इस मामले में विस्तार से जांच कर रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है।

श्री अमृत नाहाटा : भारत में कुछ विदेशी कम्पनियों को मेंढकों का निर्यात करने की अनुमति दी हुई है, अमरीका उनका आयात करता है किन्तु अपने बाजार में उन्होंने इन मढकों को अस्वीकृत कर दिया है। हमारी साधारण बीमा कम्पनियों के पास उन विदेशी आयातकर्ताओं के दो दावे पड़े हैं। सारा मामला गड़बड़ घुटाला है और इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में यह, सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे व्यापार की अनुमति न दी जाए जिससे हमारी सरकार को धोखा दिया जाता है। हमें विदेशी मुद्रा की हानि होती है। एसी चीज बन्द होनी चाहिए।

श्रीमती सुशिला रोंहतगी : हमने इस बात को ध्यान म रख लिया है।

हथकरघा की वस्तुओं पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना

*1018. **श्री श्रीकिशन मोदी** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या भारत सरकार ने हथकरघा की वस्तुओं पर लगी प्रतिबन्धों की हटाने के लिये हाल ही में ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) क्या ब्रिटेन ने हथकरघा की रेशमी और सूती वस्तुओं का शुल्क मक्त कोटा बढाने की भारत से पेशकश की हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) ब्रिटेन को भारतीय हथकरघा सूती माल क निर्यात से सम्बन्धित व्यापारिक व्यवस्था के प्रश्न पर बातचीत चल रही है।

जहां तक हथकरघा रेशमी माल का सम्बन्ध है, गत वर्ष ब्रिटेन के साथ एक करार सम्पन्न किया गया था जिसके अन्तर्गत एक लाख वर्ग गज के शल्क मुक्त वार्षिक कोटे की व्यवस्था की गई थी। तथापि, ब्रिटेन सरकार ने 1973 में इस कोटे के स्तर से भी अधिक माल के शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दी थी।

Shri Shrikrishan Modi : I want to know since when there negotiations are going on between India and U. K. what is the dead lock and what caused it and what steps have been taken by the Government to expedite it so that export could get incentive.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वर्ष 1972 से बातचीत आरम्भ हुई है, उससे पहले प्रतिबंध की कोई समस्या नहीं थी। 1971 में वह शुल्क युक्त था। उसके बाद कुछ प्रतिबन्ध लगाया गया 15 %कपड़े पर और 17%तैयार सूती माल पर। अब हमारे ब्रिटिश सरकार बातचीत चला रखी है, उन्होंने कोटा बढाया है, 80 लाख वर्ग गज का प्रस्ताव है। केवल बात यह है कि वे इस कोटा लिमिट की अनुमति नहीं देते। हथकरघे का सूती मील के अन्तर्गत चादर तथा तौलिया भी वे इसी में सम्मिलित करते हैं। हथकरघे के माल की किस्म को देखते हुए वे इस माल को भी मिल में बने माल की श्रेणी में रखते हैं।

Shri Shrikrishan Modi : I want to know the percentage of the Indian handloom cotton goods being liked in foreign countries and the quantiy of the Pali handloom fabrics of Rajasthan being exported and the incentive being given by the Government to step up its production and export.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस विशेष प्रश्न का उतर इस समय दे सकना मेरे लिये बहुत कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के लिए उचित सूचना दे।

श्री पी० गंगादेव : जैसा कि प्रश्न का सम्बन्ध हथकरघा की सूती तथा रेशमी वस्तओं से है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ब्रिटेन को हथकरघा माल निर्यात-करने का कोटा कितना है और अन्य देशों को उसकी तुलना में कितना कोटा आबंटित किया गया है। इसके अलावा समूचे कोट में वृद्धि किये बिना शुल्क-युक्त कोटे में वृद्धि करने का क्या महत्व है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : ब्रिटेन को रेशमी वस्तुओं के निर्यात का कोटा इस समय 2 लाख वर्ग गज है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether it is a fact that weavers have been facing shortage of cotton and silk threads during the last two or three years which is causing much delay in the manufacture of goods resulting in a substantial fall in the export of these goods.

Mr. Speaker : How does it arise out of the main question ? The hon. Member may ask any question relating to the quota of handloom silk goods and cotton but not a specific one under the general cover.

महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम का पूंजी निवेश

*1019. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए कुछ धनराशि का नियतन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान उक्त निगम ने महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में कितनी धनराशि नियोजित की है; और

(ग) निगम का विचार इन क्षेत्रों में वर्ष 1974-75 के दौरान कितनी धनराशि और किन विशिष्ट परियोजनाओं पर खर्च करने का है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) राज्यों में जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, जीवन बीमा निगम का अधिकांश पूंजी निवेश विभिन्न राज्य स्तरीय एजेंसियों तथा जिला स्तरीय एजेंसियो की मार्फत किया जाता है और केवल वे एजेंसियां ही इस बात का फैसला कर सकती है कि जीवन बीमा निगम द्वारा उनको उपलब्ध की गयी रकम

में से कितनी रकम पिछड़े क्षेत्रों में खर्च की जाय । वित्तीय वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 में विभिन्न राज्यस्तरीय एजेंसियों नें कितनी रकम का उपयोग महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में किया, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यह बताना भी संभव नहीं है कि जीवन बोमा निगम द्वारा वर्ष 1974–75 में उपलब्ध की जाने वाली निधियों में से कितनी रकम पिछड़े क्षेत्रों में खर्च की जायेगी ।

श्री शंकर राव सावन्त : मैं मान सकता हूँ कि यह संभव है कि वित्त मंत्रालय अथवा जीवन बीमा निगम के पास विशेष परियोजनाओं के संबंध में निवेश आकड़े न हों किन्तु जीवन बीमा निगम के पास यह जानकारी जरूर होगी कि किसी विशेष वर्ष में कितनी राशि दी गई थी या और वे आगामी वर्ष कितनी राशि देना चाहता है ।

श्रीमती सुशोला रोहतगी : राज्य एजसियों के मार्फत पूंजी निवेश किया जाता है नगरपालिका एजेंसियों के मार्फत भी किया जाता है, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि उसमें से कितना निवेश पिछड़े क्षेत्रों में किया गया है । यह थोड़ा कठिन है, हम केवल यह बता सकते है की जीवन बीमा निगम ने कुल कितना पूंजी निवेश किया है । महाराष्ट्र में वर्ष 1971 में 974.64 लाख रुपए 1972-73 में 3423/08 लाख रुपए और 1973-74 में 2945-68 लाख रुपए का पूंजी निवेश किया गया है ।

श्री शंकर राव सावन्त : यह रकम देते समय क्या कोई ऐसी शर्त लगाई गई थी कि उसे पिछड़े क्षेत्रों में खर्च किया जाना चाहिए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : एसी कोई शर्त नहीं थी । यह राज्य में एजेंसियों को दी जाती है। यह उनकी मर्जी है कि वे इसे पिछड़े क्षेत्रों में खर्च करें या अन्यथा नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों के मामलें में यह राशि पीने के पानी के लिये दी जाती है और यह मालूम करना सरल है कि वह पिछड़ा क्षेत्र है अथवा नहीं ।

श्री मधु दण्डवते : जब भी जीवन बीमा निगम जैसे सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के बारे में चर्चा होती है तो हमसे यही कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र की एसी संस्थाएं पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए हमेशा लाभप्रद हैं । जब माननीय सदस्य ने पिछड़ क्षेत्रों के विकास के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखते हुए एक विभिन्न प्रश्न पूछा तो हमें बताया जाना चाहिये था कि जीवन बीमा निगम की पूंजी में से कितनी रकम पिछड़े क्षेत्रों के लिये उपलब्ध की गई है । कोंकण और महाराष्ट्र में एक आन्दोलन चल रहा है । मुझे आश्चर्य है कि महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से भी आप हमें यह बताने में समर्थ नहीं है कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए कितनी राशि उपलब्ध की गई थी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है ,मैं कहना चाहूंगी कि 138 नगरपालि ाओंको ,जिनमें महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में स्थित नगरपालिकाएं भी शामिल हैं,पानी की सप्लाईक।एवं मल निकास योजनाओं के लिए मार्च, 1973 तक 1458 लाख रुपए के ऋण दिए गएथे

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह एक अनुचित प्रश्न है । आप जीवन बीमा निगम या किसी अन्य वित्तीय संस्था से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उसके पास यह जानकारी हो कि वह रकम सम्बन्धित राज्य में कसे खर्च की जा रही है । उदाहरणार्थ, जीवन बीमा

निगम राज्य भू-बन्धक बैंकों के ऋणपत्र लेता है और वह राज्य के औद्योगिक वित्त निगमों को भी ऋण देता है । धन उनके द्वारा खर्च किया जाता है और जीवन बीमा निगम कोई पार्टी नहीं होती जो यह कहे कि धन अमुक पक्ष को दिया जाए और अमुक को नहीं । यह कार्य कुछ अन्य निकायों का है । जीवन बीमा निगम को तो यह देखना होता है गैर-सरकारी क्षेत्र में उसका निवेश न हो ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : इस बात के बावजूद की हम क्षेत्रीय असन्तुलन के बारे में बात कर रहे हैं, यहां विभिन्न वर्गों की सरकारी वित्तीय संस्थाओं विशेषत: बैंकों और जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में एक आम शिकायत यह रही है कि पिछड़े क्षेत्रों में जमा और ऋण का अनुपात विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम रहा है, इससे और अधिक क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा होता है, इस बात के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि सरकारी वित्तीय संस्थाएं विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा पिछड़े क्षेत्रों में अधिक पूंजी निवेश करें ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक समान वितरण तथा विकास विशषकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये जीवन बीमा निगम में स्वीकृत सिद्धांतों का सम्बन्ध है, जैसाकि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है यह इस पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार इसमें कितनी दिलचस्पी लेती है और राज्य में क्या ऐसी संस्थाएं मौजूद है जो जीवन बीमा निगम से वित्त प्राप्त करके उसका उपयोग करे । वित्त उपलब्ध कराने के मामले में पहले जीवन बीमा निगम को नहीं करनी है बल्कि इस बारे में राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों को इसमें दिलचस्पी लेनी होगी ।

श्री नूरूल हुडा : मेरा राज्य आसाम औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन के लिये प्रसिद्ध है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हुं कि क्या जीवन बीमा निगम ने इस पिछड़े राज्य आसाम के औद्योगिक विकास के लिये कुछ धन नियत किया है, यदि हां, तो कितना ?

अध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों का ब्यौरा नहीं पूछा गया है ।

श्री नुरूल हुडा : प्रश्न के भाग (क) के अन्तर्गत पूछा गया है क्या माननीय मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदया के पास जानकारी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मेरे पास जानकारी है । आसाम एक पिछड़ा राज्य है लेकिन यह एक राम राज्य है। तथापि जीवन बीमा निगम के अधिकारी वहां जाते रहे हैं हमारे पास गत तीन वर्षों के आंकड़े हैं ।

उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

*1020. **श्री रामप्रकाश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य को वित्तीय दिवालियापन से बचाने के लिए 100 करोड़ पए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1973-74 के दौरान अपने बजट संबंधी प्रत्याशित घाटे को पूरा करने के प्रयोजन से केन्द्र से सहायता मांगी थी किन्तु केन्द्र के लिये राज्य सरकार के इस अनुरोध को मानना सम्भव नहीं हो सका था ।

Shri Ram Prakash : Uttar Pradesh Government had sought assistance to the tune of rupees one hundred crores. You are not giving them that amount. May I know then what steps you are going to take to save Uttar Pradesh from financial bankruptcy and to improve its financial position ? What were the reasons that prevented you from giving that amount ?

अध्यक्ष महोदय : वह हरियाणा से हैं परन्तु उन्हें उत्तर प्रदेश की भी बड़ी चिन्ता है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह अच्छी बात है कि लोग अपने राज्य के बाहर के बारे में भी रुचि ले रहे हैं । बात यह है कि हमने देखा कि बजट में इतना घाटा नहीं है ।

Shri Sarjoo Pandey : It has appeared in the newspapers that the financial burden of Uttar Pradesh has increased many times and the banks have refused to advance money to it. Keeping in view the special circumstances of Uttar Pradesh may I know whether the hon. Minister shall consider the question of giving to U. P. the amount asked for by that state ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्होंने सौ करोड़ रुपए बल्कि उससे भी अधिक राशि मांगी थी क्योंकि वे समझते थे कि बजट में इतना घाटा होने वाला है । परन्तु अन्ततोगत्वा यह देखा गया स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी । फिर भी हम उतनी सहायता नहीं कर सके क्योंकि वह सम्भव न था ।

Shri Sarjoo Pandey : It will be very difficult for Uttar Pradesh Government to function. Uttar Pradesh is a backward state therefore, something should be done for it No bank is advancing them the loan even.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उन्हें 'हां' कह दे तो उनके मामले में और जान पड़ जाएगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Keeping in view the fact that the Government of Uttar Pradesh had to spend a large amount of money on elections in Uttar Pradesh which was very essential may I know whether the Central Government shall consider the case of Uttar Pradesh as a special case and give them some more assistence in view of it being a big state.

Mr. Speaker : You have gone still further.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्या वह उत्तर प्रदेश की वकालत कर रहे है या सत्तारूढ़ दल पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं ।

अटल बिहारी वाजपेयी : मेरी सद्भावना पर शक नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्होंने चनाव को छोड़ कर उत्तर प्रदेश के बारे में जो कुछ कहा है वह सही है । निस्संदेह हर राज्य की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है । इस के साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पूरी स्थिति पर भी विचार करना होता है । दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी संभव हुआ वह किया जाएगा ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या प्रधान मंत्री ने अपने सभी भाषणों में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि भारत सरकार यथा संभव उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का दूर करने में सहायता देगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक मैं समझ सका हूं प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश के सभी पिछड़े क्षेत्रों का उल्लेख किया है ।

Success of Hotel Development Loan Fund Scheme in Developing Hotel Industry

***1022. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased State :

(a) Where the Hotel Developement Loan Fund Scheme started by Government has been successful in developing the hotel industry; and

(b) if not, the reason therefor ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) जो, हां पर्यटन विभाग द्वारा 1968 में प्रारम्भ की गई होटल विकास ऋण योजना, पर्यटकों के लिये होटल की स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अत्यन्त सफल सिद्ध हुई है जैसा कि सभा पटल पर रखे गये विवरण को देखने से ज्ञात होगा जिसमें इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं संवितरित किये गये ऋणों की राशि का ब्यौरा दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 7435/74]** पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान होटल उद्योग के लिये संस्थागत निधियों से (इस्टीटयुशनल फंड्स) को उपलब्ध कराने तथा इस योजना के परिचालन के लिये आवश्यक कर्मचारी वर्ग पर होने वाले व्यय को बचाने की दृष्टि से जनवरी 1974 से इस योजना की जिम्मेदारी औद्योगिक वित्त निगम (इंडस्ट्रियल फिनांस कार्पोरेशन) को सौंप दी गयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri M. C. Daga : The hon. Finance Minister is also there. I would like to know from him as to what is the policy in regard to giving loans under the Hotel Development Loan Scheme. To some loan is given to the tune of one crore and to others it is given to the tune of 75 or 60 lakhs. What is the criteria for disbursing loans ? The loan is given to whom ? Are these loans given duly to the rich persons. One hotel has been given loan twice. In Jaipur and Lucknow it has been given to the tune of 60 lakhs only. What socialistic pattern you have adopted ? On what basis 5 crores of rupees has been advanced as loans ? It is not a fact that under this policy the rich are becoming richer ?

डा० सरोजिनी महिषी : भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। यह संख्या इस वर्ष बढ़ कर 4,60,000 हो गई है । इस लिये उनके ठहरने के लिये अधिक कमरों की जरूरत है । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1978 तक यह संख्या बढ़ कर 10 लाख तक हो जाएगी । इसके लिये 20,000 तक कमरों की आवश्यकता पड़ेगी । इस बात को ध्यान मे रखते हुए पर्यटन विभाग ने सोचा कि गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र मे अपेक्षित आवास-स्थान बनाए जाएं । फलत: पर्यटन विभाग ने होटलों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को ऋण देना आरम्भ किया है । ऋण देने के लिए विभिन्न शर्ते निर्धारित की गई हैं । जो व्यक्ति अनुमोदित योजना लेकर आये उसे नियत अस्तियों का 75 प्रतिशत ऋण या कुल लागत का 66 प्रतिशत ऋण के रूप मे दिया जाता है । इसलिए जो व्यक्ति होटल बनाना चाहता हो उसे कुल लागत का 33 प्रतिशत भाग स्वयंखर्च करना पड़ता है । जो व्यक्ति स्वयं पूंजी न लगा सके या जो नियमित प्रक्रिया का पालन न करें उन्हें ऋण नहीं दिया जा सकता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 79 आवेदन पत्र आए थे । परन्तु उन सब को ऋण नहीं दिया जा सका क्योंकी या तो वे पूजी नहीं लगा सकते थे या जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी वह सही नहीं थी ।

Shri M. C. Daga : I wanted to know the rate of interest of loan ? can any company be given loan thrice ?

Dr. Sarojini Mahishi : Previously it was 6½ p.c. It has been increased to 7½ p.c. gradually. It is being charged by I.F.C. at the rate of 8½ p.c. out of which one per cent is subsidised by the Department of Tourism. There is only one company working in different States.

Shri M. C. Daga : About 5 crore rupees has been invested in hotels. What is the number of foreign as well as Indian tourists separately staying in hotels ?

Dr. Sarojini Mahishi : Generally the number of foreign tourists is 60 p.c.

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपसोस है कि प्रश्न के अलावा बातें पूछी जा रही है माननीय मंत्री को वस ही तंग किया जा रहा है ।

श्री एस० ए० शमीम : पर्यटन की दृष्टि से कश्मीर सब से अधिक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर से कितने लोगों ने ऋण के लिये आवेदन किया था तथा कितने व्यक्तियो को ऋण दिया गया । क्या यह भी सही है कि बम्बई में जितने व्यक्तियों ने ऋण मांगा और जिन्हें दिया गया वे मशहुर स्मगलर हैं जो ऋण लेकर अपने काले धन को सफेद धन मे बदल रहे हैं क्योकि उन्होंने दो करोड़ बल्कि इससे भो अधिक ऋण लिया है ।

इस का क्या कारण था कि ऋण लेने से पहले इस बात की जांच नहीं की गई थी कि ऋण कौन मांग रहा है ? होटल होराईज़न तथा होटल सन एन सैंड स्मगलरो के होटल हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप ऋण देने से पहले उनकी सलाह लेले तो अच्छा रहेगा ।

डा० सरोजिनी महिषी : जम्मू और कश्मीर पर्यटकों के लिये बहुत सुन्दर और सुरम्य स्थान है । राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास पर काफी धन व्यय किया है । सरकारी क्षेत्र मे हमने जम्मू, श्रीनगर और गुलमार्ग में रहने के लिए काफी स्थान बनाया है । माननीय सदस्य को इसकी जानकारी होगी ही ।

जहाँ तक गैर-सरकारी क्षेत्र का संबंध है हमने ब्राडवे एन्टर प्राइसिज लिमिटेड, श्रीनगर को 36 लाख रुपए का ऋण दिया है । हलांकि उन्होने अधिक ऋण मांगा है परंतु उन्हें इतना ही ऋण दिया गया है ।

श्री एस० ए० शमीम : उसका संबंध संसद् सदस्य से है । केवल एक ही प्रभावशाली व्यक्ति जिसका सम्बंध उच्चाधिकारियों से है इसे ले सका है परंतु दूसरे लोगो का क्या हुआ । आपके पास कितने आवेदन पत्र आएं जिनमें से आप केवल एक ही क्यो दे सकें ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो बहुत साधारण था ।

डा० सरोजिनी महिषी : जैसाकि मैं पहले बता चुकी हूं इस विभाग के पास 79 आवेदनपत्र आए थे । इनमे से 37 को स्वीकार कर लिया गया । अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए गए क्योकि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था । 37 मे से 7 आवेदनपत्र इस लिये अस्वीकार कर दिए गए क्योंकि वे लोग अपेक्षित पूंजी नहीं लगा सकते थे । इन 30 आवेदनपत्रो मे से भी केवल 14 का चयन किया गया । इन 14 में से भी केवल एक ही को दिया गया । एक दो और मिल सकता था परंतु उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया ।

जहां तक प्रश्न के दुसरे भाग का सम्बंध है माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है। यह निर्णय पूरो छानबीन के बाद लिया गया है ?

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : यह बताया गया कि नीती सफल रही तथा ये होटल पर्यटन का विकास करेंगे। क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि इन होटलों से अर्जित होने वाली विदेशी-मुद्रा विनियोजित पूंजी के अनुरूप है।

डा० सरोजिनी महिषी : इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। अब विदेशी पर्यटकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे रहने और खाने की अदायगी होटल वालो को केवल विदेशी मुद्रा में करे।

Shri. Achal Singh : May I knaw the amount given to hotel industry in Agra ?

Mr. Speaker : There is a already very good hotel in Agra.

डा० सरोजिनी महिषी : भारतीय पर्यटन विकास निगम आगरा में एक होटल बना रहा है एक दो महीने मे निर्माण कार्य आरम्भ हो जाएगा।

Shri Chandrika Prasad : Special facilities have been afforded to open hotels at places like Gulmarg in Kashmir and Lucknow in Uttar Pradesh. May I know whether it is a fact that Buddhist followers from Ceylon, Burma and Japan visit places like Gorakhpur, Balia Sarnath, Karia and Bodhi Gaya and they have to face hardship for want of facilities of hotels and they have made complaints to that effect ? May I know the reason for showing discrimination against these persons when they have submitted applications to open hotels there ? Isthere any scheme under consideration of Government to open hotels in public or private sector at places of tourists interests as well as pilgrimages of Buddhist in this backward area ?

Mr. Speaker : This question does not relate to the oiginal question. The hon. Minister will take note of what the hon. Member has said ?

डा० रानेन सेन : विवरण में दी गई होटलों की सूची देखने से यह पता चलता है कि अधिकांश होटल 5-तारांक या 4-तारांक वाले हैं। कई भारतीय व विदेशी पर्यटक इन होटलों का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या होटल विकास ऋण निधि योजना में विदेशी एवं भारतीय पर्यटनको के निर्धनों वर्गों के लिए होटल बनाने की कोई योजना है और यदि हां तो उसके लिये कितने धन दिया गया है।

डा० सरोजिनी महिषी : होटल विकास ऋण निधि योजना के अन्तर्गत होटल बनाने के लिये ऋण देने की व्यवस्था है। होटल विकास निधि से सहायता लेने वाले 19 होटलो में से 7 तीन-तारांक, 9 चार-तारांक और 3 पांच-तारांक की श्रेणी के होटल हैं। तीन तारांक वाली श्रणी के सात होटल कार्लटन होटल लखनउ मे, ब्राडवे श्रीनगर, मे, ईस्ट-वैस्ट बंगलौर मे, रतन दीन कलकत्ता मे, नागार्जुन और पार्क होटल हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, और गुरुप्रसाद बंगलोर में हैं।

डा० रानेन सेन : क्या कलकत्ता का रतन दीन होटल तीन-तारांक वाला होटल है।

डा० सरोजनी महिषी : माननीय सदस्य इसकी श्रेणी नहीं बदल सकते श्रेणीकरण समिति बदल सकती है।

श्री बसुमतारी : क्या यह सच है कि राज्य मंत्री महोदय ने स्वयं गोहटीं स्थित होटल का शिलान्यास किया था और यदि हां तो क्या वह बता सकेगी कि यह किस श्रेणी का होटल था? उसका होटल का कितना निर्माण-कार्य हुआ है? मैं समझता हूं कि शिलान्यास के बाद कुछ भी काम नहीं हुआ है।

डा० सरोजिनी महिषी : यह होटल नहीं है। यह पर्यटन गृह है। यह बहुत अच्छा बन रहा है। इसकी छतें पड़ने वाली हैं।

Submission of Memorandum by Mica Industries Association, Bihar

***1023. Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to State :

(a) Whether Mica Industries Association had submitted any memorandum to Government in regard to Mica Industry some time back, and

(b) If so, the salient features thereof and the action being taken by Government in this regard ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) एसोसियेशन ने सुझाव दिया कि साधित अभ्रक के निर्यात के संबंध में मार्गीकरण की नीति जारी रखी जाय और अभ्रक के निर्यात व्यापार में छोटे साधित-कर्ताओं और खान मालिकों का भाग बढ़ाया जाय।

साधित अभ्रक के निर्यात का मार्गीकरण समाप्त करने की कोई प्रस्थापना नहीं है। जहां तक छोट साधितकर्ताओं के भाग का संबंध है, उनके हित को अभ्रक के निर्यात अधिकाधिक बढ़ाने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाता है।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, 90 per cent of the mica produced in the country is exported and 82 per cent of the total production of mica in the country is obtained from Giridih, Kodrana, Jhumri and Jilaiha areas of Bihar. The M.M.T.C. had entered the mica trade in January, 1972. Since then the situation has been improving, but the people of these areas have been complaining of indifference on the part of the Government towards this trade. Will the hon. Minister be pleased to state what is the reaction of the Government to the following three points placed before the Government by the Mica Industries Association :—

(1) माइका के सम्पूर्ण निर्यात का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण किया जाये;

(2) एक स्वायत्तशासी बोर्ड स्थापित किया जाये जिसमें सरकारी विशेषज्ञ और ऐसे गैर-सरकारी विशेषज्ञ हों जिन्हें माइका संबंधी अनुभव तथा अन्तर्राष्ट्रीय माइका बाजार का ज्ञान प्राप्त है;

(3) छोटे माइका व्यापारियों को शीघ्र राहत देने के लिए सरकार उनसे निर्यात योग्य माइका खरीदना तुरन्त आरम्भ करे।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, माइका व्यापार को सरकारी एजेंसी के नियंत्रण में लाने का एक मुख्य उद्देश्य कमजोर माइका खान मालिकों के हितों की रक्षा करना है। अतः इस संबंध में दिये गये सुझाव संगत है और हमने जो कदम उठाय हैं वे इन सुझावों के अनुरूप हैं। इसलिये मैं कह सकता हूं कि माइका व्यापार निगम की स्थापना इसलिये की जा रही है ताकि कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता दी जा सके और माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित ज्ञापन में कही गई बातों को ध्यान में रखा जा सके और माननीय सदस्य के सुझावों को भी क्रियान्वित किया जा सके।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, is it a fact that India's share in the total world production of Mica has gone down from 82 per cent to 50 per cent ? Is it also a fact that the Mica owners in mica bearing Jhumri. areas of and Jilaiha in Bihar have made a written request to the hon. Minister for visiting the said areas with a view to look into the condition of the closed sick mines and to take them over without delay ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : माइका व्यापार और माइका खान मालिकों की कठिनाइयों से मैं अवगत हूँ । माइका के स्थान पर प्रयोग करने के लिये कुछ अन्य वस्तुओं का पता लगा लिया गया है और अमरीका की सरकार ने अपने भंडार में से भारी माता में माइका निर्मुक्त की है । ऐसे कतिपय कारणों से माइका का निर्यात आशा के अनुकूल नहीं रहा है । मैं इस क्षेत्र का दौरा करने का अवसर ढूंढ रहा हूँ ।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या यह सच है कि आयात करने वाले कुछ देश राज्याधीन एजेंसी के माध्यर से माइका खरीदने में आपत्ति उठाते हैं ? इसका कारण क्या हैं ? माइका के कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत माइका राज्याधीन एजसी के माध्यम से निर्यात की जाती है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : 30 प्रतिशत माइका सरकारी एजेंसी के माध्यम से निर्यात की जाती है और बाकी माइका का निर्यात खान तथा धात व्यापार निगम के सहयोग से निजी व्यापार करते ह ।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या यह सच है कि आयात करने वाले कुछ देश माइका का आयात एम०एम०टी०सी० के माध्यम से नहीं करना चाहते ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमें इसकी जानकारी नहीं है ... **(अन्तर्बाधा)** । इस सदन में यह प्रश्न पहले भी उठाया गया था ।

Shri Damodar Pandey : Is the hon. Minister aware of the fact that the entire mica trade has gone into the hands of a few persons and the grip of certain business houses over this trade has increased resulting into the present worst conditions of the workers who are engaged in this trade still on a daily wages of Rs. 2—3 and this situation has arisen out of the half hearted implementation of the canalisation policy whereas it was expected that the condition of this trade would improve and the workers and the small traders, engaged in this field would be benefited from this policy ? May I know the concrete steps you are going to take for improving ihe situation ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जिन कठिनाइयों का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं उन पर चर्चा की जा चुकी है । माइका का निर्यात घट जाने के कुछ कारणों का मैंने उल्लेख किया है जो ये है :—माइका के विकल्प की खोज और उसका प्रयोग तथा अमरीका द्वारा भारी माता में माइका निर्मुक्त किया जाना । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये हम कुछ कदम उठा रहे हैं जिनमें से एक कदम यह है कि माइका व्यापार निगम की स्थापना की गई है और कमजोर खानों के कार्यचालन को सशक्त बनाया जा रहा है तथा उन्हें सरकारी सहायता दी जा रही है । हमें कमजोर खान मालिकों की कठिनाइयां विदित हैं और मैं आश्वासन देता हूँ कि जो भी संभव होगा वह हम करेंगे ।

श्री दामोदर पांडे : मेरा प्रश्न यह है कि क्या बड़े खान मालिकों का चंगुल मजबूत होता जा रहा है और कमजोर खान मालिकों की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : म बता चुका हूं कि माइका उद्योग सरकारी एजेंसी के नियंत्रण में ले आया गया है जिसका उद्देश्य अपेक्षाकृत कमजोर व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है ।

बम्बई पत्तन पर चिथड़ों की विशेष जांच

*1024. **श्री शशि भूषण :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई पत्तन पर रोकी गई चिथड़ों की खेप को यह पता लगाने के लिये विशेष जांच किये जानें के आदेश दिये हैं कि क्या पुनः चिथड़ों के नाम पर वस्त्र मंगाये गये ह;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) क्या कुछ ऐसी विदेशी फर्मों को काली सूची में सम्मिलित करने का विचार है जो इस प्रकार का व्यापार कर रही हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० देवी प्रसाद चटटोपाध्याय) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) बम्बई पत्तन में चिथड़ों वाली कुछ खेपें रोक ली गई हैं क्योंकि आकस्मिक निरीक्षण पर यह पाया गया कि कुछ गांठों में 100 प्रतिशत कटे फटे चिथड़े नहीं ह । आयात लाइसेंस की शर्त के अनुसार और विदेशी सप्लायरों के साथ राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई संविदा की शर्तों के अनुसार 100 प्रतिशत काटने फाटने का काम किया जायेगा और इसके बारे में एक प्रमाणपत्र मैसर्स जनरल सुपरिटेंडेंट्स से प्राप्त किया जायेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण एजसी हैं । 100 प्रतिशत काटने फाटने की शर्त और साथ ही "चिथड़ों की परिभाषा उन कदाचारों को रोकने के लिए प्रचलित की गई थी जो गत समय में हुए थे । इस परिभाषा के अनुसार रद्दी ऊनी कपड़ा 24 वर्ग इंच (154.84 वर्ग से०मी०) से अधिक का नहीं होना चाहिये यदि वह नया चिथड़ा है (अर्थात् दर्जी की कतरन है) और यदि वे पुराना चिथड़ा है तब उन्हें इस तरह से काटा जाना चाहिए जिससे वह पहनने योग्य न रहे ।

चूंकि बम्बई पत्तन में निरीक्षण करने से पता चला है कि इन मानकों को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है अतः यह प्रस्थापना की जाती है कि प्रेषितों को, जो साडी ऊनी उत्पादों के विनिर्माता हैं, खेपों की रिलीज के पूर्व उन्हे पूरी तरह से कांट फाट दिया जाय और ऐसे कर दिया जाय जिससे वह पहनने योग्य न रहे ।

यद्यपि कोई विशेष जांच का आदेश नहीं दिया गया है, इस बात की जांच करने के लिये हिदायतें दी गई हैं कि किस सीमा तक परिधान बिना कटे फटे रहे हैं और निरीक्षण एजेंसी से यह स्पष्टीकरण देने के लिये कहा जाए कि 100 प्रतिशत काटने फाटने की शर्त पूरी क्यों नहीं की गई है । वानगी के तौर पर जांच करने के फलस्वरूप, जोकि राघ्य व्यापार निगम और निरीक्षण एजेंसी द्वारा की गई है, ऐसा समझा जाता है कि कुछ गांठें पूरी तरह से काटी फांटी नहीं गई ह और अन्य गांठों में उन की मात्रा 80 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से कम पायी गई है ।

ऐसा समझा जाता है कि 100 प्रतिशत काटने फाटने का काम न किए जाने का एक कारण यह है कि विदेशों में काटने फाटने का जो काम किया जाता है वह हमारे कारा निर्धारित सीमा तक नहीं किया जाता । अतः चिथड़ों की प्रचलित परिभाषा में काटने फाटने की जो

अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं उसके अनुसार काटा फाटा परिधान में पूरा नहीं उतार सकता। तथापि, इस उद्देश्य से कि कदाचार के लिये किसी प्रकार की गुंजाइश न रहे, यह विचार किया गया है कि खेप तभी रिलीज़ की जाएं जब वह वस्त्र आयुक्त और आयात व निर्यात के मख्य नियंत्रक के अधिकारियों की देख रेख मे और सीमाशुल्क विभाग की समग्र निगरानी में हमारे मानकों के अनुसार 100 प्रतिशत काट फाट दिए जाएं।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने पहले वाली खेपों के संबंध में पहले ही 24 फर्मों को काली सूची में रखा है। इस प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित खेपों के सम्बन्ध में किसी अन्य फर्म को काली सूची में रखने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा यदि उनके बारे में यह पाया जाएगा कि उन्होंने लाइसेंस और संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया है।

Shri Shashi Bhushan : I want to know from the hon. Minister the sort ofgoods which were not required here out of the consignments imported this time by M.M.T.C., and the number of companies in whose cases invetigations were made and the number of such companies as have been blacklisted.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : राज्य व्यापार निगम ने उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जिनकी वस्तुत: आवश्यकता थी। लेकिन यह सच है कि नमूनों के मुताबिक माल नहीं पहुंचा है क्योंकि चिथड़ों की परिभाषा अस्पष्ट थी और इसके अलावा पूरा माल न आने के कारण जथ्थों का विमोचन नहीं किया गया है। 24 कंपनियों को काली सूची में दर्ज किया गया है।

Shri Shashi Bhushan : Out of these 25, how many companies are Indian and how many are foreign and the value of regs imported during the last 3 years yearwise, as also the name of agency through which these were imported ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : आयातित चिथड़ों का मूल्य 65 लाख रुपये हैं, यदि उनका आशय उन जथ्थों से है जो अब रोके गय हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESEIONS

भारतीय चाय व्यापार निगम को विपणन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण (मेजर फोर्स) के रूप में सक्रिय बनाना

1021. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम को विपणन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था (मेजर फोर्स) के रूप में सक्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी हां। भारतीय चाय व्यापार निगम ने सुरक्षा सेवाओं तथा पश्चिम बंगाल जेल अस्पतालों को चाय की सप्लाई के लिये क्रयादेश प्राप्त किये है। वे इराक सरकार के पर्चेसिंग बोर्ड द्वारा क्रेता एजेंट नियुक्त किये गये है। कलकत्ता में दो सरकारी चाय भांडागारों को प्राप्त कर लिया गया है तथा पथिनी चाय बागानों का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने हात में लेने की प्रस्थापना है। जब कि एक अग्रवत चाय परीक्षण कक्ष ने कार्य करना शुरू कर दिया है, एक चाय पैकिंग फैक्टरी स्थापित करने की भी प्रस्थापना है।

पश्चिम बंगाल के हथकरघा उद्योग में सूत की भारी कमी

***1025. श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

श्री रानेन सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के हथकरघा उद्योग में सूत की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल को सूत सप्लाई करने के लिये सरकार ने कोई विशेष प्रयत्न किये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल में अभी तक सूत की प्राप्यता सन्तोषजनक रही है और सरकार को उसकी भारी कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। फिर भी कीमत और सप्लाई के बारे में स्थिति पर निरन्तर नजर रखी जा रही है। सूत की कीमतें कीमत अनुशासन के अन्तर्गत है और भारतीय सूती मिल फैडरेशन यह सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें 28 मार्च, 1974 को चल रही कीमतों के स्तर पर बनाये रखा जाये। वस्त्र आयुक्त के माध्यम से प्रायोजित राज्य सरकारों के नामांकित व्यक्तियों को मिलों से सूत की सीधे सप्लाई किये जाने की व्यवस्थाएं की गई है। सप्लाई बनाये रखने के लिए हथकरघा बहुत क्षेत्रों में भी मिलों द्वारा सूत की सप्लाई के डिपों खोले जायेंगे।

Recommendations of Chief Executives of Public Sector undertakings to improve performance of Public Sector Undertakings

***1026. Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri Atal Bihari Bajpayee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a white paper defining the main objectives of public sector undertakings will be presented to Parliament for its approval;

(b) Whether the Chief Executives and Public Relation Officers of these undertakings had made certain recommendations to improve the working of Public Undertakings; and

(c) if so, the action being taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Yes, Sir.

(b) One of the recommendations made by the Conference of Chief Exceutives and Public Relation Officers of public enterprises held in September, 1973, in New Delhi was that the Government should prepare a White Paper defining the macro objectives of the public sector as a whole and have it approved by Parliament. The rational of the recommendation was that this will help the management to focus their attention on the pre-determined objectives and improve the performance of the units to achieve the same. It will also enable them to define their public relations objectives.

(c) Preparation of a Statement of Objectives and Obligations of the public sector has been taken up in the Bureau of Public Enterprises with the assistance of the Administrative Staff College of India, Hyderabad.

कपड़ा निर्यातकों को नकद सहायता बन्द करना

***1027. श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपडा निर्यातकों को नकद सहायता बन्द करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) सूती वस्त्रों के निर्यातों पर सरकार द्वारा नकद सहायता दिये जाने की कोई स्कीम नहीं है । फिर भी निर्यातित कपड़े के माल पर लगे कतिपय ऐसे आंतरिक करों की, जो वापिस नहीं हो सकते, प्रतिपूर्ति के लिए सूती वस्त्रों के निर्यातों के एफ० ओ० बी० मुल्य के 5 प्रतिशत तक सरकार अंशदान देती है । इसका दिया जाना फिलहाल जारी है ।

पुरातत्व और पर्यटन-महत्व के स्मारकों के सुधार के लिए धनराशि

*1028. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरातत्व और पर्यटन महत्व के स्मारकों के सुधार के लिए चालू वर्ष के दौरान कोई धनराशि नियत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पुरातत्वीय स्मारकों में सुधार करने का उत्तरदायित्व भारतीय पूरातत्व सर्वेक्षण विभाग का है। दूसरी और पर्यटन विभाग का संबंध पर्यटकों के लिये पुरातत्वीय परिसरों से बाहर के क्षेत्रों में सुविधाओं की व्यवस्था एवं सुधार करना है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चुने हुए बौद्ध केन्द्रों के संबंध में मास्टर प्लान तैयार करने के लिए, जिसें कि सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत विकास करने के लिए सम्मिलित किया गया है, पर्यटन विभाग के चालू वर्ष के बजट में दो लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। ऐसी स्कीमों को जिन में पर्यावरण नियंत्रण आवास और परिवहन सुविधाएं, जल और बिजली सप्लाई सम्मिलित है, तभी हाथ में लिया जाएगा जब मास्टर प्लान तैयार कर लिया जायेगा और इन केन्द्रों के विकास से संबंधित विभिन्न अभिकरणों को उनके उत्तरदायित्व सौंप दिये जायेंगे ।

गंधक की सप्लाई के लिए ईरान के साथ करार

*1029. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्धक की सप्लाई के लिए ईरान के साथ एक समझोता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम नें एक लाख मे० टन गंधक का आयात करने के लिए ईरान के साथ एक संविदा सम्पन्न की है जिसका नौवहन एफ० ओ० बी० आधार पर एप्रैल से जुलाई, 1974 की अवधि के दौरान किया जाएगा।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स द्वारा निर्यात को 'कन्सन्ट्रेट्स' के आयात के साथ जोड़ा जाना

***1030. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्योर ड्रिंक्स को निर्यात 'कन्सट्रेंटस' के आयात के साथ जोडना होता है;

(ख) क्या कम्पनी को चाय और काजू जैसी वस्तुओं का निर्यात न करके कोका कोला का ही निर्यात करना होता है; और

(ग) गत वर्ष उन्होंने अपने आयात के बदले में कितना निर्यात किया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं। मैसर्स प्योर ड्रिंक्स पूरी तरह से एक बोटलिंग कम्पनी है और यह सान्द्रणों का आयात नहीं करती।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Export of Mangoes from Bihar

***1031. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether mangoes from Bihar are exported every year in large quantity;

(b) whether Government have chalked out any scheme for boosting mango Production ; and

(c) if so the broad features thereof?

The Minister of Commerce (Prop. D. P. Chhatopadhyaya) : (a) Yes, Sir. State-wise exports statistics are, however, not maintained.

(b) & (c) Yes, Sir. A ecntrally Sponsored Scheme for a Package Programme for exportable varieties of mangoes has been formulated to be taken up during the Fifth Five Year Plan.

तंजानिया के साथ व्यापार

***1032. श्री राम सहाय पांडे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बतानें को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों को तुलना में वर्ष 1973-74 में तंजानिया के साथ हमारा व्यापार बढा है; और

(ख) यदि हां, तो हमारे निर्यात और उस देश से आयात को जाने वाली परम्परागत वस्तुओं के नाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) भारत से तंजानियां के निर्यात के लिए प्रमुख मदें ये है :— पटसन निर्मित माल, सूती निर्मित माल, धातु निर्मित माल, परिवहन उपस्कर, औषधि तथा भषजोय उत्पाद, कागज तथा गता और धुली हुई सिनमाटों ग्राफिक फिल्में।

तंजानिया से भारत में आयात की जाने वाली प्रमख मदें है, कच्चा काजू, सिसल रेशम, वाटल सत्व ।

वर्ष 1973-74 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात बिलट का आयात

*1033. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री वेंकारिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बतानें को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 में रुपया अदायगी क्षेत्रों से इस्पात बिलट का आयात कर के लिए भारत सरकार द्वारा आबंटित को गई 5 करोड रुपये को धनराशि में से खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) देश के इस्पात पुनर्वेलन मिलों पर इसका क्या प्रभाव पडा है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी हां। ऊंची कीमतों को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिलट की सप्लाई स्थिति कठिन रही हैं ।

(ग) इस्पात पुनर्वेलन मिलों को आवश्यकताएं जहां तक संभव हो सका स्वदेशी स्त्रोतों से पूरी तरह की गई हैं ।

कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध

*1034. **श्री पीलू मोदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों ने कुछ वस्तुओं के निर्यात पर तब तक प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्तावों पर विचार किया है जब तक कि निर्यातकर्ता निर्यात की गई वस्तुओं के बदले में प्राप्त राशि के संबंध में सरकार को संतुष्ट न कर दें, जैसा कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, के अनुसार अपेक्षित है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विचारविमर्श की मुख्य बातें क्या हैं ; और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

'जहाजों पर अरब सागर में पौत-विहार की व्यवस्था' (आफरिंग अरेबियन सीक्रूसेस आन बोर्ड) करके पर्यटन आरम्भ करने का प्रस्ताव

*1035. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया भारतीय जहाजरानी निगम के सहयोग से जहाजों पर अरब सागर में पोत–विहार की व्यवस्था करके पर्यटन की नई प्रणाली आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एयर इंडिया ने ग्रीस से एक जहाज किराये पर लिया है ;

(ग) इस नई प्रणाली के आरम्भ किये जाने के परिणामस्वरुप भारत पर्यटन के लिये अनुमानतः कितने पर्यटक आकर्षित किये जाने की आशा है और अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ; और

(घ) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) अरब सागर में पर्यटकों के लिये पोत–विहार (क्रूजेज) चालू करने का एक प्रस्ताव सरकार द्वारा सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसके ब्यौरे भारतीय नौवहन निगम के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) यह आशा की जाती है कि आगामी शीत काल में लगभग 300 पर्यटक इस पोत–विहार का आनंद लाभ करेंगे। किरायों, उप-तट विहार आदि के विस्तृत ब्यौरे तैयार कर लिये जाने के बाद ही आय का अनुमान लगाना संभव होगा।

कपड़ा उद्योग की क्षमता वहीं पर रोकने का योजना आयोग का निणय

9828. **श्री धामनकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा उद्योग (संगठित क्षेत्र) की क्षमता वहीं पर रोकने का निर्णय योजना आयोग ने क्यों किया है जब कि उत्पादन काफी कम हो गया है और जनसंख्या में वृद्धि–दर दस लाख मासिक है ;

(ख) क्या इस कारण अपर्याप्त उपलब्धि और परिणामस्वरुप कपड़े की चोरबाजारी नहीं हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस श्रम प्रधान उद्योग को नवीकरण और आधुनिकीकरण का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है विशेषकर जब कि इस वर्ष इस उद्योग ने लगभग 154 करोड़ रुपये निर्यात द्वारा कमाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस प्रकार का कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। इसके विपरित चतुर्थ पंचवर्षी योजना अवधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में 25 लाख तकुओं तथा 16,000 करधों से भी अधिक की सीमा तक विस्तार करना प्राधिकृत किया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी उद्योग में और अधिक विस्तार होगा।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आन्ध्र प्रदेश म सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

9829. **श्री वाई० ईश्वर रड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र द्वारा सरकारी क्षेत्र में लगाए जा रहे उपक्रमों के नाम, स्थान तथा अन्य ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सूचना अनुबन्ध में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7035/74]**

सूती धागे के मूल्य में भारी वृद्धि

9830. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सूती धागे से नियंत्रण हटाने के बाद उसके मूल्य में भारी वृधि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उचित मूल्यों पर सूती धागे का वितरण करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) दो विवरण (1 तथा 2) संलग्न हैं, जिनमें ऐसे धागे पर से कीमत नियन्त्रण हटाने के तत्काल बाद और अप्रैल 1974 के अन्तिम सप्ताह में 80 ऐस तक के काउंटों के सूत की तुलनात्मक बाजार कीमतें दर्शाई गयी हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०** 7036/73] कीमत में वृद्धि आदि को रोकने के लिये उठायें गये कदमों को दर्शाने वाला एक विवरण (3) भी संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 7036/74]

Harijans Working in Nationalised Banks

9831. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the percenta of Harijans Working in the 14 nationalised banks, Reserve Bank of India and other Government financial institutions as in January, 1973 ?

The Minister of Finance (Shri Yeshvantrao Chavan): Banks and Financial institutions generally maintain such data as at the end of their accounting year. The percentage of Schedule casts (Harijans) working in the 14 nationalised banks, Reserve Bank of India and other Government financial institutions is as under :—

Name of Bank/Financial Institution	Percentage	As on
1. Reserve Bank of India and its associate institutions .	7·7	31-12-72
2. State Bank Group .	5·1	31-12-72
3. Fourteen nationalised banks . . .	2·5	31-12-72
4. Industrial Financial Corporation of India	5·1	31-12-72
5. Industrial Reconstruction Corporation of India	5·3	30-6-73
6. Life Insuarance Corporation of India .	3·29	31-3-73
7. *General Insurance Corporation . . .	1.2	1-1-73

Decrease in export of Cotton Yarn

9832. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether export of cotton yarn has fallen because of decline in production following the power cut imposed in Madhya Pradesh ; and

(b) If so the steps proposed to be taken by Government in this regard during the Fifth Plan Period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. Jeorge): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

*Established on 22-11-1972.

Slow progress of Banking in Madhya Pradesh

9833. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether even after nationalisation of banks there is only one bank after 70,000 people in the Madhya Pradesh ;

(b) if so, the reasons for this slow progress of banking in Madhya Pradesh ; and

(c) the percentage of the population fed per bank in that State ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) The banking system as existing at the time of nationalisation, was characterised by sharp regional disparities. The accent of policy, since nationalisation, has been on removal of these disparities. Over the last five years, the rate of branch expansion in the under-banked States has been much higher than in relatively better-banked States or in the country as a whole. In Madhya Pradesh the number of Bank branches has increased from 343 at the end of June, 1969 to 800 by the end of December, 1973. The population per bank office has correspondingly come down from 1,16,000 to 52,000 during this period. However, distortions such as inter State disparities, which are a legacy of the past and are a consequence of a number of complicated factors cannot be removed in a short span of *time*.

Export of Kosa cloth from Madhya Pradesh

9834. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the estimated export of Kosa cloth from Madhya Pradesh during this year as compared to 1972-73 and the reasons for shortfall in export ;

(b) which variety of Kosa cloth exported in smaller quantity during 1973-74 as comtpared to 1972-73 ; and

(c) the extent of shortfall in export and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Separate statistics for export state-wise is not maintained. Total exports of Kosa cloth during 1972-73 and 1973-74 are as given below :

1972-73	Rs. 147·73 lakhs
1973-74	Rs. 197·68 lakhs.

(b) Kosa cloth is exported as dress materials and furnishings. There has been no shortfall in exports of these varieties.

(c) Does not arise.

Export of Bidis

9835. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned by Government from export of bidis during 1972-73; and

(b) the quantity of bidis exported by each exporting firm in Madhya Pradesh during each of the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Rs. 14·01 lakhs.

(b) Export trade statistics are maintained for the country as a whole and not firmwise or state-wise.

भारतीय व्यापार दलों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया तथा आस्ट्रेलिया का दौरा

9836. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशिया तथा आस्ट्रेलिया में भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की सम्भावनावों का पता लगाने के लिये हाल ही में भारतीय व्यापार दल इन देशों में भेजे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्ति की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) (1974 के दौरान भारी उद्योग मंत्रालय स इसके सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया तथा सिंगापुर का दौरा किया और भारतीय इंजीनियरी उपस्कर, टर्नकी परियोजनाओं तथा परामर्शी सेवाओं के निर्यात की तथा साथ ही मलेशिया और सिंगापुर में संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु अच्छी सम्भावनाओं की रिपोर्ट दी। हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनाओं के क्षेत्रों में विशिष्ट संभाव्यताओं का पता लगाया गया जिनमें ट्रांसमिशन टावर्स, स्विच गियर तथा पावर ट्रांसफार्मर्स थर्मल पावर यूनिट्स शिपयार्डस् तथा सीमेंट संयंत्रों हेतु स्पंज आयरन संयंत्र तथा क्रेनें भी शामिल हैं। इन संभाव्यताओं के संबंध में आगे विचार करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ दल मलेशिया, सिंगापुर तथा थाइलैंड को प्रयोजित किया गया। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1974 में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ ने दो प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित किये एक जापान, दक्षिण कोरिया और थाइलैण्ड को और दूसरा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फिजी तथा फिलीपीन को। उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत और मारिशस के बीच व्यापार का विस्तार

9837. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मारिशस के वाणिज्य मंत्री ने उनसे मारिशस और भारत के बीच व्यापार का विस्तार करने के संबंध में बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) दोनों पक्षों ने अपनी इच्छा को दोहराया कि परस्पर व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ बनाया जाए और इस दिशा में दोनों सरकारों द्वारा सभी सम्भव प्रयत्न किये जाने चाहिए।

अमरीका से आयात

9838. **श्री वनमाली बाबू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में अमरिका से आयात किये जाने वाले माल का भारतीय मद्रा में अनुमानित मूल्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संयुक्त राज्यअमरिका से हमारे आयातों के मूल्य का अनुमान लगाना इस समय सम्भव नहीं है।

नारियल जटा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण

9839. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि नारियल जटा निगम को निर्यात व्यापार में निजी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जो विदेशियों को कमीशन तथा अन्य प्रकार की रियायतें देकर प्रभावित कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो निगम को इस अहित से बचाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नारियल जटा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केरल राज्य कयर निगम जैसे राज्य व्यापार अभिकरणों सहित पंजीकृत निर्यातकों द्वारा कयर बोर्ड से निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कयर उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है। निर्यातकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाये रखने की दृष्टि से निर्यात लाइसेंस तभी जारी किया जा सकता है जब कि संविदा कयर बोर्ड द्वारा निर्धारित निम्नतम कीमत पर या उच्चतर कीमत पर की जाए।

(ग) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

Import of goods by India

9840. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the extra amount that will have to be paid for the goods, item-wise imported by India during the current year as compard to the last year ;

(b) the extent of increase in the prices of the goods, item-wise to be exported by India during the current year ;

(c) the foreign exchange gap that will be left as a result thereof; and

(d) how this gap is proposed to be bridged ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (d) Although the world prices of both our export and import products are generally increasing but with a phonominal hike in oil prices and appreciable price-escalation in other essential imports, the deficit of India's foreign trade is likely to widen further during 1974-75 as compared to the previous year.

The trading conditions in world market are becoming increasingly uncertain. However, in order to reduce the trade gap to the extent possible, the Government have proposed a crash programme of exports for all countries including oil producing countries in Gulf Area.

The principal elements of the programme are :—

(a) Identification of products with maximum export potential in the immediate future,

(b) Identification of destination to which exports of these products would yield maximum unit value realisation, and

(c) Identification of measures which would augment the domestic production base and generate additional export surpluses for these products.

As a result of the crash programme it is expected that exports during the current financial year will be substantially higher than the rate of 7·6% envisaged in the draft Fifth Five Year Plan document. The exports to the oil producing countries including the Persian Gulf Area are likely to be more than double during 1974-75 as compared to 1972-73 level.

Export of Iron Ore

9841. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the prospects of increase in export of iron ore this year over previous year have become uncertain;

(b) whether the world market prices of the Fertilizers India proposes to import this year have incerased considerably due to which India will have also to pay more for this

(c) whether Government propose to hike the price of the iron ore being exported by her; and

(d) if so, the broad features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) Yes, Sir.

(c) & (d) Export prices of iron ore have been increased substantially ranging from 16% to 63% depending upon the grade and destination.

विस्फोटक पदार्थों का निर्यात

9842. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्फोटक पदार्थों का निर्यात बढ़ाने और कुछ मदों के संबंध में नकद सहायता देने की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विस्फोटक पदार्थों के निर्यातों को बढ़ाने अथवा नकद मुआवजा भत्ता देने से संबंधित कोई विशेष प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि लागत आंकड़ों आदि की जांच करने के पश्चात् किन्हीं वस्तुओं पर सरकार समय समय पर नकद मुआवजा भत्ता प्रदान कर सकती है।

Loans from France for Industrial Development

9843. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the MMiister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of grants and loans for industrial developement received by India from France during the Fianancial years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 respectively; and

(b) the rate of interest payable thereon as also the general conditions of payment ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) A statement showing the amount of grants and loans for industrial development received from France during years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 is enclosed at Annexure 'A'. [*Placed in Library See No. L. T.* 7037/74]

(b) The assistance from France comprises the normal credits for the development of Indian economy, special credits for the developement of atomic enegry and space and debt rescheduling assistance. The first two credits comprise of two segments, loans from French treasury and credits from French national banks. The rates of interest as also the general conditions of payment vary from segment to segment and from one kind of credit to another as in the statement at Annexure 'B'. [*Placed in Library See No. L. T.* 7037/74]

Black Money unearthed in Punjab

9844. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of black money recovered in Punjab during the last two years;

(b) the number of persons against whom action has been taken in this connection; and

(c) the number of persons prosecuted and convicted during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The value of the assets seized in the course of searches conducted by the Income-Tax Department in the Charges of Commissioners of Income Tax, Patiala and Amritsar during 1972-73 and 1973-74 is as under :—

1972-73	Rs. 3,24,725/-
1973-74	Rs.10,35,131/-

(b) Of the 15 cases in which valuable assets were seized, summary order u/s 132(5) of the Income-Tax Act, 1961 has been passed in 14 cases. The regular assessments in all the cases are reported to be pending.

(c) The number of persons prosecuted and convicted during 1972-73 and 1973-74 in the Commissioners' Charges at Patiala and Amritsar is as follows :

	72-73	73-74
Prosecution launched . .	2	14
Conviction obtained	1	1

Exports to U. S. S. R.

9845. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the future plan and policy of Government in regard to export of indigenous commoidities to U. S. S. R.; and

(b) the estimated value in rupee of the commodities to be exported during the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Provisions for export of Indian goods to USSR are made in annual trade protocol between the two countries which are prepared within the framework of the long-term plan for 1971-75. Trade between the two countries is conducted on bilateral and balanced basis. All payments of commercial and non-commercial nature are effected in non-convertible Indian rupees. The policy objective is to expand and diversify trade between the two countries. This implies increase in the volume of export of Indian goods, particularly non-traditional goods, to USSR.

(b) It is estimated that Rs. 315 crores worth of goods will be exported to USSR during the calendar year 1974.

केन्द्र द्वारा लागू किए गए वित्तीय अनुशासन की उपेक्षा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय

9846. श्री बी० वी० नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा लगाए गए वित्तीय अनुशासन की उपेक्षा करने के लिए राज्य सरकारों ने क्या विभिन्न उपाय किए हैं ; और

(ख) उन्हें निष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत सरकार को राज्य सरकारों द्वारा उस योजना की परिधि से बच निकलने के प्रयोजन से जानबूझकर किये गये किसी उपाय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो उन्हें बजट संबंधी साधन के तौर पर ओवरड्राफ्टों का प्रयोग करने से रोकती है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Installation of Crimping Machines by Nylon Spinners

9847. Shri Raja Kulkarni : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of crimping machines installed by the nylon spinners and the non-spinners crimpers including weavers;

(b) the total annual crimping capacity in the country ;

(c) the total production of nylon multi-filament yarn from deniers 30 to 115 (both inclusive) in the calendar year 1973; and

(d) the total imports of nylon yarn in deniers 30 to 100 (both inclusive) in the calendar year 1973 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) There are reported to be 18 crimping machines with nylon spinners and 57 with non-spinners.

(b) The total crimping capacity in the country is 75 crimping machines.

(c) According to the Textile Commissioner the total production of nylon multi-filament yarn-deniers 30 to 115-in the country during 1973 was as follows :—

	tonnes
30 dn.	174
32 dn.	160
40 dn.	2,324
76 dn.	155
90 dn.	4
100 dn.	110
101 dn.	372
105 dn.	397
TOTAL	3,696

(d) According to the Textile Commissioner the total import of nylon yarn is 30 to 100 dn. in he Country during 1973 was as given below :—

	Kg.
30 dn.	7,993
40 dn.	77,772
60 dn.	2,490
70 dn.	88,918
90 dn.	123
TOTAL .	1,77,296

पाकिस्तान में सेवा निवृत्त हुए व्यक्तियों को पेंशन देना

9848. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्ति पाकिस्तान से सेवा निवृत्त होकर पाकिस्तान सरकार द्वारा देय वास्तविक पेंशन के बदले में भारत सरकार से तदर्थ आधार पर पेंशन पर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन पेंशनरों को अभी तक देय वास्तविक पेंशन नहीं मिल रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार 100 रुपये से कम पेंशन पाने वालों को जीवननिर्वाह व्यय में भारी वृद्धि को देखते हुए बकाया राशि का भुगतान करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार के पास बढ़ती महंगाई के इन दिनों में विशेषकर उन लोगों की कठिनाई दूर करने के प्रस्ताव हैं जो लगभग 80 वर्ष के हैं और यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कपड़ा वितरण और मूल्य निर्धारण की नई नीति

9849. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपड़ा वितरण तथा मूल्य निर्धारण की नई नीति की शीघ्र ही घोषणा करेगी ;

(ख) क्या इस मामले में कुछ राज्यों के विचार अलग अलग हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नियंत्रित कपड़े की संशोधित नीति के बारे में घोषणा लोक सभा में 29 मार्च, 1974 को की गयी थी।

(ख) तथा (ग) अर्ध-नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित कपड़े का वितरण सुनिश्चित करने के लिये मार्गोपाय निकालने हेतु राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

Expenditure on Tours of Central Ministers

9850. Shri Atal Bihari Vajpayee :

Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether, under the economy drive launched since August last, his Ministry has issued a circular to the Prime Minister, Ministers and Secretaries of various Ministries to observe austerity in general and while undertaking foreign tours in particular; and

(b) the expenditure incurred so far since August last year, month wise, by the Centre and States on the tours of the Prime Minister and each Minister, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Circulars have been issued to all Ministries/Departments with copies to the Prime Minister's Secretariat.

(b) The requisite information relating to the expenditure incurred by the Central Government on Travelling/Daily allowance in connection with the tours of the Ministers is being collected and will be laid on the Table of the House. The State Governments are not required to incur any expenditure onTravelling/Daily Allowance in connection with the tours of the Central Ministers. The State Governments, however, make arrangements for the security and maintenance of law and order when the Ministers visit the States. No information as to the expenditure incurred on these items is therefore available.

Import of Fire Arms by V. I. P. from Foreign Countries

9851. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any V. I. P. can import fire arms from foreign countries for self-defence ;

(b) if so, the reasons for this blank permission ; and

(c) if not, the main rules in accordance with which fire arms can be imported by V. I. Ps.?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) No, Sir.

(c) Customs Clearance Permit for the Import of fire-arms of non-prohibited bore and being issued to individuals where no foreign exchange is involved and who receive the fire arms as free gifts from their close relations settled abroad. No distinction is made between a VIP and any other person in issuing such a Customs Clearance Permit. For the grant of a Customs Clearance Permit the applicant has to submit a formal request alongwith the original letter from his relation offering the gift. The applicant must also produce a possession licence under the Arms Act.

A person can also bring a fire-arm for his own use without obtaining any licence/Customs clearance permit as his personal baggage provided he has not imported or otherwise acquired a foreign made fire-arm during the last ten years. Such imports are covered under Public Notice No. 13-ETC(PN)/71 dated the 1st February, 1971.

अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच प्रक्रिया

9852. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशियों द्वारा उनके बम्बई पहुंचने पर तस्करी के कुछ मामलों को पकड़ा है ;

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मंत्रियों की कोच तथा डोमेस्टिक लाज के टर्मिनल में जांच प्रक्रिया की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क विभाग के गुप्त सूचना अधिकारी तैनात किये जाते हैं जो डिब्बों (कोचेज), अन्तर्राष्ट्रीय विश्राम-कक्ष, स्वदेशी विश्राम-कक्ष आदि पर निगरानी रखते हैं। वर्ष 1973 तथा जनवरी, 1974 के दौरान बम्बई हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद विदेशियों द्वारा भारत में माल के तस्कर आयात की कोशिश किये जाने के 7 मामले सीमाशुल्क अधिकारियों के नोटिस में आये।

रक्षा लेखा नियंत्रक पटना, के कार्यालय में 'वेट कैन्टीन' और मनोरंजन क्लब चलाने की प्रक्रिया

9853. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोला मांझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालय में 'वेट कैन्टीन' तथा रक्षा लेखा मनोरंजन क्लब चलाने की क्या प्रक्रिया है और उनकी आय के क्या साधन हैं ;

(ख) क्या 'वेट कैन्टीन' के लिए रैफ्रीजरेटर/फ्रिज के क्रय के किये जाने में कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं ;

(ग) क्या 1972 से अद्यतन रक्षा लेखा मनोरंजन क्लब द्वारा धन का अधिकांश व्यय समारोहों पर किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या क्लब के निर्वाचन होने हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो निर्वाचन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय में वेट कैन्टीन को समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार विभागीय आधार पर चलाया जाता है। इस कैन्टीन का प्रबन्ध एक प्रबन्ध–समिति करती है जिसमें सरकारी पक्ष तथा कर्मचारि पक्ष के तीन–तीन सदस्य होते हैं। कैन्टीन की आय का साधन केवल सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता है जिससे संस्थापन आदि का खर्च अंशतः पूरा होता है और कैन्टीन दूसरे खर्चे अपनी बिक्री से होने वाली आय से पूरे करती है।

रक्षा लेखा नियन्त्रक, पटना के कार्यालय के रक्षा लेखा मनोरंजन क्लब का प्रबन्ध एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है । मनोरंजन क्लब की आय के साधन हैं–क्लब के सदस्यों से प्राप्त मासिक चन्दा सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान तथा कैन्टीन स्टोर्स विभाग द्वारा शेयरों पर दिया जानेवाला लाभांश।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

रक्षा लेखा मनोरंजन क्लब द्वारा वर्ष 1972–73 में खर्च किये गये 5683 रुपये के कुल खर्च में से 2507 रुपये 33 पैसे की रकम स्वतन्त्रता दिवस के रजत जयंती समारोहों सहित अन्य समारोहों पर खर्च की गई थी। मनोरंजन क्लब ने वर्ष 1973–74 में 4314 रुपये 33 पैसे के कुल खर्च में से 1745 रुपये 3 पैसे का खर्च समारोहों पर किया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) क्लब के पिछले चुनाव अगस्त 1972 में हुए थे। मनोरंजन क्लब की वर्तमान कार्यकारी समिति ने क्लब के वार्षिक दिवस समारोह हो जाने पर अप्रैल 1974 के बाद चुनाव करने का फैसला किया है।

तम्बाकू निर्यात कर्ताओं की कठिनाइयां

9854. श्री के० मालन्ना : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनमैन्यूफैक्चरड् फ्यूल क्योर्ड वर्जिनिया तम्बाकू ने भारतीय निर्यातकर्ताओं के लिए कठिनाइयां पैदा कर रहा है क्योंकि इस वस्तू के इकट्ठे आयात पर शुल्क की दरें भिन्न भिन्न हैं

जो आयातकर्ता देश में 300 लाख यूनिट के टैरिफ कोटे के आयात पर आधारित होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार अपनी दरों पर लेवी ड्यूटी लगाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने अनिर्मित फ्यूल क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू को 1974 हेतु अपनी सामान्यीकृत अधिमान योजना में शामिल कर दिया है और टैरिफ को 300 लाख यूनिट के अनुदाय टैरिफ कोटे के अधिन 50 प्रतिशत स्तर पर निलम्बित कर दिया है जिसे आगे परिवर्द्धित समुदाय के सदस्य राज्यों में उप-विभाजित कर दिया गया है।

सामान्यीकृत अधिमान योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत टैरिफ रियायत के होते हुए भी भारतीय फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू पर ब्रिटेन में टैरिफ, ब्रिटन के सीमाशुल्क टैरिफ धीरे धीरे 1 जनवरी, 1974 से शुरु समुदाय के सामान्य सीमाशुल्क टैरिफ के अन्तर्गत लाये जाने के परिणामस्वरुप बढ़ गए हैं।

ब्रिटेन में तथा साथ ही समुदाय के अन्य सदस्य राज्यों में शुल्कों का विशिष्ट स्वरुप भी अन्य स्त्रोतों से आयातित महंगे तम्बाकू की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते भारतीय तम्बाकू के प्रतिकूल है।

परिवर्द्धित समुदाय बाजार में भारतीय तम्बाकू के संबंध में उत्पन्न समस्याओं के सामाधान निकालने के संबंध में कार्यवाही जारी है।

फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू पर भारतीय निर्यात शुल्क की दर में फिलहाल कोई संशोधन करने का विचार नहीं है।

भेड़-बकरी की चर्बी का उत्पादन और आयात

9855. श्री शंकरराव सावंत : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की भेड़ बकरी की चर्बी का आयात किया गया तथा कितनी मात्रा में और कितनी मूल्य की भेड़ की चर्बी का देश में उत्पादन हुआ ;

(ख) भेड़ बकरी की चर्बी के वितरण के लिये क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं ;

(ग) क्या इन वर्षों में मुफस्सिल क्षेत्रों में साबुन के छोटे निर्माताओं का कोई कोटा दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972-73 तथा 1973-74 में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित भेड़-बकरी की चर्बी की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित प्रकार थे :

वर्ष	मात्रा मे० टन	मूल्य लाख रु० में
1972-73 .	63,783	915,67
1973-74	29,950	683,39

चर्बी का स्वदेशी उत्पादन नहीं होता है।

(ख) आयातित चर्बी का विवरण संगठित तथा लघु क्षेत्र को क्रमश: 60 प्रतिशत : 40 प्रतिशत के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(ग) तथा (घ) मुफस्सिल क्षेत्र में लघु क्षेत्र को वितरित मात्राओं का अनुमान निम्नलिखित प्रकार लगाया गया है:—

	मे० टन
1972–73	27,882
1973–74	16,500

Closure of Plantations in Tripura State

9856. Shri Hukum Chand Kachwai : Will he Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the present number of tea plantations in Tripura State that have closed down due to economic crisis and the amount of loan of various financial institutions outstanding against these closed plantations ;

(b) whether these plantations have taken any loan from Government also and if so the amount thereof and the names of such plantations; and

(c) whether the closed plantations either seek any cooperation from the institutions having expertise in plants at present nor any co-operation is extended to them and if so the action being taken by Government to ensure that they ask for such cooperation and the same is extended to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) Two tea gardens in Tripura reported to be under closure one since 1962 and the other from 1968/69. No information is available about reasons for their closure or the amount of loan granted to these tea estates by Banks and financial institutions. These tea estates have not availed of any loans from Tea Board.

Technical assistance from Tea Research Association is available to its members free of charge. Non-members can also avail of assistance on payment of fees.

बिड़ला उद्योगों द्वारा करों की अदायगी न करना

9857. श्री शिवनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से बिड़ला उद्योगों ने करों की आदायगी नहीं की है और उसकी राशि क्या है ;

(ख) बिड़ला परिवार के सदस्यों पर 1973–74 तक कितना कर बकाया है ; और

(ग) इस रकम को बकाया रखने के क्या कारण हैं और इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 31–3–74 की स्थिति के अनुसार बिड़ला व्यापार कम्पनीयों पर बाकी कर की बकाया के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ख) 31-3-1974 की स्थिति के अनुसार बिड़ला परिवार के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित मांगें देय थीं :—

(लाख रुपयों में)

	आयकर	धन-कर	दान-कर
31-3-74 की स्थिति के अनुसार मांग की बकाया	4.49	2.02	0.04

(ग) ऊपर भाग (ख) में उल्लिखित मांगें निम्नलिखित कार्यवाही के अभी तक पूरा नहीं किये जाने के कारण बाकी पड़ी हैं :

(i) पहले ही अदा किये गये करों का सत्यापन

(ii) वापसियों तथा पहले ही अदा किये गये करों का समायोजन

(iii) भूल-सुधार जैसी पुनरीक्षण विषयक कार्यवाही आदि और

(iv) अपीलीय सहायक आय-कर आयुक्तों के समक्ष अपीलें।

संबंधित आय-कर आयुक्तों को शेष कार्यवाही को पूरा कराने तथा अपीलों का निपटान शीघ्र करवाने के लिए निदेश दिये गये हैं।

जे० सी० टी० मिल्स, फगवाड़ा द्वारा माल की चोरी-छिपे बिक्री

9858. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जे० सी० टी० मिल्स, फगवाड़ा जो थापर ग्रुप का एक उद्योग है सूती धागे और सूती तथा रेशमी कपड़े के निर्माता हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष में इस कम्पनी के नियंत्रणाधीन प्रत्येक एकक में प्रत्येक किस्म के धागे और सूती तथा रेशमी कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी की (1) कुल बिक्री और (2) कुल लाभ वर्षवार क्या था ;

(घ) क्या उन्हें बताया गया है कि यह कम्पनी माल की चोरी छिपे बिक्री से भारी अतिरिक्त लाभ कमा रही है जो मुख्यतया कम्पनी एक निदेश और एकमात्र एजेंट, मैसर्स वेंणी प्रसाद कृष्ण गोपाल के पास चला जाता है जिनकी कलकत्ता, बम्बई, लुधियाना और अमृतसर में विभिन्न नामों से अन्य अनेक फर्में हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने इस आरोप की जांच कराई है ; और

(च) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मे० जगतजीत काटन टैक्सटाइल मिल्स, फगवाड़ा एक मिश्रित एकक है जो सूती धागा तथा सूती कपड़े का विनिर्माण करता है। यदि उनका रेशमी कपड़ा विनिर्माण करने का कोई काम है, तो उसके बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सूती धागे (काऊंटवार) तथा सूती कपड़े (वर्गवार) का उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) कम्पनी के प्रकाशित खातों में बिक्री के जो आंकड़े दिये गये हैं उसके अनुसार वे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(लाख रु० में)

को समाप्त होने वाला वर्ष	बिक्री
31–1–1971	698.05
31–2–1972	870.18
31–3–1973	961.73

(घ) से (च) स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

विवरण

मे० जगतजीत काटन टैक्सटाइल मिल्स फगवाड़ा द्वारा सूती धागे (काउंटवार) तथा सूती कपड़े (वर्गवार) का उत्पादन

(क) सूती धागे (काउंटवार) का उत्पादन

(हजार कि० ग्राम में)

क्रमांक	सूती धागा काउंट ग्रुप	1971	1972	1973
1	1–10 एस . . .	397	953	1,096
2	11–20 एस . .	3,786	3,480	4,131
3	21–30 एस . .	1,564	1,416	970
4	31–40 एस . .	838	344	988
5	41–60 एस . . .	45	41	148
6	51–80 एस . .	119	97	20
7	81—इससे ऊपर .	..	..	..
	योग .	6,749	6,931	7,353

(ख) सूती कपड़े (वर्गवार) का उत्पादन :

(हजार मीटरों में)

क्रमांक	वर्ग	1971	1972	1973
1	मोटा	10,882	12,058	13,333
2	मीडियम 'बी' . . .	14,983	14,078	12,872
3	मीडियम 'ए' . . .	10,265	10,656	9,942
4	बढ़िया . . .	932	1,870	1,300
5	बहुत बढ़िया . . .	394	710	376
	योग .	37,456	39,372	37,823

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वित्तीय नियंत्रण

9859. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न प्रशासी मंत्रालयों को सीमित वित्तीय अधिकार दे दिये गये हैं और मुख्य वित्तीय नियंत्रण वित्त मंत्रालय के पास ही रहने दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों में किस प्रकार का वित्तीय नियंत्रण चल रहा है विशेषकर भारतीय पर्यटन विकास निगम और इंडियन एयरलाइनस कारपोरशन में; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों में यह देखने के लिये कि कोई सरकारी एजेंसी है कि प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार एकहि व्यक्ति के पास न हो और वित्त पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण न हो ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उत्तरदायिता की परीधि में, सरकार की वित्तीय शक्तियां प्रशासनिक मंत्रालयों को सौंप दी जाती हैं ताकि वे अपनी जिम्मेदारियां ठीक ढंग से निभा सकें। जैसा कि वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1958 में निर्धारित हैं, इस समय प्रशासनिक मन्त्रालयों को अधिकार है कि वे पदों के निर्माण, विनियोग और पुनविनियोग, आकस्मिक व्यय (सीमाओं के अन्तर्गत), हानि को बट्टे खाते डालने, अधीनस्थ निकायों को अनुदान और ऋण मंजूर करने, आदि के संबंध में, संसद् द्वारा स्वीकृत बजट व्यवस्था में से खर्च करें। इस नियमावली के अन्तर्गत जो अधिकार प्रशासनिक मन्त्रालयों को नहीं सौंपे गये हैं वे वित्त मन्त्रालय के पास है। प्रदत्त वित्तीय अधिकारों में विस्तार करने के प्रश्न की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

जहां तक सरकारी उद्यमों का संबंध है, उद्यमों के वार्षिक पूंजी बजट को वित्त मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत किया जाना तथा सरकार से मांगी गयी रकम को संसद् की स्वीकृति मिलना जरुरी हैं। इसके बाद, प्रशासनिक मन्त्रालय, स्वीकृत बजट व्यवस्था के आधार पर रकमें दे सकते हैं। लेकिन वर्ष की अन्तिम तिमाही में, रकम वित्त मंत्रालय की स्वीकृति से ही दी जा सकती हैं। उन सरकारी उद्यमों के संबंध में, जिन्हें नकद हानियां हुई है और जिनकी सरकार द्वारा प्रतिपूति की जानी है, राजस्व बजट को भी सरकार की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है।

(ख) निगमों की सभी वित्तीय शक्तियां निदेशक बोर्डों में निहित होती हैं। पूंजी लगाने संबंधी प्रमुख निर्णयों को छोड़कर, जिन्हें सरकार द्वारा किया जाता है, निदेशक बोर्डों को सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों का उपयोग करने में, बोर्ड को कम्पनी के मुख्य आर्यकारी अधिकारी तथा उसके वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्श दिया जाता है। निदेशक बोर्ड, फिर कम्पनी के उपयुक्त अधीनस्थ अधिकारियों को ये वित्तीय अधिकार सौंप देते हैं। शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रायः इनके द्वारा किया जाता है :

(i) उन मामलों का आरक्षण, जिनके लिए वित्तीय सलाहकार की स्वीकृति जरूरी है ;

(ii) उन मामलों का आरक्षण, जिनमें वित्तीय सलाहकारों की सलाह आवश्यक है ; और

(iii) वे मामले जिनमें वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। नियंत्रण का कार्य आन्तरिक लेखापरीक्षा , सांविधिक लेखापरीक्षक और नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के जरिए किया जाता है।

भारत पर्यटन विकास निगम और इण्डियन एयर लाइन्स वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और वित्तीय निमंत्रण के संबंध में सामान्य रूपरेखा का अनुसरण करते है। दोनों निगमों में पूरे वित्त प्रभाग

हैं, जिनके प्रमुख निगमों की वित्तीय शक्तियों का पालन करने में निदेशक बोर्डों की सहायता करते हैं। इण्डियन एयर लाइन्स के लिए भी, जिसका शासन एयर कारपोरेशन ऐक्ट के द्वारा होता है, कुछ अन्य मामलों में सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है।

(ग) जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों सहित, सभी शक्तियां एक व्यक्ति में नहीं बल्कि निदेशक बोर्डों में निहित होती है। निदेशक बोर्ड निगम के क्रियाकलापों को सुचारु रुप से चलाने के लिए उपयुक्त ढंग से सौंप सकते हैं अत: वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियों को एक व्यक्ति को सौंपने या उसे प्रशासनिक नियंत्रण से पृथक रखने का प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स जे० पी० बिल्डर्स, मद्रास

9860. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जे० पी० बिल्डर्स मद्रास पर छापा मारा गया था और काला धन पकड़ा गया था।

(ख) यदि हां, तो कितना ऐसा धन पाया गया था ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) आयकर विभाग द्वारा मैसर्स जे० पी० बिल्डर्स, मद्रास के परिवारों की 7 जून, 1973 को तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों तथा कागजात पकड़े गए थे परन्तु नकदी नहीं पकड़ी गयी थी। पकड़े गए दस्तावेजें के आधार पर जांच-पड़ताल जारी है। जांच-पड़ताल पूरी होने पर विधि-सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

आयात-निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक एर्नाकुलम के कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार

9861. श्री कार्तिक उरांव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायत प्राप्त हुई है कि एर्नाकुलम स्थित आयात और निर्यात के 34 मुख्य नियंत्रक कार्यालय के अधिकारियों को कार्यालय में शराब पिये हुए पाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी०जार्ज) : (क) तथा (ख) ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि आयात व निर्यात मुख्य नियंत्रक का कार्यालय कोचीन का एक अधिकारी कार्यालय में शराब पिये हुए आता है। इन रिपोर्ट के मिलने पर इस मामले की जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी भेजा गया। गवाहों की जांच करने के बाद जांच अधिकारी को ऐसा कोई संपोषक प्रमाण नहीं मिल सका जिसके आधार पर बिना संदेह के यह ठहराया जा सकता कि वह अधिकारी शराब पिये हुए कार्यालय में आता है। तथापि, परिस्थिति के प्रमाण से यह निष्कर्ष निकला कि रिपोर्टों में सचचाई हो सकती है अत: उसको कठोर चेतावनी दे दी गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रेल भाड़े की पुन: जांच का अनुरोध

9862. श्री रानेन सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने रेल भाड़े के समीकरण के प्रश्न की पुन: जांच करने के लिये केन्द्र सरकार को सहमत करा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने प्रस्थापना पर विचार करने के लिए एक शासकीय समिति नियुक्त की थी। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और इस पर अब योजना आयोग के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

सरकारी उपक्रमों के लिए सतर्कता आयोग

9863. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी उपक्रमों के कार्यों पर सूक्ष्मता से ध्यान रखने के लिये सरकारी क्षेत्रों के लिये सतर्कता आयोग की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम सभी सतर्कता संबंधी मामलों के लिये जिसमें 1000 रुपये मासिक मूलवेतन पाने वाले अधिकारी भी शामिल हैं, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी उद्यमों में सतर्कता प्रशासन को और भी कड़ा करने के लिये कदम उठाए है। इनमें यह बाते शामिल है।

(1) पद के दुरुपयोग की रोकथाम उपहारों और आतिथ्य का नियमन दण्डनीय अपराधों की जांच करने, आमदनी से ज्यादा परिसम्पत्ति रखन को रोखने, बीमा और अन्य व्यापार अभिकरणों की वसूली, गैर-सरकारी निवेश, ऋण देने और उधार लेने, चल और अचल सम्पत्ति की प्राप्तियों को जमा कराने आदि के लिये आचरण और अनुशासन नियमों के समीक्षा;

(2) सेवानिवृत्ति के बाद भी कदाचारी अधिकारियों के साथ व्यवहार करने के लिए निश्चित कार्यविधि और नियुक्ति से पहले पूर्व पद की जांच;

(3) सतर्कता संबंधी नियम पुस्तकों को बनाना,

(4) प्रत्येक उपक्रम में ठीक कर्मचारियों वाले सतर्कता एकक का गठन।

सरकारी उपक्रम सेवा आयोग

9864. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये कर्मचारियों का उचित चयन करने एवं उनके वेतनमानों और सेवा की शर्तों को समान बनाने के लिये सरकारी उपक्रम सेवा आयोग की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। इसलिए इन उद्यमों के कामों और कार्यसंबंधी आवश्यकताओं में भारी भिन्नता है। चूंकि, इनके काम वाणिज्यिक किस्म के हैं इसलिए नीति अपनायी जाती यही है कि उनके कार्य निष्पादन के उत्तरदायित्व के ढांचे के अन्तर्गत

उन्हें कार्य संचालन संबंधी स्वायत्तता दी जायं। इसलिए उद्यमों को बहु एककों वाले उद्यमों के सहायक एककों के महाप्रबन्धकों के पदों को छोड़ कर बोर्ड स्तर के नीचे के सभी पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार दिया गया है। अतः सरकारी उद्यमों के लिए संघ लोक सेवा आयोग जैसी एजेन्सी बनाने का कोई विचार नहीं है। किन्तु सरकार ने प्रत्येक उद्योग अथवा क्षेत्र में व्यक्तियों का चुनाव करने को उपयुक्त कार्यप्रणाली तैयार करने तथा वेतन आदि के संबंध में भली भांति विचार करके बनायी जाने वाली नीति अपनाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये हैं।

उद्यमों से कहां गया है कि वे व्यक्तियों के चुनाव में निष्पक्षता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त भरती प्रक्रिया तैयार करें। जहां तक वेतन आदि का सवाल है यह बात स्वीकार की गयी है कि इस संबंध में एक समान नीति अपनाना संभव नहीं है। किन्तु उद्यमों के लिए यह जरुरी है कि वे वेतन संबंधी ढ़ांचे को यथासम्भव युक्तिसंगत बनाये।

सर्वोच्च पदों के लिए, जिन पर नियुक्ति करने का अधिकार सरकार को है, एक उच्च स्तरीय निकाय बनाने का निर्णय किया गया है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के ऐसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति होंगे जिन्हें प्रबन्धकीय पदों पर व्यक्तियों का चयन करने का अनुभव होगा। पदों की जिम्मेदारियों के स्वरुप तथा आकार के आधार पर इन पदों को चार वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग इस प्रकार हैं:—

(1) अनुसूची 'क'	. . . .	3500 — 4000 रुपये
(2) अनुसूची 'ख'	. . . .	3000 — 3500 रुपये
(3) अनुसूची 'ग'	. . . .	2500 — 3000 रुपये
(4) अनुसूची 'घ'	. . . .	2000 — 2500 रुपये

नियुक्ति की अन्य शर्ते एक जैसी हैं।

बिहार में कोयले और कृषि पर आधारित उद्योगों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

9865. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बिहार में कोयले और कृषि पर आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बिहार या किसी अन्य राज्य में कोयले और कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के संबंध में कोई विशेष घोषणा नहीं की है। यह किसी भी ऐसी परियोजना को सहायता देने के लिये लचीली नीति बरतता रहा है जो क्षमता, प्रबन्ध कौशल्य, तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक मजबूती आदि के लिए निर्धारित बुनियादी मापदण्डों को पूरा करती हो। इसने बिहार में कई एककों को सहायता दी है जो मुख्यतः कोयले का ईन्धन के रूप में प्रयोग करते है। परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने में इसका रुख सहानुभूति पूर्ण रहा है और जो कोई भी परियोजना नयी तकनीक और प्रक्रिया अपनाती है उसकी तरफ यह ध्यान देता है।

सूती कपड़ा उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि

9866. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा उद्योग की उत्पादन लागत में 1974-75 में और वृद्धि होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किए जायेंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सूती कपड़े के उत्पादन की लागतें रुई की कीमतों, स्टोरों व ईंधनों तथा मजूरियों एवं महंगाई भत्ते आदि पर निर्भर करती है। 1974-75 के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन लागतें इन उपादानों के अनुसार अलग अलग होंगी।

Action Committee on Public Sector Undertakings

9867. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether an Action Committee under the Chairmanship of a Member of Planning Commission was set up for the purpose of improving performance of the industrial units in the public sector, and

(b) if so, the suggestions made by this Committee and the reaction of Government to each of these suggestions ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) An Action Committee on Public Enterprises has been set up under the Chairmanship of Member, Planning Commission. The Committee is entrusted with the task of identifying the steps necessary to improve the performance of public enterprises. Some of the important suggestions made by the Committee relate to :

(i) strengthening of management;

(ii) changes in organisational structure at the plant and corporate level;

(iii) improvement in plant management;

(iv) decentralisation of maintenance activities ;

(v) provision of balancing and debottlenecking facilities ;

(vi) improvement in materials management, motivation of personnel, production planning and control;

(vii) introduction of suitable machinery for timely review and control of operations;

(viii) better corporate planning;

(ix) strengthening of Research & Development activities and other technical services;

(x) strengthening of sales and marketing efforts;

(xi) improvement of industrial relations; and

(xii) multi-shift operations.

Most of these recommendations have been accepted by Government and are at various stages of implementation.

रेयन और सिन्थेटिक वस्त्रों के निर्यात म वृद्धि

9868. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गतवर्ष रेयन और सिन्थेटिक वस्त्रों के निर्यात की मात्रा वर्ष 1972 की तुलना में दुगनी से भी अधिक हो गई है ;

(ख) किन किन देशों ने इन वस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में आयात किया ; और

(ग) क्या सरकार आगामी वर्षों में निर्यात की इस दर को बनाये रखने की आशा रखती है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। निर्यातों का अनुमानित मूल्य 1972-73 में 11.10 करोड़ रु० से बढ़कर 1973-74 में लगभग 32 करोड़ रु० हो गया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने 1974-75 में 50.00 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य रखा है, जो पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

विवरण

जिन देशों ने 50 लाख रु० तक और उससे ऊपर भारत से कृत्रिम रेशम के माल का आयात किया, वे नीचे दिये जा रहे हैं:--

1. पौलैंड
2. अफगानिस्तान
3. बंगला देश
4. ईरान
5. सिंगापुर
6. दक्षिणी अरब
7. इंडोनेशिया
8. कनाड़ा
9. सं० रा० अमरीका
10. जापान
11. ब्रिटेन
12. नाइजीरिया
13. दुबाई

Non-availability of Raw Material to Textile Mills

9869. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any textile mill owners have complained of not getting raw material, and

(b) if so, the number of such mills and the steps taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) Some cotton textile mills have complained of occassional shortages of raw materials other than cotton, from time to time.

It is not possible to give precise number of the complainant mills.

Import of dyes and chemicals and hydrosulphite of soda, under the policy for registered exporters, has been liberalised during April 1974-March 1975. As regards other items like Furnance Oil, Urea, Ammonium Sulphate, arrangements are being made for equitable distribution of limited supplies available.

Issue of Licences for Manufacture of Carpets

9870. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of applications received for the grant of licences for manufacturing carpets during 1973-74 , and

(b) the number of applicants given licences and the terms and conditions stipulated for giving a licence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) Seven applications for manufacture of tufted, etc. carpets were received during the period. However, none of these applicants has been granted an industrial licence so far.

धागा निर्यात की वर्तमान नीति पर पुनर्विचार

9871. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागा-निर्यात की वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Closure of Tea Plantations in Assam State

9872. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the present number of tea plantations in Assam State which have closed down due to economic crisis and the amount of loans of various financial institutions outstanding against these closed plantations ;

(b) whether these plantations have taken loans from Government also and if so, the amount thereof and the names of such plantations; and

(c) whether closed plantations neither seek any co-operation from the institutions, having expertise in plants at present nor any co-operation is extended to them, and if so, the action being taken by Government to ensure that they ask for such co-operation and the same is extended to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) 14 tea gardens in Assam State are reported to be under closure. No information is available about the reasons for their closure or the amount of loan granted to these tea estates by Banks and financial institutions.

(b) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) Technical assistance from Tea Research Association is available to its members free of charge. Non-members can also avail of assistance on payment of fees.

रूमानिया को लौह अयस्क के निर्यात मूल्य में वृद्धि की मांग

9873. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूमानिया को लौह अयस्क के निर्यात मूल्य में वृद्धि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सौदों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जो सौदे हाथ में हैं उनसे विदेशी मुद्रा आय लगभग 26.7 करोड़ रु० होने की आशा है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में विवाद

9874. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में लौह अयस्क के क्रय मूल्य के बारे में कोई विवाद रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने कीमत के लिए जहाज तक निशुल्क की अपेक्षा रेल तक निशुल्क की सुव्यवस्था अपनाने के लिए निवेदन किया। 31 मार्च, 1975 तक लौह अयस्क हेतु क्रय कीमत पर करार दोनों निगमों के बीच 4 जनवरी, 1974 को हो चुका है।

व्यक्तिगत आय और व्यय पर उच्चतम सीमा

9875. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय व्यक्तिगत आय और व्यय पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने के पक्ष में है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने भी इसका अनुमोदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) यद्यपि व्यक्ति की आय या व्यय पर कोई औपचारिक अधिकतम सीमा लागू करने का प्रस्ताव नहीं है तथापि कुल मिलाकर वही प्रभाव समय समय पर किये गये ऐसे उपायों से पड़ा है जैसे कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर, सम्पदा शुल्क आदि लगाने के अलावा सामान्य सम्पत्ति करों और दानकर की दरें बढ़ाया जाना और कृषि भिन्न आय कर की दरें निश्चित करने के प्रयोजनार्थ करदाता की कृषि-आय और कृषि-भिन्न आय के एक भाग को आपस में मिलाया जाना।

इलायची के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति

9876. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के निर्यात से निर्यात की पूरी मात्रा को ध्यान में रखते हुए पूरी विदेशी मुद्रा नहीं उपलब्ध की जा सकी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितने का माल निर्यात किया गया था तथा कितना धन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) निर्यातकर्ताओं के कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सामान्य बीमा निगम द्वारा कुछ फर्मों को 'रिजेक्शन कवरिंग' के लिए मना करना

9877. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम ने कतिपय फर्मों को मेंढक की टांगों का अमरीका को निर्यात करने के बारे में "रिजेक्शन कवरिंग" के लिए मना कर दिया है जबकि कुछ अन्य को इसकी स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) इस देश से निर्यात की गई मेंढक की टांगों को, अमेरिका में खाद्य और औषध प्रशासन प्राधिकारियों ने, बड़े पैमाने पर अप्रयोज्य ठहराया है, जिसके कारण उत्पन्न दावों की प्रतिकूल प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए भारतीय विविध बीमा निगम ने मामले की विस्तृत जांच होने तक भावी लदानों के संबंध में माल रद्द किये जानेकी जोखिम का बीमा करने का काम बन्द करने का निश्चय किया है।

तस्करी रोकने के उपाय

9878. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तट के साथ-साथ तस्करी रोकने के लिए निगरानी के लिए ऐसे कोस्ट लाइन गार्डों की नियुक्ति पर विचार कर रही है जो इलैक्ट्रानिक उपकरणों तथा मशीनगनों से लैस हों; और

(ख) क्या 1972-73, 1973-74 के दौरान समुद्र मार्ग द्वारा भारत को चोरी छिपे भेजे गये तथा भारत से बाहर चोरी छिपे भेजे गये सामान के मूल्य का कोई अनुमान लगाया गया है तथा इसी अवधि में कितने मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पश्चिमी समुद्र तट तथा तमिलनाडु के समुद्र तट पर, चलते-फिरते तटीय सुरक्षा निवारक दलें स्थापित करने के लिए एक व्यापक योजना मंजूर की गई है। कर्मचारियों को आवश्यक राइफलें तथा रिवाल्वर दिये जाएंगे। जिन लाँच-नौकाओं को प्राप्त किया जा रहा है उनमें मशीन गनें लगा दी जायेंगी।

सरकार ने, तस्कर व्यापार विरोधी कर्मचारियों के लिए तेज रफ्तार से चलने वाले, विश्वसनीय तथा गुप्त संचार साधनों की व्यवस्था करने के निमित्त, बेतार संचार व्यवस्था की एक योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है जिसके अंतर्गत पश्चिमी समुद्र-तट तथा तमिलनाडु का समुद्र-तट भी आ जाता है। इन केन्द्रों से लगभग एक सौ स्थान संबद्ध होंगे।

(ख) इस संबंध में कोई विश्वनीय अनुमान लगाना संभव नहीं है कि वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान कितने मूल्य का तस्करी का माल समुद्र द्वारा भारत लाया गया अथवा भारत से बाहर भेजा गया। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान पकड़े गये तस्करी के माल का मूल्य नीचे दिये अनुसार था :—

वर्ष	मूल्य (लाख रुपये)
1972–73	2704
1973–74	3479 (फरवरी 1974 तक)

बंगला देश के साथ हमारे व्यापार पर पूंजी लगाने की एजेंसियां

9879. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से हमारे आयात निर्यात व्यापार पर धन लगाने वाली कौनसी एजेंसियों है; और

(ख) बंगाला देश के साथ वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में हमारा आयात निर्यात व्यापार कितना था और इन वर्षों के द्विपक्षीय व्यापार में मुख्यतया किन वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बंगला देश के साथ किये गये चालू व्यापार करार में, जो 28 सितम्बर, 1973 को लागू हुआ था, दो प्रकार के व्यापार की व्यवस्था है—

(1) दोनों देशों की विशेष दिलचस्पी की निर्दिष्ट वस्तुओं के बारे में सन्तुलित व्यापार और भुगतान व्यवस्था जो प्रत्येक और से 30.5 करोड़ रु० की सीमा तक के लिए है; और

(2) सन्तुलित व्यापार और भुगतान व्यवस्था से इतर व्यापार, जिसका विनियमन सामान्य आयात, निर्यात और विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार किया जाता है।

)

सन्तुलित व्यापार और भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत जिन अभिकरणों को बंगला देश को माल निर्यात करने और वहां से आयात करने के लिए नामित किया गया है उनके नाम सार्वजनिक सूचना सं० 116–आई० टी० सी० (पी० एन)/73 दिनांक 16 जुलाई, 1973 में दिये गये है।

(ख) वाणिज्यिक जानकारी और अंकसंकलन महानिदेशक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बंगला देश को किये जाने वाले हमारे निर्यातों और वहां से किये जाने वाले आयातों की 1971-72, 1972-73 और 1973-74 (अप्रैल-अक्तूबर) से संबंधित स्थिति निम्नलिखित है:—

(करोड़ रु० में)

	बंगला देश को निर्यात	बंगला देश से आयात
1971-72	42.97	नगण्य
1972-73	158.30	3.15
1973-74† (अप्रैल-अक्तूबर)	24.61	14.71

बंगला देश को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं : गेहूं, चावल, उर्वरक, तम्बाकू, तिरपालें, कम्बल, कपास, सूती वस्त्र, मोटर गाड़ियां, धातु-निर्मित माल, मशीनें, औषधीय तथा भेषजीय उत्पाद।

बंगला देश से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं : मछली, अखबारी कागज और कागज।

पांचवी योजना के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास

9880. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवार्षीय योजना की अवधि में तथा वर्ष 1974-75 के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन के विकास के लिए क्या भौतिक लक्ष्य तथा वित्तीय प्रावधान किये गये हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार को इस अवधि में पर्यटन के विकास के लिए कोई ऋण अथवा राज सहायता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजीनी महिषी) : (क) औरंगाबाद में युवा होस्टल को पुरा करने, बोरीवली में सफारी पार्क, अजंता, ऐलोरा में जल प्रदाय स्कीमों तथा एलोरा में सड़क को तारकोल वाली बनाने के कार्यों को विभाग की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। इन स्कीमों के लिए 1974-75 के बजट प्राक्कलनों में 7.77 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

इनके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम का औरंगाबाद में एक 60 कमरों वाले होटल का निर्माण करने, औरंगाबाद तथा बम्बई में परिवहन यूनिट की वृद्धि करने तथा बम्बई में शुल्क मुक्त दुकान का विस्तार करने का प्रस्ताव है। औरंगाबाद होटल के निर्माण के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के बजट प्राक्कलन 1974-75 में 20.00 लाख रुपये की वित्तीय व्यवस्था की गयी है।

(ख) भाग II स्कीमों के बन्द किए जाने से, राज्य सरकार को कोई सहायता, ऋण अथवा उपदान देने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

†अक्तूबर 1973 से बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

Steps for Development of Cultural Tourism

9881. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the steps taken so far for the development of cultural tourism and the outcome thereof, and

(b) whether any Central Coordinating Committee has been constituted for that purpose, and if so, the names of its members and the effective steps taken by the Committee so far ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) & (b) The Department of Tourism had obtained the services of a UNESCO expert to advice on the organisation of cultural tourism in India with special reference to the monumental heritage. Subsequently, the Central Coordinating Committee for the improvement of archaeological monuments of tourist interests was set up under the Chairmanship of the Minister for Tourism and Civil Aviation. In addition to the Ministers of State for Education, Social Welfare and Culture and Tourism & Civil Aviation, the Committee consists of the Director General, Department of Tourism, Director General, Archaeological Survey of India, Financial Adviser, Ministry of Tourism & Civil Aviation, Financial Adviser, Ministry of Education & Social Welfare and the Engineering Chief, CPWD. Ten Additional Secretary, Department of Culture is the Member-Secretary of the Committee. Ten archaeological complexes have been selected for development and on the basis of the reports of the three sub-committees set up by the Central Coordinating Committee, the nature and scope of facilities to be provided at the various centres have been identified. Steps are being taken to have Master Plans of the archaeological centres prepared, and thereafter the details of the schemes will be finalised in consultation with the Archaeological Survey of India and the State Government concerned.

Exports to Middle East and Latin American countries

9882. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether India has not yet tapped the vast market of the Middle East and Latin American countries for export of consumer goods; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in that regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) We are making efforts to promote export of consumer goods to Middle Eastern and Latin American countries. Various measures for promotion of trade are being taken, such as visit of trade teams, participation in trade fairs and exhibitions, providing adequate and regular shipping facilities, strengthening of Commercial Missions, opening of Offices by Indian Exporters and public and private organisations, making of trading arrangements and expansion of "Common List" of preferential items, etc.

Steps to check alleged harassment of Foreign Tourists

9883. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of foreign tourists subjected to harassment, cheating and rioting in various parts of the country during the last one year ; and

(b) the action taken by Government to ensure that the foreign tourists are not meted out such treatment and they get the justice in time ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) During the last one year the Complaint Cell of the Department of Tourism, Government of India received 333 complaints from the foreign tourists, which were mostly against the shops for the non-receipt of goods or goods received in damaged condition. The other complaints relate to the harassment by the taxi drivers, touts and the other undesirable elements.

(b) The complaints are referred to our Tourist Offices and the State Government Tourist offices for investigation and prompt action. Wherever necessary complaints are also referred to the Director Enforcement, Foreign Exchange, Government of India, The Reserve Bank of India, Department of Revenue and Insurance, Ministry of Finance, Transport authorities and the other Government and non-Governmental authorities. In many cases, the complaints of these tourists have been redressed.

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के प्रस्ताव के बारे में वित्त मंत्रालय का निर्णय

9884. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के तकनीकी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतनमानों को संशोधित करने के बारे में पुनर्वास मंत्रालय के प्रस्ताव उनके मंत्रालय में अन्तिम रूप से विचार करने के लिए पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस स्थिति में हैं और इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) इस प्रस्ताव पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है और संशोधित वेतन-मानों को भारत के असाधारण राजपत्र में शीघ्र अधिसूचित करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

निर्यात कार्यों में लगी विदेशी कम्पनियों में भारतीय योगदान

9885. **श्री शशी भूषण :**

श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक तथा 100 प्रतिशत से कम निर्यात करने वाली भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कितनी भारतीय भागीदारी अपेक्षित होगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 क प्रशासन के लिए निर्धारित निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार, उन कम्पनियों के संबंध में, जिनक कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक से कम तक का निर्यात किया जाता है :—

भारतीय निवेश इस प्रकार होगा :—

(i) विदेशी कम्पनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निश्चित अवधि में भारतीय कम्पनियों का रूप ले लेंगी जिनमें विदेशी कम्पनी की सामान्य पूंजी की कम से कम 26 प्रतिशत राशि भारतीय पूंजी के रुप में होगी।

(ii) उन विदेशी कम्पनियों के लिए जिनमें 74 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयर हैं, यह जरुरी है कि वे निश्चित अवधि में भारतीय निवेश को बढ़ा कर कम्पनी की सामान्य पुंजी के कम से कम 26 प्रतिशत के बराबर कर लें।

जिन कम्पनियों के उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम उत्पादन निर्यात कर दिया जाता है उनसे अपक्षा की जाती है कि उनमें भारतीय निदेश निम्न प्रकार हो जाये :—

(क) वे कम्पनियाँ, जो औद्योगिक लायसेंसिंग नीति, 1973 के परिशिष्ट I में निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन या चाय बागान या उन कार्यों में लगी हुई हैं, जिनके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।	26% से 60% तक
(ख) अन्य	60%

विदेशी विनियोग में कमी

9886. श्री चंद्र शेखर सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी विनियोग में भारी कमी हुई है जो वर्ष 1971-72 में 1260 लाख रुपये से घटकर वर्ष 1972-73 की पहली छमाही में 90 लाख रुपये ही रह गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1970-71 में विदेशी विनियोजन 145 लाख रुपये था ; और

(घ) इसको बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जल्दी से लगाये गये अनुमानों के अनुसार, भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में (सम्भरक ऋण और सरकारी स्रोतों से प्राप्त ऋणों को छोड़ कर) विदेशी निवेश की शुद्ध रकम 1970-71 में 42.2 करोड़ रुपये और 1971-72 के लिए 38.7 करोड़ रुपये थी। बाद की अवधि के ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं है जिनकी तुलना की जा सके।

1973-74 के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रकाशित शोधन सन्तुलन संबंधी आंकड़ों में भारत में विदेशी निवेश के कुछ भागों को दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि भारत में आने वाली दीर्घ-कालीन गैर-सरकारी पूंजी की कुल रकम 1970-71 में 14.5 करोड़ रुपये और 1971-72 में 12.6 करोड़ रुपये थीं और अप्रैल-जून, 1972-73 में 0.9 करोड़ रुपये थीं। परन्तु इन आंकड़ों में ऋणों की वे रकमें शामिल नहीं हैं जो भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विदेशी सरकारी श्रोतों से प्राप्त हुई थी ; और इस में गैर-सरकारी विदेशी निवेश के उस भाग को भी हिसाब में नहीं लिया गया जो निवेश के प्रयोजनों के लिए भारत में रखी गयी अधिशेष आय का द्योतक है। इसी प्रकार विदेशियों द्वारा भारत में माल के रूप में किये गये निवेश को भी शोधन सन्तुलन संबंधी आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) भारत में विदेशी निवेश के बारे में सरकार का दृष्टिकोण अत्यधिक चयनात्मक है। बैंकिंग, वाणिज्य, वित्त, पौधारोपण और व्यापार के क्षेत्रों में विदेशी पूंजी लगाये जाने की अनुमति नही दी जाती। उपभोक्ता और अधिक लाभ कमाने वाले उद्योगों में भी इसकी अनुमति नहीं दी जाती। सरकार यह चाहेगी कि विदेशी पूंजी ऐसी प्रौद्योगिकी के अन्तरण के साधन के रूप में काम करें जिसे सीधी खरीद अथवा थोड़ी अवधि के रायल्टी करार के द्वारा प्राप्त न किया जा सकता हो। निर्यात प्रधान उद्योगों में भी विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है।

Increase in money circulation

9887. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent of increase in crores of rupees in the money circulation during the decade 1950—60; and

(b) the increase therein during the three years 1970—73 ?

6—20 L.S.S/.74

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) The information regarding increases in money circulation is as follows :—

(Rs. Crores)

Money Supply with the Public	Increase between	
	Last Friday of March 1951 and Last Friday of March 1961	Last Friday of March 1970 and Last Friday of March 1973
(i) Currency with the Public	732	1433
(ii) Deposit money with the Public . .	162	1593
Total increase in Money Supply with the Public .	894	3026

As the data on money supply outstanding as at the end of March 1950 are not available, on a comparable basis, the information in the first part of the statement has been supplied for 1951—61.

Economy in Government Expenditure

9888. Shri Jagannathrao Joshi :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the measures taken since August last to effect economy in Government expenditure ;

(b) the monthly savings made by each Ministry as a result of these measures, measurewise ; and

(c) the monthly saving made in the average expenditure on petrol after November last ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) In order to control inflationary pressures in the economy, a series of steps were introduced in August last year to effect economies in the budgets of different Ministries/Departments with a view to reducing the extent of deficit financing. In addition to economy measures already in force, further economies introduced in the non-Plan expenditure of Government were :

Economy in conttngencies and travelling allowances, deferment of construction of non-functional buildings which have not proceeded beyond the plinth level, deferment of annual repairs and maintenance of Government buildings, ban on creation of new posts and filling up of posts which have remained vacant for more than six months, deferment of rotational transfer of officers in various branches of Government to save on transfer allowances, savings in petrol consumption by departmental vehicles and on telephone calls, economies in expenditure on entertainment and foreign travel, economy in expenses involved in holding of conferences, seminars and meetings, keeping to a minimum invitations for holding international gatherings, directing the public sector undertakings to minimise their cash losses by generating more internal resources through efficient functioning etc.

2. In addition, it was found necessary to effect economies in Plan expenditure as well. This was done in such a manner that progress of key-projects and programmes which are essential and are in advanced stage of completion was not affected while projects and schemes which are not essential and will require a relatively long period to mature were slowed down. A saving of Rs. 100 crores was also proposed in Central assistance to State Plans in 1973-74.

3. It was expected that there would be an aggregate of saving of about Rs. 400 crores as a result of these measures. These economy measures have been implemented, by and large, by the different Ministries/Departments. Implementation of savings has been a continuing process since the introduction of economy measures in August, 1973. These savings relate to the total budget provisions of different Ministries/Departments for the whole of 1973-74 and are the result of a large number of economy measures as mentioned above. It is not possible to indicate separately how much of these savings were effected in each month and from each of the economy measures. The assessment of savings made in 1973-74 in different Ministries/Departments is given in the attached Annexure. These savings do not, nor were they intended to, take into account additional liabilities devolving on Government on account of revision of pay and allowances of Government servants, food subsidy, additional assistance to States on account of natural calamities, etc. and certain additional requirements of certain Ministries/Departments for key projects and schemes.

(c) A comparison of monthly average expenditure on petrol in respect of the periods prior to November 1973 and thereafter is not possible at this stage as the verified expenditure figures for the relevant periods are not yet available.

STATEMENT

Sl. No.	Ministry/Department	Total savings reported (Rs. in crores)
1	Agriculture	13·84
2	Food	4·47
3	Community Development	5·40
4	Co-operation	10·13
5	Indian Council of Agricultural Research	3·87
6	Commerce	0·34
7	Communication and OCS	0·02
8	Posts and Telegraphs	3·29
9	Education	11·76
10	Social Welfare	2·48
11	Economic Affairs (Finance)	2·93
12	Banking (Finance)	7·50
13	Expenditure (Finance)	158·45*
14	Revenue & Insurance (Finance)	3·13
15	Health	4·60

*Includes Rs. 93·98 crores savings in Central assistance to State Plan, Rs. 34 crores savings in Employment Schemes and Rs. 30 crores savings in Advance action for Fifth Five Year Plan.

Sl. No.	Ministry/Department	Total savings reported (Rs. in crores)
16	Family Planning	6·25
17	Heavy Industry	8·54
18	Home Affairs	1·40
19	Industrial Development	8·76
20	Information and Broadcasting	3·68
21	Irrigation and Power	23·98
22	Labour and Employment	0·32
23	Rehabilitation	2·52
24	Petroleum and Chemicals	15·62
25	Shipping & Transport	24·41
26	Steel	31·72
27	Mines	9·71
28	Tourism and Civil Aviation	4·69
29	Works & Housing	5·30
30	Science and Technology	2·25
31	Prime Minister's Secretariat	0·02
32	President's Secretariat	0·02
33	Supreme Court	0·01
34	Planning Commission	0·06
	TOTAL	381·47

Amount recoverable from Burma

9889. **Shri Jagannathrao Joshi :**

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the particulars of various loans to be realised by India from Burma indicating the amount thereof and since when it is due; and

(b) the steps taken or proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b) A loan of Rs. 20 crores was extended to Burma under an agreement dated 12-3-57. The loan has since been fully repaid.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पर वित्त तथा वाणिज्य मंत्रालयों के बीच मतभेद

9890. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकर्ताओं पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू करने पर वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के बीच गम्भीर मतभेद है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मतभेदों को दूर कर दिया गया है ;

(ग) क्या इस संबंध में विनियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है ।

राज्यों को सहायता देने के लिये फार्मूला

9891. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को सहायता देने संबंधी फार्मूलें में परिवर्तन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में राज्य–आयोजनाओं के लिए आबंटित की जाने वाली केन्द्रीय सहायता के सिद्धान्तों पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है और राष्ट्रीय विकास परिषद् से विचार विमर्श करने के बाद इन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा। इन सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही इन की जानकारी दी जा सकती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा वर्ष 1973 के दौरान कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में ऋण और अग्रिम राशियों के रूप में पूंजी निवेश

9892. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के दौरान कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋणों और अग्रिम राशियों के रूप में किये गये पुंजी निवेशकों की प्रतिशतता के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) लघु क्षेत्र के उद्योगों, एकाधिकार तथा गृहों तथा अन्य उद्योगों में ऐसे पुंजी निवेशों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक बैंक ने कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों से कितने प्रतिशत राशि वसूल की ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सम्भव सीमा तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

विमान-चालकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम

9893. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे वाणिज्यिक विमान चालकों की संख्या कितनी है, जिन्होंने अब तक दक्षता परीक्षण दे दिया है ;

(ख) ऐसे विमान चालकों की संख्या कितनी है, जो उक्त परीक्षणों में सफल नहीं हो सके ;

(ग) दक्षता परीक्षणों में असफल रहने के कारण कितने विमान–चालकों को उनकी कमान से मुक्त कर दिया गया है अथवा उनके रेंक में कमी कर दी गई ; और

(घ) क्या ऐसे विमान चालकों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 224 ।

(ख) और (ग) 38 विमानचालकों को प्रधान विमानचालक के रूप में पलिचालन से वंचित कर दिया गया है क्योंकि वे दक्षता-परीक्षणों में उत्तीर्ण नहीं हुये ।

(घ) इंडियन एयरलाइंस उन विमानचालकों को जो दक्षता परीक्षणों में उत्तीर्ण नहीं हुये उनकी कमियों को दूर करने के लिये उन्हें उपचारी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस प्रशिक्षण के उपरान्त इन विमानचालकों की पुन: दक्षता-परीक्षा ली जाती है और जो वांछित स्तर प्राप्त कर लेते ह उन्हें नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा प्रधान विमान-चालक के रूप में परिचालन करने के लिये प्राधिकृत कर दिया जाता है।

नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा बाहर भेजी गयी लाभ की राशि

9894. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान नेशनल एण्ड ग्रिण्डले बैंक द्वारा कुल कितनी लाभ की राशि विदेश भेजी गई ; और

(ख) क्या लाभ की राशि को बाहर भेजने के बारे में रिजर्व बैंक ने कोई प्रतिबन्ध लगाये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा 1970-71 और 1972 के वर्षों में लाभ के रूप में (खातों पर चुकायी गयी रकमो के समायोजन के बाद) मुख्यालय को अदा की गई कुल रकम इस प्रकार थी :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	लाभ के रूप में मुख्यालय को अदा की गयी रकम
1970 . . .	90.69
1971	112.43
1972	119.53

(ख) रिजर्व बैंक विदेशी बैंकों को उनके द्वारा किसी वर्ष के अपने लेखा परीक्षित तलपट और लाभ और हानि के विवरण में दिखायी गयी वास्तविक लाभ की रकम अदा करने की अनुमति देता है। कुछ समय पूर्व तक रिजर्व बैंक द्वारा, विदेशी बैंकों को अपने मुख्यालयों को समय

समय पर खाते पर लाभ की रकमें भेजने की अनुमति दी जाती रही थी। बशर्ते कि वे आयकर अधिकारियों द्वारा लाभ के आंकड़े मंजूर कर लिये जाने के प्रमाणस्वरूप ठीक समय पर, लेखा-परीक्षित तलपट और लाभ और हानि का विवरण तथा आयकर-निर्धारण आदेश प्रस्तुत कर दें। रिजर्व बैंक ने, इस प्रकार की 'खातेपर' प्रेषणाओं के तरीके में एकरूपता लाने की दृष्टि से, विदेशी बैंकों को हिदायतें जारी कीं। इन हिदायतों के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निश्चित किया गया था कि पहली जनवरी, 1974 से, लाभ की रकमो के खाते पर प्रषण के बारे में उसके द्वारा किसी वर्ष में केवल एकबार अर्थात् वर्ष के पूर्वार्ध के अन्त के, बाद (अर्थात् 30 जून, के बाद) विचार किया जायेगा तथा उत्तरार्ध या पूरे वर्ष के लाभ के प्रेषण के संबंध में आवेदनों पर उस वर्ष के खातों को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद ही विचार किया जायेगा।

Appointment of Grade IV employees in Reserve Bank of India

9895. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether all the persons included in the list prepared for appointment to grade IV in the Reserve Bank in Patna have not been offered appointments so far; and

(b) if so, the number of persons included in the above list as also of those who could not be offered appointment indicating the reasons therefor and Government's proposal in regard to giving them appointment ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) Presumably the hon'ble Member is referring to the appointment of Mazdoors in the Patna Office of the Reserve Bank.

Reserve Bank has reported that of the 51 candidates included in the waiting list prepared in 1969 for recruitment of Mazdoors, 35 candidates were appointed before the list was closed on 30th June, 1973 leaving 16 candidates who could not be offered appointment.

The Reserve Bank has further reported that as per the existing practice, the list was kept alive by the Patna Office for a total period of 2-1/2 years. As it was not possible for the Patna Office to prepare a fresh waiting list within that period, the currency of the waiting list was extended for further period upto 30th June, 1973 with the approval of the Central Office of the Reserve Bank. The Reserve Bank has explained that as the annual intake of the Mazdoors at the Patna Office is very small, it did not consider it appropriate to keep the list operative for an indefinite period. The Reserve Bank has, however, informally advised the local Class IV Workers Union that the candidates whose names were in the waiting list could also apply again and their cases would be considered by the bank sympathetically, if they are within the prescribed age limit.

Nationalised Banks in district of Patna

9896. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of branches of nationalised banks in Patna district :

(b) the total amount of loans advanced by them during 1973-74; and

(c) the particulars of the persons belonging to various sectors receiving loans and the amount of loans given to each category, separately ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) Information to the extent, available is being collected and will be laid on the Table of the House.

Buildings of Nationalised Banks in Patna

9897. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the nationalised banks do not have their own buildings in Patna and their offices are housed in rented buildings ;

(b) if so, the names of the banks which do not have their own buildings; and

(c) the amount which each bank has to pay as rent per month ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

108 वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबन्धों में ढील देना

9898. **श्री राम सहाय पांडेय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 108 वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबन्धों में ढील देने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक में खाता खोलने के लिए ईरान को अनुमति

9899. **श्री राम सहाय पांडेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में खाता खोलने के लिए ईरान को अनुमति देने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग की स्थापना करने के लिए 'साल्ट लेक' क्षेत्र में औद्योगिक बस्ती

9900. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग की स्थापना करने के लिए 'साल्ट लेक' क्षेत्र में एक सुरक्षित औद्योगिक बस्ती स्थापित करने संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाई की गई हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) व्यापार विकास प्राधिकरण ने दमदम, कलकत्त के निकट एक एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन स्थापित करने के लिए एक प्रस्थापना तैयार की है। इसके अन्तर्गत वहां स्थापित किये जाने वाले उद्योगों का क्षेत्र इलैक्ट्रानिक्स तक सीमित रखने की व्यवस्था नहीं है। इसे बहु-उत्पाद जोन के रूप में स्थापित करने का विचार किया गया है। प्रस्थापना भारत सरकार के विचाराधीन है और भूमि विकास तथा भौतिक सुविधाओं के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से भी परामर्श किया जा रहा है।

Appointment of pilots in Indian Airlines

9901. Dr. Laxminarayana Pandeya :

Shri Balakrishna Venkana Naik :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether about 300 qualified commercial pilots are out of employment at present; and

(b) the expenditure incurred by Government on the training of a pilot and by the individual concerned for becoming a pilot, separately ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) On the assumption that a Private Pilot's Licence would require 60 hours of flying and a Commercial Pilot's Licence 250 hours, the fees payable by the trainees and the subvention payable by Government, at the existing rates, would be as under :—

	Fees payable by trainees (Rs.)	Flying subvention payable by Government (Rs.)
For PPL :		
Matriculates below 22 years of age	1,680	5,610
Others	2,700	4,590
For CPL :		
Matriculates below 22 years of age	24,766	5,610
Others	25,785	4,590

NOTE : 1. Effective from 1st April, 1971, subsidised flying at the clubs has been restricted to 60 hours per trainee (*i. e.* up to PPL standard). As such, trainees for CPL at the clubs have to pay fees at the full rate for all flying done in excess of this.

2. Due to heavy increase in petrol prices in November, 1973, the flying clubs have been authorised to charge an additional fee of Rs. 25/- per flying hour from the trainees. The above figures do not take into account this interim increase.

डाकखाने के बचत खातों में जमा धनराशि और उक्त बचत खातों से हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गयी धनराशि

9902. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च महीने के अन्तिम 10 दिनों में हरियाणा में डाकघर बचत बैंक में कितनी धनराशि जमा की गई और वर्ष 1972, 1973 और 1974 में उससे अगले महीने अर्थात अप्रेल के पहले दस दिनों में इन खातों से कितनी धनराशि निकाली गई;

(ख) 21 मार्च, 1972, 1973 और 1974 को डाकघर बचतों के बढ़ा-चढ़ा कर दिखाये गए इन आंकडों की वजह से हरियाणा सरकार को केन्द्रीय सरकार से क्या लाभ प्राप्त हुए?

(ग) क्या इस बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) जनहित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करन का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) डाक-घर बचत बैंक में जमा रकमों और उनसे निकाली गयी रकमों के सबंध में आंकड़े तत्काल पाक्षिक आधार पर उपलब्ध हैं। मार्च, 1972, 1973 और 1974 के अन्तिम पखवारे में हरियाणा में डाक-घर बचत बैंक में जमा की गयी और अप्रैल के पहले पखवारे में निकाली गयी रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :--

(करोड़ रुपयों में)

	मार्च के अन्तिम पखवारे में जमा की गयी रकमें	अप्रैल के पहले पखवारे में निकाली गई रकमें
1972	8.60	4.54
1973	26.53	14.61
1974	58.05	38.00

(ख) विभिन्न राज्यों में से प्रत्येक में इकट्ठि की गयी निवल अल्प-बचत की दो-तिहाई रकम जिसमें डाक-घर बचत बैंक की जना रकमें शामिल हैं, संबद्ध राज्य सरकारों को ऋण के रूप में अदा कर दी जाती हैं। हर साल मार्च और अप्रैल के महीनों में संग्रहित अल्प बचतों की निवल रकम इस संबंध में राज्य सरकार को देय ऋण देने के प्रयोजन के लिए सम्मिलित कर ली जाती है। अप्रैल 1971 से मार्च 1972 के दौरान हरियाणा में इकट्ठि की गयी (–) 8.34 करोड़ रुपये हुई। अप्रैल, 1972 में संग्रहित (–) 1.50 करोड़ रुपये की रकम को शामिल करने के बाद हरियाणा को देय संग्रहित रकम का भाग (–) 6.56 करोड़ रुपये निश्चित किया गया था। इसी प्रकार अप्रैल 1973 में संग्रहित (–) 7.46 करोड़ रुपये की रकम को अप्रैल 1972 से मार्च 1973 के दौरान संग्रहित 22.77 करोड़ रुपये की रकम में सम्मिलित करने के बाद संग्रहीत रकम में से उनका भाग 10.21 करोड़ रुपये निश्चित किया गया था । अप्रैल 1974 के अल्प बचत संग्रह के आंकड़े अभी तक उपलब्ध न होने के कारण मार्च और अप्रैल 1974 में संग्रहित रकम में से यह निर्धारित नहीं किया गया है कि उनका हक कितना ऋण लेने का है ।

(ग) सरकार को इस संबंध में हाल में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है कि राज्यों को देय ऋणों की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजन से मार्च और अप्रैल में संग्रहित अल्प बचतों की निबल रकमों को इकट्ठा करने का निर्णय करने का आशय इस बात के लिए निरुत्साहित करना है कि अप्रैल में रकमें न निकाली जायें।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का संशोधन

9903. **श्री पीलू मोदी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के प्रस्ताविक संशोधन के बारे में विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से बातचीत की है;

(ख) क्या इस विषय पर विभिन्न विभाग के बीच काफी मतभेद हैं; औप

(ग) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों के लिए विभिन्न प्रस्थापनाओं के संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से परामर्श किया गया। प्रस्थापित संशोधनों संबंधी दृष्टिकोणों में कोई मतभेद नहीं है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विमान परिचारिकाओं की संख्या

9904. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजति की विमान परिचारिकायें काम कर रही है; और

(ख) नागर विमानन विभाग के अधीन सेवा की सभी शाखाओं में महिलाओं की कुल संख्या की तुलना में उनकी संख्या कितनी है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) इण्डियन एयरलाइंस में नियुक्त कुल 338 विमान परिचारिकाओं में से 9 अनुसूचित जाति तथा 14 अनुसूचित जनजाति की हैं। कारपोरेशन के अन्य विभागों में नियुक्त महिलाओं की संख्या 478 है।

एयर इण्डिया में नियुक्त 400 विमान परिचारिकाओं में से, जिन में विभिन्न पर्यवेक्षी हैसियत में नियुक्त विमान परिचारिकाएं सम्मिलित हैं, 5 अनुसूचित जाति तथा 11 अनुसूचित जनजाति की हैं। कारपोरेशन के अन्य विभागों में महिला कर्मचारियों की संख्या 371 है।

विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों पर व्यय

9905. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों पर किया जाने वाला व्यय लाभकर रहा है;

(ख) वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 में विदेशों में ऐसी प्रदर्शनियों पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विदेशों के ऐसे दौरों पर अधिकारियों ने यात्रा तथा अतिरिक्त भत्तों के रूप में कितनी धन राशि ली ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज):(क) जी हां। भारत के आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण का चित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में हमारे भाग लेने से देश के विदेश व्यापार के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। तथापि विभिन्न मेलों/प्रदर्शनियों में हमारे भाग लेने के परिणामस्वरूप जो विशिष्ट आर्डर बुक किये गये हैं जितने का व्यवसाय तय हुआ है और व्यापार संबंधी जितनी पूछताछें प्राप्त हुई हैं तथा वितरित की गई हैं, इस रुप में परिणामों का पुरी तरह से अनुमन कुछ समय बाद ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार के भाग लेने के भावी क्रेताओं में जो रुचि पैदा होती है वह सामान्यत: क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच आगे अनुवर्ती कार्यवाही द्वारा मूर्तरूप धारण करती है।

(ख) तथा (ग)

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आयोजित मेलों/प्रदर्शयनियों की कुल संख्या	किया गया कुल व्यय विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा (दोनों)	विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्तों पर किया गया कुल व्यय
1971-72	24	74.83	11.46
1972-73	16	47.10	7.09
1973-74	21	66.07	9.99

तमिलनाडु के 'पलानी' नगर का दर्जा बढ़ाया जाना

9906. **श्री सेझियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के तीर्थस्थल 'पलानी' नगर को श्रेणी 'ग' का नगर बनाने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि 1972 के मध्य में पलानी नगर की जनसंख्या 50,000 से बढ़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1971 की जनगणना रिपोर्ट अनुसार पलानी नगरपालिका की जनसंख्या 49,575 थी। जनगणना अधिकारियों ने वर्ष 1972 मध्य के लिए कोई जनसंख्या अनुमान प्रकाशित नहीं किये हैं।

(ग) नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता देने के प्रयोजन से नगरों के वर्गीकरण के लिए वर्ष 1971 की जनगणना रिपोर्ट में दी गई जनसंख्या को ही आधार माना गया है। इस आधार पर पलानी का 'ग' श्रेणी नगर के रुप में वर्गीकरण करना संभव नहीं पाया गया है।

राज्य व्यापार निगम की लन्दन तथा पेरिस स्थित शाखाओं में हुए व्यापारिक सौदे

9907. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम की लन्दन तथा पेरिस स्थित शाखाओं के विरुद्ध उनके व्यापारिक सौदों में अंतर्ग्रस्त होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्या ऐसे मामलों की जांच के लिए राज्य व्यापार निगम की कोई सतर्कता विंग है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों द्वारा ज्ञापन दिया जाना

9908. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मान्यता प्राप्त आठ स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों ने उनके मंत्रालय को कोई ज्ञापन दिया है जिसमें पूंजी बाजारों को बढ़ावा देने तथा योजना कार्यक्रमों को कार्यरूप देने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए बहुत से उपाय सुझाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन कौन से मुख्य सुझाव स्वीकार कर लिये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

Modifications in Gold Control Policy

9909. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to modify their gold control policy; and

(b) if so, when and the salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No Sir. Presently Government do not contemplate any modification of thier gold control policy.

(b) Does not arise.

Loan Given by Nationalised Banks to Industries in Delhi

9910. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of schemes and industries in Delhi for which loans have been given by the nationalised banks during the last three years; and

(b) the amount of loan out of it given to the members of Scheduled Castes ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) It is presumed that the Hon'ble Member is referring to the sectorwise classification of bank advances in Delhi. The available information in regard to outstanding advances of scheduled commercial banks in Delhi to the different sectors as at the end of December, 1972 is set out in the enclosed statement.

(b) Banks do not compile separately statistics of advances to members of Scheduled Castes.

STATEMENT

Outstanding Advances of scheduled Commercial Banks in Delhi, sectorwise, as on the last Friday of December, 1972.

Sector	No. of Accounts	Amount (Rs. lakhs)
I. Agriculture and Allied activities	**4,233**	**543·84**
II. Industry :		
(A) Mining and Quarrying	11	3·84
(B) Manufacturing	6,955	7,780·27
(C) Electricity-Generation, Transmission and Distribution .	101	111·54
(D) Construction . . .	331	458·98
(E) Transport	3,041	510·44
(F) Personal and Professional Services	2,219	550·66
Total Industry of which . .	**12,658**	**9415·73**
Small Scale Industry . . .	5,326	2,489·95
III. Trade	**7,863**	**12740·88**
IV. Personal loans (including Consumer durables) . .	**25,332**	**1244·17**
V. All Others.	**16,004**	**4543·31**
Total Bank Credit	**66,090**	**28,487·93**

Source : Banking Statistics Basic Statistical Returns Vol. I December 1972, issued by R.B.I.

लौह अयस्क तथा इस्पात के मूल्यों को सम्बद्ध करना

9911. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लौह अयस्क तथा इस्पात के मूल्यों को सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) लौह अयस्क की कीमत का स्टील की कीमत से सम्बन्ध जोड़ने की सम्भावना उन तरीकों में से एक है जिनपर लौह अयस्क निर्यातों की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिये लोह अयस्क निर्यातकर्ता देशों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

निकोबार को निर्बाध पत्तन बनाना

9912. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** :

श्री बी० बी० नायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकोबार द्वीप को निर्बाध पत्तन बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक मुक्त पत्तन स्थापित करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। अभी हाल ही में विनिश्चय किया गया है कि प्रस्थापना से संबंधित तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना शुरु किया जाए। चूंकि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, इस लिये अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।

Transport Service of Indian Airlines under 'Resettlement Project'

9913. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the transport service of the Indian Airlines for taking air-travellers from the city office to the aerodrome has been dispensed with and the arrangements therefor have now been made under the Resettlement Project ;

(b) if so, whether the drivers of the Indian Airlines have been retrenched;

(c) whether there is any institution of ex-servicemen from where ex-servicemen have been selected for the Resettlement Project and if so, the broad features thereof; and

(d) whether the names of the selected ex-servicemen were registered with the Employment Exchange?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Banadur) : (a), (c) and (d) Indian Airlines has discontinued coach services at Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Hyderabad and Bangalore. Coach services between Indian Airlines City office and Airport at Delhi are now being provided by Ex-Servicmen Air-Link Transport Services Private Ltd. a co-operative Society of ex-servicemen sponsored by the Director General of Resettlement, Ministry of Defence.

(b) No, Sir.

Payment of pension to Employees of Rewa Branch of Bank of Baghelkhand

9914. **Shri Dhah Shan Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) Whether certain employees of the Rewa branch of the Bank of Baghelkhand had opted for pension which had been sanctioned but some of them are not being paid pension at the existing rates and if so, the reasons therefor ;

(b) whether the additional benefits they were entitled to as a result of the nationalisation of banks were also not being given to them and if so, the reasons therefor ; and

(c) whehter any representations in this context have been received from those employees and if so, the action taken thereon?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) Consequent upon the merger of the Bank of Baghelkhand with the State Bank of India on 23rd December, 1961, the Central Government had assumed the liability of pension which were already in issue or due on the date of the merger the pension was sanctioned under the Rewa State Pension and Gratuity Rules, and the question of giving any additional benefits as a result of nationalisation of banks does not arise.

(c) Two ex-employees of the bank have represented to the Government that they should be eligible for temporary increase in pension sanctioned by the Government to Central Government pensioners from time to time. These representations are under consideration.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अगली किश्त

9915. डा० गोविन्द दास रिछारिया :

श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को आज की तारीख तक अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) के किस अवधि तक के आंकड़े प्राप्त हो गये हैं और मासिक मूल्य सूचकांक के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अगली किश्त देय हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूर किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) सरकार को मार्च 1974 तक के अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता सूचकांक (आधार 1960=100) के आंकड़े प्राप्त हो गये हैं। मासिक मूल्य का सबसे बाद का सूचकांक 275 है।

(ख) तथा (ग) तीसरे वेतन आयोग के फार्मूले के अनुसार, मंहगाई भत्ते की एक अन्य किस्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 1974 से देय बनती है। इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

गुजरात सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

9916. श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में अभी हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) उक्त वृद्धि के क्या कारण है और यह वृद्धि किस तारीख से लागू होगी; और

(घ) राज्य के राज्यकोष पर इस वृद्धि का कुल कितना भार पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) पिछले कुछ महीनों में मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसको ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते में 1 जनवरी 1974 से निम्नलिखित वृद्धि मंजूर की है :—

वेतन खंड	महंगाई भत्ते की दरो में वृद्धि की रकम
	रु० प्रतिमास
209 रु० तक	7
210–399 . .	8
400–1250 . .	10
1251–1270 . . .	20
1271–1289 . . .	. 1290 रु० का अंतर

(घ) महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ 8 लाख रु० का अतिरिक्त खर्च होगा।

उत्तरी भारत की चाय के लिये मांग

9917. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी मास में हुई नीलामी के समय "उत्तरी भारत" तथा "अफ्रीकी" चाय 36032 पैकेटों की मांग थी; और

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान भारत ने इस प्रकार की नीलामियों से कितनी राशि की विदेशी मुद्रा का अर्जन किया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उत्तर भारत की चाय की 90,376 पेटियां और अफ्रीका चाय की 51,804 पेटियां फरवरी, 1974 में लन्दन नीलामियों में बेची गई थीं।

(ख) 1973-74 के नवम्बर, 1973 को समाप्त पहले नौ महीनों के दौरान देश से 97.28 करोड़ रु० की चाय का निर्यात किया गया जिसमें नीलामियों में हुई बिक्रियां तथा बागानों से निकालते समय के निर्यात शामिल हैं।

Suspension of Cashier of Aligarh Branch of Union Bank of India

9918. **Shri Chandra Shailani :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Head Cashier of the Aligarh Branch of the Union Bank of India had been suspended on the 10th July, 1972;

(b) the nature of charges against him;

(c) whether enquiry into the charges levelled against him has since been completed; and

(d) if so, broad features thereof?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan):(a) to (d) Union Bank of India has reported that the Head Cashier of their Aligarh Branch was suspended from service pending inquiry into the charge of riotious disorderly and indecent behaviour in the bank. While the Enquiry Officer has found the Head Cashier guilty of the charges levelled against him, his final recommendation regarding the punishment to be imposed is awaited.

उत्तर प्रदेश में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा आरम्भ की गई परियोजनायें

9919. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम ने उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ अन्य परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम तथा ब्यौरा क्या है ?

7—20 L.S.S./74

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने वाराणसी में एक होटल का निर्माण कार्य हाथ में लिया, आगरा में ताज रेस्टारैंट का नवीकरण किया तथा आगरा व वाराणसी में परिवहन युनिटों की स्थापना की।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम का साधन उपलब्ध होने पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आगरा एवं उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में होटल निर्माण का, तथा वाराणसी में अपने होटल व कुशीनगर में यात्री लाज के विस्तार का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण की मंजूरी

9920. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों, अर्थात्, अल्मोडा, चमोली, देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी में बेरोजगार स्नातकों को कोई ऋण मंजूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण दिया गया, ऋण देने का प्रयोजना क्या था और कितने व्यक्तियों को ऋण मिला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) आमतौर पर बेरोजगार स्नातकों को दिये जाने वाले ऋणों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। वे सामान्यत: "लघु उद्योगों", "वैयक्तिक और व्यावसायिक सेवाओं" आदि के अन्तर्गत आते हैं। दिसम्बर 1972 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इन वर्गों को दिये गये ऋणों की बकाया रकमों के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

दिसम्बर 1972 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लघु उद्योग, वैयक्तिक और व्यावसायिक सेवाओं को दिये गये ऋणों की बकाया रकमें।

जिले का नाम	लघु उद्योग		वैयक्तिक और व्यावसायिक सेवाएं	
	खातों की संख्या	रकम (लाखों में)	खातों की संख्या	रकम (लाखों में)
1. अलमोड़ा . . .	22	1.38	5	0.51
2. चमोली . . .	..	..	..	..
3. देहरादून . . .	315	97.79	223	21.46
4. गढ़वाल . . .	12	3.47	3	0.03
5. नैनीताल . . .	135	85.74	55	2.86
6. पिथौरागढ़ . .	..	..	..	..
7. टेहरी गढ़वाल .	2	0.01	8	0.66
8. उत्तर काशी . .	2	0.03	5	0.06

स्त्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंकिंग आंकड़े बुनियादी आंकड़ों की विवरणी खण्ड 1, दिसम्बर 1972।

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

9921. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कितने औद्योगिक एकक स्थापित करने की स्वीकृति दी गई;

(ख) विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के एकक स्थापित करने के लिये क्या मापदण्ड हैं; और

(ग) किन-किन स्थानों पर इन्हें स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है इनमें राज्य सरकारों का भाग कितना होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ग) सूचना इस प्रकार है :—

1. लखनऊ में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा स्कूटर कारखाना।
2. नैनी, इलाहाबाद में भारत पम्पस ऐण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के पम्प्स ऐण्ड कम्प्रेसर्स का दूसरा दौर।
3. नैनी स्थित इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के कारखाने में 1974–75 में उत्पादन शुरू हो जायेगा।
4. रायबरेली में आई० टी० आई० के स्विचिंग कारखाने की स्थापना को सिद्धांत रूप में स्वीकृति मिल गयी है।
5. भारतीय तेल निगम द्वारा मथुरा में तेल साफ करने के कारखाने की स्थापना।
6. गोरखपुर रासायनिक खाद कारखाने के विस्तार के काम में प्रगति हो रही है।

उपर्युक्त परियोजनाओं में किये गये निवेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार का भाग नहीं लिया है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के मामले में भारतीय और विदेशी दोनों गैर-सरकारी पार्टियों ने हिस्सा लिया है।

(ख) आमतौर से औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में सरकार द्वारा तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से सोच विचार करने के बाद निवेश किया जाता है। पंचवर्षीय आयोजनाओं में भी केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाओं को पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता के भुगतान के लिए कसौटी

9922. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम, सरकारी उपक्रमों तथा दिल्ली के ऐसे निगमों, जिनका प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा जो भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, मकान किराये भत्ते, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते, यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्तों के भुगतान की कसौटी तथा दर क्या है;

(ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले इन भत्तों की कसौटी तथा दरों में भिन्नता होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार दिल्ली में कार्य कर रहे उक्त भाग (क) के उल्लिखित कर्मचारियों तथा सभी सरकारी कर्मचारियों को उपरोक्त भत्तों के भुगतान में एक रूपता लाये जाने के औचित्य पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को मकान किराये भत्ते, यात्रा भत्ते, स्टाफ कारों और कम्पनी कारों के इस्तेमाल तथा अन्य परिलब्धियों के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये हैं। ये मार्गदर्शक सिद्धांत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों पर लागू हैं परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं होते।

वेतन मानों और महंगाई भत्ते का फैसला श्रम संघों के साथ द्विपक्षीय बातचीत द्वारा अलग अलग कम्पनियों में अलग रूप से किया जाता है और समझौतों में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार के समझौते करते समय सम्बद्ध उद्योग व क्षेत्री सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखा जाता है। कुछ सरकारी उपक्रम भी मजदूरी पंचाटों के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) सरकारी उद्यमों के वेतन ढांचे को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मिलने वाले वेतन ढांचे और भत्तों से जोड़ा नहीं गया है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, समय समय पर नियुक्त किये जाने वाले वेतन आयोगों की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिल्ली में मिलने वाले मौजूदा वेतन और भत्तों का फैसला सरकार द्वारा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की परिलब्धियों और सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों के बीच एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्टर्लिंग बैलेंस गारन्टी में संशोधन

9923. श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने स्टर्लिंग बैलेंस की गारेंटी संशोधीत रूप में नवीकृत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) विनिमय में उतार-चढाव के कारण भारत को क्या रियायती दी जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। ब्रिटेन ने स्टर्लिंग गारण्टी का पहली अप्रैल, से 31 दिसम्बर, 1974 तक और 9 महीने की अवधि के लिए थोड़े से संशोधित रूप में नवीकरण किया है।

(ख) मुख्य संशोधन यह है कि अमरीकी डालर के रूप में पात्र स्टर्लिंग राशियों के मूल्य की गारंटी देने के बजाय ब्रिटिश सरकार ने गारण्टी की पिछली अवधि में दर से सम्बन्धित, गारण्टी की नयी अवधि में स्टर्लिंग की प्रभावकारी विनिमय दर में होने वाले किसी मूल्यह्रास के लिए क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी ली है।

(ग) भारत को अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि पिछली गारण्टी की अवधि की तुलना में नयी गारंटी की अवधि के दौरान स्टर्लिंग का मूल्यह्रास किस सीमा तक हुआ है।

जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन द्वारा किया गया कारोबार

9924. श्री नवल किशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन द्वारा कुल कितनी धनराशि का कारोबार किया गया;

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 की तुलना में ये आंकड़े कम है या अधिक;

(ग) क्या वर्ष 1973-74 के लिए निर्धारित कारोबार का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 1974-75 के लिए कितना कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(च) क्या बीमा एजेंटों और डेवलपमेंट आफिसरों को कमीशन तथा वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रोत्साहन देने पर भी विचार किया जा रहा है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या जीवन बीमा निगम के डेवलपमेंट आफिसरों को नया कारोबार प्राप्त करने के लिए वेतन तथा भत्तों के अतिरिक्त बोनस या कुछ कमीशन दिया जाता है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना नीचे दी गई है:--

(करोड़ रुपयों में)

1971-72	75.01
1972-73	101.84
1973-74	109.77 (अनंतिम)

(ग) और (घ) वर्ष 1973-74 के लिये नियत किया गया 150 करोड़ रुपये का लक्ष्य इसलिए प्राप्त नहीं किया जा सका कि 1974 के जनवरी मास में कर्मचारियों के आंदोलन के कारण तालाबन्दी घोषित करनी पड़ी थी। आंदोलन की अवधि में अस्त-व्यस्त परिस्थितियों का नये कारोबार के प्रति प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ङ) वर्ष 1974-75 के लिए लक्ष्य का हिसाब लगाया जा रहा है।

(च) और (छ) विकास अधिकारियों को निम्नलिखित आधार पर प्रोत्साहन बोनस दिया जाता है :--

अपेक्षा	प्रोत्साहन बोनस
विकास अधिकारी पर होने वाले कुल व्यय की 5 गुनी रकम से ऊपर जितनी प्रथम वर्षीय अनुसूचित प्रीमियम आय हो।	ऐसे आधिक्य का 6 प्रतिशत जिसमें जोड़िए।
विकास अधिकारी पर होने वाले कुल खर्च की 7 गुनी रकम से प्रथम वर्षीय अनुसूचित प्रीमियम आय जितनी अधिक हो।	ऐसे आधिक्य का 4 प्रतिशत जिसमें जोड़िए।
विकास अधिकारी पर होने वाले कुल खर्च की 9 गुना रकम से प्रथम वर्षीय अनुसूचित प्रीमियम आय जितनी अधिक हो।	ऐसे आधिक्य का 2 प्रतिशत।

मूल प्रोत्साहन बोनस की रकम का इस प्रकार हिसाब लगा लिये जाने के बाद उसे उस सीमा तक घटाया तथा बढ़ाया जाता है जिस सीमा तक विकास अधिकारी की, जीवन बीमा पालिसी की संख्या के संबंध में और एजेंसी संगठन के संबंध में कार्याप्ति निर्दिष्ट प्रतिमानों से कम अथवा अधिक बैठती हो जो जीवन बीमा पालिसियों की संख्या के संबंध में अधिक से अधिक 10 प्रतिशत की घट-बढ़ के अधीन और एजेंसी संगठन के संबंध में 25 प्रतिशत की घट-बढ़ के अधीन रहेगी ।

सूती कपड़ें के मूल्यों में वृद्धि

9925. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सूती कपड़ों के मूल्य में वृद्धि के कारण कपडे के थोक तथा खुदरा व्यापारियों ने अपने भाण्डारों में पड़ें पुराने कपड़े के मूल्यों में भी वृद्धि कर दी है; और

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एक उच्चस्तरीय दल का दक्षिण-पूर्व एशिया तथा सुदूर-पूर्व देशों का दौरा

9926. श्री एच० एम० पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक क्षेत्र के निर्यातों तथा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले कई उच्चस्तरीय दलों ने भारतीय उत्पादों के लिये नई मंडियों का पता लगाने के लिये हाल में दक्षिण-पूर्व एशिया के तथा सुदूर-पूर्व के कई देशों का दौरा किया है;

(ख) क्या उन्होंने सरकार को कई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों में क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें तथा टिप्पणियां की हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) 1974 के दौरान, भारी उद्योग मंत्रालय से इसके सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया तथा सिंगापुर का दौरा किया और भारतीय इंजीनियरी उपस्कर, टर्नकी परियोजनाओं तथा परामर्शी सेवाओं के निर्यात की तथा साथ ही मलेशिया और सिंगापुर में संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु अच्छी संभाव्यताओं की रिपोर्ट दी । हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनाओं के क्षेत्रों में विशिष्ट संभाव्यताओं का पता लगाया गया जिनमें ट्रांसमिशन टावर्स, स्विच गियर तथा पावर ट्रांसफोर्मर्स थर्मल पावर युनिटस, शिपयार्डस् तथा सीमेंट संयंत्रों हेतु स्पंज आयरन संयंत्र तथा क्रेनें भी शामिल हैं। इन संभाव्यताओं के संबंध में आगे विचार करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ दल मलयेशिया, सिंगापुर तथा थाइलैंड को प्रयोजित किया गया । दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ;

1974 में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ में दो प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित किये, एक जापान, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड को और दूसरा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी तथा फिलीपीन को । उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

नौवहन भाड़ा दरों की वृद्धि का खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा पर प्रभाव

9927. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया और वर्षवार इससे कितना विदेशी मुद्रा तथा लाभ का अर्जन किया गया;

(ख) क्या तेल संकट के कारण नौवहन भाड़े की दरों में हुई वृद्धि का किसी रूप में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा तथा लाभ पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो कितना और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क के कुल निर्यात तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	कुल निर्यात (लाख मे० टनों में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु० में)
1971-72 . . .	199.14	104.69
1972-73 .	206.10	109.79
1973-74 (अक्तूबर, 73 तक)	118.31	65.13

चूंकि लौह अयस्क के निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा साथ ही गोअन शिपर्स दोनों द्वारा किये जाते हैं, अतः निर्यातों पर हुए लाभों से संबंधित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ख) तथा (ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम की लौह अयस्क की सभी बिक्री संविदाएं जहाज तक निःशुल्क शर्तों के आधार पर हैं । इसलिए नौवहन भाड़ा दरों में वृद्धि से निगम के लाभों में कमी नहीं हुई ।

नेपाल में औद्योगिक उपक्रम

9928. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में हाल में चालू हुए भारतीय स्वामित्व वाले कितने औद्योगिक उपक्रम हैं;

(ख) उनमें से कितने गैर-सरकारी उपक्रम हैं तथा कितने सरकार द्वारा प्रायोजित हैं; और

(ग) औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिये भारत सरकार ने नेपाल को कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस समय नेपाल में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भारत के स्वामित्व में 19 उपक्रम चल रहे हैं ।

(ख) ये सभी उपक्रम गैर सरकारी हैं ।

(ग) जहां तक औद्योगिक उपक्रमों का संबंध है, भारत सरकार ने अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

इण्डियन एयर लाइन्स के दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान

9929. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में इण्डियन एयरलाइंस के कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितनी वित्तीय हानि हुई; और

(ग) प्रत्येक मामले में कराई गई जांच के क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) इण्डियन एयरलाइंस ने वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान दुर्घटनाओं में 4 विमान खोये ।

(ख) और (ग) [अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7038/74**]

विदेश गये शिष्टमंडल

9930. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कितने सरकारी शिष्टमंडलों ने गत एक वर्ष के दौरान अप्रैल, 1974 तक विदेशों की यात्रा की; और

(ख) उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था, प्रत्येक शिष्टमंडल पर कुल कितना व्यय हुआ और उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मई 1973 से अप्रैल 1974 तक की बारह महीने की अवधि में वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में भेजे गए प्रतिनिधि मण्डलो की संख्या 57 है। इसमें अन्य मंत्रालयों/विभागों के तत्वावधान में भेजे गए प्रतिनिधि-मण्डलों के सदस्यों के रूप में इस मंत्रालय के अधिकारियों के विदेशी दौरे शामिल नहीं हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना का विवरण-पत्र संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये, संख्या एल० टी० 7039/74**]

सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात को क्षति

9931. श्री निहार लास्कर :
श्री तरुण गोगोई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात को, जो 1973-74 के दौरान अपने शिखर पर था, विमानों में माल ले जाने के लिये स्थान उपलब्ध न होने के कारण चालू वर्ष में भारी धक्का पहुंचने की आशंका है; और

(ख) इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सिले-सिलाये परिधानों को हवाई जहाज से ले जाने के लिये स्थान उपलब्ध न होने के बारे में कई स्थानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह स्थिति हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप मालवाही हवाई जहाजों की उड़ाने कम करने के कारण उत्पन्न हुई है। यह समस्या पर्यटन तथा सिविल विमानन मंत्रालय के ज़रिये एयर इंडिया के साथ उठाई गई थी। एयर इंडिया निर्यात माल के लिये प्राथमिकता प्रदान कर रहा है और अपने विमानों में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करके पहले के पड़े हुए माल को निकालने के लिये भरसक प्रयत्न भी कर रहा है।

पांचवी योजना में निर्यात लक्ष्य में वृद्धि

9932. **श्री निहार लास्कर :**

श्री तरुण गोगोई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इन्वेस्टमेंट सैन्टर ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निर्यात लक्ष्य में वृद्धि किये जाने की मांग की है जिस से अन्तर्राष्ट्रीय तेल संकट द्वारा जटिल की गई भुगतान शेष की समस्या को हल किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने निर्यात में वृद्धि करने के लिये नवीमतम मशीनरी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने तथा नये निर्यात प्रधान एककों की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो अन्य क्या सुझाव दिये हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर ने 19 और 20 अप्रैल, 1974 को निर्यात संवर्धन के बारे में एक गोष्ठी बुलाई थी। गोष्ठी के एक पैनल ने यह सुझाव दिया कि पांचवीं योजना के प्रारूप प्रलेख में निर्यातों की 7.6 प्रतिशत की जिस वृद्धि दर की व्यवस्था की गई है उसके मुकाबले में पंचवर्षीय योजना हाल में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की बढ़ी हुई वृद्धि दर से निर्यातों में वृद्धि की जाये।

(ख) गोष्ठी का यह विचार था कि समग्र उत्पादन बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया जाय, उस कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं : (1) विद्यमान क्षमता का अनुकूलतम उपयोग (2) मुख्य रूप से निर्यातों के लिए नये उद्यमों के विकास हेतु उपयुक्त अवसर पैदा करना।

(ग) गोष्ठी के अन्य दो पैनलों ने निर्यात अभिमुख एककों के लिए नीति और प्रक्रिया तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में नीति के क्षेत्र में कई सिफारिशें की।

(घ) गोष्ठी में दिये गये सुझावों और साथ ही अन्य संगठनों व व्यक्तियों द्वारा दिये गये सुझावों पर पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्यात लक्ष्यों को अंतिम रूप देते समय उचित ध्यान दिया जायेगा।

दिल्ली जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर तक की विमान सेवा

9933. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से राजस्थान में, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर तक विमान-सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो ऐसी विमान-सेवा कब तक आरम्भ की जायेगी; और

(ख) जयपुर और उदयपुर होकर दिल्ली से जोधपुर तक की विमान-सेवा पुनः आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जयपुर तथा उदयपुर पहले ही विमान सेवा से जुड़े हुए हैं। जोधपुर को विमान सेवा से जोड़ने के प्रश्न की इंडियन एयरलाइंस द्वारा जांच की जा रही है। कारपोरेशन का बीकानेर के लिए विमान सेवाएं प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान को तकुओं का नियतन

9934. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 5 वर्षों के दौरान राजस्थान के कितने तकुओं का नियतन किया गया और किन-किन प्रतिष्ठानों को किया गया; और

(ख) मार्च, 1974 तक कुल कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे और किन कारणों से ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क)

प्रतिष्ठान का नाम	वर्ष	क्षमता
1. राजस्थान को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० .	1970	25,000 तकुए
2. राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० .	1972	25,000 तकुए
3. श्री सादुल टैक्सटाइल्स लि० . . .	1973	7,000 तकुए

(ख) 50,000 तकुओं वाले दो आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान में विभिन्न काउन्ट वाले धागों की कुल मांग

9935. **श्री शंकर नारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की विभिन्न काउन्टर वाले धागों की कुल मांग कितनी थी और गत दो वर्षों में उनकी मांग किस हद तक पूरी की गई; और

(ख) क्या अनेक छोटे बुनकरों और कारखानों को अपेक्षित किस्म का धागा उपलब्ध नहीं हो पाया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने उत्पादन एककों को बंद करने के लिये मजबूर होना पड़ा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अप्रैल/जून, 1973 में राजस्थान सरकार द्वारा पेश किये गये आंकड़ों के अनुसार प्रति तिमाही धागे की आवश्यकता निम्नोक्त प्रकार थी :

(आंकड़े लाख कि० ग्रा० में)

काउंट ग्रुप	हैंक्स	कोन्स
10 एस० तक .	11.34	..
18 से 25 . . .	7.56	3.79
49 से 64 .	..	2.52
योग .	18.90	6.31

मार्च/मई 1972 से राजस्थान को किये गये धागे के आवंटनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह उल्लेखनीय है कि 17 एस० तक काउंटों तक के सूत पर से वितरण नियंत्रण जून, 1973 में, 35 एस० तक के काउंटों पर से जुलाई 1973 में, 40 एस० तक के काउंटों पर से अगस्त, 1973 में, 80 एस० तक के काउंटों पर से अक्तूबर, 1973 में तथा 80 एस० से ऊपर के काउंटों पर से मार्च, 1974 में हटाया गया था।

(ख) इस संबंध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

विवरण

राजस्थान को धागे का आवंटन

(क) मार्च/मई, 1972 के दौरान 40 एस० तथा नीचे के काउंटों के लिए धागा पूल योजना के अंतर्गत धागे का आवंटन 7.19 लाख कि० ग्रा० था।

(ख) बढ़िया काउंटों अर्थात् 60 एस० तथा उससे ऊपर काउंटों के लिए स्वैच्छिक धागा वितरण योजना के अंतर्गत आवंटन।

मास	मात्रा हज़ार कि० ग्रा० में
अगस्त, 1972	
सितम्बर, 1972	
अक्तूबर, 1972	28.8
नवम्बर, 1972	29.8
दिसम्बर, 1972	64.5
जनवरी, 1973	64.5

(ग) कानूनी वितरण योजना के अंतर्गत आवंटन।

(आंकड़े लाख कि० ग्रा० में)

काउंट ग्रुप	हैंक्स	कोन्स
मार्च, 1973		
1 से 20 एस०	3.70	0.36
21 से 40	1.29	0.55
41 तथा इसके ऊपर	0.51	0.34
योग	5.50	1.25

काउंट ग्रुप	हैंक्स	कोन्स
अप्रैल/जून, 1973		
10 एस० तक	5.15	..
11 से 17	2.36	..
18 से 25	8.76	2.55
26 से 35	0.10	3.38
36 से 48	0.57	0.32
49 से 64	0.38	0.02
65 एस० तथा इससे ऊपर	1.72	0.25
योग	19.00	6.55
जुलाई/सितम्बर, 1973		
18 से 25	7.820	2.69
26 से 35	0.170	1.49
36 से 48	0.740	..
49 से 64	0.646	1.39
65 एस० तथा इससे ऊपर	0.380	0.44
योग	9.756	6.01
	(आंकड़े हजार कि० ग्रा० में)	
जनवरी/मार्च, 1974		
100 एस०	26.02	6.73
120 एस०	3.90	2.60
योग	29.92	9.35

टिप्पणी : अक्तूबर-दिसम्बर, 1973 के दौरान धागे के कोई आवंटन नहीं किये गये ।

वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए आवधिक ऋणों की किस्तों और ब्याज की वापस अदायगी न किये जाने के मामलों में वृद्धि

9936. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए आवधिक ऋणों की किश्तों और ब्याज न दिए जाने के मामलों में गत कुछ महीनों से भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इसका कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाना है ;

(ग) यदि हां, तो इस **पर** सरकार की क्या प्रतिक्रियां है;

(घ) क्या वित्तीय संस्थानों को कोई निदेश जारी किये **गये हैं**; और

(ङ) यदि हां, तो क्या निदेश जारी किये गये हैं तथा इसकी रोक-थाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं से सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी सूचना उपलब्ध होगी उतनी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

एशियाई विकास बैंक

9937. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

श्री तरुण गोगोई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अप्रैल, 1974 को एशियाई विकास बैंक की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने भी उस बैठक में भाग लिया था ;

(ग) किन-किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) वित्त मंत्री महोदय ने जो 1973-74 के दौरान गवर्नरों के बोर्ड के अध्यक्ष थे और जो भारत की ओर भी गवर्नर है, 25 से 27 अप्रैल 1974 तक क्वालालम्पुर में हुई एशियाई विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड की सातवीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया था ।

(ग) और (घ) कार्यसूची में सामान्य वित्तीय मदों के अलावा, 1973 के दौरान बैंक के संचालन की समीक्षा करना और बैंक की साधन सम्बन्धी स्थिति पर विचार करना भी विचार विमर्श की मुख्य मदें थीं । यद्यपि 1973 के दौरान बैंक का कार्य बिलकुल संतोषजनक माना गया था, लेकिन विशेषरूप से जरूरत मन्द विकास शील सदस्य देशों को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए बैंक के साधनों में तेजी लाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया । गवर्नरों के बोर्ड ने इसके विकासशील सदस्य देशों के सामने मुद्राबाहुल्य सम्बन्धी चालू स्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम करने में ऐशियाई विकास बैंक की सम्भावित भूमिका पर भी विचार किया गया था ।

कपड़े की निर्यात नीति में संशोधन

9938. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े की निर्यात-नीती में संशोधन करने के प्रश्न पर केन्द्रीय मंत्रालय विचार कर रहा है जो हमारी नई निर्यात-नीति का आधार बनेगी ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनको कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभवना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । तथापि, पांचवी योजना के लिए लाइसेंसिग नीति तैयार करने में इस पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठतें ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई धनराशि और उनके द्वारा ऋण के रूप में दिये धन के तुलनात्मक आंकड़े

9939. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 राष्टीयकृत बैंकों में से प्रत्येक बैंक में जमा की गई राशि और उसके द्वारा ऋण के रूप में दी गई धनराशि के वर्तमान आकड़े बैंको के राष्ट्रीयकरण से तत्काल पूर्व के आंकडों की तुलना में क्या है और इसे गती प्रदान के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ; और

(ख) उतने ही समय के दौरान विदेशी बैंकों सहित प्रत्येक प्राइवेट बैंकों में कितनी धनराशि जमा हुई और ऋण के रुप में दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 18 जुलाई 1969 और 29 मार्च 1974 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित बैंकों में जमा धनराशि और उन के द्वारा दिये गये अग्रिमों की सूचना अनुबन्ध में दी गयी है । [**ग्रंथालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 7040/741**]

सरकारी क्षेत्र के बैंक जमा रकमों तथा अग्रिमों की मात्रा में वृद्धि करने के सतत प्रयास कर रहे हैं । नयें क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का जाल बिछाने के अलावा उन्हीं ने विभिन्न प्रकार के जमाकर्ताओं की आवश्यकताओं तथा उत्पादन कार्यों में लागे विभिन्न प्रकार के ऋणकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की योजनाए बनायी हैं । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों को बढाने के लिये इन बैंकों ने ऋण के लिये दिए जाने वाले आवेदनों के फार्मों को तथा प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है । प्रत्याभूतियां और मार्जिनों सम्बन्धी आवश्यकताओं को उदार बना दिया है और अपनें शाखा प्रबन्धकों को अधिक ऋण मंजूर करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया है । नेता बैंक योजना के क्रियान्वयन से राष्ट्रियकृत बैंकों को अपने नेतृत्वाधीन जिलों में प्रथामिकता प्राप्त क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को अधिक ऋण का सवितरण करके विकास की प्रक्रिया में अधिक भाग लेने में सहायता मिली है ।

आल इण्डिया वीवर्स फैडरेशन द्वारा ज्ञापन

9940. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया वीवर्स फैडरेशन की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रधान मंत्री को 18 अप्रैल, 1974 को एक ज्ञापन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ज्ञापन में धागे के मूल्यों को तत्काल न्यायोचित स्तर पर निर्धारित करने, लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त धागे की सप्लाई तथा हथकरघा और विद्युत चालित करघा उद्योगों के लिये पर्याप्त बैंक ऋण की मांग की गई है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) योजना आयोग के सदस्य श्री वी० शिवरामन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन दल हथकरधा उद्योग की समस्याओं का अध्ययन कर रहा है । अध्ययन दल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस बात पर विचार किया जायेगा कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये ।

इस बीच इंडियन काटन मिल फैड्रेशन को सूत की क़ीमतें 28 मार्च, 1974 को चल रही कीमतों के स्तर पर स्थिर करने के लिए राजी किया गया है । वे वस्त्र आयुक्त के माध्यम से प्रायोजित राज्य सरकार के नामितों को मिलों से सीधे सप्लाई करने और हथकरघा बहुत इलाकों में सूत सीधे सप्लाई करने के लिए डिपो खोलने के लिए भी सहमत हो गयी है ।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिये और अधिक धनराशी का आबंटन

9941. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन् :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए और अधिक धनराशि का आवंटन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रुपरेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा एकाधिकार वाली फर्मों को मछली निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है ;

(घ) क्या केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसके लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस व्यापार में लगी हुई फर्मों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की बजट प्रस्थापनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार किये जाने के बाद सरकार ने 44.22 लाख रु० की व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया है । सरकार द्वारा 1974–75 हेतु गैर-योजना परि-योजनाओं के लिए खर्च की जाने वाली निवल राशि 14.67 लाख रु० होती है और अलग अलग स्कीमों की सविस्तार जांच की शर्त के अधीन 1974–75 के दौरान योजनागत स्कीमों के लिए 29.50 लाख रु० की एक मुख्य व्यवस्था की गई है ।

(ग) जी नहीं । प्रत्येक मामले पर पूर्णतः गुणानगुण आधार पर विचार किया जाता है और अनुमोदन की दशा में समुचित पूर्व शर्तें निर्धारित की जाती हैं ।

(घ) सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप यह संभावना नहीं है कि ऐसी कोई प्रतियोगिता होगी ।

(ङ) जो बड़े व्यवसाय गृह मछली निर्यातों के क्षेत्र में हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

1. मैसर्स टाटा आयल मिल्स, बम्बई
2. मैसर्स यूनियन कार्बाइड (इंडिया) प्राइवेट लि०, नई दिल्ली
3. मैसर्स इंडिया टोबाको कम्पनी लि०, कलकत्ता
4. मैसर्स ई आय डी पारी लि०, मद्रास
5. मैसर्स ब्रिटोरनिया सी फूड्स

भारतीय लोह अयस्क का निर्यात-मूल्य

9942. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समान किस्म के लौह अयस्क के लिए भारतीय इस्पात कम्पनियों से वसूल की जाने वाली कीमत की तुलना में भारतीय लौह अयस्क की वर्तमान निर्यात-कीमत संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) लौह अयस्क के निर्यात के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) लौह अयस्क की निर्यात कीमत, इसकी भौतिक तथा रासायनिक विशिष्टियों, पत्तन पर ड्राफ्ट के रूप में सुविधाओं तथा लदान की दर पर निर्भर करती है । सामान्यता जो ग्रेड निर्यात किये जाते हैं, वे खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा भारतीय इस्पात कम्पनियों को नहीं बेचे जाते ।

(ख) कुछ विदेशी खरीदारों के साथ बातचीत के फलस्वरूप अभी हाल ही में लौह अयस्क की निर्यात कीमतों मे पर्याप्त वृद्धि की जा सकी है ।

निर्धारित निर्यात लक्ष्य से अधिक मात्रा में निर्यात होने वाली गैर-परम्परागत वस्तुएं

9943. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन गैर-परम्परागत वस्तुओं के नाम क्या हैं, जिनके निर्यात में पिछले साल तक वृद्धि हुई है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उनके निर्यात का कितना लक्ष्य रखा गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अप्रैल-नवम्बर, 1973 की इस नवीनतम अवधि के लिए वस्तुवार आंकड़े उपलब्ध हैं उसके दौरान गैर-परम्परागत वस्तुओं में से, जिनका निर्यात बढ़ा है, महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं : चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुएं, इंजीनियरी माल, रासायनिक तथा संबद्ध उत्पाद, सूती परिधान तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उनके निर्यात के अंतिम वर्ग के लक्ष्य, जैसा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप प्रलेखा में बताया गया है, इस प्रकार हैं : चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुएं 185 करोड़ रूपये इंजीनियरी माल 400 करोड़ रूपये रसायनिक तथा संबद्ध उत्पाद 87 करोड़ रुपये तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं 220 करोड़ रुपये ।

वर्ष 1973 के दौरान नष्ट किये गये फटे पुराने नोटों का मूल्य

9944. **श्री गजाधर मांझी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 की तुलना में वर्ष 1973 में कुल कितने-कितने रुपये के मूल्य के कितने फट पुराने मुद्रानोटों को नष्ट किया गया; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किये हैं कि फटे-पुराने तथा अनुपयोगी नोटों का पुनः परिचालन न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1972 और 1973 के दौरान जिन मूल्यवर्गों के और जितने मूल्य के फटे-पुराने नोट नष्ट किये उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

मूल्य वर्ग	नष्ट किये गये नोटों का कुल मूल्य	
	1972	1973
1 रु०	158,39,94,934	154,66,78,556
2 रु०	65,66,16,124	63,75,67,230
5 रु०	260,59,35,405	261,77,46,965
10 रुपये	867,93,71,950	794,51,69,270
20 रुपये	2,14,960	8,61,80,980
100 रुपये	704,45,77,600	797,47,69,600
1000 रुपये	3,66,32,000	2,86,68,000
5000 रुपये	2,15,45,000	1,28,15,000
10000 रुपये	69,30,000	42,30,000
जोड़	2063,58,17,973	2085,38,25,601

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटरों और स्टेट बैंक आफ इंडिया, उसके सहायककार्यालयों और राजकोषों की तिजोरियों से की जानेवाली प्रेषणाओं में नोट प्राप्त होने पर उसकी जाँच की जाती है और उनमें से साफ सुधरे तथा आगे प्रचलन के योग्य नोटों और दुबारा जारी न किये जा सकने वाले नोट अलग अलग कर दिये जाते हैं। स्टाक के अनुसार निश्चित अनुपात में नये नोटों सहित केवल पहली किस्म के नोट अर्थात जो दुबारा जारी किये जा सकने वाले है, जारी किये जाते है। एजेन्सी बैंकों को भी निर्देश हैं कि वे नोटों को अलग अलग करके केवल साफ सुधरे और लोगों में प्रचलन के योग्य नोट ही जारी करें तथा दुबारा जारी न किये जा सकने वाले नोटों को नष्ट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज दें। इसके अलावा बैंक और उसके अभिकरण, जो करन्सी की तिजोरिया रखते है नये नोटों की उपलब्धता के अनुसार फटे-पुराने नोटों को बदलने की उदार सुविधाएं प्रदान करते है।

8—20 L S S/74

नियंत्रित कपड़े के वितरण को निजी व्यापारियों को सौंपना

9945. **श्री वसन्त साठे :**
श्री एम० कतामुतु :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा किये गये असंतोषजनक वितरण को ध्यान मे रखते हुये क्या नियंत्रित कपड़े के वितरण को निजी व्यापारियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव किस अवस्था में हैं और किन कारणों से इस नई नीति को अपनाने के लिये बाध्य होना पड़ा; और

(ग) प्रस्तावित माध्यम से नियंत्रित कपड़े का युक्तियुक्त वितरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) नियंत्रित कपड़े के वितरण को राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता पर संघ के माध्यम से जारी रखने का विचार है। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिये कि अर्धनगरिय और ग्रामीण क्षेत्रो मे भी कपड़ा पहुंच जाये वितरण के माध्यमों को सुदृढ किया जायेगा। वितरण की व्यवस्थाओं को अंतिम रुप देने के लिये राज्य सरकारो के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किये जा रहे हैं।

श्री लंका में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण

9946. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका के प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त विशेष समिति को भारतीय तीन बैंको अर्थात स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक को सरकारी अधिकार में लेने सम्बन्धी सिफारिशों की सरकार को जानकारी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने श्रीलंका सरकार द्वारा प्रायोजित कम्पनीज विधेयक (विशेष उपबन्ध) देखा है। यह विधेयक श्री लंका गणराज्य के 8 मार्च 1974, अनुपूरक राज-पत्र (15-3-74 को जारी किया गया) के भाग II मे प्रकाशित किया गया है। इस विधेयक में कम्पनियों को श्री लंका मे किसी विशिष्ट तारीख के पश्चात सम्पत्ति का स्वामित्व रखने अथवा कोई उद्यम चलाने की मना ही है जब तक कि वे कम्पनी अध्यादेश के अन्तर्गत नियमित न की गयी हों अथवा जब तक कि उन्हें छूट न दी गयी हो सरकार की ओर से उन उपक्रमों अथवा कम्पनियों के उपक्रम को, जो इस प्रकार से निगमित अथवा छूट प्राप्त नहीं है, और जिनके लिए क्षति पूर्ति दी जानी है, पूर्णत: अथवा अंशत: अभिग्रहण करने के लिए और इस प्रकार के मूआवजे का मूल्यांकन करने के लिए न्यायाधिकरण नियुक्त करने और इससे सम्बन्धित मामलों अथवा इससे प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था है।

(ख) इस विधेयक से श्री लंका मे कार्य कर रहे भारतीय बैंकों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन किया जा रहा है।

छटनी मुआवजे पर आय कर से छूट

9947. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौकरी चली जाने के बदले कर्मचारियों को दिये जाने वाले छटनी मुआवजे को आयकर से छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और कैसे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

निशुल्क हवाई यात्रा के लिए जारी पास

9948. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के कतिपय नागरिकों या निवासियों को देश के किसी भाग में कई बार निशुल्क हवाई यात्रा करने के लिये पास जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने किन कारणों से इस प्रकार की विशेष रियायत तथा सुविधा प्रधान की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस ने फरवरी, 1974 से मदर टेरेसा के लिए बेरोक निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है । रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, कलकत्ता, के सदस्यों को भी प्रतिवर्ष छः तक निःशुल्क सिंगल टिकट दिए जाते हैं । यह सुविधा मदर टेरेसा को उसके द्वारा जीवन भर किए गए महान एवं असामान्य मानवतावादी कार्य के प्रति आभार एवं सम्मान प्रदर्शन के लिए, तथा रामकृष्ण मिशन को उसके द्वारा मानवता के हित में की गयी असाधारण एवं मार्गदर्शी सेवाओं के लिए, प्रदान की गयी हैं ।

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र का बंद किया जाना

9949. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र अब तक वांछित लक्ष्य पूरा नहीं कर सका है और इसी कारण यह क्षेत्र बंद होने की स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम अविलम्ब उठाये जाने का विचार है ;

(ग) क्या कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र के लोकप्रिय तथा सफल बनाने के बारे में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओ द्वारा नियुक्त विभिन्न जांच समितियों ने अनेक तथा विभिन्न सुझाव दिये हैं। यदि हां ,तो उनकी मुख्य बातें क्या है; और

(घ) उक्त सुझाओ पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) यद्यपि कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र बहुत अधिक सफल नहीं रहा है, तथापि इसमें कुछ प्रगति होती रही है। सरकार इसके विकास को बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति सजग है और उसने विभिन्न समितियों द्वारा दिये गये अनेक सुझावों पर विचार करने के बाद इस प्रयोजन के लिए अनेक उपाय आरंभ किये हैं। इसके अतिरिक्त शीघ्रतापूर्वक विनिश्चय किये जाने और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु क्रियाविधि को और अधिक सरल और कारगर बनाने का विचार है।

केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन योजना

9950. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान योजना के अधीन न आने वाले सेवा-निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी किस्म की परिवार पेंशन योजना लागू करने सम्बन्धी किन्हीं प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान से वित्तीय सहायता

9951. श्री एम० एस० पुरती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने उन परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देने से इंकार कर दिया है जिन्हें टोयो इंजीनियरिंग कम्पनी के सहयोग से स्थापित करने का भारत का विचार था ; और

(ख) इन परियोजनाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था करने हेतु क्या सरकार अन्य पश्चिमी देशों से सरकारी ऋण लेने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है और यदि हां, तो सरकार अपने उद्देश्य को पूरा करने में कहां तक सफल हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत जापानी सहायता से उर्वरक कारखाने की स्थापना करने की ओर है। हमने जापान सरकार से 5 नयी उर्वरक परियोजनाओं के विदेशी मुद्रा व्यय की पूर्ति के लिए लगभग 65.08 अरब येन (वर्तमान विनिमय दर के अनुसार 195.24 करोड़ रुपये) की सहायता देने के लिए आवेदन किया था।

जापान सरकार ने हाल मे ही तीन उर्वरक परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की लागत के लिए 32.9 अरब येन (वर्तमान विनियम दर पर 98.7 करोड़ रूपये) देना स्वीकार कर लिया है।

ये परियोजनाएं 5वी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी। जापान सरकार ने वित्त वर्ष 1973-74 के लिए भटींडा उर्वरक परियोजना के संबंध में 11 अरब येन (वतमान विनिमय दर के अनुसार 33.00 करोड़ रूपये) के लिए पक्के वचन दे दिय हैं। शेष दो परियोजनाओं के लिए 1974-75 में और 1975-76 में एक-एक परियोजना के लिए इसी प्रकार के पक्के वचन दिये जाएंगे। इन परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए किसी खास जापानी इंजीनियरी कम्पनी के चुनन के सवाल पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) अन्य दो परियोजनाओं के लिए, जो पांचवीं आयोजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी, सरकार पश्चिम यूरोप के अन्य देशों जैसे फ्रांस, इटली और आस्ट्रिया से आवश्यक विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने की सम्भावना पर विचार कर रही है और आशा है कि इन दो परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने की बात अगले कुछ महीनों में पक्की तौर से तय हो जायगी।

'सफरी पार्कों' के लिए योजना

9952. श्री एम० एस० पुरती : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी महानगरों के निकट 'सफरी पार्क' बनाने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और ऐसे पार्क किन-किन स्थानों पर बनाये जायेंगे?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में वन्य जीव पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत, महानगरीय (मेट्रोपोलिटन) शहरों के निकट सफरी पार्क स्थापित करने की संभावना की तकनीकी रुप से व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से जाँच की जाएगी बशर्ते कि निधियाँ उपलब्ध हों। हैदराबाद में हाल ही में चालू किए गए सिंह सफरी पार्क की सफलता का मूल्यांकन भी इसी संदर्भ में किया जाएगा।

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से औषधियों का आयात

9953. श्री एम० एस० पुरती : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार ने सरकारी एजेंसियों के माध्यम से औषधियों का और आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटकों की रुची वाले स्थानों पर खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम के लिये केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा किये जाने वाला प्रबन्ध

9954. श्री एम० एस० पुरती : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटकों की रूचि वाले स्थानों पर शुद्ध तथा बिना मिलावट वाले खाद्य-पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थानों पर खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम के लिये केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कोई प्रबन्ध किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) यद्यपि इस प्रकार का कोई सामान्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तथापि भारत पर्यटन विकास निगम, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है तथा जो होटलों/मोटरों/यात्री लाजों/रेस्टोरेंटों का परिचालन करता है, अपने संस्थानों में शुद्ध एवं मिलालट रहित भोजन पदार्थों की सप्लाय करने का प्रयत्न

करता है । तथापि प्रचुरतर सावधानी के लिए, भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में उच्चतम स्तर की सफाई तथा परोसे जानेवाले भोजन की क्वालीटी बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिये स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की सहायता भी मांगी गयी है ।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि पर से नियंत्रण हटाया जाना

9955. **श्री देवेन्द्र गरचा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने रिजर्व बैंक से कहा है कि गत छः महीनों से अवरूद्ध पड़ी उनकी जमा राशि पर से नियंत्रण हटाया जाए;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए बैंकों ने क्या कारण बताए हैं; और

(ग) इस पर भारत के रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक समय-समय पर अपने द्वारा निर्धारित किये गये विभिन्न मुद्रा उपायों और ऋण नीति संबंधी अन्य उपायों के प्रभाव के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखता है। इस समय विद्यमान मुद्रा-स्थिति और कम काम-काज के मौसम की प्रत्याशित मुद्रा सम्बन्धी स्थिति के विभिन्न पहलुओं को हिसाब में लेने के बाद रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि जून 1973 में 2 प्रतिशत अतिरिक्त नकद प्रारक्षित राशि रखने की जो शर्त लागू की गयी थी वह 28 जून 1974 को समाप्त हो जायगी। इसके बाद, नकद प्रारक्षित राशि की प्रभावी आवश्यकता कुल दायित्वों का 5 प्रतिशत रह जायगी जबकि इस समय 7 प्रतिशत है । इसके अलावा नकद प्रारक्षित राशि में कमी करने के साथ, साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत जितनी नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्तियों का रखा जाना जरुरी है उसके अनुपात को कुल मांग और मीयादी देनदारियों के 32 प्रतिशत से बढ़ा कर 33 प्रतिशत कर दिया जायगा ।

राज्य सरकारों द्वारा विद्यमान इंधन के विक्रय कर में कमी करना

[9956. **श्री धामनकर :**

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सहित कुछ ऐसे राज्यों, जहां भारी संख्या में एयर-लाईन्ज जाते हैं, को विमानन इंधन के विक्रय कर में कमी करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और उत्पादन-शुल्क वास्तव में कब तक कम किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था तथा भारत से होते हुए परिचालन करने वाली कुछ एयरलाइनों से प्राप्त एक प्रतिवेदन पर भारत सरकार ने हाल ही में विमानन टर्बाइन ईंधन के मूल्य में अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए 504.72, रुपये प्रति किलोमीटर की कमी की है । महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल तथा तामिल नाडु सरकारों ने भी अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए प्रयुक्त होने वाले ए० टी० एफ० (विमानन टर्बाइन ईंधन) पर अपने यथा मूल्य (एड वेलोरम) बिक्रीकर को अब हटा लिया है ।

रसायनों, लोहे तथा इस्पात के उत्पादों के आयात पर सीमाशुल्क में रियायत

9957. श्री धामनकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रसायनों और लोहे तथा इस्पात के आयात किए जाने वाले बहुत से उत्पादों पर सीमाशुल्क की आंशिक छूट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) 1 अप्रैल 1973 से 31 मार्च 1974 तक की अवधि के दौरान ऐसी डी० डी० टी० (तकनीकी) पर सीमाशुल्क से आंशिक छूट दी गयी थी जिसे फार्मुले के अनुसार तैयार करके अनन्य रूप से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सप्लाई करने के लिये आयात किया गया था। आयातित डी० डी० टी० (तकनीकी) के मूल्य को स्वदेशी डी०डी०टी० की लागत के स्तर तक लाने के लिए यह छूट प्रदान की गई थी। क्योंकि स्वदेशी डी० डी० टी० पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। कृषि उत्पादन के संवर्धन के लिए एल्ड्रिन, क्लोरडेन, डाइ-अमोनियम फास्फेट तथा अमोनियम नाइट्रोफास्फेट जैसे कतिपय अन्य रसायनों के संबंध में भी आंशिक छूट प्रदान की गई थी।

स्वदेशी तथा आयात की गयी डी० डी० टी० के मूल्यों के अंतर को कम करने की दृष्टि से, आयात किये गये लोहे तथा इस्पात के उत्पादों पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 2-क के अंतर्गत उत्पाद के० उ० शु० के बराबर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क की छूट भी दी गई थी।

विक्रय कर की समान दरें

9958. श्री धामनकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि पड़ौसी राज्यों में समान विक्रय कर लागू किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने क्या कारण बताये हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) बिक्री-कर और राज्य उत्पादन शुल्क की उत्तर क्षेत्रीय परिषद् में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बिक्री-कर के प्रभारी मंत्रियों को 3 जनवरी 1974 को हुई एक बैठक में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत एक संक्षिप्त विवरण में हरियाणा राज्य ने कहा था कि दिल्ली में बिक्री-कर की नीची दरों और बहुत-सी छूटों के कारण उस राज्य को बिक्री-कर राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसलिए बिक्री-कर की दरों और छूट को मदों की सूची में एकरूपता लाने की आवश्यकता है।

राज्यों के वित्त सचिवों की पहले दिन हुई बैठक में आम राय यह थी कि पूरी-पूरी एकरूपता सम्भव नहीं है लेकिन ऊंची दरों से कर लगने वाली जिनसों पर कर की दरों में फर्क 2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और नीची दर से कर लगने वाली जिन्सों पर कर की दरों में फर्क 1 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

विदेशी पर्यटकों के प्रवेश संबंधी नियमों को उदार बनाना

9959. **श्री धामनकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के कुछ भागों में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश संबंधी नियमों को उदार बनाने संबंधी निर्णय न किए जाने के कारण पर्यटकों के आगमन में बहुत क्षति पहुंची है और देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा से वंचित होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं और इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उनके मंत्रालय से इन प्रतिबन्धों को समाप्त करने का अनुरोध किया है और यह मामला गृह मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) सुरक्षा के कारणों से, देश के उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी सीमांत प्रदेशों में कुछ क्षेत्रों को क्रमशः विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 तथा विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अंतर्गत संरक्षित तथा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों की यात्रा करने के इच्छुक विदेशियों को विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों से विशेष परमिट लेने होते हैं। तथापि, प्रतिबंधित क्षेत्रों में दार्जीलिंग शहर तथा काजीरंगा जैसे पर्यटन महत्व के स्थानों की यात्रा करने के इच्छुक विदेशी पर्यटकों को उदारतापूर्वक परमिट दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) इस संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन पर गृह मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

Un-Economical Flights of Air India

9960. **Shri Lalji Bhai :**
Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Air India has discontinued all its uneconomical flights; and

(b) if so, the number and names thereof and the time by which they will be resumed ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) Air India has discontinued its flights on sectors Nairobi/Entebbe/Nairobi and Sydney/Fiji/Sydney with effect from 12th January, 1973 and April 1, 1974, respectively. Although it has withdrawn operations to Fiji, it continues to maintain an office there so that it can sell transportation on Air-India's services world-wide and earn as much revenue as possible. When the situation improves and if it is felt that it will be commercially viable for Air India to operate services to Fiji, the service can be resumed.

2. Air India services to continental points like Prague, Zurich and Amsterdam were discontinued with effect from July 17, 1971 on the introduction of wide bodied jets.

Refusal of Permission to Lata Mangeshkar for bringing presented Gold Disc into India

996. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the well-known play-back singer Lata Mangeshkar was presented a gold disc on behalf of th Electric and Musical Industries Company of London but she was not allowed by the customs officials to take it with her; and

(b) if so, the broad facts of the incident?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) On her return from U.K. on 28-3-1974, Miss Lata Mangeshkar imported a golden disc bearing the following inscription :

"Over 20,000 recordings, presented to Lata Mangeshkar to commemorate unsurpass recording achievements. E.M.I. Group of Companies, London, 8th March, 1974".

As she could not indicate its value, it was detained for assessment and decision whether it could be cleared under the Baggage allowances admissible to her. Later, when it was ascertained that it was not a disc made of gold but was a disc made of nickel on which there was a thin spray coating of gold, the disc was released to her free of duty on 22-4-1974 as it was found eligible for clearance under the Baggage Rules.

Foreign exchange earned by export of precious stones

9962. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned by India during the last three years from export of precious stones; and

(b) the amount of foreign exchange earned from export thereof from various cities in Rajasthan alone during the said period?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) The foreign exchange earned by export of cut and polished precious stones is as follows :

Year	(Value in Rs. lakhs) Rs.
1971-72	849·13
1972-73	664·31
1973-74 (April to November, 1973)	538·33

(b) This information is not available as export statistics are not maintained city-wise.

Import of raw material for Jewellery Manufacture

9963. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether entire raw material required for preparing jewellery in the country is imported from abroad;

(b) whether the countries producing this raw material sell to India only the waste thereof because they themselves prepare precious jewellery; and

(c) if so, steps proposed by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Foreign exchange earnings by export of Enamelled ornaments and Garments abroad

9964. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the enamelling in silver is done in India only in Rajkot (Gujarat) and Nathdwara (Rajasthan) but Government are not providing encouragement or protection to this industry;

(b) whether the enamelled garments and ornaments of Nathdwara are in great demand in U. S. S. R., U. S. A., and many other democratic countries these days and this can be a source of earnings of foreign exchange but this industry is coming to an end slowly because of indifference of State and Central Governments; and

(c) if so, steps proposed to be taken by Government for planned efforts in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) Enamelling in Silver is not confined to Rajkot and Nathdwara which are of course, two important places for this handicraft. There is a good demand for enamelled Silver in foreign markets including U. S. A. and U. S. S. R. Both the State Governments (Gujarat and Rajasthan) and Central Government are keen to exploit the export potential of these items. The State Governments are providing marketing facilities by running Emporia. The All India Handicrafts Board undertakes publicity to popularise the items and their samples have been displayed by Handicrafts & Handlooms Exports Corporation in their shops abroad.

रेयन फिलामेंट यार्न के वितरण के संबंध में कतइयों तथा बुनकरों के बीच नया समझौता

9965. श्री पी० ए० सायिनाथन् : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन फिलामेंट यार्न के मूल्यों और वितरण के बारे में कतइयों और बुनकरों के बीच नये समझौते के लिये बातचीत अन्तिम रूप से विफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार से शीघ्र ही फैसला करने के लिये अनुरोध किया गया है क्योंकि दिसम्बर, 1973 के समझौते के समाप्त हो जाने के पश्चात् यार्न के वितरण को नियमित करने की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 17-4-1974 को दिल्ली में दोनों पार्टियों की गत बैठक में उनमें कोई करार नहीं हो पाया। सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसिएशन, बम्बई के चेयरमैन श्री दोषी ने बताया कि इस का कारण कतैयों की धागे के लिए ऊंची कीमत की मांग है।

(ग) जहां तक धागे के वितरण की व्यवस्था का सम्बन्ध है, वस्त्र आयुक्त के अनुसार कत्तैये पूर्ववर्ती डिलिवरियों के संचय की सप्लाई कर रहे हैं। यह जुलाई, 1974 के अन्त तक चलेगी। सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने सांविधिक नियंत्रण लगाये जाने का अनुरोध किया है।

(घ) मामला विचाराधीन है।

सड़क पर्यटक के संवर्धन के लिये शिबिर-स्थलों का विकास

9966. श्री राजदेव सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क पर्यटन के संवर्धन हेतु कुछ शिबिर-स्थल विकसित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह योजना एशियाई राजमार्ग के विकास के कारण भारत होकर यूरोप और आस्ट्रेलिया एशिया के बीच स्थल मार्ग यान सेवाओं की उपज है; और

(ग) क्या शिविर-स्थलों की इस योजना के अन्तर्गत देश के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राज-मार्ग आयेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग का पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे सड़क मार्गों पर, जहां कि पर्यटक यातायात की सघनता अपेक्षाकृत अधिक है, शिविर स्थल स्थापित करने के एक कार्यक्रम को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इन शिविर स्थलों के स्थल-निर्धारण के बारे में उनकी अर्थक्षमता की जांच करने के लिये व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करने के पश्चात् तथा साधनों के उपलब्ध होने पर, विचार किया जाएगा।

विमान सेवाओं को नया रूप देने के लिये संगठन बनाना

9967. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समूचे संगठन को नया रूप देने का कार्य आरम्भ करने के लिये छह सदस्यों का एक संगठन बनाया गया है जिस का उद्देश्य न केवल इस की सेवाओं को कुशल और यात्रियों के लिये अधिक उपयोगी बनाना है अपितु इसी प्रकार की अन्य विमान सेवाओं में इसे प्रतियोगिता के आधार पर रखना है;

(ख) क्या विभिन्न सेक्शनों से लिये गये वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी यही छह सदस्यों वाले संगठन के सदस्य हैं ?

(ग) क्या संगठन द्वारा की जाने वाली जांच के लिये वर्तमान महत्वपूर्ण क्षेत्र ये हैं—निगम की गतिविधियों के सभी क्षेत्रों पर प्रथम नियंत्रण तथा उसके लिये आवश्यक सूचना प्रणाली, कार्य मानक, कार्य सरलीकरण लागत नियंत्रण और उत्पादिता, कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं और कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों तथा माननीय संबंधों का पुर्नविलोकन-माननीय संबंध; और

(घ) यदि हां, तो सभी प्रक्रियायों, मूल्यांकन सिफारिशों और क्रियान्विति को पूरा करने में संगठन को कितना समय लगेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (घ) सम्भवत: यह प्रश्न इंडियन एयरलाइंस से संबंधित है, यदि हों, तो तथ्य निम्न प्रकार ह :—

इंडियन एयर लाइंस में संगठन तथा कार्यप्रणाली दल (ओ० एम० जी०) नाम से एक विशेष दल का संगठन किया गया है जिसके अध्यक्ष उप-प्रबंध निदेशक (तकनीकी) हैं तथा प्रबंध परामर्श सेवाओं के प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, दिल्ली, औद्योगिक संबंध सलाहकार, मद्रास, प्रवर औद्योगिक अभियंता, मुख्या-लय तथा अध्यक्ष का कार्यकारी सहायक इसके सदस्य हैं। इस दल को क्षेत्रों तथा मुख्यालय के विभिन्न विभागों की चालू कार्य-प्रणालियों तथा क्रियाविधियों का गहराई से अध्ययन करना है तथा साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए सुधारों की सिफारिश करनी है। इसको अपने कार्य को जिसके क्षेत्र में निगम के समस्त विभाग आ जाते हैं पूरा करने में, 18 महीने से दो वर्ष तक का समय लगने की आशा है। इस समय यह बता सकना कठिन है कि स्वीकृत सिफारिशों के क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा; परन्तु उन्हें यथाशीघ्र क्रियान्वित्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा।

आस्ट्रिया के साथ आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग

9968. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1974-75 के दौरान आस्ट्रिया के साथ आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के क्षेत्र को स्वीकृत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार भारत तथा आस्ट्रिया के बीच आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगा रही है। 15 सदस्योय आस्ट्रियाई आर्थिक मिशन ने फरवरी, 1974 में भारत की यात्रा की और उसने वाणिज्य, औद्योगिक विकास भारी उद्योग मंत्रालयों, इंडियन इनवेस्टमेंट सेंटर, राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों, गैर सरकारी व्यक्तियों आदि से विचार विमर्श किये। इन विचार-विमर्श से दोनों देशों के बीच औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगा। इस सम्बध में आगे प्रगति का पता यथासमय लगेगा।

इण्डियन एयरलाइन्स में फालतू कर्मचारी

9969. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर्लाइंस द्वारा उड़ानों की संख्या में कमी किये जाने, खान पान सेवाओं में कटौती किये जाने और विभागीय कुलियों को तथा नगर परिवहन यानों को न रखने के परिणामस्वरुप कई कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार श्रेणीवार और क्षेत्रवार कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(ग) क्या उनकी छंटनी करने या उन्हें अन्य रोजगार देने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी निर्धारण समिति द्वारा यह निर्धारित किया जा रहा है कि कितने कर्मचारी फालतू हैं।

(ग) फालतू कर्मचारियों को कारपोरेशन के भावी विस्तार कार्यक्रमों में खपाने का प्रस्ताव है।

पर्यटकों के भारत आने और उनके यहां से बाहर जाने पर ईंधन संकट का प्रभाव

9970. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के भारत आने और उनके यहां से बाहर जाने पर विश्वव्यापी ईंधन संकट के संभावित प्रभाव का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1974-75 में भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी कमी हो सकती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या विशेष रियायतें और प्रोत्साहन देकर कोई प्रतिकारात्मक उपाय किये गये है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) 1973 के लिए पर्यटक आंकड़ों से पता चलता है कि दिसम्बर, 1973 तक ईंधन के मूल्य में वृद्धि से भारत आनेवाले पर्यटक यातायात पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा था। उस

वर्ष के लिये निर्धारित 4,00,000 के लक्ष्य के मुकाबले में 4,09,895 पर्यटक भारत आये। दिसंबर, 1973 में 45,295 पर्यटक आये, जो कि दिसम्बर मास के लिये अभी तक सर्वाधिक संख्या है। जनवरी तथा फरवरी, 1974 में आगन्तुक पर्यटकों की वृद्धि की दर गिर गयी, लेकिन यह इण्डियन एयरलाइंस की सेवाओं में कटौती के कारण हो सकती है। अभी यह देखना है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान किरायों में वृद्धि का इस देश के पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वर्तमान स्तर बनाये रखा जा सकता है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि रियायतों दरों के विमान-किराये विमान कंपनियों के परिचालनों की अर्थक्षमता के अनुरूप न्यूनतम स्तर पर रखे जाएं। यू० एस० ए०, यूरोप, जपान तथा आस्ट्रेलेशिया की महत्वपूर्ण मार्केटों में पर्यटन विभाग के संयुक्त अभिवृद्धि विषयक प्रयत्नों को बढ़ावा देने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं। पश्चिमि एशिया से पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने की दृष्टि से पर्यटन अभिवृद्धि के लिये बैरूत में एक प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। पर्यटन के 'आधारभूत उपादानों' का विस्तार करने के अलावा, पर्यटन सृजक विदेशी मार्केटों में प्रचार कार्यक्रमों पर भी अधिकाधिक बल दिया जा रहा है।

कलकत्ता और बंगलौर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा

9971. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो यात्री इंडियन एयरलाइंस के विमानों से कलकत्ता से बंगलोर तक यात्रा करते है उन्हें मद्रास में विमान बदलना पड़ता है;

(ख) क्या पूर्व कार्यक्रम के अनुसार एक ही विमान पूरी दूरी तय करता था और मद्रास में केवल ठहरता था;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें पता है कि दो राज्यों की राजधानियों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को विमान बदलने की नई व्यवस्था से अनावश्यक असुविधा होती है; और

(घ) क्या इस शिकायत की जांच की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) विमान बेड़े की तंग स्थिति के कारण इंडियन इयर लाइंस विमानों को अधिकतम उपयोग की दृष्टि से सेवा में लगाता है। अतः इंडियन एयरलाइंस के लिये मद्रास के रास्ते कलकत्ता से बंगलौर के लिये तथा वापस एक ही विमान से सेवा-परिचालन फिलहाल संभव नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हथकरघा और विद्युत चालित करघा क्षेत्र को दिये गये ऋण की मात्रा

9972. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रियकृत बैंकों ने हथकरघा और विद्युतचालित करघा क्षेत्र को कितनी मात्रा में ऋण दिया है;

(ख) इसमें से कितना ऋण बुनकर सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं को दिया गया है; और

(ग) क्या विकेन्द्रीकृत बुनकरों तथा सहकारी संस्थाओं की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्याज की उदार दरों पर बैंक ऋण अधिक मात्रा में देने का कोई प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) बैंक, हथकरघा और बिजली से चलने वाले करघों के क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखते है और ये अग्रिम छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र को दिये जाने वाले अग्रिमों का भाग है जिनके सम्बन्ध में आंकड़े रखे जाते हैं। जून 1973 के अन्तिम शुक्रवार की इस क्षेत्र के सम्बन्ध में बकाया अग्रिमों की रकम 644.86 करोड़ रुपये थी।

(ग) रिजर्व बैंक, राज्यीय सहकारी बैंकों को, बैंक दर से 1½ प्रतिशत कम की दर पर रियायती पुर्नवित सुविधाएं देता है ताकि, भारत सरकार की व्याज राज सहायता योजना के अधीन दी गयी 3 प्रतिशत की राजसहायता के सहारे, बुनकरों की सहकारी समितियों को उन्हीं दरों पर रुपया दिया जा सके जिन पर रिजर्व बैंक से प्राप्त होता है। इस योजना में और संशोधन से करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे अलग अलग बुनकर भी, जो भिन्न भिन्न व्याज दर योजना में रखे गये मापदण्ड पर पूरे उतरते हैं, अपने आर्थिक दृष्टि से सक्षम उद्यमों के लिए 4 प्रतिशत का व्याज दर पर बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

लुम्बिनी को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिये भारत का योगदान

9973. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान, लुम्बिनि को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिये भारत सरकार भी अन्य देशों के साथ सहयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो भारत का इस प्रयोजनार्थ किस प्रकार का योगदान देने का प्रस्ताव है; और

(ग) कौन-कौन से देश इस स्थान का विकास कर रहे हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रायोजना के दूसरे और तीसरे चरणों के लिए भारत सरकार की ओर से 25,000 अमरिकी डालर के बराबर का रुपयों में अंशदान घोषित कर दिया गया है। इनमें प्रायोजना की वास्तुशिल्पी और रुपलेखात्मक (आर्किटेक्चरल एण्ड ले-आउट) प्लानों की तैयार किया जाना सम्मिलित है। घोषणा अप्रैल 1974 में कोलम्बो में आयोजित की गई ई० सी० ए० एफ० ई० की बैठक में की गई थी। प्रायोजना के उत्तर वर्ती चरणों के लिए अंशदानों के प्रश्न पर इनके संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

(ग) इस संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और उना जिले के लिये पृथक आयकर कार्यालय

9974. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के हमीमपुर और उना जिलों के लिए एक पृथक आय-कर कार्यालय खोलने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

भारत और आस्ट्रिया के बीच विमानन यात्री सेवाएं और परिवहन सेवाएं

9975. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और आस्ट्रिया के बीच सीधी विमान यात्री और परिवहन सेवाएं आरम्भ करने के बारे में नई दिल्ली में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) 15 अप्रैल, 1974 को भारत तथा आस्ट्रिया के अधिकारियों के बीच विदेश मंत्रालय में हुई बातचीत में जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ, नागर विमानन उन में से एक था। तथापि, दो देशों के बीच सीधी यात्री अथवा माल परिवहन विमान सेवाओं की स्थापना पर कोई निर्णय नही लिया गया था।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास

9976. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास की ओर ध्यान देने के बारे में हाल ही में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) इस आशय का कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथापि पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश पर्यटन प्राधिकारियों के साथ इस राज्य में पर्यटन के विकास विषयक उपायों के बारे में निकट संबंध बनाये हुये है।

राज्यवार धार्मिक स्थानों पर दी जाने वाली पर्यटन सुविधाएं

9977. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उन सभी धार्मिक स्थानों का सर्वेक्षण किया है जहां समूचे देश में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं ताकि ऐसे स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं को विकसित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों की राज्यवार सूची क्या है और ऐसे स्थानों पर क्या-क्या विभिन्न पर्यटन सुविधायें दी गई हें अथवा देने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) देश मे धार्मिक महत्व के प्रमुख स्थान पहले ही ज्ञात है। उनको विकसित करने की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। धार्मिक महत्व के स्थानों पर सुविधायें प्रदान करने के लिये आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकारों की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गयी है।

पहले की योजनाओं में धार्मिक महत्व के चुने हुए स्थानों पर पर्यटक सुविधायें प्रदान करने के लिये उपलब्ध साधनों की सीमाओं के अन्दर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी गयी है। प्रदान की गई सुविधाओं का एक विवरण संलग्न है। पांचवीं योजना में दक्षिणपूर्वी तथा पूर्व की एशिया के देशों से बौद्ध तीर्थ यात्रियों आकर्षित करने की दृष्टि से चुने हुए बौद्ध केन्द्रों पर कुछ सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण

उन धार्मिक स्थानों की सूची जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है

राज्य	स्थान का नाम	प्रदान की गयी सुविधायें
आंध्र प्रदेश . .	1. तिरुपति	पर्यटक ब्यूरो ।
	2. नागार्जुनसागर	(क) विजय विहार सर्किट हाउस में जोड़े गये 8 कमरों का निर्माण ।
		(ख) मध्य आय वर्ग विश्रामगृह ।
		(ग) पर्यटकों के लिये लांचों की व्यवस्था ।
	3. नागार्जुनकोंडा	स्टेशन वेगन की व्यवस्था ।
	4. मंत्रालय	पर्यटक बंगला ।
बिहार . .	1. बोध-गया	(क) यात्री लॉज ।
		(ख) महाबोधी मन्दिर के आसपास के क्षेत्र का विकास ।
	2. गया, बोध-गया तथा राजगिर	पर्यटक ब्यूरो (राज्य सरकार को उपदान) ।
	3. राजगिर	(क) पर्यटकशाला का निर्माण ।
		(ख) आकाशीय रज्जुमार्ग की स्थापना।
केरल . .	कन्याकुमारी	केप होटल का सुधार ।
मध्य प्रदेश . .	सांची	(क) विश्रामगृह का प्रबंध ।
		(ख) पर्यटक बंगला श्रेणी I का निर्माण
		(ग) जल सप्लाई योजना ।
महाराष्ट्र . .	1. एलोरा	कैंटीन ।
	2. अजन्ता	(क) कैंटीन ।
		(ख) निम्न आयवर्ग विश्रामगृह ।
		(ग) जल सप्लाई योजना ।
उड़ीसा . .	पुरी	(क) पर्यटक ब्यूरो ।
		(ख) पर्यटक बंगला श्रेणी II ।
		(ग) युवा होस्टल ।

राज्य	स्थान का नाम	प्रदान की गई सुविधाएं
ंजाब .	अमृतसर	युवा होस्टल ।
राजस्थान . .	1. अजमेर	पर्यटक ब्यूरो ।
	2. रणकपुर मंदिर	बिजली सप्लाई ।
तमिल नाडु . .	1. तंजौर	विश्रामगृह ।
	2. कांचीपुरम	कैंटीन तथा विश्रामगृह ।
	3. रामेश्वरम्	निम्न आयवर्ग विश्राम-गृह तथा युवा होस्टल ।
उत्तर प्रदेश .	कैलाश-मानसरोवर मार्ग	
	1. थारा, चुल्लाखैला, सरका, जिप्पी, माल्पा, कबीयांग, बुंजी, कालापरनी तथा रुद्रप्रयाग ।	तीर्थ यात्रियों के प्रयोग के लिये विश्रामगृह तथा यात्री शड ।
	2. कुशीनगर	विश्रामगृह ।
	3. सारावस्ती (सहैत-म्हैत)	विश्रामगृह ।
	4. इलाहाबाद	पर्यटक बंगला ।
	5. हरिद्वार	पर्यटक बंगला ।
	6. वाराणसी	(क) पर्यटक बंगला । (ख) पर्यटक स्वागत केन्द्र ।

Foreign Exchange for Meeting of Oil Bill

9978. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether 80 per cent of the country's foreign exchange earnings during the Fifth Five Year Plan period will be consumed by the import of oil only;

(b) if so, the arrangements being made for foreign exchange to meet the import bill of essential commodities like fertilizer, foodgrains, steel, machinery, equipment and cotton; and

(c) the action taken so far and proposed to be taken in future in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) The Draft Fifth Five Year Plan has estimated total imports over the 5 years period of Rs. 14,100 crores of which imports of petroleum crude, products & lubricants (POL) were estimated at Rs. 3,080 crores which form about 21 per cent of the total import bill.

As a result of phenomenal hike in crude prices and sharp increase in prices of imported raw materials like non-ferrous metals, fertilizers raw materials and also finished fertilizers etc., the revision of the Fifth Plan estimates of import, export, balance of payment has been necessitated. The revision of these estimates in the light of recent developments is in hand.

Continuous efforts are being made towards stepping up of export production, generation of export surpluses and exploration of foreign markets.

Functioning of branches of S. B. I. in rural areas in Madhya Pradesh

9979. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of branches of State Bank of India functioning in rural areas in Madhya Pradesh and the number of new branches proposed to be opened in future; and

(b) the facts which are taken into consideration for opening new branches ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) The State Bank of India and its subsidiary, State Bank of Indore had 110 and 54 offices respectively, functioning at rural centres in Madhya Pradesh, as at the end of January, 1974. In pursuance of the directive of the Reserve Bank of India, all commercial banks are now formulating three year rolling plans of branch expansion. The banks are currently finalising plans for the period 1974-76. The Reserve Bank of India has, however, reported that the State Bank of India and the State Bank of Indore had on hand as at the end of January, 1974, 14 licences, and 2 licences respectively for opening offices in rural areas of Madhya Pradesh.

(b) Main criteria adopted by banks for opening new branches relate to such aspects as the saving potential of the local community, scope for stimulating economic growth and employment opportunities by lending to priority sectors and the potential viabiltiy of the offices over reasonable period of time.

Misuse of Loans advanced by Banks to Black Marketeers and Hoarders in Madhya Pradesh

9980. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether black-marketeers and hoarders are misusing the loans being advanced by nationalised banks in Madhya Pradesh :

(b) the amount of loans advanced during the last three years ; and

(c) the action taken so far in regard to misuse of loans being advanced by banks and the steps to be taken in future ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) The present procedures for bank finance to businessmen provide for sufficient scrutiny and supervision by the banks over the end-use of the credit extended so as to guard against misuse of the credit facilities. Wherever specific instances of misuse of funds are either detected or brought to their notice, suitable remedial measures are taken by the banks. Further, bank credit for sensitive commodities is subject to rigorous credit control measures administered by the Reserve Bank, with a view to guard against use of bank funds for hoarding or speculation in these commodities.

According to the available data the outstanding advances of scheduled commercial banks in Madhya Pradesh as on the last Friday of December 1972 stood at Rs. 114·84 crores.

Seizure of smuggled goods in Indore

9981. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total quantity of smuggled goods seized in Indore, (Madhya Pradesh) during the last two years and the names of persons and firms against which action was taken; and

(b) the value of the goods in Indian currency so recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) The quantity/value of smuggled goods seized in Indore (Madhya Pradesh) during the last two years is as follows :

1972

	Rs.
Wrist watches (643 pieces)	48,860
Synthetic Fabrics	28,800
Synthetic yarn	4,440
Miscellaneous goods	15,330
TOTAL	97,430

1973

	Rs.
Wrist watches (75 pieces)	9,700
Synthetic Fabrics	44,240
Synthetic yarn	110
Miscellaneous goods	13,770
TOTAL	67,820

Information regarding names of persons and firms against whom action was taken is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

विदेश भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों पर हुआ व्यय

9982. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री बेकरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और 1973 के दौरान कितने सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गए;

(ख) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था, उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की, उनमें से प्रत्येक के कितने सदस्य थे और विदेशी मुद्रा सहित उनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) उन प्रतिनिधिमंडलों पर वर्षवार कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 मार्च, 1972 से 28 फरवरी, 1973 तक की अवधि में 646 प्रतिनिधिमण्डल विदेश भेजे गये थे, जिन पर भारतीय मुद्रा में 92,17,452 रु० तथा विदेशी मुद्रा में 40,91,624 रु० खर्च हुआ। इसमें वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भेजे गये प्रतिनिधिमण्डलों का व्यय शामिल नहीं है।

भाग (क), (ख) तथा (ग) के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

कपडे का नियंत्रण समाप्त करना

9983. **श्री अरविन्द एम पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस कपड़े का नियंत्रण समाप्त करने को कोई प्रस्ताव है जिसे सरकारी समितियों द्वारा नियंत्रित दर पर बेचा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-रूस व्यापार

9984. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत से जो कच्चा माल खरीदा है उसकी कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव से 20 से 30 गुना कम है;

(ख) क्या भारत को रूस की मशीनरी तथा औद्योगिक उत्पादों के लिए 20 से 30 प्रतिशत अधिक देना पड़ा है तथा कभी कभी तो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव से तिगुने मूल्यों पर भी देना पड़ा है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय इन आरोपों संबंधी तथ्यों का पता लगाने के लिए मामले की गहराई में गया है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति संबंधी प्रवृति पर इसका क्या असर पड़ा है तथा इस बारे में अन्य तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

शत्रु सम्पत्तियों संबंधि कार्य करने वाले अभिरक्षक का कलकत्ता स्थित कार्यालय

9985. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 'शत्रु की सम्पत्तियों' के रूप में घोषित सम्पत्तियों सबन्धी कार्य करने वाले अभिरक्षक की एक शाखा इस बीच कलकत्ता में खोल दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वह कार्यालय कब खोला गया है, इस कार्यालय के प्रभावी व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा इसके उद्देश्य क्या है,

(ग) क्या कलकत्ता में कार्यालय की शाखा खोले जाने के बारे में पूर्वी भारत के समाचार पत्रों को कोई अधिसूचना जारी की गई है; और

(घ) कलकत्ता स्थित नय कायालय के दर्जे, उद्देश्य और कार्यों से संबन्धित अन्य तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) शत्रु फर्मों के उपनियंत्रक का कार्यालय कलकत्ता में सितम्बर 1965 से विद्यमान है बाद में उनका पदनाम शत्रु संपत्ति उप-अभिरक्षक भी कर दिया गया था। इन नियुक्तियों का भारत के सरकारी गजट में विधिवत अधिसूचित किया गया था। इस पद पर इस समय स्टेट बैंक आफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी श्री एच० सी० विश्वास प्रतिनियुक्ति पर हैं। वे शत्रु संपत्ति से संबंधित कार्य में पूर्वी क्षेत्र में भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक की सहायता करते हैं।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के बकाया दावे

9986. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की शत्रू की सम्पत्तियों के रूप में घोषित सम्पत्तियों से सम्बन्धित बकाया दावे निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या इस आशय की कोई अधिसूचना जारी की गई है कि यदि कोई नये दावे उचित होंगे तो सरकार उन पर विचार करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जिस भारतीय राष्ट्रिको की सम्पत्तियां सितम्बर, 1965 के संघर्ष के दौरान जब्त कर ली गई हैं, उनको अनुग्रहपूर्वक अनुदान का भुगतान करने के लिये दावों की शीघ्र जांच करने के लिए भारत के शत्रू संपत्ति के अभिरक्षक के कार्यालय को सुदृढ किया गया है। ऐसे भारतीय राष्ट्रिको की दावों की जांच करने के लिए जिनके पास न तो स्वामित्व सिद्ध करने के लिए और न ही यह सिद्ध करने के लिए कि कितनी संपत्ति जब्त की गई है, दस्तावेज नहीं है, तीन अधिकारियों का एक पैनल नियुक्त किया गया है जिसमें भारत के शत्रू संपत्ति के अभिरक्षक, पश्चिम बंगाल के न्यायिक सेवा के एक अधिकारी और राजस्व सेवा के एक अधिकारी है। पैनल की बैठक महिने में एक बार होगी और वह अनुग्रह पूर्वक अनुदान के भुगतान के बारे में सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करेगा। गुणावगुण के आधार पर सरकार अभी भी नये दावों को स्वीकार करती है।

भारत बांगला देश व्यापार संगठनों के माध्यम से किया जाना

9987. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगला देश व्यापार दोनों देशों के सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाना था ;

(ख) क्या दोनों देशों के सरकारी संगठनों ने भारत-बंगला देश समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार करने के लिये अनक गैर-सरकारी एजेंसियों को लाइसेंस और परमिट जारी किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या है जिन्हें ये लाइसेंस और परमिट दिये गये हैं; और

(घ) इन गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा कितना व्यापार किया जा रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) संतुलित व्यापार तथा भुगताना व्यवस्था के उपबंधों के अनुसार निर्यातों/आयातों के लिए लाइसेंस/लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा केवल सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों को उनके द्वारा देखी जाने वाली वस्तुओं के संबंध में जारी किये गये हैं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बंगला देश को निर्यात

9988. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी भारतीय एजेंसियों द्वारा बंगला देश को निर्यात किये गये भारतीय उत्पाद और सरकारी और गैर सरकारी बंगला देश एजेंसियों द्वारा आयात किये गये भारतीय उत्पाद बहुत से मामलों में घटिया पाये जाते हैं और बंगला देश में बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेचे जाते हैं ;

(ख) क्या बंगला देश में भारत विरोधी भावनाओं के प्रसार के यह मुख्य कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो बंगला देश के घटिया माल के निर्यात को रोकने और बंगला देश के लोगों की जानकारी के लिये समाचारपत्रों के माध्यम से उनके मूल्य सूचित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत में सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा बंगला देश को घटिया माल सप्लाई किये जाने के बारे में कोई शिकायतें नहीं हुई हैं। सरकार को भारत में ऐसी किसी गैर सरकारी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है जिसने बंगला देश को घटिया माल सप्लाई किया हो। तथापि हाल ही में बंगला देश के कुछ आयातकों के पास से एक भारतीय फर्म द्वारा सप्लाई की गई लुंगियों की क्वालिटी के बारे में शिकायतें मिली है। वस्त्र समिति, जो सूती वस्त्रों के निर्यात निरीक्षण के लिए सरकारी अभिकरण है, इन आरोपों की जांच कर रही है। सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इसके कारण बंगला देश में कोई भारत बंगला देश में कोई विरोधी भावना पैदा हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों द्वारा विदेशी ब्रांड के नामों के प्रयोग पर प्रतिबंध

9989. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन कम्पनियों के मामले में जो कोर क्षेत्र से इतर उत्पाद बनाती है, विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन) अधिनियम के अधीन विदेशी ब्रांड के नामों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध को सकती से लागू किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत, 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयरधारिता वाली कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के लिये यह जरूरी है कि वे किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने व्यापार चिन्हों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति लें। इस सम्बन्ध में, 30 जून, 1974 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन-पत्र भेजना जरूरी है। इन आवेदनों पर उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

पूर्वी भारत में उत्पादकों को कच्चे पटसन के समर्थन मूल्य

9990. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत में कच्चे पटसन के उत्पादकों को वर्ष 1973 में कच्चे पटसन के लिये निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य नहीं मिला है ;

(ख) इस वर्ष कुल कितनी गाठों का उत्पादन हुआ और बाजार में बेची गई ;

(ग) उत्पादकों को अदा किये गये कम मूल्यों के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी आय का अन्तरण हुआ ;

(घ) क्या इस समस्या का अध्ययन करने के लिये एक संयुक्त अन्तर्मंत्रालय समिति गठित की गई है ; और

(ङ.) यदि हा, तो समिति के निर्देश पद क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1973 के दौरान कच्चे पटसन की कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत से काफी ऊपर रही है।

(ख) चालू मौसम के दौरान सम्भावित उत्पादन 80 लाख गांठे हैं। ग्रामों में खपत के लिए थोड़ी सी मात्रा छोड़कर शेष बाजार में बेची जाती है।

(ग) इस संबंध में अनुमान लगाना कठिन है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

एकीकृत वस्त्र नीति

9991. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी एकीकृत वस्त्र नीति को अंतिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या नियंत्रित किस्मों के कपड़े के मूल्यों में भारी वृद्धि होने की संभावना है ;

(ग) इस नीति के फलस्वरूप सूती धागे के मूल्यों से नियंत्रण हटाया जा रहा है ;

(घ) क्या अब के बाद सूती कपड़ा मिलों को अपने कुल उत्पादन का आधा भाग नियंत्रित किस्मों के कपड़े के रूप में करने को कहा जा रहा है ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो नियंत्रित मूल्य के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि न करने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार एकीकृत वस्त्र नीति के कतिपय पहलुओं तथा नियंत्रित कपड़े के उत्पादन और वितरण और सूत के तथा सूत निर्यात के सम्बन्धित मामलों पर अपने निर्णयों का एलान कर चुकी है। अन्य पहलुओं पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) 1 अप्रैल, 1974 से लागू की गई कंट्रोल के कपड़े की संशोधित नीति के अनुसार मोटे सूती कपड़े और मीडियम 'बी' सूती कपड़े की नियंत्रित किस्मों की मिल से चलते समय की उन कीमतों में 30 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है जो मई 1968 में तय की गई थी। मीडियम 'ए' कपड़े की उन किस्मों की, जो अब कंट्रोल के अन्तर्गत ले ली गई है, मिल से चलते समय की कीमतों में मई, 1968 की मिल से चलते समय कीमतों में 30 प्रतिशत वृद्धि करके निर्धारित की जायेगी। कंट्रोल के कपड़े पर रिटेल मार्जिन भी $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इस प्रकार हालांकि मोटे और मीडियम 'बी' किस्मों के कपड़े की कीमतें बढ़ जायेगी, लेकिन मीडियम 'ए' किस्मों के कंट्रोल के कपड़े की कीमतें इन किस्मों की अप्रैल, 1974 से पहले चल रही कीमतों से काफी कम होगी।

(ग) सूत की कीमतों पर लगे कंट्रोल में कई अवस्थाओं में ढील देते हुए उसे फरवरी, 1974 में पूर्णत: हटा दिया गया है।

(घ) तथा (ङ) 1 अप्रैल, 1974 से कंट्रोल के कपड़े की मात्रा 100 प्रतिशत बढ़ा दी गई है अर्थात 4 करोड़ वर्ग मीटर से बढ़ाकर 8 करोड़ वर्ग मीटर प्रतिवर्ष कर दिया गया है और कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन के सम्बन्ध में मिलों की बाध्यता अब 24 प्रतिशत होगी।

कतइयों और बुनकरों के बीच स्वैच्छिक मूल्य समझौता

9992. **श्री मधु लिमये :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइलोन तथा रेयन यार्न के सभी उत्पादकों और उसके प्रयोक्ताओं/बुनकरों के बीच स्वैच्छिक समझौता करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे है ;

(ख) क्या वे प्रयास विफल हो गए है ;

(ग) क्या सरकार समूचे उत्पादन को बुनकरों में नियंत्रित मूल्यों पर वितरण करने हेतु अपने नियंत्रण में लेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) 6-9-1973 को नायलोन धागे के कतैयों और बुनकरों के बीच स्वैच्छिक करार पर चार कतैयों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। अन्य कतयों को भी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया जा रहा है।

विस्कोस फिलेमेंट धागे के कतैयों और बुनकार के बीच हुआ स्वैच्छिक करार 31-12-1973 को समाप्त हो गया। दोनों पार्टियों 1974 के लिए नये करार पर बातचीत कर रही हैं। लकड़ी की लुगदी/फर्नेस आयल न मिलने से ऐसे प्रमुख उत्पादन कारखानों को, जिनका उत्पादन देश के फिलेमेंट धागे के कुल उत्पादन की 60 प्रतिशत ठहरता है, अपना उत्पादन लगभग 50 प्रतिशत कर देने के लिए विवश होना पडा है। वस्त्र आयुक्त के अनुसार फिलेमेंट धागे के कतैयों के लिये नये करार में शामिल होना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाने की स्थिति में नहीं आ जाते। फिर भी कतैयें 1973 की सप्लाइयों के संचय को निपटा रहे हैं और इसके जून, 1974 के अन्त तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

जब तक बातचीत का परिणाम मालूम नहीं हो जाता तब तक रेयन धागे के समग्र उत्पादन का नियंत्रित कीमतों पर वितरण हाथ में लेने की संभावना नहीं हो सकती।

कुटीर उद्योग उत्पादित वी-बेल्ट पर उत्पादन शुल्क

9993. **श्री आर० बी० बड़े :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी-बेल्ट प्रशुल्क संख्या टी० ए० 16ए(4) के अन्तर्गत आती है,

(ख) क्या इन कूटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित रबड़ उत्पाद इस प्रशुल्क के अन्तर्गत आते हैं जहां 'वल्केनाईजिंग' संयंत्र नहीं है और इसलिए वे "उच्च तापमान पर गंधक के साथ रबड़ को संसाधित" नहीं कर सकते ;

(ग) क्या इस संबंध में विशिष्ट स्पष्टीकरण के अभाव में, रबड़ और कैनवास को हाथ से बांध कर वी-बेल्टों का उत्पादन करने वाले कुटीर उद्योगों को 25 प्रतिशत की दर से शुल्क अदा करना पड़ रहा है जो डनलाप और गुडईयर जैसे बड़े उद्योगों से वसूल किया जा रहा है ; और

(घ) इस संबंध में पूरे तथ्य क्या है और विना 'वल्केनाइजिंग' संयंत्र वाले उन कुटीर उद्योगों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जो वी-बेल्टों का उत्पादन कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। वी-बेल्ट पर लगाये जाने योग्य उत्पादनशुल्क की सही दर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार है चाहे उसका निर्माण किसी भी उद्योग क्षेत्र में किया जाता हो। इसके अतिरिक्त, मूल शुल्क के 20 प्रतिशत की दर पर उपसंगी उत्पादनशुल्क भी लगाया जाता है।

(घ) वल्कनीकरण संयंत्र की सहायता के बिना तथा किसी प्रकार की विद्युत् शक्ति का प्रयोग किये बिना निर्मित वी-बेल्ट पर शुल्क लगाया जाता है। परन्तु, कुछ लघु उद्योग क्षेत्र के निर्माताओं ने केन्द्रीय उत्पादनशुल्क से राहत के लिये अभ्यावेदन किया है। इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि लघु उद्योग क्षेत्र के इस प्रकार के एककों को राहत देना उचित है अथवा नहीं।

Steps to Check Blackmarketing of Commodities

9994. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have not implemented the suggestions made by the Consumers Council of India from time to time to check blackmarketing and smuggling to prevent adulteration and to bring about improvement in distribution system ;

(b) whether because of this consumers are not getting any commodity at the price fixed by the Government or manufacturers ; and

(c) the reaction of the Government to the pitiable condition of the fixed income group people ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) Government are aware of the survey report of the Consumer Council of India on "Cooperative All India Retail Price Level" indicating among other things, the availability and quality of Essential Commodities issued through fair price shops.

Reports of shortage and high prices of essential commodities have been received from various parts of the country. While this may be partly due to blackmarketing, there are several other contributory factors also.

Distribution of commodities of mass consumption is mainly effected by the State Governments. The role of the Central Government is necessarily to ensure availability of such commodities to the extent possible.

Provision for taking action against profiteers and blackmarketeers already exists in the Essential Commodities Act, 1955 and powers under the Act have also been delegated to State Governments/Union Territory Administrations. Further powers are also available under Defence of India Rules. The Government of India have impressed on all the State Governments the need to enforce strictly the various control orders. The State Governments have strengthened their enforcement machinery to deal effectively with hoarders, blackmarketeers and profiteers. Action is taken against persons who violate the various control orders.

Black Marketing and Hoarding of Commodities in Big Cities

9995. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that commodities are not available at fixed prices anywhere in the big cities such as Delhi, Calcutta, Bombay and Madras ;

(b) whether there is widespread black marketing and hoarding and all the commodities are available in black market ; and

(c) if so, the remedial action being taken to improve the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) Reports of shortages and high prices of essential commodities have been received from various parts of the country. While this may be partly due to hoarding and blackmarketing, there are several other contributory factors also.

Provision for taking action against hoarders, profiteers and blackmarketeers already exists in the Essential Commodities Act, 1955 and powers under the Act have also been delegated to State Governments/Union Territory Administrations. Further powers are also available under Defence of India Rules. The Government of India have impressed on all the State Governments the need to enforce strictly the various Control Orders. The State Governments have strenghthened their enforcement machinery to deal effectively with hoarders, black-marketeers and profiteers. Action is taken against persons who violate the control orders.

Loan from World Bank

9996. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether India is likely to get a loan of 23 crore dollars from the World Bank by June; and

(b) whether a team of Indian officers is going to Washington in this connection ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) Negotiations are being held in Washington during the current month with the World Bank and International Development Association for assistance for the Karnataka Dairy Development Project, Trombay IV Fertiliser Expansion Project. Rajasthan Canal and Chambal Command Area Development Projects in Rajasthan. It is expected that a total assistance of $200 million (Rs. 150 crores) would be committed for all these Projects, which would be started and completed in the next several years. Teams of officials are going to Washington in this connection.

गुड़गांव में भूमिधारियों द्वारा आयकर अपवंचन

9997. श्री भालजी भाई परमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव (हरियाना) में मदनपुरी कालोनी के कालोनाइजर्स के रूप में काम करने वाले कुछ भूमिपतियों के विरूद्ध बड़े पैमाने पर आयकर अपवंचन के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इन में से कुछ कालोनाइजर्स कृषि भूमि को आयकर से बचाने के लिए रजिस्ट्री के बिना अनधिकृत रूप से रिहायशी प्रयोजन बेच रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि ये कालोनाइजर्स किस प्रकार घोटाला करके भूमि और सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लेते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन आय-कर आयुक्त, पटियाला से यह पता चला है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा कोलोनाइजेशन अधिनियम के अधीन एक कालोनाइजर के खिलाफ शिकायत दायर की है।

हरियाणा में गुडगांव के चार कालोनाइजरों के संबंध में आय-कर विभाग ने स्वयं ही पूछ-ताछ की है। आय-कर विभाग ने जिन चार मामलों की जांच की है उनमें यह पाया गया है कि दो व्यक्ति भूमि के मूल स्वामी थे। चार व्यक्तियों में से एक को आय कर लगाने योग्य नहीं पाया गया। एक और व्यक्ति के मामले में, जिसे कर-निर्धारण योग्य पाया गया, भूमि की खरीद /पट्टेदारी में मूल रूप से 56,525 रु० लगाये गये थे तथा उसका कर-निर्धारण 24,000 रु० की कुल आय पर किया गया है जो तीन निर्धारण वर्षों में भूमि की बिक्री पर प्राप्त हुआ लाभ है। तीसरे मामले में लेखा-वर्ष 1970–71 और 1971–72 के दौरान किसी कर अपवंचन का पता नहीं चला। चौथे व्यक्ति के मामले में, पूछ-ताछ चल रही है। यदि आयकर विभाग को किसी ऐसे हेर-फेर का पता चला जो आयकर से संबंधित हो, तो कानून के अधीन वांछनीय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Success achieved in linking places by Air during Fourth Plan

9998. **Shri Mahadeepak Singh Shakyat** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the places which were proposed to be linked with air service during the Fourth Five Year Plan period and the extent to which success has been achieved in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation Shri Raj Bahadur : Indian Airlines had not formulated any specific programme for airlinking new stations during the Fourth Plan. However, during that Plan period, Tirupati, Muzaffarpur, Gaya, Raipur, Nasik, Dimapur and Dacca were included in the net-work of Indian Airlines after taking into account their commercial potential and tourist importance. However, due to the steep increase in the price of aviation fuel and the decision to phase out the Viscounts and Dakotas it became necessary for Indian Airlines to recast their schedule from 18-3-74, resulting in the discontinuance of air services to some cities including Muzaffarpur, Gaya Raipur and Nasik and reduction in frequencies of services to some other stations.

Export of Leather Goods

9999. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the foreign exhange earned by export of leather goods during 1973-74 and whether India has earned a reputation for leather goods export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce Shri A. C. George : According to provisional estimates India exported Rs. 5·10 crore worth of leather goods (excluding footwear) in 1973-74. Our leather goods industry is earning a good reputation in foreign market.

मानव निर्मित कपड़ों के लिये एक विकास निगम की स्थापना

10000. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अनुसरण में मानव निर्मित कपड़ों के लिये वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 के लिए एक विकास परिषद् की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस परिषद् के सदस्य कौन हैं और उनकी किन-किन विषयों में रुचि है ;

(ग) क्या इस परिषद् ने; यदि यह गठित हुई है तो, अब तक कोई काम किया है; और

(घ) इस परिषद् के अध्यक्ष के कृत्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मानव निर्मित वस्त्रों की विकास परिषद् का पुनर्गठन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधो के अन्तर्गत दो वर्ष की अवधि अर्थात 29–11–1974 तक के लिए 29–11–1972 को किया गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 7041/74]**

(ग) विकास परिषद् एक सलाहकार निकाय है। 26-2-74 को हुई इसकी पिछली बैठक में परिषद् ने उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने और तैयार उत्पादों के निर्यात संबर्धन के संदर्भ में मानव निर्मित रेशा उद्योग के विकास की समिक्षा की।

(घ) परिषद् के अध्यक्ष के कोई अलग कृत्य नहीं है, लेकिन वे सदस्यो की परिषद् के प्रमुख है और उसकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

चाय उद्योग को उत्पादनशुल्क में राहत

10001. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय-उद्योग को उत्पादनशुल्क में कुछ राहत देने की मांग की गई है और वह मांग अनुमति के लिए मंत्रालय के पास विचारार्थ पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेश यात्रा कर का लौटाया जाना

10002. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग तीन वर्ष पूर्व सरकार ने विदेश यात्रा पर कोई कर लगाया था और आंशिक रूप से प्रयोग की गई टिकटों पर वापस लेने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या कर वापस लेने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित न किये जाने के कारण सरकार के पास जनता के लाखों रुपये जमा पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या कर वापस किये जान के बारे में नियम बनाने के लिये कोई तत्काल कार्यवाही की जायगी ताकि जो लोग इस काम के लिये दिल्ली आते हैं, उन्हें सीमा शुल्क प्राधिकारियो के पास जा कर असुविधा और परेशानी न उठानी पड़े ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वित्त (सं० 2) अधिनियम 1971 के अधीन, 15 अक्तूबर 1971 से लगाए गए विदेश-यात्रा कर की वापसी, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिये जारी किए गए अंशत: अप्रयुक्त टिकटो पर स्वीकार्य होती है।

(ख) तथा (ग) अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए अंशत: अप्रयुक्त टिकटो के संबंध में 31 मार्च 1974 तक सरकार के पास 10832 दावे दायर किए गए थे जिनमें 34.03 लाख रुपयो की वापसी अंतर्गस्त थी। रद्द किए गए अथवा अप्रयुक्त टिकटों को पेश करने में वाहक कम्पनियों की आनाकानी अथवा असमर्थता को देखते हुए, ये दावे इसके पहले नहीं निपटाए जा सके थे। सीमा-शुल्क समाहर्ता तथा वाहक-कम्पनियों के साथ परामर्श करके उन आधारभूत दस्तावेजो का विनिश्चय करने के लिये एक विशेष अध्ययन किया गया था, जिनके आधार पर वापसी सम्बन्धी इन दावों पर कार्यवाही की जा सकती थी। अब सभी समाहर्ताओं को उपयुक्त अनुदेश जारी किये गये हैं, जिनमें वापसी के इन दावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिये उनसे अनुरोध किया गया है।

जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन में व्यपगत पालिसियों को पुन: चालू करने के लिये नियमों को उदार बनाना

10003. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन ने पालिसीधारियों के लिये उनकी व्यपगत पालिसियों को पुन: चालू करने हेतु नियमो को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे निर्णय लेने से पूर्व जिन पालिसीधारियों से चिकित्सा संबंधी प्रामणपत्र मांगे गये थे उन्हें भी मेडिकल रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(घ) क्या यही शर्त नौकरी करने वाली महिलाओं पर लागू होती है ;

(ङ) क्या यह अवधि एक महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि पालिसीधारियों को अपनी व्यपगत पालिसियों को पुन: चालू करने का और अधिक समय मिल सके; और

(च) क्या नई योजना की मुख्य बातें डिवीजन के अंतर्गत सभी एजेंटों को सूचित कर दी गई है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम ने व्यपगत पालिसियों को फिर से चालू करने के लिए पालिसिधारियों के लिए नियमों को उदार बना दिया है। यह व्यवस्था दिल्ली मंडल सहित सब मंडलों को लागू की गयी है।

(ख) जो रियायतें दी गयी हैं व य हैं :—

1. यदि किस्तों की जो बकाया रकमें 4 मार्च 1974 से 31 मई 1974 के बीच अदा की जायेंगी तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन, बकाया रकम पर ब्याज साढ़े चार प्रतिशत प्रति वर्ष की एक-समान रियायती दर से वसूल किया जायगा और ब्याज का हिसाब हर आधे वर्ष के हिसाब से लिया जायेगा :

(i) पालिसी 28 फरवरी 1974 को 6 महीने से अधिक अवधि से व्यपगत पड़ी हो; और

(ii) सभी बकायाँ किस्तों की अदायगी ब्याज सहित और अन्य सब आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए 31 मई 1974 को अथवा उससे पहले आ जाती है और पालिसी को सामान्य पुनरुजीवन योजना के अंतर्गत पूर्ण रुप से चालू करा लिया जाता है (जिसमें किस्तों में पुनरुजीवन शामिल नहीं हैं)।

2. 31 मई 1974 तक मूल शर्तों पर अच्छे स्वास्थ्य की संतोषजनक घोषणा के आधार पर पुनरुजीवन स्वीकार किया जायगा यदि—

(i) पालिसी को व्यपगत हुए 6 महीने से लगाकर एक वर्ष की अवधि हुई हो।

(ii) पुनरुजीवन के समय आयु 50 वर्ष से कम होने की हालत में 20 हजार रुपये तक के बीमें के लिए, और पुनरुजीवन के समय आयु 50 वर्ष अथवा उससे अधिक होने की हालत में 10 हजार रुपये तक के बीमें के लिए। बहुद्देश्यीय पालिसियों के मामले में उपर्युक्त सीमाएं क्रमशः 10 हजार और 5 हजार रुपये है।

(iii) मूल पालिसी साधारण दरों पर मंजूर की गयी हो अथवा धंधा, लिंग अथवा स्टेंडर्ड शारीरिक ह्रास के कारण एक मानक अतिरिक्त दर लागू की गयी हो।

(iv) पालिसीधारी के स्वास्थ्य और आददों में जीवन बीमा निगम के रिकार्ड के हिसाब से कोई प्रतिकूलता नहीं आई हो।

(ग) जी हां, जिसमें शर्त यह है कि पालिसीधारियों के स्वास्थ्य और आदतों में जीवन बीमा निगम के रिकार्ड के हिसाब से कोई प्रतिकूलता नहीं आई हो।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं।

(च) जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यालय से सभी मंडल कार्यालयों को इस योजना की मुख्य मुख्य बातों की सूचना के छपे हुए इश्तहार, नियंत्रक शाखा कार्यालय की मार्फत एजेंटों में बांट जाने के लिए भेजे गये है।

भारत बंगला देश व्यापार में कठिनाइयां

10004. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या भारत–बंगलादेश व्यापार में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमानों के आयात के लिये बिहार सरकार को दिया गया आयात लाइसेंस

10005. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि अमरीका से विमानों का आयात करने के लिये बिहार सरकार को कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक बीच बैरन बी–55 विमान तथा आवश्यक संधारण उपस्कर एवं फालतू पुर्जों के आयात के लिए 1973 में बिहार सरकार को 8,70,400/– रुपये की राशि की विदेशी मुद्रा दी गयी थी। परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई आयात लाइसेंस जारी नही किया गया था, क्योंकि आयात भारत सप्लाई मिशन, वाशिंगटन, के माध्यम से किया गया था।

'स्वायका तेल मिल' के विरुध मामला

10006. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बी० बी० एस० मूर्ति, वित्तीय मैनेजर, राज्य व्यापार निगम की शिकायत पर राय बहादुर गंगा स्वायका और स्वायका तेल मिल के पांच अन्य व्यक्तियों पर षडयंत्र धोखाघड़ी और 20 लाख रु० के आपराधिक न्यास भंग के आरोपों पर एक मुकदमा दायर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम के प्रबंध वर्ग ने श्री जी० बी० स्वायक तथा संयुक्त कुटुम्ब के अन्य वयस्क सदस्यो के खिलाफ उन्हें मूंगफली की तेलरहित खलों और / अथवा अन्य तेलरहित खलियों के निर्यात हेतु दिये गए 20 लाख रु० के ऋण को वापिस वसूल करने के लिए चीफ प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत दर्ज की।

2. इस प्रकरण के तथ्य निम्नलिखित हैं :

6 फरवरी, 1968 को श्री जी० बी० स्वायका ने स्वायक आयल मिल्स के संयुक्त कुटुम्ब व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य व्यापार निगम के साथ एक संविदा की जिसमें वह अन्य बातों के साथ–साथ 15,000 टन मुंगफली की तेल रहित खली और / अथवा अन्य तेल रहित खलियों

का निर्यात करने के लिये सहमत हुए यह भी सहमति व्यक्त की कि वे समस्त मात्रा का लदान 1,000 टन प्रति मास औसतन आधार पर जनवरी, 1968 तथा मार्च, 1969 के बीच कर देंगे संविदा की शर्तों के अधीन अन्य बातों के साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई थी कि राज्य व्यापार निगम, पार्टी को निम्नलिखित की प्रतिभूति पर कुल 30 लाख रु० की वित्त व्यवस्था प्रदान करेगा।

(1) 30 लाख रु० हेतु ई० सी० जी० सी० गारंटी, जो कि स्वायक आयल मिल्स की लागत पर राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

(2) स्वायक आयल मिल्स के उक्त व्यवसाय द्वारा कम से कम 14 लाख रु० की अचल सम्पतियों का सामियक बंधक।

(3) एक बीमा कम्पनी से 10 लाख रु० की गारंटी।

(4) ऋण हेतु एक सांपार्श्विक प्रतिभूति के रुप में 6 लाख रु० का एक वचन पत्र।

उपर्युक्त प्रतिभूतियां / गारंटियां विधि के अनुसार सम्यक् रूप से निष्पादित विधि के अनुसार सम्यक रुप से निष्पादित कर दी गई थी।

उपर्युक्त ऋण पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। उपर्युक्त करार दिनांक 6 फरवरी 1968 के अनुसार राज्य व्यापार निगम ने श्री जी० वी० स्वायका तथा कथित संयुक्त कुटुम्ब के अन्य वयस्क सदस्यों द्वारा दी गई ट्रस्ट रिसीट्स के आधार पर 10.02 लाख रु० का ऋण दिया जिनके अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम को यह आश्वासन दिया गया था कि वे राज्य व्यापार निगम के लिए ट्रस्ट अधीन प्राप्त किये गए तथा प्राप्त किये जाने वाले खलियों के स्टाकको बनाए रखेंगे। राज्य व्यापार निगम ने उक्त संविदा की प्रतों के अनुसार अप्रैल, 1968 तक 9.97 लाख रु० का और भी ऋण दिया। इस प्रकार, राज्य व्यापार निगम ने श्री जी० वी० स्वायका तथा संयुक्त कुटुम्ब के अन्य सदस्यों को लगभग 20 लाख रु० की कुल राशि का ऋण दिया यह भी शर्त रखी गई कि राज्य व्यापार निगम के पक्ष में स्वायका के विदेशी खरीदारों द्वारा कम से कम 12 लाख रु० का ऐसा ऋण पत्र खोला जाएगा जो कि आदेशकों को सूचित किये बिना अप्रतिसहरणीय हो। तथापि, चूंकि स्वायका ग्रुप ने संविदा की शर्तों के अनुसार माल का निर्यात नहीं किया और उन्हें दी गई ऋण राशि का दुर्विनियोग किया, अतः राज्य व्यापार निगम ने चीफ प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट कलकत्ता क समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की जिसने इस मामले को सैवन्थ प्रैजीडेंसी मजिस्ट्रेट के यहां अन्तरित कर दिया।

8 अप्रैल, 1974 को सैवन्थ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 253(2) के अधीन अभियुक्त का उन्मोचन कर दिया। राशि की वसुली के लिए आगे क्या कार्यवाही की जाए इस संबंध में यह मामला निगम के सालिसिटर्स के विचाराधीन है।

सीमाशुल्क गृह, कोचीन में भरतीयां

10007. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से वर्ष 1973 तक की अवधि के दौरान सेवावधि के दौरान स्वर्गवासी हुए सरकारी कर्मचारीयो के कितने आश्रितों तथा निकट सम्बन्धियों को सीमाशुल्क गृह, कोचीन में विभिन्न पदो पर मानवीय आधार पर नियुक्त किया गया है तथा सेवावधि के दौरान स्वर्गवासी हुए प्रत्येक कर्मचारीयों के नाम क्या है तथा उनका निधन किस-किस तिथी को हुआ और उनके निकट सम्बन्धी अथवा आश्रितों को किस संवर्ग में तथा किस-किस तिथी को नियुक्त किया गया?

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है; और

(ग) सीमा शुल्क कलेक्टर, कोचीन / वित्त मन्त्रालय ने कितने मामलों में उपरोक्त आधार पर नियुक्ति के कितने आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया था अथवा विलम्ब किया है अथवा अस्वीकार कर दिया है और उनमें से कितने आवेदन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन–पटल पर रख दी जायगी।

बैंक उद्योग द्वारा पांचवीं योजना के दौरान 47,000 व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना

10008. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैंक उद्योग द्वारा पांचवीं योजना के दौरान प्रतिवर्ष 47,000 व्यक्तियों की भर्ती करने की एक बृहत योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक रोजगार उपलब्ध करेंगे और किन-किन राज्यों में ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) प्रत्येक बैंक प्राय: वर्तमान शाखाओं के कार्य में प्रत्याशित वृद्धि और स्थापित की जाने वाली शाखाओं की आवश्यकताओं के संदर्भ में, सेवा निवृत्त, त्यागपत्र आदि के लिए जरूरी छूट देते हुए, विभिन्न वर्गों में की गयी नये रगस्टों की भर्ती का प्रतिवर्ष अनुमान लगाता है। राष्ट्रीय करण से पहले के वर्ष को तदनुरूप अवधि की तुलना में कैलेंडर वर्ष के अन्तिम तारीख के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि इस प्रकार थी :—

31-12-1969 और 31-12-1970 के दौरान 27,000

31-12-1970 और 31-12-1971 के दौरान 31,000

31-12-1971 और 31-12-1972 के दौरान 25,000

सरकारने एन० आई० बी० एम० की त्रैमासिक पत्रिका प्रजनन के 1972 के प्रथम खंड में प्रकाशित 'भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग उद्योग की जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में दीर्घावधिक पुर्वानुमान' नामक लेख देखा है जिसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए बैंकिंग उद्योग की जनशक्ति संबंधी सम्भावित आवश्यकता का पुर्वानुमान लगाया गया है। उस लेख में प्रयुक्त एक तकनीक के अनुसार पूरे वाणिज्यिक बैंकिंग उद्योग जनशक्ति सम्बन्धी कुल आवश्यकता के संबंध में पूर्वानुमान के अनुसार पांचवीं आयोजना अवधि के प्रथम वर्ष की 32400 की संख्या की तुलना में पांचवीं आयोजना की अवधि के अन्तिम वर्ष में 47,200 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्स रायेक्स इण्डिया लिमिटेड के लिये आयात की गई साईजिंग मशीनों का बिना बिके पड़ा रहना

10009. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वाणिज्य** मंत्री 29 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3821 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम से पुरानी टैक्सटाइल मशीनें खरीदने वालों को आयात लाइसेंस के बारे में कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) क्या ये मामला एक पक्ष द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में ले जाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में निर्णय दिया था;

(घ) निर्णय दिये जाने के उपरान्त सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ङ) चूंकि मै० मधु वार्प-निट इंडस्ट्रीज ने 19-2-1972 को दिल्ली के उच्च न्यायालय में याचिका फाइल की है तथा मामला न्यायाधीन था इसलिये राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित मशीनों की निकासी के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25-3-1974 को याचिका रद्द कर दी है।

इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार मशीनों की बिक्री के लिय राज्य व्यापार निगम द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

मशीनों की बिक्री के लिए कार्यवाही करने में विलम्ब उस याचिका के कारण हुआ था जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीन थी।

केमानगुण्डी (कर्नाटक) में पर्यटक गृह की स्थापना के लिये स्वीकृत धनराशि

10010. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने केमानगुन्डी (कर्नाटक) में पर्यटक गृह की स्थापना के लिये कितनी धनराशी स्वीकृत की है; और

(ख) निर्माण-कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग के विचाराधीन ऐसी कोई स्कीम नहीं है परन्तु कर्नाटक सरकार का 50.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से केमानगुंडी में आवास, जल सप्लाई, मलनिकास तथा संचार सुविधाओं के विकास का एक प्रस्ताव है।

माल के यातायात के बारे में एयर इण्डिया की नीति

10011. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा माल सबंधी धारणा की अपनी नीति पर पुनर्विचार करने में तत्परता न दिखाए जाने के कारण विदेशी एयरलाइनों ने उसे पीछे छोड़ दिया है;

10—20 L.S.S./74

(ख) क्या माल यातायात की क्षमता को समझते हुए बी० ओ० ए० सी०, लुफ्थान्सा एयर फ्रांस तथा के० एल० एम० ने अपने माल विभाग को स्वायत्तशासी बना कर अपने उक्त विभाग में सुधार किया है; और

(ग) एयर इंडिया ने इस उदाहरण का अनुकरण करके लाभ उठाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) एयर इंडिया बदलती हुई मार्किट परिस्थितियों द्वारा उस पर लादी गयी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करती है परन्तु लचीलेपन की भी सीमाएं होती हैं । बड़ी एयरलाइनों के पास अधिक साधन होते हैं तथा आवश्यकतानुसार दिये जाने वाले महत्व में परिवर्तन कर सकती हैं ।

(ग) एयर इंडिया ने माल के स्थान के लिये बढ़ती हुई मांग के पूर्ति के लिये उपलब्ध सीमित विमान बेड़े तथा साधनों के अन्तर्गत रहते हुए निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(i) 1 अप्रैल, 1974 से, एयर इंडिया भारत-यू०के०-भारत मार्ग पर 30 टन भार वहन करने में सक्षम दो राउंड-ट्रिपों (फेरों) का परिचालन करती है जोकि पूर्णरूप से मालवाही सेवाएं हैं और जिसे माल उठाने या उतारने के लिए यथोपेक्षित रूप से कलकत्ता अथवा मद्रास तक बढ़ाया जा सकता है;

(ii) इसने माल धारिता में 14 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है जिसे कि सामान्य परिस्थितियों में पर्याप्त समझा जाता है; और

(iii) जब कभी उचित शर्तों पर उपलब्ध हो, अन्य वाहकों से विमान चार्टर पर लेना।

Circulation of Money

10012. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of currency in circulation as on the 17th April, 1974 ;

(b) whether Government propose to curtail the money supply in order to arrest inflation ; and

(c) if so, the amount of money proposed to be allowed to remain in circulation and how the remaining amount is proposed to be withdrawn ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantaro Chavan) : (a) The amount of currency with the public as on the 12th April, 1974, last date for which such data are available, stood at Rs. 6,567 crores.

(b) & (c) Government have been taking, from time to time, various fiscal, monetary and other measures to contain the increase in money supply with a view to combating inflation. However, it is difficult to quantify the impact of these measures.

Flights operated and Pilots engaged before and after the strike in Indian Airlines

10013. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of flights operated and of the pilots engaged in the whole country by the Indian Airlines before the last strike ;

(b) their number after the strike ; and

(c) the time by which all the flights that were in operation prior to the strike are proposed to be restored ;

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) Presumably the hon'ble Member desires the required information before the lock-out in Indian Airlines. If so, the requisite information is as follows :—

	No. of Services operated (per week)	No. of Pilots on the roll of the Corporation
Before the lock-out	980	437
After the lock-out (18-3-1974)	1,006	432

(c) Due to the steep increase in the price of aviation fuel and the decision of the Corporation to phase out Viscounts and Dakotas from its fleet, the Corporation is unable to resume all the flights that were in operation prior to the lock-out. The position will be reviewed as soon as the fleet position improves.

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

10014. श्री सतपाल कपूर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि यदि पंजाब सरकार ने अपनी जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि को वापस जमा करने के लिये आपात-उपाय नहीं किये तो वह राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये सभी बिलों तथा चेकों को स्वीकार नहीं करेगा;

(ख) प्रत्येक राज्य की ओवर ड्राफ्ट की सीमा कितनी है;

(ग) प्रत्येक राज्य के नाम में ओवरड्राफ्ट की कितनी राशि है; और

(घ) क्या किसी अन्य राज्य सरकार को भी इसी तरह चेतावनी दी गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो ,पंजाब सरकार को ही यह धमकी देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) और (घ) : चूंकि पंजाब सरकारने अप्रैल, 1974 में भारतीय रिजर्व बैंकसे ओवरड्राफ्ट ले लिया था इसलिये बैंक ने राज्य सरकार को इस उद्देश्य से एक पत्र भेजा था कि उसे ओवरड्राफ्ट की स्थिति के बारे में सचित किया जाय और यह चेतावनी दी जाय कि यदि ओवरड्राफ्ट लगातार सात दिनों से अधिक समय तक बना रहा तो राज्य सरकारों को रकमों की अदायगी करनी बन्द कर दी जायेगी । जब कोई राज्य रिजर्व बक से ओवरड्राफ्ट ले लेता है तब बैंक आम तौर पर सम्बद्ध राज्य को इस तरह का पत्र लिखता है ।

(ख) किसी राज्य के लिए इस तरह के ओवरड्राफ्ट की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है । प्रत्यक राज्य को दिये जाने वाले सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं । इन सीमाओं में विशिष्ट/अतिरिक्त विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाएं शामिल नहीं हैं जो राज्यों द्वारा धारित प्रतिभूतियों के आधार पर स्वीकृत की गयी है ।

(ग) 7 मई, 1974 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ट का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

1. बिहार	41.32
2. असम	0.02

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की सिमाएं

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	पहली मई 1972 से शर्त रहित अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाएं
1. आन्ध्र प्रदेश	6.00
2. असम	2.40
3. बिहार	4.20
4. गुजरात	4.20
5. हरियाणा	1.80
6. हिमाचल प्रदेश	1.20
7. कर्नाटक	4.80
8. केरल	3.60
9. मध्य प्रदेश	4.80
10. महाराष्ट्र	9.00
11. मणिपुर	0.60
12. मेघालय	0.60
13. नागालैंड	0.60
14. उड़ीसा	3.60
15. पंजाब	3.60
16. राजस्थान	3.60
17. तमिलनाड	6.60
18. त्रिपुरा	0.60
19. उत्तर प्रदेश	10.20
20. पश्चिम बंगाल	6.00
जोड़	78.00

टिप्पणी:— (1) उपर्युक्त अग्रिमों के अलावा राज्य भारत सरकार की प्रतिभूतियों की धाररिता के आधार पर विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिम ले सकते हैं।

(2) जम्मू और कश्मीर सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से लेनदेन नहीं करती।

जीवन बीमा निगम के एजेंटों को दिये गए कमीशन पर आय कर की वसूली

10015. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के प्रत्येक एजेंटों के कमीशन बीलों से इस तथ्य के बावजूद आय कर मूल स्रोत से काटा जाता है चाहे वह आय कर निर्धारित की श्रेणी में आता है या नही और यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम, दिल्ली डिवीजन के विभिन्न शाखाओं के सभी एजेंटों को आय प्रमाण-पत्र दिया गया है, जिसमें वर्ष 1973-74 के दौरान काटा गया आयकर दिखाया गया है और उसे सम्बन्धित अधिकारी को भेजा गया है ताकि वह इस प्रकार काटी गयी राशि को वसूल करने का दावा कर सके; और

(ग) दावा की गई राशि वापिस लेने में सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश : (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-डी में यह व्यवस्था की है कि 1-6-1973 से बीमा-कमीशन के रूप में हुई आय पर विद्यमान दरों पर स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए लागू आयकर की दर 10 प्रतिशत है। एतदनुसार, जीवन बीमा निगम, एजेंटों द्वारा अर्जित कमीशन से आयकर की कटौती करता रहा है, सिवाय उन मामलों के जिनमें बीमा एजेंट आयकर अधिकारी से आयकर अधिनियम की धारा 197 के अन्तर्गत इस आशय का प्रमाण-पत्र पेश करता है कि जीवन बीमा निगम ऐसी निम्नतर दरों पर कर की कटौती करे जो उस प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट हैं, अथवा यथास्थिति, कर की कोई कटौती न करें।

(ख) आशा है जीवन बीमा निगम का दिल्ली प्रभाग, वित्तीय वर्ष 1973-74 में की गई आयकर की कटौतियों के संबंध में शीघ्र ही आय-प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(ग) जिस एजेंट की कर-निर्धारण योग्य आय किसी वित्तीय वर्ष में कर-योग्य सीमा से कम होती हो अथवा जिससे कर की अधिक कटौती की गई हो वह, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 239 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में एक वापसी-आवेदन पत्र तथा आय विवरणी आयकर अधिकारी को प्रस्तुत करके स्त्रोत पर काटे गये आयकर की वापसी का दावा कर सकता है। कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए इस प्रकार की विवरणी प्राप्त होने पर, वित्तीय वर्ष 1973-74 में स्रोत पर काटे गये कर स्रोत पर काटे गये अधिक कर की वापसी का दावा, निर्धारिती द्वारा इस संबंध में किये गये आवेदन पर शीघ्रता से मंजूर कर दिया जायगा।

जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिविजन के शाखा-कार्यालयों का कार्यकरण

10016. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम, दिल्ली डिवीजन के कुल कितने शाखा कार्यालय काम कर रहे हैं तथा व कहां कहां पर स्थित हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक शाखा कार्यालय के अधीन कुल कितने एजेंट काम कर रहे हैं; और

(ग) जीवन बीमा निगम, दिल्ली डिवीजन के प्रत्येक शाखा कार्यालय के अधीन ऐसे एजेंटों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनकी वर्ष 1973-74 में कमीशन से प्राप्त आय कर योग्य पाई गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जीवन बीमा निगम के दिल्ली मंडल में शाखा कार्यालयों की कुल संख्या, उनका स्थान तथा उनमें से प्रत्येक के अधीन काम कर रहे एजेंटों की संख्या नीचे दी गई है :--

शाखा युनिट संख्या	स्थान	31-12-1973 को शाखा कार्यालयों की सूची पर एजेंटों की संख्या
111	एन-ब्लाक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	307
112	86, जनपथ, नई दिल्ली	593
113	एच-ब्लाक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	445
114	चांदनी चौक, दिल्ली	345
115	रीगल बिल्डिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	418
116	आसफ अली रोड, नई दिल्ली	503
117	25, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	94
118	एन-36, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	402
119	खान मार्केट, नई दिल्ली	272
122	सिविल लाइन्स, गुड़गांव	262
123	2/25 रूपनगर, दिल्ली	429
124	6/78 अजमल खां रोड, नई दिल्ली	278
126	452/38, भोलानाथनगर, शाहदरा, दिल्ली	158
127	हौज खास, नई दिल्ली	178
128	1/132 सदर बाजार, दिल्ली छावनी	164
129	बी-3 टैगोर मार्केट, कीर्तिनगर, नई दिल्ली	217
310	ए/38 कैलाश कालोनी, नई दिल्ली	52
311	डब्ल्यू-2/15 पटेल नगर, नई दिल्ली	286
312	25-ए, निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली	235
314	एन० आई० टी०, फरीदाबाद	298
320	76, जनपथ, नई दिल्ली	15
326	जीवन रक्षा बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	212
327	एच-ब्लाक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	139
23	योग	6212

इनके अलावा, एक अन्य शाखा (यूनिट सं० 120) ने 10, दरियागंज, दिल्ली में 1 जनवरी, 1974 से काम शुरू किया है। 31 मार्च, 1974 को इस यूनिट की सूची में 15 एजेंट थे।

(ग) यह सूचना जीवन बीमा निगम के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह भी बता दिया जाय कि आयकर अधिनियम की धारा 194(घ) के अनुसार एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन की रकम में से 10 प्र० श० की दर से आय-कर काटा जाता है।

केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा बम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के निवास स्थान पर छापे मारा जाना

10017. श्री सतपाल कपूर :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं, जिनके निवास स्थानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छापे मारे थे तथा इसमें किस प्रकार के दस्तावेज पकड़े गए हैं; और

(ख) विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन में कौन सी कम्पनी अथवा कम्पनीयां अन्तर्गत थी तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच कार्यालय ने कहा है कि चूंकि उसकी जांच अभी जारी हैं। इसलिये पकड़े गए दस्तावेजों के स्वरूप, दोषारोपित लेनदेनों से संबंधित व्यक्तियों और पार्टियों के नाम या उन व्यक्तियों के नाम व ब्यौरे प्रकट करना ठीक नहीं होगा जिनके घरो की कार्यालय के द्वारा तलाशी ली गयी है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्तियां

10018. कुमारी कमला कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी वर्गों में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाये जाने वाले प्रक्रियाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पदा ही नहीं होता।

आयात लाइसेंसों को जारी करने के कार्य को प्राथमिकता देना

10019. कुमारी कमला कुमारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन नये, स्थापित कारखानों को, जो पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं अथवा वहां स्थापित किए जाएंगे, आयात लाइसेंस जारी करने के कार्य को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित एककों के संबंध में कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए अधिमानी व्यवहार की 1974-75 के लिए आयात नीति में पहले से ही व्यवस्था है। इस नीति की मुख्य विशषताएं अप्रैल, 1974-मार्च, 1975 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक-वोल्युम 1) में दी गई हैं जिसकी प्रति संसद्पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

मफतलाल ग्रुप की ओर करों की बकाया राशि

10020. **श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मफतलाल ग्रुप की ओर वर्ष 1970-71 से 1973-74 तक वर्षवार तथा कर-वार विभिन्न केन्द्रीय करों की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) उक्त-बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) निर्धारित अवधि में करों की अदायगी करने के लिये उक्त फर्म के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा चुकी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना ईकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायगी ।

विभिन्न सरकारी एजेन्सियो द्वारा मैसर्स मफतलाल ग्रुप को दिये गये ऋण

10021. **श्री कृष्ण चन्द्र पान्डे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी तथा सरकारी हितों वाली एजेंसियों तथा बैंको, जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा मसर्स मफतलाल ग्रुप को गत तीन वर्षों मे, वर्ष वार एवं संस्था-वार कितनी राशि के ऋण दिये गए;

(ख) उक्त ऋण किन उद्देश्यों के लिये दिय गये और क्या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये दिये गये ऋणों का उचित उपयोग नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी फर्मों को दिये गये ऋणों के उचित उपयोग की जांच करने वाली एजेंसी की इस बा मे क्या रिर्पोट हैं; और

(घ) इस संबंध मे क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (घ) सरकारी क्षे की अखिल भारतीय दीर्घावधि वित्तीय संस्थांओं और बैंकों द्वारा मफतलाल ग्रुप की कम्पनियों को स्वीकृत ऋणों के संबंध में ब्यौरे इकट्ठ किये जा रहेहैं और जहां तक उपलब्ध होंगे वे सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

मैसर्स मफतलाल द्वारा जाली मोहरें लगा कर विदेशी वस्तुएं बेचा जाना

10022. **श्री कृष्ण चन्द्र पान्डे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स मफतलाल की मिलों में वस्तुओं को "विदेशी" दर्शाने वाली बड़े पैमाने पर जाली मोहरें लगाई जाती हैं और उन वस्तुओं को बम्बई तथा अन्य स्थानों पर भारी लाभ पर खुले बाजार में बेचा जाता है; और

(ख) इस प्रकार का अवैध कार्य रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है या की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वाणिज्य भवन के लिए ऋण देने के बारे में जीवन बीमा निगम का विश्व व्यापार केन्द्र, बम्बई से बातचीत

10023. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम विश्व व्यापार केन्द्र, बम्बई के इस अनुरोध के बारे में उससे बातचीत कर रहा है कि उसे अपने 30 मंजिले वाणिज्य भवन का निर्माण करने के लिये 6 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाय;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम ने, चितरंजन पार्क दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये कमानों का निर्माण करने हेतु जो और धन-राशि देने का वचन दिया था, उससे इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक कार्यवाही का क्रमिक औचित्य क्या है तथा क्या उपरोक्त (क) के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम के बोर्ड ने एम॰ विश्वेश्वरैया औद्योगिक अनुसंधान और विकास केन्द्र को बम्बई में अपना बहुद्देश्यीय वाणिज्य केन्द्र के निर्माण के लिए 4 करोड़ 69 लाख रु॰ का ऋण देना सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है, और यह प्रस्ताव कानूनी पहलुओं की पूरी तरह जांच के अधीन हैं, और उक्त विकास केन्द्र, जीवन बीमा निगम द्वारा इस संबंध में रखी जाने वाली शर्तों को भी संतोषजनक ढंग से पूरा करेगा ।

(ख) जीवन बीमा निगम ने पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए चित्तरंजन पार्क, दिल्ली में मकान बनाने के लिए ऋण मंजूर करने का अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है । यह अवश्य है कि जीवन बीमा निगम ने 1970-71 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को, पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सदस्यों के लिए लगभग 280 मकान बनाने के प्रयोजन से, एक करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया था । यह पता चला है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले लगभग 280 मकानों में से प्राधिकरण ने अब तक केवल कोई 208 मकान बनाए हैं । अत: फिलहाल कोई अन्य रकम दे देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा एम॰ विश्वेश्वरैया औद्योगिक अनुसंधान और विकास केन्द्र को पट्टे पर दी गई जमीन में से जीवन बीमा निगम को अपने स्वयं के कार्यालय की इमारत बनाने के लिए कोई 10 हजार वर्ग मीटर स्थान मिल सकेगा । इससे बम्बई में जीवन बीमा निगम की कार्यालयी स्थान, की वर्तमान कमी की पूर्ति करने में काफी सहायता मिलेगी । अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है क्योंकि जीवन बीमा निगम और उक्त केन्द्र के बीच अभी बातचीत चल रही है ।

जहां तक पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति सहकारी आवास समिति के लिए मकान बनाने के निमित्त अतिरिक्त ऋण मंजूर करने का प्रश्न है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को शुरू मे ही यह कह दिया गया था कि अतिरिक्त ऋण देने की बात योजना की संतोषजनक गति पर निर्भर करेगी । योजना का प्रथम चरण ही अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिये अभी अतिरिक्त कोई ऋण मंजूर करने का विचार नहीं किया जा सकता ।

डम डम हवाई अड्डे पर निर्मित हेंगरों का उपयोग करने के लिए कार्यवाही

10024. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डम डम हवाई अड्डे पर जम्बो जेट रखने के लिए कुछ हैंगर बनाये गये थे;

(ख) क्या कलकत्ता के लिये जम्बो जेट सेवा आरम्भ न किये जाने के परिणाम स्वरूप ये हैंगर अप्रयुक्त पड़े है और सरकार को हानि हो रही है; और

(ग) क्या बी०ओ०ए०सी० ने एक बार उनको किराये पर लेने की इच्छा व्यक्त की थी और यदि हां, तो उनको हैंगर किराये पर न दिये जाने के क्या कारण हैं और उनका उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) कुछ वर्ष पहले कलकत्ता विमानक्षेत्र पर बोइंग 707 विमानों के लिए एक हैंगर का निर्माण किया गया था।

(ख) मई, 1972 से लेकर अक्तूबर, 1973 तक की अवधि को छोड़कर, जबकि इस हैंगर का प्रयोग भारतीय रेड्क्रास सोसाइटी द्वारा बंगलादेश सहायता कार्य के लिये किया गया था, यह हैंगर खाली पड़ा है।

(ग) बी० ओ० ए० सी० एक समय पर इस हैंगर को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, परन्तु बाद में उन्होंने इस आफर को वापस ले लिया।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारण इस बात की जांच कर रहा है कि हैंगर का किस प्रकार से अधिकतम लाभदायक ढंग से प्रयोग किया जा सकता है।

कश्मीर की हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाना

10025. **श्री सैयद मोहम्मद आगा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर के हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है अथवा की जा रही है तो वह क्या है; और

ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जम्मू तथा कश्मीर के हस्तशिल्पों के निर्यातों के विकास की दिशा में केन्द्रीय सरकार तथा जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा उठाये गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) स्वयं श्रीनगर हवाई पत्तन पर पोस्ट पार्सलों की सीमाशुल्क निकासी हेतु सुविधा की व्यवस्था प्रदान कर दी गई है।

(2) जम्मू तथा कश्मीर के हस्तशिल्पों के निर्यातकों को राज्य के उद्योग निदेशक के यहाँ पंजी करण कराने की अनुमति है।

(3) काली न बुनाई में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

(4) जम्मू तथा कश्मीर से निर्यातकों वाले विक्री-सह अध्ययन दल विदेशी भेजे गए हैं।

(5) हस्तशिल्पों के विकास तथा विपणन के विकास के प्रति पूर्ण ध्यान दिये जाने के लिये जम्म तथा कश्मीर सरकार द्वारा एक हस्तशिल्प निदेशालय की स्थापना की गई है और जम्मू तथा कश्मीर बिक्री तथा निर्यात निगम बनाया गया है।

(6) राज्य सरकार विभिन्न हस्तशिल्पों के डिज़ाइनों का विकास करने तथा उनके सुधार के लिए डिज़ाइनों के स्कूल चला रही है। 1000 से भी अधिक डिज़ाइन विकसित किये जा चुके हैं और जिनमें से अधिकांश बाजार में आ चुके हैं।

2. हस्तशिल्पों के निर्यातों के कोई पृथक राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते फिर भी, जम्मू तथा कश्मीर से हस्तशिल्पों के निर्यातों में वृद्धि का संकेत देश से होने वाले हस्तशिल्पों के निर्यातों में समग्र वृद्धि से मिलता है। जम्मु तथा कश्मीर सरकार द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य में 16 करोड़ रुपए के कुल हस्तशिल्प उत्पादन में से लगभग 25% का निर्यात किया जाता है।

मफतलाल ग्रुप द्वारा कपड़े का उत्पादन

10026. श्री कृष्ण चंद्र पांडे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मफतलाल ग्रुप ने 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक मिलवार तथा महीने-वार (औसतन) कितने मीटर कपड़े का उत्पादन किया है;

(ख) गत दो वर्षों में प्रति माह कपड़े का औसतन उत्पादन कितना था; और

(ग) यदि वर्ष 1965-66 को आधार वर्ष मान लिया जाय, तो मिल-वार तथा वर्षवार कपड़े के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 (नौ महीने) के दौरान मफतलाल ग्रुप की मिलों द्वारा कपड़े का औसत मासिक मिलवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण (1) संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7042/74]**

(ग) जानकारी देने वाला विवरण (2) संलग्न है । **[ग्रंथालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4042/74]**

राज्य व्यापार निगम की ओर से सुपारी का आयात

10027. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ इंडिया कैमिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स आफ दिल्ली (लिमिटेड) नामक कम्पनी ने 1963-64 और 1964-65 वर्षों में उत्तर भारत में स्थापित आयातकों को वितरण करने के लिये भारतीय राज्य व्यापार निगम की ओर से सुपारी का अयात किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सुपारी का वितरण स्थापित आयातकों को करने के स्थान पर उन्होंने अधिकांश भाग काला बाजार में बेच दिया;

(ग) सरकार ने इस मामलेमे क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम को 80,000 रु० देने पर कम्पनी को छोड़ दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) 331 मे० टन सुपारी के आयात में से नार्दन इंडिया कैमिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा लगभग 51 मे० टन की, जिसे कोटा प्राप्तकर्ताओं ने नहीं उठाया था, अप्राधिकृत बिक्री राज्य व्यापार निगम के ध्यान में आई थी । राज्य व्यापार निगम ने फर्म के खातों की जांच की तथा बाजार मूल्य तथा कोटा प्राप्तकर्ताओं के लिये रिलीज कीमत के बीच 63,405 रुपए का जो अन्तर था, उस रकम को निगम ने वसूल कर लिया था ।

'आर्गनाइजर' नई दिल्ली के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE 'ORGANISER' NEW DELHI

अध्यक्ष महोदय : 23 अप्रैल, 1974 को श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने 'आर्गनाइज़र' के दिनांक 20 अप्रैल, 1974 के अंक में प्रकाशित एक समाचार के बारे में जिसमें कुछ

[अध्यक्ष महोदय]

सदस्यों तथा लोक सभा सचिवालय के वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों पर कतिपय आरोप लगाये गये बताये गये हैं, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था ।

इस समय मैंने कहा था कि पहले आर्गेनाइजर के सम्पादक से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा जाये। मुझे आर्गेनाइजर के मुख्य सम्पादक का दिनांक 30 अप्रैल, 1974 का उत्तर प्राप्त हो गया है जिसमें मुख्य सम्पादक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि सदन के बाहर किसी संसद् सदस्य की गतिविधियों के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठ सकता । अतः यह मामला सदन या उसके किसी सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है । यदि हमसे भूल से किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं । वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों के बारे में जिन्होंने घुसपैठियों को पकड़ने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इस प्रकार के उल्लेख पर हमें खेद है।

श्री उन्नीकृष्णन मुझसे मिले थे। वह इस उत्तर से संतुष्ट प्रतीत नहीं हुए। मैंने उन्हें वचन दिया है कि उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा। वह इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। अतः यह मामला लम्बित रखा सकते हैं।

आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न बारे में
RE. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST ALL INDIA RADIO

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) श्रीमत्, मैंने आकाशवाणी के बारे में विशेषाधिकार प्रश्न की जो चना दी थी, उसके विषय में क्या हुआ। आकाशवाणी ने रेलों सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर 2 मई को हुई चर्चा का समाचार देते हुए स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता सदस्य के नाम का उल्लेख नहीं किया ।

Shri A. B. Vajpayee : All India Radio do not give correct reporting of the proceedings of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी पूरी जांच करूंगा । इसके लिए हमें एक प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी। स्वयं मैं यह अनुभव करता हूं कि इस दिशा में उचित व्यवहार किया जाना चाहिए । हरेक सदस्य द्वारा चाहे वह किसी भी पक्ष का हो, व्यक्त किये गये विचारों को समाचारों में स्थान दिया जाना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जार्ज फर्नेन्डीज का भूख हड़ताल के बारे में मैं ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कर चुके हैं। खेद है कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPFRS LAID ON THE TABLE

दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा की शर्तें) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 191 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) दिल्ली नगर कला आयोग (छूट की शर्तें) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अप्रैल, 1974 में, अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 192 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(3) दिल्ली नगर कला आयोग (बजट तथा वित्त) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अप्रैल 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सॉ० नि० 193(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 709/74]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पैट्रोल और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनयिम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत संशलिष्ट रबड़ (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 फरवरी 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 464 में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7010/74]

परिसीमन अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन तथा दीव के संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 13 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 268 (ङ) में प्रकाशित हुआ था सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7011/74]**

अतारांकित प्रश्न आदि के उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) वर्ष 1972–73 में प्रत्येक राज्य में पकड़े गये तस्करी माल के बारे मे श्री सरोज मखर्जी के अतारांकित प्रश्न संख्या 2981 के 30 नवम्बर, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने, तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण।

(2) (एक) अन्तसत्नावधि (19 मई से 22 जुलाई, 1973) में मंत्रियों के विदेश दौरों के बारे में श्री पी० जी० मावलंकर के अतरांकित प्रश्न संख्या 830 के 27 जुलाई, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने, तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 3 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 1 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 927 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7012/74]

वायु निगम नियमों के अन्तर्गत पत्र

पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ० सरोजिनी महिषी) : मैं वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) एयर इंडिया के वर्ष 1974–75 के राजस्व और व्यय के बजट अनमानों का सारांश।

(2) एयर इंडिया के वर्ष 1972–73 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1973–74 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनमानों और वर्ष 1974-75 के बजट अनुमानों का सारांश।

(3) इंडियन एयर लाइन्स के वर्ष 1974–75 के राजस्व और व्यय के बजट अनु-मानों का सारांश।

(4) इंडियन एयर लाइन्स के वर्ष 1972–73 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1973–74 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1974–75 के बजट अनु-मानों का सारांश।

[ग्रंथालय में रखे गये। दखिए संख्या एल० टी० 7013/74]

भारत म आषहं अल्पहरक कों के आयुक्त का प्रतिवेदन तथा दिल्ली सिक्ख गुरुद्दारा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पो० यादव) (श्री राम निवा मिर्धा की और से) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (i) संविधान के अनुच्छेद 350 ख के खण्ड (2) के अन्तर्गत भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1971 से 30 जून, 1972 की अवधि संबंधी 14 वें प्रतिवेदन की एक प्रति।

(ii) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7014/74]

(2) दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(i) दिल्ली सिख गुरुद्वारा (कार्यकारी बोर्ड के सामायिक चेयरमैन, प्रेसीडेंट, अन्य पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1974 जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 28 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ० 18 (29)/73-जुडल में प्रकाशित हुए थे।

(ii) दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) नियम, 1974, जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 28 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ० 18(15)/73 जुडल में प्रकाशित हुए थे ।

(iii) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (सदस्यों का सहयोजन) नियम, 1974 जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 9 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ० 18/33/73--जुडल में प्रकाशित हुए थे ।

(iv) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1974 जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 9 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ० 18 (19)/73--जुडल में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे । देखिए संख्या एल० टी० 7015/74]

इलायची बोर्ड एर्नाकुलम के प्रमाणित लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर **रखता** हूं :--

(1) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इलायची बोर्ड, एर्नाकुलम के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7016/74]**

(2) (i) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 33 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 913 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 914 में प्रकाशित हुए थे ।

(ii) उपर्युक्त अधिसूनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7017/74]

(3) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1461 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिंदी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(i) मानव निर्मित रेशा तथा सूत उद्योग-विस्कोस स्टैपल फाइबर स्पन यार्न के मूल्य ढांचे संबंधी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1972) ।

(ii) रेयन टायर कार्ड के उचित मूल्य संबंधी टैरिफ संबंधी आयोग का प्रतिवेदन (1972) ।

(iii) मोटरगाड़ी सहायक उद्योग की समीक्षा संबंधी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1973) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7018/74]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती कपड़ी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 978 में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7019/74]**

(5) काफी बोर्ड के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथाल में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7020/74]**

(6) इलायची बोर्ड एर्नाकुलम के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7021/74]**

बम्बई मोटार गाडी कर अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटलपर रखता हूं :—

(1) (i) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मोटरगाड़ी कर अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) अधिसूचना संख्या जी० एच०/जी०/74/82/एम० टी० ए०—1074/2744 (तीन)/ई०, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) अधिसूचना संख्या जी० एच०/जी०/92/एम०टी०ए०/1773/302-ई० जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुई थी ।

(ii) उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7022/24]**

(2) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात माल परिवहन कराधान अधिनियम 1962 की धारा 31 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एच०/जी० 93/एम०टी०ए०/1773/302-ई० (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1974 में प्रकाशत हुई थी । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7023/74]**

विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

संसद कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

चौथी लोक सभा

1.	विवरण संख्या 37	दसवां सत्र, 1970
2.	विवरण संख्या 27	बारहवां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

3.	विवरण संख्या 29	दूसरा सत्र, 1971
4.	विवरण संख्या 20	चौथा सत्र, 1972
5.	विवरण संख्या 14	पांचवा सत्र, 1972
6.	विवरण संख्या 12	छठा सत्र, 1972
7.	विवरण संख्या 13	सातवां सत्र, 1973
8.	विवरण संख्या 7	आठवां सत्र, 1973
9.	विवरण संख्या 5	नौवा सत्र, 1973
10.	विवरण संख्या 2	दसवां सत्र, 1974

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7024/74]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1972/73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रित और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7025/74]

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का 'शुद्धिपत्र'

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटय्या) : म पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1972–73 के कायकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का 'शुद्धि-पत्र' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7026/74]**

स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[ग्रंथालय म रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7027/74]**

(2) (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(ii) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7028/74]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

संसद् कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैय्या) (श्री सुखदेव प्रसाद की ओर से) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 629-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय म रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7029/74]

आवश्यक वस्तू अधिनियम के अन्तर्गत अधिसचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुद्धप्रिय मौर्य) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (1973–74 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 209 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7030/74।]**

कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कमचारी भविष्य निधि तथा कुटूम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 305 में प्रकाशित हुई थी।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 मार्च 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 341 में प्रकाशित हुई थी।

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 377 में प्रकाशित हुई थी।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7031/74]

पाचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप संबंधी समितियां की कार्यवाही के सारांश

SYNOPSIS OF PROCEEDINGS OF COMMITTEES ON DRAFT FIFTH FIVE-YEAR PLAN

श्री अमृत नाहटा (बाडमेर) : मैं पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप (नीति, संसाधन और नियतन) संबंधी समिति 'क' की कार्यवाही का सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : मैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप (उद्योग, विद्युत, परिवहन और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान) संबंधी समिति 'ख', की कार्यवाही का सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप (कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था) संबंधी समिति 'ग' के कार्यवाही का सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

योजना समितियों की सामान्य समिक्षा

GENERAL REVIEW OF PLAN COMMITTEES

महासचिव : मैं 'पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप संबंधी संसदीय समितियों सामान्य समीक्षा, सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमन्, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(i) 'मुझे लोकसभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरु- वार, 9 मई, 1974 को हुई अपनी बठक में संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :—

"कि यह सभा लोकसभा की इस सिफारिश से सहमत हैं कि राज्य सभा सर्वश्री जयसुखलाल हाथी, अजीत प्रसाद जन, राम निवास मिर्धा, सी० डी० पाण्डय और बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह की 2 अप्रैल, 1974 को राज्य सभा से निवृत्ति के कारण संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के पांच सदस्य नियुक्त करे और यह संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में रिक्त स्थानों को भरने हेतु राज्य सभा के सदस्य सर्वश्री रामनिवास मिर्धा, मोहम्मद युनुस सलीम, महन्द्र बहादुर सिंह, किशन लाल शर्मा और बनारसी दास को नियुक्त किया जाय।"

(ii) 'मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 2 मई, 1974 को हुई अपनी बठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :—

"कि यह सभा लोकसभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्यसभा श्री एन० पी० चौधरी, श्री सुन्दर मणि पटल और कुमारी सरोज पुरुषोत्तम

[महासचिव]

खापरडे द्वारा राज्य सभा की सदस्यता से 2 अप्रैल, 1974 को त्यागपत्र देने के कारण हुए रिक्त स्थानों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के लिए तीन सदस्य निर्वाचित करे और संकल्प करती है कि उक्त समिति में रिक्त स्थानों को भरने के लिए इस सभा के सदस्यों में से एकल अन्तरण मतदान की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार तीन सदस्य निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

2. मैं लोक सभा को अग्रेतर सूचित करता हूं कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिवत् निर्वाचित किये गय है :—

1. श्री एन० पी० चौधरी
2. श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी
3. श्री एम० सी० बालान

(iii) 'मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 3 मई, 1974 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :--

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्यसभा [डा० जेड० ए० अहमद द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की सदस्यता से 28 अप्रैल, 1974 को त्यागपत्र देने के कारण हुए रिक्त स्थान पर समिति के लिए एक सदस्य निर्वाचित करे और संकल्प करती है कि उक्त समिति में रिक्त स्थान भरने के लिए इस सभा के सदस्यों में से एकल अन्तरण मतदान की अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एक सदस्य निर्वाचित करने की कार्यवाही कर।"

2. मैं लोक सभा को अग्रेतर सूचित करता हूं कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति के लिए राज्य सभा के सदस्य श्री बो० रछैया विधिवत् निर्वाचित किये गये हैं।

(iv) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे इसके साथ वित्त विधेयक, 1974 वापस करने का निदेश हुआ है जो कि लोकसभा ने 4 मई, 1974 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को सिफारिश के लिए संप्रेषित किय था और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही-सारांश

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 26 वीं से 41 वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

कुछ विशेष सिफारिशों के संबंध में सरकार के अन्तिम उत्तर दिखाने वाला विवरण

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं सभा-पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय--चाय बोर्ड के बारे में प्राक्कलन समिति (चौथी लोकसभा) के 18 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (पांचवी लोकसभा) के 28 वें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में सम्मिलित सिफारिशों के बारे में दिये गये अन्तिम उत्तर दर्शाये गये हैं।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

बारहवां प्रतिवेदन

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का बारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

भारतीय तेल निगम के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: INDIAN OIL CORPORATION

पैट्रोल और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ) : मैं भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष के रुप में श्री सी० आर० दास की नियुक्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

लोक सभा की कार्यविधि और कार्य संचालन की नियमावली के निगम 222 और 224 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मधु लिमये के नोटिस पर हो रही चर्चा के दौरान श्री सी० आर० दास गुप्ता की भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष के रूप में की गई नियुक्ति का प्रश्न उठाया गया था। श्री सी० आर० दास गुप्ता द्वारा दिनांक 8 फरवरी 1971 को पाइपलाइन जांच आयोग के समक्ष फाइल किए शपथ पत्र और वक्तव्य के दौरान इस सम्मान्य सदन की और सरकारी उपक्रमों की समिति की अवज्ञा और विशेषाधिकारों के कथित उल्लंघन करने का जिक्र इस नोटिस में है। विशेषाधिकार के मामले में, इस सम्मान्य सदन को उच्चाधिकार प्राप्त है और इस प्रश्न का निर्णय माननीय अध्यक्ष के निदेशों के अधीन यथा समय किया जायेगा। इस विषय से सम्बन्धित जो समस्त तथ्य और सामग्री मेरे पास उपलब्ध है उसे मैं माननीय अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। मैं अपने को इस वक्तव्य में श्री सी० आर० दास गुप्ता भारतीय की तेल निगम के अध्यक्ष के रूप में की गई नियुक्ति से सम्बन्धित मामले तक ही सीमित रखूंगा।

2. मैंने श्री पी० एन० हक्सर की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुरोध किया था कि वह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम के लिए योग्य अध्यक्ष की खोज करने में मेरी सहायता करें। तथापि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए जब सिफारिश की गई थी तब यह समिति भारतीय तेल निगम के लिए किसी एक नाम की सिफारिश करने में असमर्थ थी। चूंकि भारतीय तेल निगम जो कि बड़ी सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में से एक है कई महीनों से बिना अध्यक्ष के था और तेल की आर्थिक व्यवस्था के प्रबन्ध, जिसके सर्वाधिक शेयर निगम के पास है के बढ़ते हुए महत्व को

[श्री डी० के० बारूआ]

देखते हुए मैंने निश्चय किया कि उस संगठन में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को इस पद के लिए नियुक्त किया जाए। निगम के पूर्ण कार्य संचालन में, शोधन शाला क्षेत्र, जिसमें विस्तार के लिए बड़े कार्यक्रम हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण निदेश और नियंत्रण की आवश्यकता है और इस लिए यह निर्णय किया गया कि अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे शोधनशालाओं के प्रबन्ध और निर्माण का पर्याप्त अनुभव हो। सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद और उसके दीर्घकालीन अनुभव और अच्छे रिकार्ड को ध्यान में रखकर शोधनशाला और पाइपलाईन प्रभाग में सब से वरिष्ठ अधिकारी श्री सी० आर० दास गुप्ता को मैंने चुना और मेरी सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी।

3. माननीय सदस्य के नोटिस में एक आरोप यह लगाया गया है कि श्री दास गुप्ता ने गंगा पानी के प्रदूषण पर जांच आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया था। अन्य बातों को छोड़ कर मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री दास गुप्ता उस समय प्रबन्ध निदेशक नहीं थे जब कि नदी जल प्रदूषण की घटना घटी थी और बरौनी शोधनशाला से वे किसी भी प्रकार संबंधित नहीं थे। आयोग ने 21 जूलाई 1969 को अपनी रिपोर्ट दी और सभी सिफारिशों की जांच करने के बाद पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने 31 जनवरी 1970 को भारतीय तेल निगम को लिखा कि सभी सिफारिशों पर उनकी तकनीकी आर्थिक उपयक्तता और व्यवहार्यता को ध्यान मे रखते हुए आवश्यक कार्यवाई की जाए। निगम समय समय पर कार्यान्वयन रिपोर्टें प्रस्तुत करता रहा है। 20 सिफारिशों में से दो के अतिरिक्त सभी सिफारिशों को मार्च 1972 तक कार्यान्वित किया गया। जो दो सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गई वे इस प्रकार है :—

प्रथम सिफारिश यह है कि नियमित तथा शीघ्र निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए निःस्राव पाइपलाइन के साथ सड़क का निर्माण करना। तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, लैफ्टिनेंट जनरल शारदानन्द सिंह द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर निगम के प्रबन्ध निदेशक मण्डल का दृष्टिकोण यह था कि चूंकि पाइपलाइन अधिकतर भूमिगत थी और इसके बाह्य निःस्राव का निरीक्षण करना राजेन्द्र पुल से सुगम था अतः पाइपलाइन वाली सड़क के साथ पक्की सड़क का निर्माण करना आवश्यक नहीं था। दूसरी सिफारिश इस बात को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में थी कि अन्तिम निःस्राव नदी के मुख्य स्ट्रीम (नाले) में हो तथा नदी के बहाव में अच्छी तरह मिल जाये। आयोग ने सिफारिश की कि शोधनशाला उन पेश किये गये 4 विकल्पों की तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अथवा अन्य कोई उपयुक्त विकल्प के बारे में विचार कर सकती है और एक सुरक्षित पद्धति को अपनाये। निगम ने समस्त विकल्पों की विस्तार से जांच की हैं तथा यह निष्कर्ष निकाला कि उनमें न केवल अधिक खर्च ही होगा अपितु वे तकनीकी दृष्टि से अथवा अन्य प्रकार से सम्भव भी नहीं होंगे तथा उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा जिनके लिए सिफारिश की गई थी। क्योंकि इसी बीच, नदी ने अपनी दिशा बदल दी थी तथा शोधनशाला के तट की ओर आ गई थी और पाइपलाइन पहले ही निःस्राव मुख्य धारा में छोड़ रही थी, समस्या को न्यूनतम कर दिया गया था और यह महसूस किया गया था कि यदि, भविष्य में, नदी अपनी दिशा बदल लेती है तो इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है कि उपयुक्त कार्यवाही करने से निःस्राव वास्तविक रुप से नदी की मुख्य धारा में छोड़ा जा सके। इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई थी।

4. तथापि, क्योंकि सरकार इन दोनों सिफारिशों को बहुत महत्व देती थी, निगम को विशेषज्ञों के परामर्श से मामले की फिर से विस्तृत रुप से जांच करने तथा नदी के प्रदूषण को पुनः न होने देने के लिये सभी आवश्यक उपाय अपनाने के संबंध में निर्देश दिये गये थे। केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग का परामर्श लेने के पश्चात निगम ने मार्च, 1974 में मंत्रालय को फिर सूचना भेजी है कि तकनीकी समस्याओं के कारण आयोग द्वारा सुझाये गये चार वैकल्पों में किसी को भी कार्यान्वित नहीं किया जा सकता और कि सभी कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिये किये जा रहे हैं कि निःस्राव में तेल के अंश को कम से कम किया जा सके।

5. इस बात का जिकर करना उचित है कि निगम द्वारा की गई सुधारक कार्यबाही के परिणाम स्वरुप, निःस्राव के फिनोल तथा तेल अंश को पहले ही भारतीय मानक संस्थान के मानकों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सीमाओं तक घटा दिया गया है। फिनोल तथा तेल अंश में और कमी करने के लिये अतिरिक्त प्रतिष्ठानों पर कार्य शरु कर दिया गया है और इसके शीघ्र ही मुकम्मल किय जाने की आशा है। यह उल्लेखनीय है कि प्रधान मंत्री के कहने पर मेरे मंत्रालय ने प्रदूषण निवारक उपायों को नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है।

6. आयोग ने बरौनी शोधनशाला के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की भी सिफारिश की है। उन में से एक प्रबंध निदेशक, प्रतिनियुक्ति पर एक आई० ए० एस० अधिकारी था जिस के विरुद्ध विभागीय जांच आयुक्त द्वारा जांच की गई थी। जांच अधिकारी ने उस अधिकारी को निर्दोष ठहराया था और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। भारतीय तेल निगम के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्कालीन उप-महाप्रबंधक तथा मुख्य विद्युत अभियन्ता थे। अपना कर्तव्य भार निभाने में गफलत तथा लापरवाही करने के लिये उन के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे किन्तु तत्पश्चात यह बात ध्यान में आई थी कि यह विशेष अपराध भारतीय तेल निगम के आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली के अनुबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता। जबकि नियमावली की यह कमी एक संशोधन द्वारा ठीक कर दी गई थी, विधि मंत्रालय की सलाह पर तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था कि प्रबंधक इस संशोधन को पिछली तारीख से लागू नहीं कर सकते। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इन अधिकारियों के विरुद्ध और कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। भारतीय तेल निगम द्वारा बरौनी शोधनशाला के चार अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही शुरु की गई थी और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया गया था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह भी ली गई थी। एक अन्य अधिकारी ने जिसका नाम इस रिपोर्ट में उल्लिखित है, आयोग द्वारा रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण से पहले, भारतीय तेल निगम से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए इस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ था।

7. जो कुछ मैंने कहा है उससे यह देखा जा सकता है कि निगम ने आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन हेतु कर्मठता तथा यथा शीघ्र काम किया। निलंबित मामलों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, समस्त सिफारिशें केवल प्रबंध निदेशक द्वारा ही नहीं अपितु निदेशक मण्डल द्वारा की गई थी।

8. माननीय सदस्य के सूचना-पत्र में एक यह भी आरोप है कि श्री दास गुप्ता ने उन दस्तावेजों तथा रिकार्डों को जिनको प्रस्तुत करने के लिए उन्हें आदेश दिया गया था, प्रस्तुत न करके पाइपलाइन जांच आयोग के कार्य-प्रगति में बाधा डाली। यह एक ऐसा मामला है जिसे सदन में पहले भी उठाया जा चुका है और मैं इस मामले में अपने पूर्व वर्ती माननीय श्री एच० आर० गोखले द्वारा इस सदन में 5 मई, 1972 को दिए गए वक्तव्य में से कुछ दोहराने के अतिरिक्त और कुछ अधिक नहीं कर सकता। श्री गोखले जी ने निम्न लिखित कहा था :—

"..............मैं फाइलों के प्रस्तुतीकरण के बारे में कह रहा था। आयोग को लगभग 4000 फाइलें भारतीय तेल निगम द्वारा और 300 फाइलें मंत्रालय द्वारा दिखलाई अथवा प्रस्तुत की गई थीं। यह कार्य कई वर्षों की अवधि के अंतर्गत हुआ था न कि कुछ ही वर्षों में जब कि मामलों पर अलग अलग विभिन्न अवसरों पर विचार किया गया था। मैं इस अधिकारी या उस अधिकारी या इस मंत्रालय या उस मंत्रालय के बचाव में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल इस प्रकार की जांच के व्यावहारिक तथा वास्तविक पहलुओं की ओर संकेत कर रहा हूं। जब कि आपको 12–14 वर्ष तक पुरानी फाइलों को देखना होता है तथा जब आयोग कहता है संबंधित फाइलें प्रस्तुत कीजिए,

[श्री डी० के० बरुआ] .

तो यह कहना अप्यक्त नहीं होगा कि संवद्धता के बारे में रायों में विभि ता नहीं हो सकती; संवद्धता के बारे में न्यायाधीशों के बीच भी रायों में विभिन्नता हो सकती है और इस तुच्छ नश्वर प्राणी के बारे तो कहना ही क्या। 4000 फाइलें प्रस्तुत कर दी जाती है। यदि आयोग कहे कि जो फाइलें उसे दिखाई गई हैं उनम से कोई एक भी ऐसी फाइल नहीं थी कि जो उनकी जांच से संबद्ध हो, तो मंत्रालय ने न तो ऐसा कहा था और न ऐसा कहेगा कि "हम इसे प्रस्तुत नहीं करेंगे . . . ." यह तथ्य कि 4,000 फाइलें भारतीय तेल निगम द्वारा और 300 फाइलें मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई थीं, इस बात को खंडित करता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, भारतीय तेल निगम ने जांच आयोग को अपना पूरा सहयोग प्रदान किया तथा गत पिछले कई महिनों से आयोग का कार्य बड़ी सुगमता से चल रहा है। अब यह कार्य पूर्ण होने जा रहा है तथा हमें अगले कुछ महिनों मे आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है।

9. अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री सी० आर० दास गुप्ता की अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति सामान्य आधार पर की गई थी तथा यह इस कार्य हेतु बनाई गई कार्य-विधि के अनुसार थी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपूर के बारे में वक्तव्य:

STATEMENT RE: INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Shri Madhu Limaye : This statement contains many disputable points and as such you way not allow it to be laid on the Table.

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें इसकी अनुमति दे चुका हूं। अब शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृती मंत्री वक्तव्य दें।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रोफेसर नूरुल हसन): श्रीमान, मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

वक्तव्य

माननीय श्री समर गुहा ने, नियम 377 के अधीन 18 अप्रैल, 1974 को सदन में एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के शासी मण्डल के अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए थे। उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न, लगभग वहीं थे, जिनके बारे में 11 अप्रैल 1974 और 22 अप्रैल, 1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 7602 के उत्तर में उल्लेख किया था। उसी उसी दिन (अर्थात 10–4–1974 को), उन्होंने उपाध्यक्ष को एक पत्र लिखा था, जिसकी एक प्रति मुझे भी भेजी थी और जिसमें उनके द्वारा उससे पहले लगाए गए आरोप तथा कुछ अन्य आरोप सम्मिलित थे। कल, अर्थात 9 मई, 1974 को श्रीमन मुझे उसी तारीख के पत्र की भी एक प्रति मिली है, जिसे उन्होंने आपको लिखा था और जिसमें उन्होंने मुझसे, उनके द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्न पर स्पष्टीकरण माँगा था, मान ीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुख्य प्रश्नों के बारे में, मैं स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा।

भा० प्रौ० सं०, खड़गपुर के शासी मंडल के अध्यक्ष की नियुक्त पर इस आधार पर आपत्ति की गई है कि वे एक औद्योगिक संस्था के अध्यक्ष हैं। और उन्हें कोई तकनीकी जानकारी नहीं है। न तो कोई ऐसी कानुनी शर्त है और न ही ऐसी प्रथा रही है कि केवल तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही भा० प्रौ०सं० के शासी मण्डलों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए। अब तक यह प्रथा रही है कि उद्योग अथवा शिक्षा अथवा विज्ञान/प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध किसी प्रख्यात व्यक्ति को ही विज़िटर द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। उद्योगतपियों में, कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं जैसे श्री दस्तूर भाई लाल भाई, जो कि 1958 से 1965 तक भा० प्रौ० सं०, बम्बई के शासी मण्डल के अध्यक्ष थे, उनके उत्तरा-

धिकारी, स्वर्गीय श्री जी० एल० मेहता जो 1965 से 1971 तक अध्यक्ष रहे तथा श्री पदमपत/सिंघानिया, जो कि 1965 से 1971 तक भा० प्रौ० सं०, कानपुर के शासी मण्डल के अध्यक्ष थे। भा० प्रौ० सं०, खड़गपुर के शासी मण्डल के वर्तमान अध्यक्ष के पूर्ववर्ती श्री वीरेन मुखर्जी भी एक विख्यात उद्योगपति थे। अतः वर्तमान पदधारी की, शासी मण्डल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति में कोई अनुपयुक्तता नहीं है।

एक यह आरोप लगाया जा रहा है कि अध्यक्ष वर्तमान निदेशक को निकालने की योजना बना रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। वास्तव में, अध्यक्ष ने मुझ से यह पूछा था कि क्या मैं विज़िटर को यह सिफारिस करता हूं कि वर्तमान निदेशक की नियुक्ति की अवधि को, जो कि जून, 1974 में समाप्त हो जाएगी, लगभग एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए, जबकि निदेशक की आयु 65 वर्ष हो जाएगी, जो कि नियमों के अधीन अनुगत्य आयु की अधिकतम सीमा है। सरकार इस विचार को स्वीकार करने में असमर्थ थी क्योंकि उसने यह समझा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के समान ही निदेशक की नियुक्ति की अवधि भी 5 वर्ष की ही होनी चाहिए।

वर्तमान निदेशक बम्बई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक के पद पर पहले ही दस वर्ष (1959 से 1969) तक रह चुके हैं और वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के निदेशक के रूप में जून, 1974 में पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त कर लेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्तमान निदेशक के समान दिल्ली, मद्रास और बम्बई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सभी निदेशकों को पांच वर्ष के अनुबन्ध पर नियुक्त किया गया है। वास्तव में विज़िटर ने वर्तमान निदेशक के उत्तराधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन भी पाँच वर्ष की अवधि के लिए ही कर दिया है।

वर्तमान निदेशक ने अपने अनुबन्ध की अवधि की समाप्ति तक सेवान्त अवकाश के लिए आवेदन पत्र दिया है। शासी बोर्ड द्वारा उनका अवकाश मन्जूर कर दिया गया था और विजीटर ने एक वरिष्टतम प्रोफेसर की कार्यकारी निदेशक के रुप में नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया था। तदनंतर वर्तमान निदेशक ने अवकाश न लेने का निर्णय कर लिया। अतः वह अपने ठेके की अवधि की समाप्ति तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

यह बताया गया है कि वर्तमान अध्यक्ष, रजिस्ट्रार श्री डी० सी० भट्टाचार्य को निकालना चाहते थे, यह भी सत्य से बहुत दूर है। निदेशक द्वारा मुझे भेजी गई सूचना के अनुसार, रजिस्ट्रार ने कलकत्ता स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान में मुख्य प्रशानिक अधिकारी के पद के लिए आवेदन पत्र भेजा था और वह उस पद के लिए चुन लिए गए थे। यद्यपि निदेशक ने यह कहा था कि श्री डी० सी० भट्टाचार्य को संस्थान छोड़ने की अनुमति प्रदान करना संस्थान के हित में नहीं होगा किन्तु अध्यक्ष ने यह कहा कि वह सिद्धांत रुप से गतिशिलता अथवा परिवर्तन के विरुद्ध नहीं हैं, फिर भी वह इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे कि श्री डी० सी० भट्टाचार्य निदेशक की सहमति के बिना अपना पद छोड़कर चले जाएँ और यह भी जरूरी है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपूर में उनके स्थान पर उपयुक्त उत्तराधिकारी की नियुक्ति भी सुनिश्चित हो निदेशक द्वारा जो अन्तिम दृष्टिकोण अपनाया गया, वह यह था कि यदि श्री डी० सी० भट्टाचार्य की भारतीय प्रबन्ध संस्थान में नियुक्ति हो जाती है तो वह उनके वहाँ कार्यभार संभालने में बाधा नहीं डालेंगे।

श्री भट्टाचार्य स्वयं अपने हित में भारतीय प्रबन्धक संस्थान में जाना चाहते थे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपूर से उन्हें निकालने के लिए शासी मण्डल के अध्यक्ष की ओर से कोई कोशीश नहीं की गई।

भारतीय तम्बाकु कम्पनी के सीनीयर कार्यकारी श्री डी० पी० बरुआ द्वारा जो कुछ किया गया है उस पर आपत्ति की गई है। एक योग्य रजिस्ट्रार को तलाश करने में, निदेशक की सहायता करने के लिए

[प्रो० नूरुल हसन]

उन्हें कहा गया था। निदेशक ने मुझे यह पत्र के उद्धरण भेजे है जो अध्यक्ष द्वारा उन्हें दिनांक 18 अगस्त 1973 को लिखा गया था। उक्त उद्धरण इस प्रकार है :—

"मेरा विश्वास है कि प्रशासन एक एसा क्षेत्र है जो वास्तव में सुदृढ़ होना चाहिए। इस सम्बन्ध में विज्ञापन देने के अलावा, यदि आप, रूप रेखा तैयार करने, व्यक्तियों का पता लगाने तथा उसके बाद नौकरी के लिए वास्तव में किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने में सहायता करने हेतु, मेरे सहयोगियों श्री ए० बसू और श्री डी० पी० बरुआ द्वारा आई० टी० सी० कलकत्ता से भी पत्र व्यवहार करेंगे तो मैं आपका अभारी हूंगा। मेरा विचार है कि यह अच्छा होगा यदि सम्बन्धित व्यक्ति के पास लेखे से सम्बन्धित का अनुभव हो और साथ ही किसी शैक्षिक संख्या में पूर्व अनुभव हो तथा वह ऐसा व्यक्ति हो जिससे संगठन में सभी लोग सहमत हो।"

इस प्रक्रिया की आवश्यकता इस लिए हुई क्योंकि निदेशक ने शासी निकाय के अध्यक्ष को लिखे गए अपने 27 जून, 1973 के पत्र में उप-रजिस्ट्रार (वित्त तथा प्रशासन) की रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में गंभीर संदेह प्रकट किए थे क्योंकि उनका अनुभव मुख्यत: वित्त और लेखों के सम्बन्ध में हैं। अध्यक्ष ने इस मत से सहमति प्रकट की थी कि निदेशक को लिखे गये 7 दिसम्बर, 1973 के अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि स्थायी आधार पर रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि सम्बद्ध व्यक्ति का व्यापक अनुभव हो। इससे पहले अध्यक्ष ने यह राय व्यक्त की थी की संभव है रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति के लिए उप-रजिस्ट्रार योग्य हो। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विचारों में यह परिवर्तन शायद निदेशक द्वारा व्यक्त की गई राय के कारण तथा संस्थान के कामकाज के उनके अपने अनुभव के कारण हो।

एक अन्य विषय कार्मिक सलाहकार की नियुक्ति के सम्बन्ध में उठाया गया है।

यद्यपि मैं इस मामले पर पहले भी दो बार बता चुका हूं फिर भी, मैं समझता हूँ माननीय सदस्य मुझसे और अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं इसलिए मैं स्थिति कुछ विस्तार से स्पष्ट करना चाहूंगा।

बहुत से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में "कर्मचारियों" से संबंधित मामलों से गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई ह। अस्थायी कर्मचारियों का एक सवाल हैं और स्थायी आधार पर उन्हें खपाए जाने की मांग, वरीयता निर्धारित करने का प्रश्न, पदों का वर्गीकरण, पदोन्नति नियम, मैस के कर्मचारियों का प्रश्न इत्यादि। इन मामलों में निर्णय लेने से होने वाली देरी से "कर्मचारियों" में असंतोष पैदा होता है। इसलिए किसी न किसी को इन समस्याओं के समाधान के लिए काफी समय लगाना होता है। यदि निदेशक को अथवा वरिष्ठ शिल्पाविदों को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो शैक्षिक कार्य करने अथवा अपनी शैक्षिक जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए उनके पास बहुत कम समय बच पाएगा। रजिस्ट्रार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो अंशत: संविधक तथा अंशत: प्रशासनिक होती हैं उससे भी संभवत: यह आशा नहीं की जा सकती कि वह कर्मचारियों की समस्याओं पर ही अपना पूरा ध्यान लगाए। इसलिए यह अनुभव किया गया है कि किसी न किसी को जिसके पास उपयुक्त शैक्षणिक अर्हताएं हों और जिसे कर्मचारियों से संबंधित मामलों को निपटाने का पर्याप्त अनुभव हो, एक कार्मिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाए ताकि वह कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं का तत्काल हल कर सके। तदनुसार शासी मंडल ने, विजीटर की स्वीकृति की शर्तपर, डा० ए० एम० शर्मा को पाँच वर्ष के करार के अन्तर्गत कार्मिक सलाहकार नियुक्त करने के लिए चुना। डा० शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम० ए० और बम्बई विश्वविद्यालय से समाज विज्ञान में पी० एच० डी० है। इन्होंने सरकारी तथा व्यापारीक फार्मों में श्रम और कार्मिकों की समस्याओं के क्षेत्र में लगभग 25 वर्ष तक सेवा की है उनकी आयु अभी 60 वर्ष नहीं हुई है। श्रमिक समस्यायों से निपटाने की तात्कालिकता को देखते हुए डा० शर्मा से कार्य करने का अनुरोध किया गया और वह "कर्मचारियों" के संघों के साथ कई समझोते करने में सफल हुए हैं। तथापि, जसा कि मैंने सदन में पहले कहा है उनकी नियुक्ति विज़िटर की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर ही वैध होगी।

इस आरोप के बारे में कि अध्यक्ष ने छात्रों को मधुर पेय दिया, मैंने 11 अप्रैल, 1974 को सदन को बताया था कि मैंने शासी मंडल के अध्यक्ष से संपर्क किया और इस संबंध में उन्होंने जो कुछ मुझे लिखा मैंने उसे पढ़ा। मैं शासी मंडल के अध्यक्ष के पत्र का निम्नलिखित भाग प्रस्तुत करता हूं :

"जहां तक छात्रों के मनोरंजन करने का प्रश्न है, ऐसा कहना एकदम गलत है और इसमें लेषमात्र भी सचाई का अंश नहीं है। छात्र मेरे पास आये अवश्य और मुझसे भेंट भी की किन्तु कुछ ठंडा पीने को देने के अतिरिक्त उन्हें और कोई पेय नहीं दिया गया"।

इससे यह प्रतीत होता है कि मेरे इस कथन पर भी गुहा का ध्यान नहीं गया और उन्होंने 18 अप्रैल, 1974 के आरोप को दोहराया।

श्री गुहा ने उस पत्र का संदर्भ दिया है जो निदेशक ने मुझे लिखा था। इस पत्र में उनके तथा अध्यक्ष के बिच मतभेद ही विशेषता से साम्ने आता है और यह अधिक उपयुक्त होगा यदि नये निदेशक इन मामलों पर उचित कारवाई करें। फिर भी उस पत्र में उठाये गये कुछ मुद्दों पर मैं कुछ कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष ने "रेगिंग" के बारे में यह विचार व्यक्त किया है कि रेगिंग की अति के लिये ऐंसी सजा नहीं होनी चाहिये जिससे विद्यार्थियों का जीवन ही नष्ट हों जाए। हो सकता है कि कोई इस विचार से सहमत न हो लेकिन यह कहना गलत होगा कि अध्यक्ष ने इस प्रकार अवांछीय तरीकों से रेगिंग को प्रोत्साहित किया है। निदेशक ने भी उनकी अनुमति के बिना विभागाध्यक्षों तथा अन्य संकाय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष से सीधे ही मिलने पर आपत्ति की है। मेरा यह मत है कि इसे किसी शैक्षिक संख्या में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति से मिलने के लिए संकाय सदस्य स्वतन्त्र होने चाहिए और उनकी शैक्षिक स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। निदेशक ने उन वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख किया है जिन्हें छात्र जीमखाना के लेखों में तथा कथित रूप से देखा गया है। शासी मंडल ने इस प्रश्न की जांच की थी और उस संबंध में निर्णय लिया था। तथापि संख्यान से इस विषय में और रिपोर्ट माँगी गई है। यदि वह अनुभव किया जाए कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की और अधिक विस्तृत जांच की जानी चाहिए तो मैं उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले वर्तमान निदेशक के विरूद्ध भी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थें उनकी भी जांच की जायेगी।

श्री गुहा ने सीनेट के सदस्यों का निदेशक द्वारा भेजे गए 19 अप्रैल, 1974 के एक गोपनीय पत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। चूंकि इस पत्र में कुछ आरोप लगाए गए हैं, अतः सीनेट के विचार प्राप्त होने से पहले मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ।

श्री समर गुह : सक्षम उद्योगविदों की किसी जांच समिति द्वारा समूचे मामले की जांच करायी जानी चाहिए। यह जांच डा० सेठना से करायी जा सकती है।

पश्चिम बंगाल में नमक संकट के कथित समाचार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: REPORTED SALT CRISIS IN WEST BENGAL

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : बहस के दौरान श्री समर गुहा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नमक की कीमत 10 से 15 गुना तक बढ़ गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम तक की दर पर बेचा जा रहा है।

[श्री० एम० बी० राना]

पश्चिम बंगाल में नमक की खुदरा कीमत नवम्बर, 1973 में 23 से 37 पैसे प्रति किलोग्राम थी जबकि फरवरी, 1974 में यह 25 से 42 पैसे प्रति किलोग्राम रही। एक बोरी नमक (एक क्विंटल) की थोक कीमत पश्चिमी बंगाल में नवम्बर 1973 में 16.75 से 24.38 रुपए प्रति क्विंटल रही, जब कि फरवरी, 1974 में यह 20.17 से 33.50 रुपए प्रति क्विंटल रही थी। इस प्रकार नमक की कीमत में वृद्धि हुई है। जिसका प्रमुख कारण राज्य द्वारा नामित प्रतिनिधियों द्वारा 22,000 मी० टन का पूरा मासिक कोटा न उठाया जाना रहा है। जनवरी, 1974 से 15 फरवरी, 1974 तक की आवश्यकता 77,000 मी० टन थी किन्तु वास्तव में करीब 62,000 मी० टन नमक ही उठाया गया है। कीमतों में कुछ वृद्धि कोस्टल कान्फरेंस (तटीय समिति) द्वारा अधिकार के बढ़ाने के कारण भी हुई है जो दिसम्बर 1973 के पहले 6.30 रुपए प्रति मी० टन था उसे बढ़ाकर अब 27.15 रुपए प्रति मी० टन कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर मार्च, 1974 में सलकिया नमक भण्डार के 25,000 मी० टन सुरक्षित नमक से 5000 मी० टन नमक दिया गया ताकि मूल्य स्तर को बनाये रखा जा सके। अप्रैल-मई, 1974 में पुनः केवल पश्चिम बंगाल के लिए 5,000 मी० टन और नमक दिया गया।

हमने परिवहन और नौवहन मंत्रालय को भी बंकर अधिकार को कम करके मूल स्तर पर लाने को लिखा है। राज्य सरकारों को हमने लिखा है कि वे अपने नामित व्यक्तियों को निर्देश दें कि वे अपना कोटा पूरा का पूरा उठायें। रेलवे से कांडला से कलकत्ता के लिए 4 रेक नमक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान खण्ड योजना के अनुसार पश्चिमी बंगाल की आवश्यकता की आपूर्ति पश्चिमी तट और तूतीकोरिन में बंदरगाहों से समुद्र मार्ग द्वारा की जाती है। पश्चिम बंगाल सहित सभी उत्तर पूर्व राज्यों में नमक के वितरण और कीमत में सुधार के विचार से खण्ड योजना की समीक्षा हेतु एक कमेटी नियुक्त की जा चुकी है।

सदस्य महोदय ने कलकत्ता बंदरगाह पर उन जहाजों से नमक की उतराई से संबंधित कठिनाई का भी जिक्र किया है जो वहां इंतजार कर रहे हैं। यह मामला परिवहन और नौवहन मंत्रालय से सम्बन्धित है और उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि इस काम की और तुरंत ध्यान दिया जाये। यह ज्ञात हुआ है कि जिन 4 जहाजों से अप्रैल, 1974 के मध्य तक उतराई करनी थी उनमे से तीन जहाजों से नमक उतारा जा चुका है और चौथे जहाज की उतराई के काम में इसलिए विलम्ब हो गया कि यह अग्निग्रस्त हो गया। बहरहाल उतराई संबंधी कठिनाइयों को हमने नमक की उपलब्धि में बाधा नहीं बनने दिया। अप्रैल-मई, 1974 में 5000 मी० टन नमक की सुरक्षित भण्डार से निकासी नमक की अधिक उपलब्धि को लक्ष्य करके ही की गई थी। सुरक्षित भण्डार की पुनः पूर्ति नमक की उतराई के बाद कर दी जायेगी।

जहाँ तक कंटाई तटीय पट्टी क्षेत्र में नमक विकास की संभावना का सवाल है, पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि नमक उत्पादन के लिए उपलब्ध संपूर्ण भूमि पूर्णतः विकसित है, हल्दिया में स्थापित किए जाने वाले सोडा-ऐश और कास्टिक सोडा संयंत्र की आवश्यकता की पूर्ति मुश्किल से ही कर पायेगी। उड़ीसा की जलवायु नमक उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। यदि राज्य सरकार नमक के काम की स्थापना का कोई प्रस्ताव रखती है तो इस प्रकार के प्रत्येक प्रस्ताव को हर संभव सहायता दी जायेगी।

मंत्रियों की सुरक्षा पर किये गये व्यय के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2862 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO U. S. Q. NO. 2862 RE: EXPENDITURE INCURRED ON SECURITY OF MINISTERS

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं मंत्रियों की सुरक्षा पर किये गये व्यय के बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अतारांकित प्रश्न संख्या 2862 के 13 मार्च, 1974 को दिये गयें उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

वर्ष 1971 के बाद प्रधान मंत्री सहित अन्य मंत्रियों की सुरक्षा पर किए गए व्ययों के बारें में 13 मार्च, 1974 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2862 के उत्तर में मैंने निम्नलिखित आंकड़े दिए थे :—

	1971	1972	1973
	(रुपयों में)	(रुपयों में)	(रुपयों में)
1. प्रधान मंत्री	3,68,730.00	3,83,184.00	3,87,894.00
2. गृह मंत्री	..	..	71,868.55
3. वित्त मंत्री .	65,822.00	67,457.00	74,564.00
4. अन्य सभी मंत्री	22,082.00 प्रत्येक	22,407.60 प्रत्येक	24,162.80 प्रत्येक

टिप्पणी : जो मंत्री वर्ष में कुछ ही अवधि तक अपने पदों पर बने रहे उनकी सुरक्षा पर व्यय उपरोक्त दरों के अनुरूप उस अवधि के लिए किया गया जबकि वे अपने पदों पर थे ।

अब मेरे ध्यान में यह बात लाई गई है कि ये आंकड़े केवल सादे कपड़े वाले अंगरक्षकों पर हुए व्यय से सम्बन्धित ह और इसमें मंत्रियों के निवास स्थानों पर नियुक्त सशस्त्र पुलिस रक्षकों पर किया गया व्यय शामिल नहीं है । इसी प्रकार वित्त मंत्री से सम्बद्ध रक्षकों पर किए गए व्यय के आंकड़ों में कुछ शुद्धि की जानी है । ज्योंहि मुझे गलती का पता लगा मैंने अध्यक्ष पीठ से संशोधित वक्तव्य देने की अनुमति मांगी थी । तदनुसार, मंत्रियों की सुरक्षा पर किए गए व्ययों का संशोधित विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । 1971-73 की अवधि में मंत्रियों की सुरक्षा पर किए गए व्ययों के बारे में दिए गए वक्तव्य के स्थान पर इस वक्तव्य को रख दिया जाए ।

	1971	1972	1973
	(रुपयों में)	(रुपयों में)	(रुपयों में)
1. श्रीमती इन्दिरा गांधी	9,61,553.40	9,76,007.00	10,52,338.60
2. श्री यशवन्तराव चव्हाण	1,06,023.20	1,08,200.00	1,14,418.80
3. श्री जगजीवनराम .	49,263.60	43,713.60	53,072.00
4. श्री स्वर्ण सिंह . .	22,082.40	22,407.60	51,480.80
5. श्री उमा शंकर दीक्षित .	14,721.50	22,407.60	1,16,943.25
6. डा० कर्ण सिंह .	52,943.60	52,269.20	56,944.40
7. श्री आर० के० गुजराल .	22,082.00	22,407.60	29,626.40
8. श्री राम निवास मिर्धा .	22,082.00	22,407.60	43,037.80
9. प्रो० एस० नुरुल हसन .	22,082.00	37,838.40	56,944.40
10. श्री कृष्णचन्द्र पंत . .	37,512.00	37,838.40	56,944.40
11. श्री विद्याचरण शुक्ल .	52,943.60	22,407.60	24,162.80
12. श्री एफ० एच० मोहसिन .	22,082.00	22,407.60	37,821.80
13. सभी अन्य मंत्री . .	22,082.00 प्रत्येक	22,407.60 प्रत्येक	24,162.80 प्रत्येक

टिप्पणी : जो मंत्री वर्ष में कुछ ही अवधि तक अपने पदों पर बने रहे उन की सुरक्षा पर व्यय उपरोक्त दरों के अनुरूप उस अवधि के लिए किया गया जब कि वे अपने पदों पर थे ।

———

सदस्य की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे जिला मजिस्ट्रेट, पटना से निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है :—

35 पटना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले "श्री रामावतार शास्त्री, संसद सदस्य को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 और 188 और अपराधिक विधि अधिनियम 1932 की धारा 7 के साथ पठित भारत सुरक्षा नियमों के नियम 118 के अधीन आज 9 तारीख को 1 बजे मध्याह्न पूर्व खागुल (कानापुर) में निरुद्ध किया गया है। आवश्यक विवरण विहित प्रपत्र में भेजा जा रहा है—डिस्ट्रेट, पटना।"

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक
NATIONAL LIBRARY BILL

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन और कतिपय अन्य सम्बद्ध मामलों का उपलब्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन और कतिपय अन्य सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक
CUSTOMS TARIFF BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : श्रीमान, मैं सीमा शुल्कों सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाला विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : This Bill seeks to modernise the Customs Tariff and to make such provisions as may effectively curb the smuggling and customs evasion. But it is a matter of regret that Government has been introducing one Bill after another and not taking any steps for checking the smuggling which is being indulged in on a very large scale. Unless the smuggling is stopped, we may not achieve any object of the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा–शुल्कों सम्बन्धी-विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाला विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

नलहटी पुलीस स्टशन में श्री गदाधर साहा को निरुद्ध करना

गदाधर साहा (बीरभूम) : श्रीमान मैंने नियम 222/223 के अधीन एक सूचना दी थी जिसमें मैंने संसद सदस्य और इस सभा का विशेषाधिकार भंग करने का प्रश्न उठाने के लिए आपको सम्मति मांगी थी। यह प्रश्न नलहटी पुलिस थाने (पश्चिमी बंगाल) के प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध था क्योंकि उसने मुझे घंटों अवैध रूप से निरूद्ध रखा जबकि मैंने उस अपने संसद सदस्य होने का भी परिचय दे दिया था। आपने मुझ यह मामला विशेषाधिकार प्रश्न के रूप में उठाने की सम्मति नहीं दी है। अत: मैं इसे नियम 377 के अन्तर्गत उठा रहा हूँ।

आपने बीरभूम के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त एक वायरलैस संदेश की सूचना सभा को पढ़कर सुनाई थी "कि 3 मई, 1974 को प्रात: 3 बजे नलहटी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने उस समय अपना परिचय नहीं दिया परन्तु जब उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाया गया तो पता लगा कि इनमें एक व्यक्ति लोकसभा के सदस्य श्री गदाधर साहा हैं। श्री साहा को 3 मई 1974 को 7 बजे व्यक्तिगत पहचान हो जाने पर रिहा कर दिया गया।" इससे आपको ज्ञात होगा कि उक्त अधिकारी ने नियमों में अपेक्षित बातें बिल्कुल पूरी नहीं कीं।

इसके अतिरिक्त, मुझे 3 मई 1974 को प्रात: 3 बजे उस समय गिरफ्तार किया गया जब मैं लोक सभा सत्र के लिए दिल्ली जा रहा था। यद्यपि मैंने अपना पहचान पत्र उसी समय दिखा दिया परन्तु तो भी पुलिस अधिकारी ने मुझ अवैध रूप निरुद्ध रखा, पहचान पत्र और लोक सभा डायरी आदि मेरे दस्तावेज छीन लिये तथा उस दिन 12-30 बजे रिहा किया। अत: आपसे निवेदन है कि यह मामला आप विशेषाधिकार समिति के पास भेज दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्पष्ट है कि पुलिस ने जानबूझकर एक गलत काम किया और उसकी सही रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष को नहीं भजी।

श्री ईरा सेझियन : व्यक्तिगत रूप से पहचानने में इतना अधिक समय क्यों लगाया गया ?

Shri A. B. Vajpayee : Such matters are always raised as a question of breach of privilege and before admitting them information is called for from the concerned State Govt. This is a matter concerning privilege and as such the same procedure should have been followed in this case also.

अध्यक्ष महोदय : मुझे मजिस्ट्रेट या अधिकारी ऐसी सूचना एक उचित समय के भीतर भेजता है। यह बात इस सभा में पहले भी उठाई गई थी। उस समय हमने इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी थी। साधारणत: अधिकांश मामलों में ऐसी सूचना तुरन्त तार द्वारा भेज दी जाती है और उसका विवरण पत्र द्वारा भेजा जाता है। एसी सूचना में उस धारा आदि का भी उल्लेख कर दिया जाता है। जिसके अन्तर्गत सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है। इस मामले में मैं पहले तथ्य मालूम कर उसकी जांच करूंगा और सभा को अवगत कराऊंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : गराज्य सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी मंगाना एक और बात है। परन्तु जब स्वयं सदस्य ने इस बारे में अपना वक्तव्य दिया है तो इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार संसदसदस्य को आरोपपत्र के बिना चार घंटे तक निरूद्ध रखा गया और उसे पहचानने के बाद रिहा कर दिया गया। संसद सदस्य का कहना है कि उसे बारह घंटे तक निरूध रखा गया। क्या यह बात विश्वास योग्य है कि उस व्यक्ति को जिसके पास संसद पहचान पत्र मौजूद था पहचानने में चार घंटे लग गये या उसने चार घंटे तक अपना पहचान पत्र नहीं दिखाया। अतः यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसे ही एक अन्य मामले में उपाध्यक्ष महोदय ने 22 दिसम्बर को यह कहा था कि सभा को साक्ष्यों की जांच नहीं करनी चाहिए और यह काम विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : संसद सदस्य को पहचान पत्र होते हुए भी निरूद्ध किया गया और उसके साथ एक साधारण अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। उसकी घड़ी आदि भी छीन ली गई। अतः मेरा निवेदन है कि आप संसद की गरिमा के ऊंचा रखने के लिए यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपे और राज्य सरकार से झूठी गढ़ी गई रिपोर्ट की प्रतीक्षा न करें।

श्री भगवत झा आझाद : जब स्वयं सदस्य ने कहा है कि उसका पहचान पत्र ले लिया गया और अवैध रूप से उस समय निरुद्ध किया गया जब वह संसद् के लिए आ रहा था। इस प्रकार यह मामला स्पष्टतः विशेषाधिकार का है।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट कर दूं कि यह भूल से नियम 377 के अधीन मामला रखा गया है। जहां तक पहचानने आदि की बात है मैं उसे सीधे विशेषाधिकार समिति को सौंपूंगा और श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा समय के औचित्य, सूचना के अन्तर्विषय आदि के बारे में उठायी गई बातों के लिए मैं स्वयं जांच पड़ताल करूंगा **(अन्तबार्धा)**।

Shri A. B. Vajpayee : Dayanand Medical College is functioning in Ludhiana. It was set up in 1964. The Medical Council used to give it temporary recognition every year. Selection for admission was made on the basis of merit. Now recognition of this College has been withdrawn. Neither Arya Pratinidhi Sabha nor the Punjab Government is prepared to run this College. There is a dispute going on between the Arya Pratinidhi Sabha and the Punjab Government and the students are suffering. The Central Government should intervene in this matter.

Shri B. S. Bhaura : The students should not be allowed to suffer on account of the dispute between the Punjab Government and the management of the College. The Punjab Government should be asked to take over the management of the College and resume the classes. Other matters relating to properties etc. may be settled later on. The Minister should intervene in this matter.

Shri Madhu Limaye : First an attempt should be made to arrive at a settlement with the management. If no settlement is reached, the management should be taken over by the State Government by issuing an ordinance, if necessary.

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : The Medical Council never gave recognition to this College because it did not fulfil the requirements of the Council and it did not come up to the required standard. Now unfortunately a dispute has arisen between the Arya Pratinidhi Sabha and the Punjab Government.

The decision in this matter will have to be taken by the Punjab Government. I will speak to the Chief Minister.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I raised the matter regarding the burial of time capsule by the All India Confederation of Central Government Officers' Associations. But the Home Minister has not yet made a statement. The Government should make a statement about this matter.

प्रोफेसर मधु दंडवते : श्री जार्ज फर्नेन्डीज सहित रेल कर्मचारियों के 20 नजरबन्द नेताओं के बारे में अब विस्तृत समाचार प्राप्त हो गया है कि उन्होंने कल से भूख हड़ताल आरम्भ कर दी हैं। यह भूख हड़ताल उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा अपने साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में की है। उन्हें अपने परिवार वालों से नहीं मिलने दिया गया है। उन्हें अपने वकीलों से भी नहीं मिलने दिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेल अधिकारियों ने श्री जार्ज फर्नेन्डीज से कहा कि वे उनकी भूख हड़ताल की ओर सरकारी तौर पर ध्यान नहीं देंगे जब तक कि वे वकील की मार्फत इनकी उन्हें सूचना नहीं देते। ऐसा कहां लिखा है? फिर वकील को उनसे भेंट नहीं करने दी जाती है। गृह-कार्य मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिये कि अध्यक्ष महोदय ने नियम 377 के अधीन इसे स्वीकार किया है। अत: उन्हें श्री जार्ज फरनेंडीज एवं उनके साथियों द्वारा की गई भूख हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य देना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have stated in my notice :

> "I hereby wish to revive my notice about the refusal by the jail authorities to give permission to M/s Luthra and Bhanu, lawyers of Mr. George Fernandes, to meet him to obtain legal instructions, in gross violation of the provision of article 22 of the Constitution of India,"

Article 22(1) reads as follows :

> "No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice".

The habeas corpus petition of Shri George Fernandes in the Delhi High Court has been put down for 13th. So I advised the lawyers to obtain the permission from the Deputy Commissioner and rang up Mr. Uma Shankar, he alleged that papers were being smuggled out of jail by Mr. Fernandes through lawyers. Inspite of the fact that the lawyers and his wife Mrs. Leila Fernandes are not allowed to meet him. only yesterday a letter was received. I have sent a copy of the same to the Home Minister for his information. All old satyagrahis know how to send messages from jails. The lawyers should be allowed to meet Mr. Fernandes in jail. The authorities may keep a watch from a distance, which does not effect the confidential nature of the discussions between the detenu and his lawyers and check if any paper is smuggled.

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

(MATTERS UNDER RULE 377)

श्री जार्ज फरनेंडीज तथा अन्य व्यक्तियों की कथित भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में पहले लागू आदेश के अनुसार नजरबन्द व्यक्तियों को विचाराधिन बन्दी माना जाता था तथा दिल्ली की जेल नियमावली के अनुसार उन्हें अपने मित्रों और सम्बन्धियों से सप्ताह में दो बार मिलने की अनुमति थी।

[श्री एफ० एच० मोहसिन]

इन उपबन्धों के अनुसरण में श्रीमती फरनेंडीज श्री फरनेंडीज की नजरबन्दी के तुरन्त बाद उनसे मिली थी तथा उनके वकील भी अनेक बार उनसे मिले। गत 8 मई को आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम की धारा ड के अधीन दिल्ली प्रशासन ने एक आदेश जारी किया कि नज़रबन्द करने वाला प्राधिकारी मुलाकातों को विनियमित करेगा। इस आदेश के अधीन दिल्ली के उपआयुक्त ने निदेश दिया कि उनके पूर्व अनुमति के बिना कोई मुलाकात न हो सकेगी। श्री फरनेंडीज तथा अन्य व्यक्तियों ने कल भूख हड़ताल का नोटिस दिया था परन्तु जब उन्हें बताया गया कि मुलाकातों पर रोक नहीं बल्कि पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है तो उन्होंने कल रात्रि को भोजन कर लिया। श्री फरनेंडीज के अनुरोध पर उन्हें आज शाम 4-30 बजे श्रीमती फरनेंडीज एवं चार वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष महोदय गये तो उन्होंने मुझे बताया था कि उक्त सूचनायें हैं। अभी कम से कम 10-15 मिनट और बाकी है। सभी महत्वपर्ण विषयों के बारे में हैं। यदि मैं दो-दो मिनट का समय भी देता हूँ तो आधा घंटा लग जायेगा। संसदीय कार्य मंत्री के इस बारे में क्या विचार हैं।

संसद् कार्य मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री के० रघुरामैय्या) : आधा घंटा नियत कर दिया जाये और बाद में सरकारी कार्य लिया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जैसा कि कल हमने यहां घोषणा की थी, यदि रेलवे कर्मचारियों के नेताओं को रिहा करके बातचीत के द्वारा कोई हल नहीं निकलता तो देश व्यापी हड़ताल होगी। सभी कार्मिक संघों ने 15 तारीख भारत बन्द करने का फैसला किया है। प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि प्रतिरक्षा कर्मचारी भी रेलवे कर्मचायरियों को दबाये जाने और उनकी गिरफ्तारीयों के विरुद्ध 15 मई को बन्द में शामिल होंगे।

अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंघ के बम्बई के एक कार्यकर्ता श्री यशवन्त कोहाली को हड़ताल शुरू तक न होने से पूर्व ही भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा गृह मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री से अनुरोध है कि वे इस प्रकार मामले को न बढ़ाये अन्यथा बातचीत द्वारा फैसला होना कठिन हो जायेगा।

एक अन्य बात मैं कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने वचन के अनुसार मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर संसद के सत्र समाप्त होने से पूर्व सरकार के निर्णय की घोषणा नहीं की है। यहां कि वेतन आयोग की सर्वसम्मत सिफारिशें भी क्रियान्वित नहीं की गई हैं।

प्रधान मंत्रीसे मेरा अनुरोध है कि गिरफ्तार किये गये नेताओं को तुरन्त रिहा किया जाये और भारत रक्षा नियमों का उपयोग न किया जाये। हम तो बातचीत के जरिये समझौता चाहते हैं। कानपुर में एक हरिजन रेलवे कर्मचारी श्री किशोरी लाल पुरी को हथकड़ी डालकर सारी रेलवे कालोनी में घुमाया गया। क्या हरिजनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिये? यदि इसी तरह मामले को बढ़ाया गया तो न केवल रेलवे कर्मचारी बल्कि अन्य कर्मचारी भी हड़ताल पर चले जायेंगे।

Dr. Laxminarayan Pandey (Mandsaur) : Government has precipitated matters by resorting to repressive measures against the railway employees. The curtailing of postal facilities like money orders, postal savings bank accounts, registered letters etc. are causing great hardship to the people.

Bihar is facing a serious food crisis while 8560 bags of wheat, lying in the Rajendra Nagar goods shed there, are not being lifted due to a dispute between the Food Corporation of Bihar and the Food Corporation of India. Who is responsible for this state of affairs?

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar) : A committee was appointed by Government to go into the question of cow protection some seven years back but its report is still awaited. Now in the context of a statement by the nominated member of the committee, who is also the chairman, Shri Govanand that the objective of setting up the committee was not going to be achieved, I would like to know when its report is expected and when a final decision in the matter is likely to be taken ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : पश्चिम बंगाल को भयंकर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसका कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जनता को इससे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। करोड़ो रुपए के उत्पादन का नुकसान हो चुका है। गांवों की सप्लाई शहरों को देने से समस्या हल नहीं होगी। तालाबन्दी और जबरी छुट्टी से श्रमिकों में असन्तोष उत्पन्न होगा। इस ओर अविलम्ब ध्यान देना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने चुनाव के समय और उसके बाद हुगली पर दूसरे पुल के निर्माण का वचन दिया था। 1972 में उसका शिलान्यास किया गया परन्तु अभी तक नीव भरने का काम तक आरम्भ नहीं हुआ है। इस परियोजना को तुरन्त आरम्भ करना चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा जल विवाद को पुनः न्यायाधिकरण को सौंपे जाने के समाचार हैं। अतः दो वर्षों से यह मालमा निर्णय के लिये प्रधान मंत्री के पास है। हम उनसे अपना फैसला देने के लिये बराबर कहते रहे हैं। अब सिंचाई और विद्युत मंत्री के गुजरात और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के समाचार आ रहे हैं। हम समस्या के शीघ्र हल किये जाने के लिये उत्सुक हैं।

दूसरी बात मैं गुजरात लोक निर्माण विभाग के 1,200 जूनियर इंजीनियरों और पर्यवेक्षकों की हड़ताल के बारे में कहना चाहता हूँ। 3 मई से 357 ओवरसियर भी उसमें शामिल हो गये है। जिससे सूखा-ग्रहस्त क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य मे बाधा पड़ी है। मैं आशा करता हूँ कि इसे शीघ्र हल कर दिया जायेगा। अन्त में मैं तारापुर में विद्युत के निर्माण में रुकावट की ओर दिलाना चाहता हूँ इससे उद्योगो पर प्रभाव पड़ता है। आशा है कि इस ओर ध्यान दिया जायेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मुझे एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें सत्तारुढ़ दल द्वारा सी० आई० टी० यू० युनियन, दुर्गापुर के नेताओं की हत्या के सत्तारुढ़ दल के षड़यंत्र का उल्लेख है। यदि श्रमिक नेताओं पर इस प्रकार आक्रमण किया जायेगा तो इसकी इस्पात कारखाने के श्रमिकों में गंभीर प्रतिक्रिया होगी। इस मामले में सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिये।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : There has been a lock-out in the D.. C. M. Chemicals since 7th March resulting in stoppage of such essential items as vegetable oil and chlorine. About 500 workers have been jailed without filing any cases against them. I appeal that arrested workers should be released and taken back and the factory should start functioning.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : बोकारों इस्पात कारखाने के लगभग 1500 निर्माण इंजीनियर लगभग 1-1/2 महीनों से हड़ातल पर ही हैं और अब हिन्दुस्थान कस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के वे निर्माण श्रमिकों ने भी एक प्रकार की हड़ताल कर दी है। समस्या यह है कि हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जो निर्माण का ठेका लेती हैं, स्वयं तो निर्माण करती नहीं अपितु निर्माण आगे ठेके पर दे देती है और इस प्रकार ठेका लेने वाला व्यक्ति उसे आगे ठेके पर देता रहता है। जब सरकार ने धन लगाकर यह कम्पनी बनाई है तो यह स्वयं निर्माण कार्य क्यों नहीं करती ?

[श्री भोगेन्द्र झा]

दूसरी बात मैं हिंडालको में प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी के बारे में कहना चाहता हूँ। आशा थी कि समस्या हल हो जायेगी परन्तु अभी तीन दिन पहले मुझे पत्र प्राप्त हुआ है कि स्थिति वैसीही बनी हुई है। अब एक ही रास्ता है कि या तो प्रबन्धक सरकार की बात मानले अन्यथा सरकार को इस कम्पनी को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि विभिन्न न्यायालयों ने राज्यों के अनेक भूमि सुधार कानूनों को अवैध घोषित कर दिया है। इसलिये यह राष्ट्रीय हित में है कि इस बारे में संविधान (चौतिसवा संशोधन) विधेयक आज लिया जाये और पारित किया जाये।

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): बोकारो इस्पात कारखाने में इंजीनियरों की हड़ताल अब बातचीत के द्वारा समाप्त हो गई है। और समस्या हल हो गई है। माननीय सदस्य की इस बात से मैं पूर्णत: सहमत हूँ कि ठेकेदार और उप-ठेकेदार और आगे उप-ठेकेदार नियुक्त करने की प्रथा ठीक नहीं है। कुछ प्रौद्योगिक असंतुलन और समस्याओं के कारण ऐसा करना पड़ा था। हिंडालको का विवाद भी हल हो गया है और आज उत्पादन आरम्भ हो रहा है। सभी मामले मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंप दिये गये हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : संविधान विधेयक के लिये एक विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है और 8 और 9 तारीख इस विधेयक के लिये रखी गई थी और मेरे दल के सदस्य उस समय यहां पर रहे। परन्तु 10 तारीख की प्रात: तक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होती रही। आज इस विधेयक को लेना संभव न होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अविश्वास के प्रस्ताव के लिये समय के नियतन पर चर्चा के दौरान सत्र की अवधि बढ़ाने के सभी प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये। अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा के लिये हम मध्यरात्रि पश्चात 1–30 बजे तक इस स्पष्ट बात को लेकर बैठे थे क्यों कि संविधान (चौतिसवां संशोधन) विधयक आज लिया जायगा और उस पर आज चर्चा समाप्त भी हो जायेगी। सभी सदस्य यहां दिल्ली में ही हैं और अपने घरों में सो रहे होंगे। उन्हें बलाया जा सकता है। हम दो या तीन घंटे फालतु बैठने के लिये भी तैयार हैं।

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : यदि 8 मई के कार्यवाही वृतान्त को देखा जाये तो आप पायेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि आंशिक रूप से चर्चा किये गये विधेयकों को संविधान संशोधन विधेयकों के पारित होने तक स्थगित रखा जाये और उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी। अत: कोई और कार्य लेने से पहले संविधान (चौतीसवां और पैंतीसवा संशोधन) विधेयकों पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हॉर्बर) : संसदीय कार्य मंत्री ने सभा का गंभीर अवमान किया है। हम जानते हैं कि सरकार में ऐसे लोग हैं जो बड़े जमींदारों को बचाना चाहते हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री के कार्य की निन्दा करने का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : सभा के निर्णय के बाद और कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इस संविधान विधेयक के लिये समय नियत किये जाने के पश्चात और सभा द्वारा उसके स्वीकार भी कर लिये जाने के बाद यह महत्वपूर्ण विधायी कार्य जो कल की संशोधित कार्य सूची में शामिल था आज की कार्य सूची म बिना सभा के किसी निर्णय या निदेश के शामिल क्यों नहीं किया गया? सभा के स्पष्ट निर्णय के विरुद्ध इस प्रकार कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह अनुचित है।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : I feel that the House may sit on Saturday to take up this very important Bill as well as other important matters pending consideration.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I will like to draw your attention to the proceeding of the House on 2nd May. There was some reference to the order of Bill to be taken up. Government was of the view that this Bill should be taken up first. This order should not be changed.

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : यह विधेयक 9 मई को पारित किया जाना था। यदि वे इतने ही इच्छुक थे तो यह कल पारित करा सकते थे और उन्होंने कल इस में बाधा न डाली होती।

श्री के० रघुरामैया : सभा के प्रति असम्मान प्रकट करने का मेरा कोई इरादा न था। आज की कार्य सुची में इस विधेयक को शामिल करने का एक ही कारण था कि हम जोखिम नहीं उठाना चाहते। इस विधेयक के लिये एक न्यूनतम निर्धारित बहुमत आवश्यक है। 8 और 9 मई को यह कार्य सूची में रखा गया था और इन दोनों दिनों को अपने दल के सदस्यों को उपस्थित रहने के लिये कहा गया था। अब यदि घंटी बजाई जाये तो अपेक्षित न्यूनतम संख्या में सदस्य नहीं होंगे। हम यह जोखिम नहीं उठाना चाहते।

श्री सेझियान : अब प्रश्न यह है कि सभा ने श्री रघुरामैया द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव के अनुसरण में यह निर्णय लिया था कि संविधान (संशोधन) विधेयक पारित होने तक आंशिक रूप से चर्चा किये गये विधेयकों पर विचार विमर्श स्थगित रखा जाये।

इसके अतिरिक्त 9 मई को जारी की गई मूल कार्य सूची में लिखा था कि बृहस्पतिवार की संशोधित कार्य सूची में दर्ज अवशिष्ट सरकारी कार्य आज लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बात स्पष्ट है कि यदि सभा ने कोई प्रस्ताव स्वीकार किया है, तो उसके विपरित कोई कार्य नहीं हो सकता जब तक कि सभा अपने पूर्व निर्णय को रद्द न कर दे। कार्यवाही वृतांत मेरे सामने है। उसके अनुसार कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था :

"Nevertheless, I am in the hands of the Chair. In view of the observations of the Chair I request that further discussion on the partially discussed Bills be postponed until such time as the Constitutional Amendments are adopted."

आगे की कार्यवाही वृतान्त इस प्रकार है :

"**Shri S. M. Banerjee :** Where is the motion ?

Mr. Speaker : Does the House accede to the request of Mr. Raghuramaiah that discussion in respect of items No. 17 and 19 may be postponed ?

Hon. Members : Yes.

Mr. Speaker : So, it is acceded to. There is no set procedure or any rule in this regard. This position is uncertain and you have expressed certain views. I tried to see whether the Minister can make a request. He has made a request and this has been acceded to by the majority of the House. If you go by rule, there is no rule. I will just ask the minister to go ahead with his Bill. There is no rule in this connection."

अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है। सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं था मंत्री महोदय ने प्रार्थना की थी जो सभा ने स्वीकार की थी। हमें प्रस्ताव और प्रार्थना में अंतर करना होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय]

मैं आपका ध्यान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम संख्या 25 की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है :

"सरकारी कार्य के सम्पादन के लिये नियत किये गये दिनों में ऐसे कार्य को पूर्ववर्तिता होगी और सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसाकि अध्यक्ष सदन-नेता से परामर्श करने के बाद निर्धारित करे।"

संसदीय कार्य मंत्री सदन-नेता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सभा को वचन देने के बाद किसी भी कारण से मंत्री महोदय वचन को निभा नहीं सकते तो वे अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि अमुक परिस्थितियों में किसी विशेष दिन के कार्य का क्रम बदल दिया जाये। प्रक्रिया की दृष्टि से इसमें कोई अनियमितता नहीं है और सभा के निर्णय का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मानता हूँ कि कोई प्रस्ताव नहीं था। अब दो रास्ते रह जाते हैं। एक यह कि सभा को दो घंटे के लिये स्थगित किया जाये ताकि संसदीय कार्य मंत्री अपने सदस्यों को एकत्र कर सकें या दूसरे प्रधान मंत्री यहां आकर आश्वासन दें कि एक अध्यादेश जारी किया जायेगा ताकि न्यायालयों द्वारा की गई गलती को सुधार जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था। सरकार तकनीकी रूप में सही है। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यह सभा देश का प्रतिनिधित्व करती है और हमें इसका सम्मान करना चाहिये तथा हम यहां जो भी वचन दें उसका हम पालन भी करने का प्रयास करें। माननीय सदस्यों के सुझाव रिकार्ड पर है और सरकार तथा मंत्री महोदय उन पर ध्यान देंगे।

श्री के० रघुरामैया : मैं उपाध्यक्ष महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। मैं तो इच्छुक था कि कल ही विधेयक पास हो जाता परन्तु अविश्वास के प्रस्ताव के बीच में आ जाने के कारण ऐसा न हो सका। **(अन्तर्बाधा)** (*Interruption*) मैं सारे भारत में अपने दल के सदस्यों को सूचित करके यहां एकत्र कर रहा था। मैं आपकी सद्भावना पर सन्देह नहीं करता, आप मेरी सद्भावना को चुनौती न दें। हम अगले सत्र में इसे अवश्य लायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज देश में एल्युमीनियम की बहुत कमी है। जे० की० की इंडियन एल्युमीनियम कारपोरेशन को आसनसोल में 5,000 टन एल्युमीनियम तैयार करने के लिये आशय पत्र और विदेशी मुद्रा दी गई थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया और मशीने आसनसोल से ले जाकर कलकत्ता स्थित अपने कारखाने में लगा दी और चोरबाजारी और अनेक अनियमितताएं की। उनके दो ट्रक, जो धातु-पिण्डों से भरे हुए थे, मिदनापुर जिले में पकड़े गये। यह 2,500 श्रमिकों के जीवन-मरन तथा देश की आर्थिक उन्नति और दुर्लभ माल के उत्पादन का प्रश्न है। इस कम्पनी को सरकार अपने हाथ में लेना चाहिये।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। अभी हाल में प्रधान मंत्री तेहरान गई थीं और अमरीकी दिग्गज श्री किसिंजर सहित अनेक लोगों से मिली थीं। उन्हें इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये। सी० आई० ए० के निदेशक और तेहरान में अमरीकी राजदूत श्री रिचार्ड हैल्मन उनके तेहरान जाने से पूर्व भारत आये थे और उनसे मिले थे। यह एक गंभीर मामला है। हम नहीं चाहते कि तख्ता पलटने के इतिहास को यहां भी दोहराया जाये। मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वे सभा को बताये कि तेहरान में उन्होंने क्या किया और वे देश का किस प्रकार हित करना चाहती हैं।

श्री के० डी० मालवीय : यह ठीक है कि जे० के० एल्युमीनियम बन्द है। यह भी ठीक है कि उन्होने निश्चित समय सीमा के अनुसार उत्पादन आरम्भ नहीं किया। इससे हमें काफी चिन्ता है।

इसके कुछ कारण हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने उन्हें बढ़ी हुई दर पर बिजली देने के लिये कहा। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें बिजली क्यों नहीं मिली। यह पश्चिमी बंगाल सरकार और उनका मामला है। इस बीच एलुमीनियम का मूल्य भी बढ़ गया है। इस बारे में अनेक प्रस्ताव विचाराधीन है। हमें राज्य सरकार से परामर्श भी करना है। हमें इस कारखाने को लेने से पहले यह भी सोचना है कि बिजली मिलेगी या नहीं– अफसोस है कि इस समय बिजली उपलब्ध नहीं है। मैंने श्री बसु तथा अन्य लोगों से इस बारे में बातचीत की थी और अन्य सदस्य भी सुझाव दे सकते हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा और उनपर विचार किया जायेगा।

Shri Paripoornand Painuli (Tehri-Garhawal) : I would like to draw the attention of the Government to the plight of about 1 lakh of pilgrims drawn from all over India. Who have been stranded at Rishikesh for want of transport facilities. They can neither proceed to Badrinath on their pilgrimage nor go back to their homes. These poor people are being exploited by private transport operators who are charging exorbitant rates. Central Government should arrange for their transport back to their homes.

Secondly, I would like to submit that the exploitation of lime-stone quarry in Massorie Hills has hit the local population very badly. The water resources have gone dry and their houses and farms have been damaged. This exploitation of farmers by the private sector should be checked and lime-stone quarries should be made a central subject.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री चटर्जी मुझसे सहमत होंगे कि इस सभा में किसी भी प्रस्ताव को गंभीरता से लिया जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपने प्रस्ताव की सूचना वापस लेता हूं।

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : 12 मार्च को मैंने अपने क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की भारी कमी के बारे में नियम 377 के अधीन मामला उठाया था। उसके छः सप्ताह बाद अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे, लेकिन आज सत्र का अन्तिम दिन है और अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं कोई फैसला नहीं दे सकता। यदि ऐसा आश्वासन दिया गया होगा तो मंत्री महोदय अवश्य वक्तव्य देंगे।

कोयला खान (संरक्षण और विकास विधेयक, 1974—(जारी)

COAL MINES (CONSERVATION AND DEVELOPMENT) BILL, 1974—*Contd.*

Shri Damodhar Pandey (Hazaribagh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the proposed cess of Rs. 10 per ton is not going to serve the purpose. If there are difficulties in stowing due to non-availablity of sand from nearby places, it may drawn from Sone and Phalgu rivers though it may invoke higher cost. Safe exploitation to meet the coal requirement of the country is far more important than the cost involved.

After the nationalisation of almost all the collieries there is no justification to spend money on the maintenance of separate organisation for stowing. As regards shortage of timber for pillaring in the mines, I would suggest that steel may be used in its place. The use of steel pneumatic props may also be considered.

[Shri Damodar Pandey]

As regards conservation, the intension and the opinion of the Government is not clear. Although most of the coal mines have been nationalised the Government of Bihar State continues to grant base for coal mining to private parties. The hon. Minister should clarify why and how it is being done. There are numerous other anomalies. Many collieries are not working even after being taken over by Government and workers are idle. Contrary to it there are some collieries still in private hands although notified for take over. The hon. Minister may kindly state the firm line of action in this regard since the private owners are no more concerned with their proper working.

The colliery workers are not being supplied their rations inspite of assurances in the joint bi-partite negotiation committee. We do not want ration at subsidised rates but we want to be assured of supply of foodgrains.

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : The present Bill fails to meet the requirements of the day. Instead the hon. Minister should have brought forward a comprehensive Bill which could solve the problems of the coal mining industry and its workers.

Government claims that coal production has tone up with the state take over of collieries. But my information is that there is an acute shortage of coal in the country and the price of coal is sky rocketing. After the state take over the price of coal rose from Rs. 6 per 40 kg. to Rs. 12 per kg. and the prevailing price today is Rs. 25. It leads to only one conclusion that the working of National Coal Corporation is not satisfactory.

No concrete steps have been taken to improve the working of the coal mines in Bihar, Bengal and Madhya Pradesh. Coat is being pilfered on a large scale by the colliery officers resulting in losses. Workers are not only deprived of ration but also water and medicines. They are provided proper facilities for working in the mines. Proper arrangements should be made for their housing, supply of water, etc. Safety measures are utterly lacking in the collieries and the workers are supplied food which can be compared only to that supplied to prisoners.

It is surprising that even after two years of nationalisation it has not been possible to calculate the amount to be realised from coal mine owners towards the provident fund. It should be expedited. The figures in respect of workers thrown out of employment absorbed after the nationalisation may also be given. The hon. Minister may kindly enlighten the House as regards the steps taken to improve the availability of rail wagons for transportation of coal after the nationalisation.

सरदार स्वर्णसिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं इस प्रगतीशील विधेयक का समर्थन करता हूं कोयला बोर्ड समाप्त करने एक सरकारी उपक्रम बनाने का प्रस्ताव सराहनीय हैं परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाये कि इसके प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करते है।

मेरे विचार में उपकर 4 रुपये से बढाकर 10 रुपए प्रति टन नहीं किया जाना चाहिए यह अधिक से अधिक 8 रुपए प्रति टन होना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि बोर्ड का असंदत्त दायित्व भविष्य में आज की 13.67 करोड़ रुपए की राशि से नही बढता है। नये उपक्रम में अर्हताप्राप्त इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी ही होने चाहिए कोयला बोर्ड के पुराने अधिकारी नहीं क्योंकि वे नये उपक्रम को भी खराब कर देंगे।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संशोधन संख्या 1, 2 और 3 स्वीकार कर लिये जायें क्योंकि इससे भविष्य में आवश्यकता पढ़ने पर कोयले के संरक्षण और विकास में सहायता मिलेगी। प्रश्न में मैं मंत्री महोदय से श्रमिकों के लिये राशन उचित मूल्य की दुकानों, पीने के पानी, चिकित्सालयों, मकानों आदि की समुचित व्यवस्था करने की प्रार्थना करता हूं।

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संशोधनों पर जोर न दें क्योंकि उनकी बातों का विधेयक में ध्यान रखा गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी कोयला बोर्ड समाप्त करने की विरुद्ध प्रतीत होते हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि सुरक्षा उपायों, संरक्षण कार्यक्रमों आदि के लिये सरकारी क्षेत्र में अन्य उपक्रम होंगे जैसे कोयला खनन प्राधिकरण उन्होंने संभवत: कोयला बोर्ड के कर्मचारियों को इधर उधर भेजे दिये जाने की बात सोचकर 'Organisation' शब्द पर आपत्ति की है। वे खंड 15 को देखें जिसमें कोयला बोर्ड के कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है।

कोयला बोर्ड में लगभग 1,800 कर्मचारी हैं। हमने उनसे अधिकांश के लिये अन्यत्र रोजगार की व्यवस्था कर दी है। केवल 655 कर्मचारी रह गये हैं। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें कलकत्ता से बाहर नहीं भेजा जायेगा और नए बनाये जाने वाले छोटे संगठन में कलकत्ता में रोजगार दे दिया जायेगा।

श्री दामोदर पांडे ने कहा कि 10 प्रतिशत की उत्पादन शुल्क पर्याप्त नहीं है। मैं इसे बढाने के विरुद्ध हूं क्योंकि अन्ततोगत्वा इससे कोयले का मूल्य बढेगा। दूर की नदियों से बालू लाने से भी लागत बढेगी। 10 रुपये की सीमा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपायों के परीक्षण किये जा रहे हैं। वैसे 10 रुपये की दर अधिकतम है और यह कोयले की कीस्मत पर आधारित होगी। श्रमिकों को राशन, पानी तथा अन्य सुविधायें, जो इस समय सन्तोषप्रद न हों, प्रदान करने के लिये सरकार प्रतिज्ञाबद्ध है।"

मैं समझता हूं कि जब तक इन लोगों को पानी, अच्छी खुराक तथा रहने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं दी जाती तब तक कोयले के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती।

जहां तक बिहार सरकार द्वारा रियायतें दिए जाने का सम्बन्ध है मैं देखूंगा कि राज्य सरकारें ऐसी कोयला खानों को चलाने के लिए कोई रियायतें न दे जो अब बेकार हैं।

यह बात सही है कि क्षेप्यभरण व्यय बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि अब पास की रेत खत्म हो चुकी है तथा उसे दूर से लाना होता है। इस के अलावा डीजल तेल के दाम भी बढ गए हैं। इन्हीं कारणों से क्षेप्यभरण व्यय बढ़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयले के संरक्षण तथा कोयला खानों के विकास के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 4
Clauses 2 to 4

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार चर्चा होगी।

खण्ड 2 और 3 पर कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

13—20 LS.S./74

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये जाए

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : सरदार स्वर्ण सिंह सोखी के नाम में संशोधन है। क्या वह उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : जी, नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं अपने संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य इस बात को देखना है कि सुरक्षा, संरक्षण और विकास कार्य ठीक तरह से चलता रहे। मुझे खेद है कि सुरक्षा शब्द विधेयक में से निकाल दिया गया है इसे नहीं निकालना चाहिए था। मेरा निवेदन है सुरक्षा सम्बन्धी जो शब्द मूल अधिनियम में थे वे अब इस विधेयक में जोड़े जाये इसी प्रकार से "इसकी किस्म सुधारने के लिए" शब्दों आदि को भी विधेयक में रखा जाना चाहिए।

श्री के० डी० मालवीय : हम पहले ही इन बातों पर विचार कर चुके है, इन की आवश्यकता नहीं हैं। खण्ड 11 में स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया गया है जो हम सुरक्षा के बारे में करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के संशोधन सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : साढेतीन बजने में अभी एक मिनट है। विधेयक के अभी 15 खण्ड शेष हैं तथा उनके संशोधन भी। यदि आप इस विधेयक को आज पारित करना चाहते हैं तो हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य से कुछ समय लेना पड़ेगा। नियमानुसार शुक्रवार की बैठक के अन्तिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य-संचालन के लिए नियत होते हैं। इस लिए सभा अपनी राय बता सकती है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of order, Sir. The order paper can be consulted wherein it has been stated that from 11-00 a. m. to 3-30 p. m. part I and from 3-30 to 6-00 p. m. Part II will be taken. I would therefore request that my resolution for which I had given a notice before 10 O' clock today may first be taken before any discussion to raise the time beyond 6 p. m. is taken up.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया होगा परन्तु जब तक अध्यक्ष महोदय उसे स्वीकार न कर लें तब तक मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

Shri Madhu Limaye : The motion should be properly moved.

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों में यह लिखा है कि शुक्रवार को गैर-सरकारी सदस्यों के लिए कार्यवाही के अन्तिम ढाई घंटे निश्चित किए जाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि यह समय 3.30 बजे से शुरू हो।

Shri Madhu Limaye : I do not agree with this. This agenda cannot be changed.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि केवल इस लिए कि आर्डर पेपर में समय 3.30 दिया है इस लिए उसे उसी समय आरंभ किया जाए ऐसी बात नहीं है। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य बाद में भी लिया जा सकता है। इस के अलावा इस बारे में सदन स्वयं अपना फैसला दे सकता है। आपके नोटिस की मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है।

Shri Madhu Limaye : Sir, Rule 26 says that the last two-and-a-half hours of a sitting on Friday shall be allotted for the transactions of Private Members' Business. In today's agenda the time has been fixed from 3-30 to 6 p. m. So, if any change has got to be made in it then we will have to take the consent of the House first for which I had given a notice before 10 O'Clock.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना व्यवस्था का प्रश्न अब उठा सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : There is a lot of unfinished business. If we do not take it today then it will remain pending for a week. Gujarat budget cannot remain unfinished. Its demand has to be passed.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। उनका कहना है कि गुजरात बजट को पास किया जाना चाहिए अन्यथा इस से प्रशासनिक अव्यवस्था हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री इस बात पर विचार कर लें।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : आज की कार्य सूची में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए 3.30 बजे से समय निश्चित किया गया है। इसे पास करने के बाद हम अगले कार्य को ले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। आप इस पर अपना फैसला दे सकते हैं। यह प्रश्न मैंने ही उठाया था। हम पहले प्रायः विधेयक के खण्डों को एक ही सत्र में पास करते रहे हैं इसलिए मैं चाहता था कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को थोड़ा समय आगे बढा दिया जाए और खण्डों पर चर्चा कर ली जाए। इस के लिए मैंने सभी की अनुमति मांगी थी। श्री लिमये ने उसी प्रश्न पर अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नियम 338 के अधीन मैं उनका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता हूं। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि क्या गुजरात बजट पास किए बिना इस सभा को स्थगित किया जा सकता है या नहीं क्योंकि ऐसी हालत में गुजरात के पास कोई धन नहीं रहेगा। मैं इस प्रश्न पर उनके विचार सुनना चाहता हूं।

Shri Madhu Limaye : The rule that you have read just now does not apply here. Yesterday the point was that the Session of Lok Sabha be extended for another week. Today the point is that it be adjourned for a week.

[Shri Madhu Limage]

Let us see the definition of 'adjournment' and 'prorogation'. The Lok Sabha was summoned by the orders of the President. So unless he prorogues it by his orders it will be deemed that the Session is going on. The hon. Speaker was to announce the adjournment of the House *Sine die* today at 6 p. m. So before that announcement is made the House shall take the decision that it will be adjourned to meet again after a week.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप की बात समझ गया हूं तथा मैं नियम 338 के अधीन दिए गए विनिर्णय को वापस लेता हूँ। आपका प्रश्न यह था कि चूंकि सत्र का अवसान नहीं हुआ है इसलिए सभा के स्थगन हो जाने पर भी अध्यक्ष महोदय उसे पुनः बुला सकते हैं। परन्तु मैं आपका ध्यान नियम 13 और 15 की ओर दिलाता हूं।

Shri Madhu Limaye : First you relied on rule 338. Now you are relying on rules 13 and 15. Let me have my say on these rules. These rules are not applicable at all.

उपाध्यक्ष महोदय : तब कौन सा नियम लागू होता है?

Shri Madhu Limaye : Unless and until the House is prorogued, nobody can snatch the right of this House.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि वह इस बात से सहमत हैं कि इन नियमों के अन्तर्गत कुछ शक्तियां सदस्यों को तथा कुछ अध्यक्ष महोदय को दी गई हैं। इस नियम के अन्तर्गत यह निर्णय लेना अध्यक्ष का अधिकार है कि सभा को कब स्थगित किया जाए तथा क्या इसे पुनः बुलाया जाना चाहिए अथवा नहीं। इस बारे में सभा कोई निर्णय नहीं ले सकती?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष सभा से ऊपर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों में अध्यक्ष को यह अधिकार दे रखा है। इसलिए ऐसे किसी प्रस्ताव को जो अध्यक्ष की ऐसी शक्ति को छीनना चाहे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री लिमये का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : कृपया यह बताइए कि किस नियम के अन्तर्गत श्री लिमये के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम को कोई बात नहीं। इसे स्वीकार या अस्वीकार करना उनका विशेषाधिकार है।

श्री पी० जी० मावलंकर : यही विवाद की बात है। अध्यक्ष महोदय सभा की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : सभा ने अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है। सच्चाई तो यह है कि इसने कल इसे अस्वीकार कर दिया था।

श्री सेझीयान (कुम्भकोणम्) : यदि आपका यह विचार है कि कोई भी सदस्य प्रस्ताव पेश नहीं कर सकता तो मेरा निवेदन है कि कल यह प्रस्ताव रखा गया था कि सत्र को दस दिन और बढाया जाए। म यह जानना चाहता हूं कि उसकी अनुमति तब कैसे दी गई थी?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल यह ही कह सकता हूं कि मैं तो उसे भी स्वीकार न करता।

श्री मधु लिमये : अब तो पूर्वोदाहरण कायम हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है परन्तु वह भी अनियमित था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : नियम 13 और 15 के अधीन भी अध्यक्ष को पूरी शक्ति नहीं मिलती है। प्रश्न यह है कि सत्रावसान के बाद सभा की बैठक कहां होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी सत्रावसान नहीं हुआ है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मुझे पता है। प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष नियम 13 के अधीन पूर्णतया सशक्त है कि वह किसी भी दिन यह निश्चित कर सकें कि सभा की बैठक कितने दिन के लिए होगी ? मैं समझता हूं कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सत्र की पहली बैठक उस दिन होगी जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अधीन संसद् को बुलाए। दूसरे अध्यक्ष सभा के निर्णय को विफल नहीं कर सकता।

श्री सेझीयान : कल के कार्यवाही वृत्तान्त को पढ़ने से पता चल जाएगा कि अध्यक्ष महोदय ने प्रो० दण्डवते द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमें सभा के निर्णय को ही मानना होगा, आप मुझे बहुत अधिक शक्ति मत प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते ने कल बहुत सही प्रश्न उठाया था तथा आपके प्रश्नोत्तर में अध्यक्ष को सत्र को बढ़ाने का अधिकार है। आपको याद होगा कि एक बार पिछले वर्ष भी किसी तकनीकी गलती के कारण वित्त विधेयक को पुन: पुर:स्थापित न किया जा सका तथा सभा को अचानक ही स्थगित किया गया जिसके कुछ वित्तीय परिणाम निकले तथा जब इस ओर ध्यान दिलाया गया तो सभा को उसी रात 10 बजे बुलाया गया। अत: अध्यक्ष को सभा को स्थागित करने का अधिकार है। सभा का इस बारे में कोई अधिकार नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : गुरुवार और शुक्रवार को इस सभा को दो व्याख्याओं से लिनियमित नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मरा विनिर्णय है।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या आप अध्यक्ष के विनिर्णय पर अपना विनिर्णय दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। आप मुझे ऐसा कहने के लिए बाध्य न करें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं समझता हूं कि स्थिति नियमों के अनुसार बिल्कुल सही है। अध्यक्षपीठ द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि प्रति दिन बैठक कितने समय तक चलेगी तथा अध्यक्षपीठ द्वारा ही स्थगन के बाद बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में अध्यक्षपीठ यदि चाहे तो अपनी शक्ति सभा को हस्तांतरित कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कल जो कुछ हुआ उसका यह सही विवेचन है।

Shri Madhu Limaye : Article 105(3) of the Constitution says that in other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and, until so defined, shall be those of the House of Commons of the

[Shri Madhu Limaye]

Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution. So we have the same rights which House of Commons enjoyed at the time of formation of the Constitution. In the other Article it has been said that the Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned *Sine die* or to a particular day, or to an hour or part of the same day. You were saying just now that the House can be extended from 6 to 6-30 under this rule. At the same time I have said that I am bringing a motion which is not a challenge to your right but will bring out a way to use your right.

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद 105(1) को पढ़ने से पता चल जाएगा कि संसद् में कार्यवाही विनियमित करने के बारे में नियम व स्थायी आदेश हैं।

दूसरी बात से आपका तात्पर्य यह है कि चुंकि संसद् ने अभी कोई कानून पास नहीं किया है इसलिए उस पर ये नियम व आदेश लागू होते हैं जब तक वह उन्हें बदल न दें। मैं इस बारे में और कुछ सुनने को तैयार नहीं।

Shri Madhu Limaye : You may give your ruling.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दे चुका हूं।

Shri K. D. Malaviya (Domaniaganj) : If the House does not want to discuss this Bill any more, now then we can postpone it for some time more and discuss it at another sitting of the House.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, पांडिचेरी, 1973-74 के बारे में

RE: SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS, PONDICHERRY, 1973-74

उपाध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करने से पहले मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि श्री सेझियान ने अनुरोध किया है कि वह पांडिचरी संघ राज्यक्षेत्र के बारे में 1973-74 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध म संवैधानिक स्थिति पर 2 मई, 1974 को वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में कुछ प्रश्न उठाना चाहते हैं। यदि सभा इस की अनुमति दे दें तो हम उनकी इस मद पर उन्हें दो तीन मिनट बोलने का अवसर दे सकते हैं।

संसद कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस मामले को अगले सत्र में लिया जाए ?

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : जी, हां। इस बीच मैं कुछ प्रश्नों पर अध्यक्षपीठ का निर्णय जानना चाहता हूं।

मैं ने 23 अप्रैल, 1974 को सभा का ध्यान इस ओर दिलाया था कि यद्यपि पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की 1973-74 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें 26 मार्च, 1974 को सम्बन्धित विधानमण्डल को प्रस्तुत की गई किन्तु वे अगले दिन अनुसूचित समय में पास नहीं हो सकी क्योंकि उन्हें पास करने से पहले पांडिचेरी की सरकार ही न रह पाई। इसलिए 31 मार्च से पहले अनुदानों की मांगों के अधीन किए गए व्यय को विनियमित करना चाहिए अन्यथा वह अवैध और असंवैधानिक हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 114(3) में स्पष्ट तौर पर बताया

गया है कि भारत की संचित निधि में से विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन धन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जाएगा तथा यह निषेध अनुच्छेद 115 और 116 पर भी ऐसे ही लागु होता है तथा अनुच्छेद 115 अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में है। इसी लिए उनका विचार यह था कि सम्बन्धित विधानमण्डल विनियोग विधेयक पारित किए बिना कोई धन नहीं निकाला जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो व्यय पांडिचेरी विधानमण्डल द्वारा वैध नहीं बनाए गए हैं वे सभी अवैध है तथा म उनके बार में अध्यक्षपीठ का विनिर्णय जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता। इस बारे में फिर कभी चर्चा की जा सकती है?

श्री सेझीयान : क्या इसे अगले सत्र में लिया जायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : माननीय मंत्री को हां कर देनी चाहिए।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों, संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

(41 वां प्रतिवेदन)

श्री गिरीधर गोमांगों (कोरापुट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के एकतालीसवें प्रतिवेदन से, जो 8 मई, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

मूल्यों और कृषि उत्पादन सम्बन्धी नीति के बारें में संकल्प

RESOLUTION RE. POLICY IN RESPECT OF PRICES AND AGRICULTURAL PRODUCTION

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के लिये 6 घंटे का समय नियत किया गया था। अब केवल पांच मिनट शेष रह गए हैं। श्री सूर्यनारायण अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

संसद कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : चुंकि अभी बहुत से सदस्य इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं इस लिए मैं चाहता हूं कि इस के लिए आधे घंटे का समय बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब भाषण जारी किया जाए।

[**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** पीठासीन हुए।
SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*]

श्री के० सूर्य नारायण (एलूरु) : हमारी राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत भाग कृषि से आता है। हमारी 80 प्रतिशत जन संख्या खेती पर निर्भर करती है। 1971 में हमारे देश में किसानों की कुल संख्या 7.87 करोड़ थी। परन्तु उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्हें उचित मूल्य पर खाद भी नहीं मिल रही है और न ही उनके लिए बिजली की व्यवस्था है। बैंक आदि उन्हें ऋण भी नहीं देते हैं। उनका कोई संगठन भी नहीं है। सरकार ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि तम्बाकू उत्पादकों के हित को देखते हुए उनके लिए एक तम्बाकू बोर्ड बनाया जाएगा किन्तु धीरे धीरे यह प्रस्ताव स्थगित किया जा रहा है।

हमारी कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई नीति नहीं है। किसानों को ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है कि उन्हें उर्वरक, बिजली आदि ठीक प्रकार से उपलब्ध होंगे। उन्हें निर्धारित मल्य पर उर्वरक नहीं मिलता है। बिजली बोर्ड भी उन्हें तंग कर रहा है। यदि वे अनुमत लक्ष्य से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं तो उनसे अतिभार ले लिया जाता है किन्तु यदि वे निर्धारित लक्ष्य से कम बिजली का उपभोग करते है तब भी उनसे अतिभार ले लिया जाता है।

हम प्रायः भूमि सुधार की बात करते हैं। भूमि सुधार पर किसी को आपत्ति नहीं है। मेरे राज्य में अध्यादेश जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति न तो भूमि खरीद सकता है और न ही बेच सकता है। लोग फालतू भूमि सरकार को देना चाहते हैं परन्तु सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक को स्थगित कर दिया है। सरकार को भूमि सुधार नियम लागू करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। उन्हें श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प को शीघ्र क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य विधानमण्डलों में पारित अधिनियमों को कोई भी व्यक्ति क्रियान्वित नहीं करना चाहता। चुंकि राज्यों में लालफीता शाही का बोलबाला है और उन अधिनियमों को क्रियान्वित करने में कोई भी रुचि नहीं रखता इसलिए वे क्रियान्वित नहीं हो पा रहे है। राज्य सरकारों को भूमि सुधार कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कोई निदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। केरल सरकार को हाल में ऋण नहीं दिया गया है अन्य राज्य सरकारों के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जा सकता है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालसोर) : आज हमारा देश बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमें हर कदम पर कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। सभी लोग मूल्य वृद्धि से पीड़ित है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश के वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करना सम्भव है? मै समझता हूं कि जब तक हम आर्थिक, राजनीतिक और समाजवादी ढांचे में परिवर्तन नहीं लाते तब तक हम समतावादी समाजवाद नहीं ला सकते।

श्री मधु लिमये ने कहा है कि खाद्यान्नों के मूल्य में 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। दन्तवाला समिति के प्रतिवेदन में एक स्थान पर लिखा है कि कृषि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि सट्टेबाजी के कारण होती है। भारत में इस समय आठ केन्द्रों में सट्टेबाजी की अनुमति है। सरकार को कृषि बस्तुओं पर से सट्टेबाजी पूर्ण रुप से समाप्त कर देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि केवल तभी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। श्री लिमये के प्रस्ताव को अनुशासन में विश्वास रखने वाले समाज मे तो क्रियान्वित किया जा सकता है किन्तु क्या इस लोकतंत्र में इसे क्रियान्वित किया जा सकता है?

मैं समझता हूं कि हमें कृषि वस्तुओं में वायदा व्यापार को समाप्त कर देना चाहिए। यह बात ठीक नहीं है कि कुछ केन्द्रों में वायदा व्यापार की अनुमति दी जाए तथा अन्य केन्द्रों में नहीं।

हमारे देश में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है परन्तु उनकी कमी नहीं है। मुश्किल इस बात की है कि उनका वितरण ठीक नहीं है। उन्हें भूमिगत कर दिया जाता है तथा वे लोगों तक नहीं पहुंच पाते। एक ऐसी मजबुत सी एजेंसी होनी चाहिए जो इन वस्तुओं को बाजार में ला सकें जिन्हें लोग खरीद सके।

श्री मधु लिमये ने कहा था कि औद्योगिक वस्तुओं और कृषि वस्तुओं के मूल्यों में स मानता होनी चाहिए परन्तु मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है क्योंकि मजदूर आवश्यकता पर आधारित मजदूरी मांगता है और दूसरी और खेतिहर मजदूर संगठित नहीं है। इसलिए कृषि वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं में समानता नहीं लाई जा सकती।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : The spirit behind the resolution brought up by Shri Madhu Limaye is very good. I wish he would have included in it some more points. There cannot be any doubt that the country is passing through a grave economic crisis. The prices of all the commodities are spiralling. This has aggravated the difficulties of a common man. In case we will not be able to check this inflationary trend our economy will be shattered.

I am of this view that Government should change its policy. Not only that the method to implement the policy should also be changed.

I support the view of Shri Mohapatra that the States should be allowed a certain autonomy but the broad principles should be decided by the centre. I also feel that there is not proper coordination in Ministries and Departments in the Centre. Similarly different States have different views about the basic policies. That is why many difficulties have come in the way of implementation of the policies of the Government. The failure of take over of whole sale trade in foodgrains clearly shows that there have been wide differences.

We talk of need based wage policy. But need based minimum wage has no meaning if the prices are to go on increasing. Therefore I am of this view that we should concentratecon checking the prices and this is possible in case cost accounting is resorted to in various industries. There should be cost accounting of agricultural products also so that the producer could hope to get a fair price of his produces.

The present practice is not proper. There is no systematic way to determine the prices. It should be based on scientific lines.

In the end I would like to say that we are passing through very hard days. The sense of urgency which is needed to implement the plan targets is not seen. Government should take urgent steps to curb inflation and achieve plan targets.

Shri Ram Kanwar (Tonk) : I support the resolution moved by Shri Madhu Limaye. Though twenty seven years have passed since we have attained independence yet the plight of agriculturists in India is still miserable. The country is passing through hard days. The prices of foodgrains have risen very high. The farmers are not provided necessary inputs at reasonable prices. So unless they get inputs at reasonable rates they will not be able to produce the required amount of foodgrains. Government should pay attention towards it

I also agree with Shri Limaye that the farmers with a holding of less than 10 acres should be supplied fertilizers and power at reduced rates. In this connection I would like to mention that in some areas of Rajasthan frost has damaged 75 per cent crops. I would urge that they should be allowed a remission of power rates.

The prices of tractors have gone so high that small farmers cannot afford to purchase them. I would therefore suggest that the prices of tractors should be reduced. Dieser]

[Shri Ram Kanwar]

also is in short supply. I feel that unless these constraints are removed from their way they will not be able to produce more.

Lakhs of acres of land are in the possession of Forest Department of Rajasthan. In the major portion of that land there are no trees. This land should be given to the people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes so that they may utilise that for agricultural purposes.

Shri B. R. Shukla (Bahraich) : Mr. Chairman, Sir, nobody can disagree with the spirit that underlies the Resolution. The situation to-day is very grim and in order to remedy this situation some steps should be taken to see that things like sugar, cement, iron, cloth, vanaspati are made available to those farmers who are ready to sell their foodgrain against these things. For this purpose co-operative shops should be opened. Only then we will be able to meet the needs of common people. But the difficulty in our country is this that policies of the Government are not being effectively implemented.

Big farmers who are getting loans from the nationalised banks at a low rate of interest for purchase of tractors, fertilisers etc. are indulging in hoarding and profiteering in connivance with big traders. Besides vanaspati and cement are selling in black market. This all shows that our administration is ineffective and it is required to be streamlined.

The administration in most of the states is inefficient. Although we accuse bureaucrats for this malady but ultimately the responsibility lay on our elected representatives who are in charge of running the administration.

Stringent measures should be adopted to deal with the situation arising out of strikes, hoarding, black marketing and other anti-social activities.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Mr. Chairman, Sir, the non-official resolution is of great importance and suggestions made therein are laudable. The country today is passing through a very serious crisis. The prices of essential commodities have risen sky high. The fact is that most of the essential commodities have disappeared from the market. The administration is undoubtedly facing certain difficulties to deal with the situation arising out of strikes and demands for less work and more wages. But it cannot be denied that failure of the administration is responsible for this situation to some extent. The administration has failed to check profiteering and black marketing.

Although our economy is based on agriculture, the prices of agricultural commodities are determined on the basis of industrial goods. This process should be reversed and the prices of agricultural commodities should determine the prices of other commodities.

It will be appreciable if Government succeeds to make available essential commodities to 80% of the rural population and 20% of the urban population in the light of the recommendations made by the Dharia Committee. The distribution system, however, needed to be streamlined. Distribution should be done through village co-operatives and panchayats. A three tier system should be evolved and peoples' involvement should be sought. Unless this is done, the distribution system will crumble and we will not be able to cater the needs of the rural population. This has already happened in case of sugar. In actual practice 70% of the total sugar production is going to the open market instead of 30% as fixed by the Government.

In order to augment resources, States are encouraging the sale of wine. The number of wine shops is being increased manifold. It would be advisable if other sources are also tapped. In this connection, necessary instructions should be given to the States.

In order to ensure more production, more funds should be allocated for minor irrigation. Unless this is done, we will not be able to tide over this financial crisis.

The workers should not resort to strikes. If they want more wages, they should increase production. Opposition parties should extend their co-operation in this regard.

Keeping in view the shortage of power, which works out to be 50 lakh kilowatts, and spiral in prices, there should be rethinking on planning. It should be based on agriculture. The suggestions of the mover that fluctuations in foodgrains prices more than 15% should not be permitted is not feasible keeping in view the cost of production. Stringent measures should be adopted to check blackmarketing.

The present plan allocations for agriculture of 13% of the total allocations, should be raised to 25%. Only then we will be able to deal with this situation.

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम): सभापति महोदय, मूल्यों और कृषि उत्पादन के सम्बंधों में नीति को पुनर्निर्धारित करने के बारे में श्री मधु लिमये के संकल्प का समर्थन करते हुए मुझे यह कहना है कि सरकार ऐसी नीति निर्धारित करे जिससे—

(i) कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की प्रति यूनिट दर दस पैसे से अधिक न हो;

(ii) दस एकड़ से कम जोतों वाले किसानों को राजसहायता प्राप्त दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके,

(iii) सरकार उत्पादन लागत और किसानों के लिये उचित लाभ का ध्यान रख कर कपास, गन्ना, कच्चा पटसन, खाद्यान्न तथा अन्य उपज की समर्थित दरों पर खरीदने का उत्तरदायित्व स्वयं उठाये,

(iv) औद्योगिक माल तथा कृषि उपज के मूल्यों के बीच समानता हो सके,

(v) खाद्यान्नों के मूल्यों में 15 प्रतिशत से अधिक उतार–चढ़ाव न हो सके, और

(vi) सिंचाई की दरों में 25 प्रतिशत कमी हो जाये।

सरकार की कृषि नीति इन्हीं बातों पर, जो सराहनीय है, आधारित होनी चाहिये।

श्रीमन् श्री मधु लिमये का संकल्प महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अपनी नितियों को क्रियान्वित करने में असफल रही है। गेहूं के थोक व्यापार को गैर–सरकारी क्षेत्र को सौंपा जाना इस बात का परिचायक है कि सरकार अकुशल है। इस असफलता का कारण यह है कि सत्ताधारी दल से सम्बन्धित भूपतियों ने सरकार का इस मामले में साथ नहीं दिया। स्पष्ट है कि सरकार और दल के बीच कोई तालमेल नहीं है। केन्द्रीय सरकार इसके लिये राज्य सरकारों को जिम्मेवार ठहरता है। तमिल नाडु को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं किन्तु अपेक्षित मात्रा में अनाज न खरीद सकने के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार भारतीय खाद्य निगम, जिसे यह कार्य सौंपा रखा है, अपने कर्त्तव्य का पालन करने में पूर्णतया असफल रहा है। इस संगठन में कदाचार, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पनप रहा है और इसी लिये वह अकुशल और अप्रभावी है। ऐसे संगठन का तुरंत विघटन कर दिया जाना चाहिये अथवा इसे कार्यकुशल बनाने के लिये कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री ई० आर० कृष्णन]

श्रीमन्, इस समय समस्त देश में अनाज का अभाव है। हमारे देश में 70 प्रतिशत भूमि वर्षा पर निर्भर है। कृषक ऐसी भूमि में खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी उपज के लिये लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। इस के अतिरिक्त सरकार ने 10,000 जनसंख्या वाले नगरीय केन्द्रों के निकट 8 किलोमीटर क्षेत्र में जो भूमि है उसमें खेती करने की मनाही कर दी है। इससे भी कृषि उत्पादन में बहुत अधिक कमी हो गई है। ऐसा लगता है कि इससे पंजाब राज्य में भी अनाज का अभाव हो जायेगा।

हाल ही में विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने भारत का दौरा किया। उन्होंने तमिलनाडु में खेती के मामले में हुई प्रगति की सराहना की किन्तु खेद है कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार को कृषि सम्बन्धी माल की सप्लाई करने में असफल रही है। गत कृषि मौसम में तमिलनाडु को 1.75 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता थी, किन्तु उसे केवल 1.60 लाख मीट्रिक टन उर्वरक देने का आश्वासन दिया गया। किन्तु वास्तव में केवल 37,000 मैट्रिक टन उर्वरक ही दिया गया। इस वर्ष 1.30 लाख मैट्रिक टन उर्वरक अपेक्षित है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने केवल 1.18 लाख मीट्रिक टन उर्वरक देने का आश्वासन दिया है। योजना मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि तमिलनाडु को उसकी जरूरत के अनुसार उर्वरक मिलता रहे जिससे वह राज्य भी फालतु अनाज वाला राज्य बना रहे।

ऐसा सुना गया है कि दक्षिण में प्रत्येक राज्य को चावल का क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। ऐसा करने से तमिल नाडु अनाज के मामले में कमी वाला राज्य बन के रह जायेगा। मोटे अनाज के लाने ले-जाने पर से प्रतिबन्ध हटा कर सरकार ने तमिल नाडु में अशान्ति का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। इस से मोटे अनाज का मूल्य बढ़ गया है। मूल्य में इस वृद्धि को रोकने के लिये राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है कि उसे 50 प्रतिशत अनाज स्वयं खरीदने की अनुमति दी जाये केन्द्रीय सरकार इस बात की शीघ्र मंजूरी दें। इस के अतिरिक्त तमिल नाडु में विद्युत चालित 6.5 लाख पम्प सेट हैं। ये चालू रहें उसके लिये तापीय केन्द्रो के हेतु अपेक्षित मात्रा में कोयला सप्लाई करने के मामले की प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

सुविख्यात वैज्ञानिक, डा० नार्मल बोर्लाक का कहना है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रयास न करने से विश्व भर में अराजकता फैल जायेगी। गुजरात में जो दंगे हो रहे वे इसी बात के द्योतक हैं। 1980 में हमारे देश की जनसंख्या 66.8 करोड़ हो जायगी क्योंकि सरकार परिवार नियोजन के मामले में भी असफल रही है और यदि अनाज के उत्पादन में भी यही स्थिति बनी रही तो इस में कोई सन्देह नहीं है कि देश में अराजकता फैल जायेगी। अतः सरकार को इस मामले में गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

केन्द्रीय वित्त मंत्री का यह सुझाव अव्यावहारिक है कि राज्य बिजली, सिंचाई और भूराजस्व दरों में वृद्धी कर दें हालही में तमिल नाडू सरकार ने बिजली की दर 9 पैसे से बढ़ाकर 10 पैसे जब की तो वहां पर उसके विरुद्ध आन्दोलन हुआ जिसमें सत्ताधारी कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस और साम्यवादी दल के सदस्यों ने सक्रिय भाग लिया। इन परिस्थितियों में ऐसा करना कैसे सम्भव हो सकता है।

मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार अनाज के उत्पादन और कृषि सम्बन्धी अपनी नीति पर नये सिरे से विचार करेगी और श्री मधु लिमये द्वारा सुझाये गये मार्ग पर अग्रेसर हो कर देश में अनाज के संकट को दूर करने में पूरा प्रयत्न करेंगी क्योंकि स्थिति के अधिक बिगड़ने की दशा में इस पर काबू पाना कठिन हो जायेगा।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : सभापति महोदय, संकल्प में निहित भावनायें सराहनीय हैं किन्तु जिस रूप में इसे पेश किया गया है उस रुप में इसे स्वीकार करना कठिन है। तथापि हम इस संकल्प का स्वागत करते हैं क्योंकि इस में देश में मूल्य स्थिति से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिये सही चिंता व्यक्त की गई है।

मोटे तौर पर इस संकल्प को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग का सम्बन्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये किसानों के लिये लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के हेतु उन्हें सिंचाई, उर्वरक, बिजली और अन्य मामलों में राजसहायता देने से है। दूसरे भाग में लोगों को उचित दरों पर आवस्यक वस्तुओं उपलब्ध कराने के लिये वितरण प्रणाली के बारे में सुझाव दिये गये हैं। तीसरे भाग में जनसाधारण विशेषकर कमजोर वर्गों के लिये उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिये राज्य द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका पर बल दिया गया है।

यह सही है कि मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। इसीलिये मूल्यों का प्रश्न हमारी, योजना नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। पांचवी योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि मूल्य स्थिर रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम सब को मिलकर कार्य करना होगा। सामाजिक ढांसे में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्यों कि इस के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। अतः विपक्षी दलों से मेरा अनुरोध है कि वे ऐसा करने में अपना योगदान करें।

संकल्प के पहले भाग में सुझाव दिया गया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादन लागत जिसमें परिवहन प्रभार कर तथा लाभ शामिल है, 1 से $1\frac{1}{2}$ गुणा मूल्य पर बेची जायें। जहां तक इस सुझाव का उद्देश्य उपभोक्ता वस्तुओं के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में अन्तर को कम करना है, उससे तो हम सहमत हैं किन्तु यह असम्भव है कि मन माने ढंग से कोई इस प्रकार का सूत्र निर्धारित कर दिया जाये आवश्यक वस्तुएं उचित दामों पर लोगों को उपलब्ध करने के सिद्धान्त से हम पूर्णतया सहमत है। इस पहलू पर विस्तार से विचार किया गया है परन्तु इस रुप में इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। $1\frac{1}{2}$ गुणा मूल्य वाले सूत्र को लागू करने से उपभोक्ता को ही हानि होगी।

संकल्प के दूसरे भाग में कृषि वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों के बीच समानता लाने का सुझाव दिया गया है। युक्तियुक्त समानता की बात तो समझ में आती है और इससे हम पूर्णतया सहमत है और इसीलिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस सिद्धान्त पर बल दिया गया है। कृषि वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों के बीच अनुचित असंतुलन को दूर करना ही चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं हो सकता कि इन के मूल्यों के बीच बिल्कुल समानता लाई जाये।

यह सही है कि राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान 49 से 50 प्रतिशत रहा है। इस सम्बन्ध में यह नहीं भूलना चाहिये कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पूंजी का विनियोजन किया गया है। इसके बावजूद इस क्षेत्र से कोई बचत नहीं हुई है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हुआ है और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। अब समय आ गया है जब हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहियें जिससे इस क्षेत्र से हमें बचत हो सके और उसका विनियोजन किया जा सके। दूसरा प्रश्न जिस पर हमें विचार करना है वह यह है कि कृषि क्षेत्र में अब तक जितना धन लगाया गया है उसका केवल एक ही वर्ग को लाभ हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों को कोई लाभ नहीं हुआ है। गरीबी को दूर करने के लिये इन कमजोड़ वर्गों की दशा को सुधारने के लिये हमें कोई उपाय करने चाहियें। पांचवी पंचवर्षीय योजना में विनियोजन के सम्बन्ध में जो इतना बड़ा असंतुलन है उसे दूर करने का प्रयत्न किया

[श्री डी० पी० धर]

गया है। जिससे गरीब वर्गों को भी आयोजन का पूरा लाभ हो। इस उद्देश्य का पूर्ति के लिये कृषि के समूचे समाजवादी आधार को बदलना होगा। पश्चिमी बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां नदियों की भरमार है, भूमि सम्बन्ध जो पद्धति इस समय प्रचलित है उससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है। हमें वहां पर भूमि उपयोग की वर्तमान पद्धति में सुधार करना होगा।

श्री मधु लिमये के संकल्प के तीसरे भाग में सुझाव दिया गया है कि खाद्यान्नों के मूल्य में उतार–चढ़ाव 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। उनका यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मौसम और अन्य परिस्थितियों के कारण उत्पादन में कमी बेशी होती रहती है और मूल्यों में उतार–चढ़ाव इस पर निर्भर करता है। इस के अतिरिक्त कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिये एक वितरण प्रणाली बनानी होगी। जब तक ऐसा नहीं हो पायेगा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेगा।

संकल्प के चौथे भाग में सुझाव दिया गया है कि सरकार उत्पादन लागत और किसानों के लिये उचित लाभ का ध्यान रख कर कपास, गन्ना, कच्चा पटसन, खाद्यान्न आदि को समर्थित दरों पर खरीदने अपने ऊपर ले। इस सम्बन्ध में प्रयास किये गये हैं। भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम और भारतीय पटसन निगम की स्थापना इसी प्रयोजन के लिये की गई है। यह सही है कि इनकी कार्यप्रणाली में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें ठीक किया जा रहा है। संकल्प के इस भाग का जो उद्देश्य है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

संकल्प के पांचवे भाग में यह कहा गया है कि कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की प्रति यूनिट दर दस पैसे से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह ठीक है कि कृषि से कोई लाभ नहीं उठाना चाहिये। परन्तु बिजली की जो उत्पादन लागत है उसे भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। इस समय स्थिति यह है कि उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है और प्रायः सभी बिजली बोर्डों को हानि हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पर काफी खर्च किया गया है। इसे पूरा करने की भी गुंजाइश नहीं है। जहां तक सिंचाई की दरों को कम करने के सुझाव का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र को छोड़ कर सिंचाई की दरें पहले ही बहुत कम हैं। इस सम्बन्ध में हमें कुल मिलाकर 170 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। अतः इन परिस्थितियों में इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

समूचे रूप से कृषि क्षेत्र में राजसहायता के रूप में अपेक्षाकृत अधिक धन लगाया गया है और इससे किसानों के कुछ वर्गों की काफी लाभ हुआ है। अब इन वर्गों को भी अपना कुछ धन विकास कार्यों के लिये देना ही चाहिये।

संकल्प के अन्तिम भाग में दस एकड़ की जोतों वाले किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की बात कही गई है। हमारे देश में दस एकड़ की जोत कोई छोटी जोत नहीं है। जिस वर्ग को पहले ही अधिक लाभ पहुंचाया जा चुका है उसे अब और लाभ देने की कोई तुक नहीं है।

मैं माननीय सदस्य, श्री ई० आर० कृष्णन को आश्वासन देता हूं कि तमिलनाडु राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। खेद है कि हमारे देश में उर्वरक की स्थिति असंतोषजनक है

क्योंकि विश्व भर में इस के उत्पादन में कमी हो जाने से हम इसका आयात नहीं कर सके हैं। इस सम्बन्ध में तमिल नाडु राज्य के कोटे में कोई कटौती की गई है, तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उसकी अपेक्षा की जा रही है। क्योंकि ऐसी कटौती सभी राज्यों को कोटे में की गई है। कृषि क्षेत्र में तमिल नाडु राज्य में बहुत अच्छा कार्य हुआ है और इस मामले में केन्द्रीय सरकार और तमिल नाडु सरकार के बीच बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं।

गेहूं के थोक व्यापार को इसलिये हाथ में लिया गया था कि इससे वितरण में सुगमता हो जायेगी और स्टाक इकट्ठा हो जायेगा। परन्तु अनुभव के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा वितरण प्रणाली के लिये अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने तथा खुले बाजार में इसकी उपलब्धता में सुधार करने के लिये परम्परागत बाजार तंत्र पर निर्भर करना अधिक लाभप्रद होगा। इसीलिये हमने 1971–72 में प्रचलित नीति को ही अपनाने का निश्चय किया है। ऐसा करते समय हमने कुछ अतिरिक्त रक्षोपाय किये हैं और व्यापारियों के लिये कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। चाहे कोई भी नीति अपनाई जाये, इसमें तीन बातों का समावेश होना जरूरी है। पहली यह कि लोक वितरण प्रणाली के प्रति लोगों में आर्थिक एवं सामाजिक जागरुकता पैदा करनी होगी। दूसरे प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना होगा। उसे अधिक कार्यकुशल बनाना होगा और उसे भ्रष्ट तत्वों से मुक्त करना होगा। तीसरे समाज विरोधी व्यापारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही करनी होगी। सरकार के विरुद्ध निहित स्वार्थों के सामने घुटने टेकने की बात का मेरे पास केवल यही उत्तर है।

इन शब्दों के साथ मैं श्री मधु लिमये से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It is gratifying to note that most of the Members who took part in the discussion have supported my resolution. Even the Members belonging to the ruling party have appreciated it.

The Minister has laid great emphasis on the public distribution system. But the fact is that the public distribution system has totally failed and the people are going to face a lot of difficulties this year. The people especially the agricultural labourers in rural areas are starving and they have been deprived of the benefits of this distribution system. The previous food policy as well as the present food policy are both useless. The only way out is to switch over to the graded levy system which will enable the farmers to sell their surplus stocks according to their sweet-will as has been done in the case of sugar. Only then the farmers will be able to get adequate price for their foodgrains.

The functioning of Food Corporation of India and the distribution system is very expensive. If corruption is rooted out and economy effected, there will be no need to sell foodgrains at subsidised rates to the public.

In reply to a question, it has been stated that the prices of agricultural commodities have increased more rapidly than those of industrial goods. But it is not so. If we examine the profits made by cloth mills like Bombay Dyeing, Century Mills, Ambica Mills etc., it will be found that their profits have gone up at much higher rate in comparison to the rate of increase of their production. In case of Bombay Dyeing there has been an increase of 15% in their sales whereas there has been an increase of 75% in their profit. Similarly in case of Century Mills there has been an increase of 16% in their sales whereas the increase in their profit is 32%. Regarding Ambica Mills, the increase in their sales is only 23% whereas the increase in their profit is 100%. These figures indicate that the prices of industrial goods have increased more rapidly as compared to those of agricultural commodities.

[Shri Madhu Limaye]

Regarding jute, the price has been fixed as Rs. 157·50 per quintal whereas the farmers in rural areas are not even getting Rs. 105 per quintal.

In response to our repeated requests the Government has made it compulsory for the cloth mills to produce a specified quantity of coarse cloth. The mills are not observing this rule and are producing fine and super fine cloth in contravention of this rule even if they have to pay some penalty for this contravention. The Textile Commissioner and the Ministry of Commerce should enforce this rule strictly and ask the mills to produce coarse cloth which should be 50% of their total produce instead of 10 or 20%.

So far as the exports obligations are concerned, the outstanding contribution amounts to Rs. 5 lakhs which accounts for the 56·6 % of the outstanding contributions. This has an impact on the price policy as well as distribution policy.

As regards jute, according to the Commerce weekly, sales outlook in the export markets is decidedly optimistic. As far as raw jute prices are concerned, they are declining. Neither the jute mills nor the Jute Corporation are doing anything to rescue the jute growers and the Government also helplessly looks on. The Government has as a matter of fact written off export duty amounting to Rs. 21 crores. Similar concessions have been given in other sectors also but so far as agricultural sector is concerned, Government is not even ready to exempt them from imposition of tax on agricultural inputs. Instead of imposing tax on agricultural inputs, Government should levy tax on the income which a farmer gets as a result of use of these inputs. It is because production depends on many other factors also.

The income of farmers in Punjab, Haryana, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu and Andhra Pradesh has gone up. But Government has not framed any scheme to mobilise their savings. Instead of initiating some schemes for the best utilisation of their savings, a number of wine shops have been opened in Punjab, Haryana and Maharashtra and thus most of the additional income of the farmers there is being wasted on drinking etc. which is neither in the inserest of the farmers nor of the country. The Government should take steps to see that farmers are able to invest their savings in useful enterprises.

Inspite of the fact that the sugar production has been increasing continuously during the last few years, the price of sugar in the open market has also been going up. The production has increased from 31 lakh tonnes to 44 lakh tons whereas the price of sugar, which was Rs. 411 per quintal last year, has increased to Rs. 473 per quintal this year. It is a very strange situation. Despite our repeated requests that more levy sugar should be released during May and June when there are more marriages, the Government released 4 lakh tonnes less sugar even when the production had gone up. This compelled the common people especially the farmers to purchase this commodity from the open market. The Government should therefore release more sugar when there is more demand for it.

Though futures and non-transferable delivery contracts were banned under a law in 1967. But in places like Bombay and Akola provisions of the law relating to forward trading are not being enforced strictly because the Inspectors there to check forward trading accept bribe and allow this practice to go on.

Prices of groundnut oil have gone up considerably. Though the farmers, who grow groundnut, have not been benefitted by this price rise. Stern measures should be taken to deal with this situation.

After the last world war, when a number of people of Japanese origin came back to Japan from Manchuria and Korea, Japan also faced such a situation created by non-availability of food-grains. But they were able to remedy this situation soon due to land reforms carried out by them. At present, fertilizers there are the cheapest. But here in India where

there was great need of fertilizers, the price of fertilizers is the highest and it is not available in time. The Government should issue cards to small farmers so that they can get fertilizers at fair pr ce.

Uptill January, 1974, the price of naphtha was Rs. 252 per kilo litre whether it was being used for the production of fertilisers or petrochemicals. But later on the price of naphtha for petrochemicals was increased to Rs. 410 per kilo litre and then to Rs. 2,340 per kilo litre but now it has been reduced suddenly to Rs. 1,000. It appears that some sort of shady deal has been struck between the Government and the monopoly concerns like Mafatlal and Union Carbide. The outlay of Mafatlal on purchase of naphtha increased from Rs. 12 crores to 60 crores and the outlay of Union Carbide on purchase of naphtha increased from Rs. 4 crores to 20 crores when the price per kilo litre was raised to Rs. 2,340. It is feared that naphtha meant for fertilisers might be diverted for petrochemicals. This will consequently result in more scarcity of fertilisers. The Government should do something to remedy this situation.

It is regretted that we have no national income policy.

At the end, I would like to request the Government as well as the leaders of the Railway Trade Unions to find out some way to end the present railway strike keeping in view the interest of the country, welfare of the Railway employees and the hardships being faced by the common people.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 2 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 3 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री मधु लिमये का संकल्प मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि सरकार को मूल्यों और कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में अपनी नीति को इस प्रकार से पुनर्निधारित करना चाहिये कि —

(क) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादन लागत, जिसमें परिवहन प्रभार, कर तथा लाभ शामिल हैं, से $1\frac{1}{2}$ गुणा मूल्य पर बेची जायें;

(ख) औद्योगिक माल तथा कृषि उत्पादन के मूल्यों के बीच समानता हो;

(ग) खाद्यान्नों के मूल्यों में 15 प्रतिशत से अधिक उतार चढ़ावन हो;

(घ) सरकार उत्पादन लागत तथा किसानों के लिए उचित लाभ को ध्यान में रखकर कपास, गन्ना, कच्चा पटसन, खाद्यान्नों तथा अन्य उत्पादों को समर्थित मूल्यों पर खरीदने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें;

(ङ) कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की प्रति यूनिट दर दस पैसे से अधिक न हो; और

(च) दस एकड़ से कम जोतों वाले किसानों को राजसहायता प्राप्त दर पर उर्वरक उपलब्ध कराये जायें और सिंचाई की दरों में 25 प्रतिशत की कमी की जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

लोक-सभा के लिए नये चुनाव कराने के बारे में संकल्प

RESOLUTION ON FRESH ELECTIONS TO LOK SABHA

श्री समर गुह (कन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"देश में बढ़ते हुए अभूतपूर्व राष्ट्रीय संकट को दृष्टि में रखते हुए जिससे वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के विरुद्ध जन-विद्रोह उमड़ रहा है यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि भारत में समाजवादी समाज की स्थापना के हेतु लोगों में देशभक्ति तथा लोकतंत्र के प्रति आस्था पुनः जागृत करने के उपाय के रूप में वह भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान लोक-सभा को भंग करने तथा एक सर्वदलीय कार्यवाहक सरकार गठित करने और ऐसी सरकार के गठन के दो मास के अन्दर लोक सभा के लिए नये चुनाव कराने की सलाह दें"।

मेरा एक संशोधन है। अतः मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

'कि संकल्प के अन्त में—

"और यह नव-निर्वाचित लोक-सभा वर्तमान संविधान के निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने तथा विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र के सिद्धान्तों के आधार पर भारत का समाजवादी पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने के लिए नये संविधान का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ संवैधानिक सभा के रूप में कार्य करेगी।"

जोड़ दिया जाये।'

देश में इस समय जो स्थिति उत्पन्न हो गई है वह बहुत गम्भीर है। यह दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसी स्थिति पहले 1942 में उत्पन्न हुई थी। लोगों के रवैयो में परिवर्तन आ गया है। लोग विद्रोह करने पर उतारू हैं। सर्वत्र जन-विद्रोह उमड़ रहा है। स्पष्ट है लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। प्रशासन की कार्यकुशलता, क्षमता और सत्यनिष्ठा की साख खत्म हो गई हैं। इन परिस्थितियों में क्रान्ति अवश्यम भावी है। लोगों में विद्रोह करने की ऐसी भावना फैल गई है कि इन दशाओं में 1942 में जो क्रान्ति हुई थी उससे भी कहीं शक्तिशाली क्रान्ति आ सकती है। किन्तु खेद है कि प्रशासन इस विस्फोटक स्थिति को समझने में पूर्णतया असफल रहा है। समस्त देश ज्वालामुखी के कगार पर बैठा हुआ है और वह किसी भी समय फूट सकता है। आज गुजरात और बिहार में जो कुछ हो रहा है वह ऐसी क्रान्ति का ही परिचायक है। वहां पर लोगों को सेना तक दबाने में असफल रही है। इसका कारण दिन-प्रति-दिन बढते हुए मूल्य और इस प्रकार रुपये का हो रहा अवमूल्यन है। आज 42 से 69 प्रति शत लोग ऐसे हैं जो गरीबी से भी निचले स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गरीबी और भूखमरी से पीड़ित लगभग 39 करोड़ लोग कुछ भी करने पर उतारू हो सकते हैं।

वर्तमान संकट केवल आर्थिक अव्यवस्था के फलस्वरूप ही नहीं है। इसका मुख्य कारण नैतिक संकट भी है। कथनी और करनी में अन्तर सीमा से अधिक बढ़ गया है। इसीलिए जनता का विश्वास न केवल सत्तारुढ़ दल से ही उठ गया है अपितु विरोधी दलों में भी उसका विश्वास नहीं रहा। यहां तक कि लोग राजनीतिज्ञों से घृणा करने लगे हैं। लोगों के मन को समाजवाद, लोकतंत्र आदि के नारों के आधार पर कब तक जीता जा सकता है। अब समय आ गया है जब हमें वास्तव में कुछ करना चाहिये अन्यथा यह राष्ट्रीय संकट दिन-प्रति-दिन उग्ररूप धारण करता चला जायेगा।

मैं अपना भाषण आगामी सत्र में जारी रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha ther adjourned Sine die.

GIPN—S1—20 LSS/74—30-9-74—490

P.L.S. 48.XL.54.74(N)
490

© 1974 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422006 द्वारा मुद्रित ।

© 1974 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422006